

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.


BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

इन्टरमीजियेट के 'शिक्षा' के विभागियों के लिये निर्धारित पुस्तक

शिक्षा - शास्त्र

[सिद्धांत, विधि, विधान तथा इतिहास]

Theory & Practice of Education
EMBODYING PRINCIPLES, METHODS, ORGANISATION
AND HISTORY OF EDUCATION IN INDIA



भूमिका लेखक

माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, सचिव, उत्तर-प्रदेश

अन्य-लेखक

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

शाचार्या चन्द्रावती लखनपाल,

एम०ए०, बी०टी० (एम०पी०)

‘विद्या-विहार’, १५ बलवीर रोड, देहरादून

१६५३]

(द्वितीय संस्करण)

[मूल्य तीन रुपये]

प्रकाशिका तथा ग्रन्थ मिलने का पता—
आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम. ए., बी. टी., (एन. पो)
विया-बिहार,
१५ बलवीर रोड, देहरादून ।

मुद्रक—
सुमेध कुमार,
भास्कर प्रेस
देहरादून ।

भूमिका

[लेखक—श्री सम्पूर्णानन्द जी, शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश]

इस पुस्तक में 'शिक्षा शास्त्र' से सम्बन्ध रखने वाले कई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। आज शिक्षा प्रसार बड़े वेग में हो रहा है। सहस्रों व्यक्ति छोटे बड़े विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में स्वभावतः शिक्षण में व्यावहारिक श्रमों को अधिक प्रधानता मिल जाती है। स्कूल का टाइम टेबुल कैसे बनाया जाय, पाठ्य क्रम क्या हो, किस विषय के पढ़ाने की सबसे सरल और वैज्ञानिक रीति क्या है, कमरे कैसे और कितने बड़े बनाये जायें, अनुशासन कैसे रक्खा जाय, और रुपया कहाँ से लाया जाय—इन प्रश्नों के निबटारे में सारा समय चला जाता है। न सरकार, और न शिक्षक को दूरी बातों की ओर ध्यान देने का अवसर मिलता है। इन प्रश्नों को टाला भी नहीं जा सकता क्योंकि यदि इनका कुछ-न कुछ उत्तर न हो, तो विद्यालय चल ही नहीं सकते।

परन्तु सैद्धान्तिक प्रश्नों को भी भुलाया नहीं जा सकता। कभी-न-कभी प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता होगा—यह सब क्यों? हम परीक्षा तो लेते हैं, पर क्या सचमुच परीक्षा में प्रतिभा का पता चलता है? एक व्यक्ति गणित में दूसरे जियोमेट्री

में उत्तीर्ण होता है, और दूसरा फारसी में प्रथम डिचीयन में, तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि फारसी लेने वाला छात्र अधिक मेधावी है ? यदि परीक्षा से प्रतिभा की परख नहीं होती, तो फिर वह किस चीज की परिचायक है ? हम विभिन्न विषय पढ़ाते तो हैं, पर क्यों ? पढ़ कर क्या होगा ? यदि यह कहा जाय कि ज्ञान बढ़ता है, तो उस ज्ञान से क्या लाभ जिसका परिणाम आये दिन का महासुद्ध, भीषण नरसंहार, निरन्तर अशान्ति हो ? क्या ज्ञान इसीलिए उपार्जित किया जाय कि मनुष्य अपना सामूहिक आत्मघात कर ले, या संस्कृति और सभ्यता का नाम मिटा दे ? यदि पढ़ने का उद्देश्य सफलता से जीवन निर्वाह है, तो सफलता किसे कहते हैं ? दूसरों की मुंह की रोटी छीन कर खा लेना ही सफलता है ? यदि यही बात है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय और पाठशाला की क्या आवश्यकता है ? यह काम तो पोथी की अपेक्षा लाठों से अच्छा सब सकता है ।

शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा है, परन्तु वह उस दायित्व को तभी पूरा कर सकता है जब अपने काम की तात्निक गहवाई तक दूया जाय । प्रस्तुत पुस्तक में न तो सब सैद्धान्तिक प्रश्नों का उत्थापन किया है, न सब का विवेचन, न सब शांश्यों के निष्कर्षण का प्रयास किया गया है—इससे पुस्तक का फलनर बहुत बढ़ जाता, परन्तु मुख्य मुख्य प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । जो विचारशील हैं उनको इसमें दूसरे विचारों के मतों का कुछ आभास मिलेगा, और अधिक मनन और अध्ययन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।

शिक्षा की समस्या अतन्त्र समस्या नहीं है। उसको मुलमाने के पहिले हमको यह निश्चित करना होगा कि मानव जीवन का पुरुषार्थ, परम लक्ष्य क्या है। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक—हमारे सभी सत्राल इससे सम्बद्ध हैं। कोई संगठन, कोई शिक्षा, कोई विधान, कोई व्यवस्था स्वयं साध्य नहीं हो सकती, यह साधन-मात्र हो सकती है। साध्य के स्थिर हो जाने के बाद ही साधन स्थिर हो सकता है। 'शिक्षा के उद्देश्य' पुस्तक का प्रथम अध्याय है। इन उद्देश्यों का समर्थन। वरुष्यात शिक्षा-शास्त्रियों ने किया है, परन्तु शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से भिन्न नहीं हो सकते, अतः पुरुषार्थ का स्वरूप निरूपण करना होगा। भारतीय विद्वानों ने 'मोक्ष' को परम-पुरुषार्थ माना है, और उससे उतर कर 'धर्म' का। 'अर्थ' और 'काम' तो कीट-पतंग के सामने भी अव्यक्त रूप से रहते हैं। यदि यह बात मान ली जाय, तो फिर शिक्षा के सभी उपकरणों को तद्रूप करना होगा। यदि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, और शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का मोक्ष साधन के योग्य बनाना है, तो फिर यह भी तय करना होगा कि धन्य क्या है, धन्य कौन है और कितना है, धन्य कैसे ढील किया जाय ? यह विषय तो अध्यात्म शास्त्र, वेदान्त का प्रतीत होता है, परन्तु अध्यात्म-शास्त्र तो सभी शास्त्रों का मूल है। हम किसी बाहरी उपाय से लोगों को योगी, ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते, परन्तु ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें जीवन संघर्ष—'श्रृंगल और एग्जिस्टेन्स'—की जगह सहयोग की दी जाय, और पदे पदे

‘परस्परं भाषयन्त. श्रेयः परमवाप्स्यथ’ के अनुसार काम करना पड़े। यदि बच्चे के अन्तःकरण पर आरम्भ से ही अभेद भावना बैठाने का यत्न किया जाय, तो समाज का स्वरूप बदल जाय। जो वस्तुतः भिन्न हों उनको अभिन्न बनाना शिक्षक की शक्ति के बाहर है, परन्तु अभिन्नो पर से भेद के परदे को हटाने का यत्न किया जा सकता है।

आज शिक्षक दूसरों का सेवक-मात्र है। उससे जो कहा जाता है वह पढ़ा देता है, परन्तु यदि वह मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ को पढ़िचाने, और अपने उद्योग को तदनु रूप बनाये, तो फिर वह समाज का निर्माता बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के पढ़ने वाले उन प्रश्नों पर मनन करेंगे जिनकी और इसमें संकेत किया गया है।

—सम्पूर्णानन्द

लेखकों के दो शब्द

अब तक भारत की शिक्षा अंग्रेजों के दृष्टि-कोण से चलती रही। अंग्रेजों ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपना राज चलाना रखा, भारतीयों को शिक्षित करना नहीं। अब स्थिति बदली है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद से शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि कोण जागृत लगा है। इस समय यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी, जो जो भी नवीन परीक्षण हो रहे हैं, उन सब में लाभ उठा कर भारत के भावी नागरिकों का निर्माण किया जाय ताकि इस राष्ट्र की नींव सुदृढ़ बने। इसी दृष्टि में 'शिक्षा-शास्त्र'-ग्रन्थ का निर्माण किया गया है, और शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी नये नये सिद्धान्त तथा परीक्षण हो रहे हैं उन सब का हममें मत्स्य से वर्णन किया गया है।

पिछले दिनों भारत सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से सर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो 'यूनिवर्सिटी कमीशन' नियुक्त हुआ था उसने अगस्त १९४६ के अन्तिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में अन्य सुधारों के साथ-साथ परीक्षाओं के सम्बन्ध में उन सुधारों पर विशेष बल दिया गया था जिनका हमने प्रस्तुत पुस्तक में उल्लेख किया है। भारत में परीक्षाएँ नौकरी प्राप्त करने का एक साधन बनी हुई हैं, इसलिये हर-एक व्यक्ति, भलेही वह उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकता हो, रट कर, नकल कर के, चोरी कर के, या मिफारिश करा कर डिग्री प्राप्त करना चाहता है। परीक्षाओं का ढंग भी ऐसा बना हुआ है कि मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी भाग्य के सहारे उपर चढ़ जाता है, और अच्छे-से-अच्छा भाग्य की ठोकर खाकर लुढ़क जाता है। इसीलिये प्रचलित परीक्षा प्रणाली के स्थान में, जिसमें विद्यार्थियों

से पोथे-के-पोथे लिखाये जाते हैं, 'पदार्थ परीक्षा' (Objective tests) की कमीशन ने सिफारिश की थी। इन प्रश्नों के बनाने में परीक्षक को अचर्य कठिनाई होती है, परन्तु १००-२०० प्रश्नों का उत्तर हाँ ना या निश्चयन लगाकर विद्यार्थी तीन घंटे के स्थान पर आधे घंटे में दे सकता है, परीक्षा फल में भाग्य को कोई स्थान नहीं रहता। हमें प्रमत्तता है कि विद्यार्थियों के विषय में हमने जो कुछ लिखा है, 'यूनिवर्सिटी कमीशन' का भी ध्यान उधर गया।

'यूनिवर्सिटी कमीशन' के सदस्यों का विचार था कि अत्र ममा आ गया है जब कि भारतीय-शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। हमारे बालक अब तक शेक्सपियर और मिल्टन के विषय में मर-वृद्ध जानते थे, कानिडाम तथा भवभूति के विषय में कुछ नहीं जानते थे। यह अवस्था बदलनी होगी। भारतीय शिक्षा की पृष्ठ भूमि में भारतीयता को लाना होगा, हाँ, उसके साथ-साथ शिक्षा जगत् में उठ रहे नवीन विचारों को भी अपनाया होगा। हमने यह समझते हुए कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य उथल-पुथल मचेगी, पुराने तथा नये शिक्षा के सिद्धान्तों की दृष्टि होगी, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के आश्रमों में क्या होता था, पैस्टेलोर्डी, प्रिन्स तथा मॉन्टीमरी क्या कहते हैं—यह सब जानने की उत्सुकता उत्पन्न होगी—उम ग्रन्थ का निर्माण किया है। हमें आशा है कि यह ग्रन्थ शिक्षा जगत् में, विशेषकर इस समय जब कि हम जो कुछ चाहे उसे लेने और कुछ चाहे उसे छोड़ने में स्वतन्त्र हैं, अपना एक विशेष स्थान

विषय-सूची

भूमिका—माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, रचिय, उत्तर प्रदेश
द्वारा लिखित

दो शब्द—लेखकों द्वारा

सिद्धान्त (PRINCIPLES)

१. शिक्षा तथा अभ्ययन (Education and Instruction)
२. शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)
३. शिक्षा में समाजवाद तथा व्यक्तिवाद (Socialism and Individualism in Education)
४. आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, क्रिया-सिद्धिवाद (Idealism Naturalism and Pragmatism)
५. शिक्षा के साधन-अंग (Factors in Education)

विधि (METHODS)

६. शिक्षा के आधार-भूत सूत्र (Maxims of Methods)
७. आगमन तथा निगमन पद्धति (Inductive and Deductive Method)
८. स्वयं-ज्ञान-पद्धति (Heuristic Method)
९. निरीक्षण तथा सरस्यती-यात्राएँ (Observation and Excursions)
१०. व्यक्ति तथा कक्षा शिक्षण पद्धति (Individual and Class Teaching)
११. तानुसन्ध शिक्षा (Correlation of Studies)
१२. क्रिया द्वारा शिक्षा की पद्धति (Activity Method)
१३. खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति (Play-Way in Education)
१४. किंडरगार्टन-पद्धति (Kindergarten Method)

१५. ✓ मॉन्टेसरी शिक्षा-पद्धति (Montessori Method)	११३
१६. ✓ योजना-पद्धति (Project Method)	१२१
१७. डाल्टन-पद्धति (Dalton Plan)	१२६
१८. ✓ बुनियादी-नालोम या बर्धा योजना (Basic Education and its Method)	१३४

विधान (ORGANISATION)

१९. ✓ वर्गीकरण (Classification)	१४१
२०. ✓ परीक्षाएँ (Examinations)	१५२
२१. ✓ अनुशासन (Discipline)	१६३
२२. ✓ दण्ड तथा पुरस्कार (Punishments and Rewards)	१७२
२३. ✓ पाठशाला तथा स्वास्थ्य-रक्षा (School Hygiene)	१८०
२४. ✓ छान तथा स्वास्थ्य-रक्षा (Personal Hygiene)	१८७
२५. ✓ उठने-बैठने का ढङ्ग (Postures)	१९४

इतिहास (HISTORY OF EDUCATION)

२६. ✓ ब्राह्मण काल में शिक्षा (Education in Ancient India)	१९८
२७. ✓ बौद्ध-काल में शिक्षा (Education in Buddhist India)	२२३
२८. ✓ तक्षशिला तथा नालन्दा विश्व-विद्यालय (Taxilla and Nalanda)	२३५
२९. ✓ मध्य-काल में शिक्षा (Education in Medieval India)	२४५
३०. ✓ ब्रिटिश-काल में शिक्षा (Education in British India)	२५७
३१. ✓ शिक्षा का वर्तमान संगठन (Present Organisation of Education in India)	२६५

शिक्षा तथा अध्ययन

(EDUCATION AND INSTRUCTION)

शिक्षा मनुष्य का प्रगतिशील तथा सर्वांगपूर्ण विकास है—

‘शिक्षा’ एक विस्तृत शब्द है। शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़नेवाले स्विटजरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ^①पैस्टेलौजी का कथन था कि शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के प्रगतिशील और सर्वांगपूर्ण विकास का नाम है। जब से बालक उत्पन्न होता है तब से जीवन की अन्तिम घड़ियों तक वह कुछ सीखता ही रहता है। बालक घर में अपने साथ के दूसरे बालकों से सीखता है, माता-पिता से सीखता है, स्कूल में अध्यापकों से सीखता है, पढ़ना-लिखना समझ कर चुकने के बाद समाज में जाता रहता है वहाँ सीखता है। जन्म भर सीखता ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का ‘प्रगतिशील विकास’ है। जिसके विकास में प्रगति नहीं है, जो जहाँ का तहाँ खड़ा है, वह शिक्षा से लाभ लेना छोड़ देता है। प्रगति के साथ शिक्षा का ‘सर्वांगपूर्ण’ होना भी आवश्यक है। एक व्यक्ति पढ़ने-लिखने में ही दिन-रात रमा रहता है, उसे आटे-दाल के भाव का कुछ पता नहीं होता, दूसरा आटे दाल की ही चर्चा करता है, उसे पढ़ने लिखने की किसी बात का ज्ञान नहीं होता। दोनों की शिक्षा एकांगी शिक्षा है, सर्वांगपूर्ण नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन भर कुछ-न कुछ सीखता रहे, वही

अटक न जाय, आगे ही आगे बढ़ता रहे, परन्तु आगे बढ़ने के साथ साथ चारों तरफ भा देसता रहे, अपने को सर्वांगपूर्ण बनाने का प्रयत्न करे।

शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पहलू—

इसी दृष्टि से 'शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया' (Process) का नाम है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का प्रारम्भ बचपन से होता है, इसकी समाप्ति मृत्यु में होती है। इस सम्पूर्ण जीवन में मनुष्य का विश्वास दा वाता पर निर्भर रहता है—उसका अपना 'व्याक्तित्व', आर 'समाज'। बालक कैसा है, उसने पढ़क सस्कार कैसे हैं, उसने अन्दर क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या भावनाएँ हैं? इन शक्तियाँ और भावनाओं को समझ कर उसने विश्वास में सहायता देना शिक्षक का काम है। यह बालक के विश्वास का 'मनोवैज्ञानिक पहलू' (Hereditary or Psychological side) है। इसके अतिरिक्त उसके विश्वास पर उसकी परिस्थिति का भी बड़ा भारी असर पड़ता है। किन साथियों के सम्पर्क में वह आता है, मागी अच्छे हैं, या बुरे हैं, उसके चारों तरफ का समाज कैसा है? इन परिस्थितियों का बालक के विश्वास पर कम प्रभाव नहीं पड़ता। बालक के विश्वास का यह 'सामाजिक पहलू' (Environmental or Sociological side) है।

बालक का मानसिक विकास पढ़ने लिखने से होता है—इसमें सदेह नहीं और इसीलिए साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाये जाते हैं। परन्तु किताबी पढ़ाई के अलावा उसका बहुत कुछ विकास समाज द्वारा होता है। बालक का यह सम्पूर्ण 'मानसिक' तथा 'सामाजिक विकास जिस प्रक्रिया में गुजरता है उसी को 'शिक्षा' (Education) कहते हैं। क्योंकि बालक होने पर भी मानसिक तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया में

से गुजरता रहता है, अगर वह पढ़ा लिखा है तो कुछ न कुछ पुस्तकों से सीखता ही रहता है, और समाज से तो हर-एक कुछ न कुछ सीखता है, इसलिये शिक्षा जीवन भर रहने वाला एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें घर के, माता पिता के, अपने धन्वे के, शत्रु मित्र के, गृहस्थ के, घुमन फिरने के सभी प्रभाव आ जाते हैं क्योंकि इन सब प्रभावों में से गुजरते गुजरते ही तो मनुष्य नई-नई बातों की सीखता चला जाता है।

‘शिक्षा’ (Education) तथा ‘अध्ययन’ (Instruction) में भेद—

इस विस्तृत अर्थ के अलावा ‘शिक्षा’-शब्द का एक सङ्कुचित अर्थ भी है। बालक पाठशाला में जाता है। पाठशाला भी समाज का एक छोटा सा रूप है, परन्तु समाज में जो प्रभाव बालक को मार्ग भ्रष्ट कर सकत हैं उन्हें पाठशाला में नहीं आने दिया जाता। पाठशाला का वातावरण शुद्ध रखने का प्रयत्न किया जाता है। समाज में तो जो कुछ है, वह है, अच्छा बुरा प्रभाव बालक पर पड़ता रहता है, उसमें शिक्षक का कोई हाथ नहीं रहता, परन्तु पाठशाला में यह प्रयत्न किया जाता है कि जो कुछ हो अच्छा ही हो, बुरा कुछ न हो, और उस अच्छाई का बालक पर प्रभाव पड़े। इस प्रकार बालक पर, देख भाल कर, समझ बुझकर जो मानसिक तथा समाजिक प्रभाव डालने का प्रयत्न है वह शिक्षा का सङ्कुचित अर्थ है, और शिक्षा के इसी सङ्कुचित अर्थ के लिये ‘अध्ययन’ (Instruction) शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों में ‘शिक्षा’ शब्द का प्रयोग इन्हीं सङ्कुचित अर्थों में किया जाता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि शुद्ध अर्थों में ‘शिक्षा’ (Education) बहुत विस्तृत है, जन्म भर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है, ‘अध्ययन’ (Instruction) सङ्कुचित है, लगभग पाठशाला के साथ सीमित कृत्रिम प्रक्रिया है।

२

शिक्षा के उद्देश्य

(AIMS OF EDUCATION)

शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं —

विना उद्देश्य के मनुष्य किसी काम में उत्साह नहीं दिखाता, उद्देश्य सामने आते ही उसे पूरा करने की शक्ति न जाने उसमें कहां से फूट पड़ती है। उद्देश्य के प्रकट होते ही जीवन की सम्पूर्ण क्रिया शक्ति उसे पाने के लिये बेचैन हो उठती है, फिर वह बैठी नहीं रह सकती। तो फिर 'शिक्षा' का उद्देश्य क्या है? ①

भिन्न भिन्न समयों में शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहे हैं। कोई समय था जब भारत में धर्म-शास्त्र की शिक्षा देना गुरु का मुख्य उद्देश्य समझा जाता था। ब्रह्मचारी गुरुओं के आश्रमों में जाकर वेद, उपनिषद् और अन्य धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। ब्रह्मचारी को धार्मिक ग्रन्थों में दीक्षित कर देना गुरु का एक मात्र लक्ष्य होता था। जिस समय वर्ण-व्यवस्था का प्रचार हुआ तब गुरु का काम चतुर बालकों को वेद पढ़ाकर ब्राह्मण बनाना, शूरवीर बालकों को शस्त्र विद्या सिखाकर सिपाही बनाना, और व्यापार में रुचि रखने वालों को कृषि आदि की शिक्षा देना था। इस समय गुरु का काम बालकों को समाज के भिन्न-भिन्न पेशों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—के लिये, 'कर्म-काण्ड' के लिये तैयार करना था।
 "कृष्य समय याद वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्म से न रह कर जन्म से

मानी जाने लगी, तब ब्राह्मण का पुत्र अपने को ब्राह्मण के पेशे के लिए तैयार करता था, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय के, और वैश्य का पुत्र वैश्य के पेशे के लिये पढ़ाई लिखाई करता था।

भारतीय इतिहास में ब्राह्मण काल के बाद बौद्ध काल आया। उस समय चारों तरफ भिक्षु ही भिक्षु दिखाई देने लगे, और प्रत्येक माता पिता का ध्येय अपने बालक को भिक्षु बना देना हो गया। उस समय भारत में शिक्षा ने भिक्षु सघों के लिये बालकों को तैयार करना अपना लक्ष्य बना लिया। जब अशोक के समय भारत का राज धर्म ही बौद्ध धर्म हो गया तब भिन्न भिन्न राजकीय पदों के लिये बौद्ध होना आवश्यक समझा जाने लगा, और शिक्षकों ने उच्च राजकीय पदों के लिये बालकों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देकर तैयार करना अपना लक्ष्य बना लिया।

मुसलमानों के भारत में आने पर भी धार्मिक भावना को जगाना ही शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता रहा। मस्जिदों का सम्बन्ध मस्जिदों से रहा, और कुरान पढ़ा देना ही मौलवियों का एकमात्र लक्ष्य रहा। वे यही समझते रहे कि कुरान पढ़ लिया तो शिक्षा पूरी हो गई, कुरान न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा।

6 भारत की सामाजिक रचना में, और यहाँ की राज व्यवस्था में जब तक धर्म की प्रधानता रही तब तक धर्म की शिक्षा देना ही शिक्षा का उद्देश्य बना रहा। अन्य देशों का इतिहास भी यही बतलाता है कि समाज में जिस भाव की प्रचलता होती है, और राज-व्यवस्था को चलाने वाले लोग बालकों में जो भावना भरना चाहते हैं, शिक्षा का यही उद्देश्य हो जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण ग्रीस की शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन ग्रीस में स्पाटो नाम की एक रियासत थी। उस समय हर एक देश अपने को अमुरक्षित समझता था। शत्रु किसी भी समय आक्रमण कर सकता था। शत्रु

के आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिये स्वार्थी में यह आवश्यक समझा जाता था कि बालक की शारीरिक गठन अच्छी हो, वह साहसी हो, आघातकारी हो ताकि शत्रु का मुकाबला करके 'देश की रक्षा' कर सके। ऐथेन्स के लोग अपने को सुरक्षित समझते थे, इसलिये वे 'संस्कृति' का विकास अपना लक्ष्य समझते थे। स्वार्थी की शिक्षा प्रणाली को उन्होंने अपना लिया था, परन्तु सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन भी ऐथेन्स की शिक्षा-प्रणाली में आवश्यक था। उसमें व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विकास की भी कुछ थोड़ी-बहुत गुंजाइश थी, स्वार्थी की प्रणाली में ऐसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी।

इस सारे विवेचन से तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि अब तक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने का काम शिक्षक के हाथ में नहीं रहा है। माता-पिता, समाज, शासक-वर्ग जो कुछ चाहते रहे हैं, शिक्षक वैसा ही करता रहा है। शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना शिक्षक के हाथ में न रह कर दूसरों के हाथ में रहा है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का उद्देश्य सदा बदलता रहा है। वर्ण-व्यवस्था के जन्म से माने जाने से पूर्व शिक्षा का उद्देश्य कुछ और था, बाद को कुछ और हो गया। बौद्ध-काल में भी यह बदलता रहा, और मुसलमानी काल में और घटला। स्वार्थी में शिक्षा का जो उद्देश्य था, ऐथेन्स में वह नहीं था। तीसरी बात यह है कि इस सम्पूर्ण इतिहास में 'व्यक्ति' को अपने विकास की स्वतंत्रता नहीं रही, माता-पिता ने, समाज ने, देश ने, राष्ट्र ने, जैसा व्यक्ति को बनाना चाहा वैसी ही उसे शिक्षा दी जाती रही।

परन्तु अब समय बदल गया है। अब शिक्षक को भी अपने विचार प्रकट करने की छुट्टी मिल गई है। यद्यपि अभी तक शिक्षक निरपेक्ष भाव से शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट निश्चित नहीं कर सकना अब भी माता-पिता, समाज और राष्ट्र ही इसका निश्चय कर रहे हैं,

तो भी जन-स्वातंत्र्य के इस युग में शिक्षक अपनी आजाज ऊर्चा उठा सकता है। (शिक्षक के लिये सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बालक की शिक्षा का संचालन उसे एक स्वतंत्र्य व्यक्ति समझ कर 'व्यक्तिवाद' (Individualism) के सिद्धांतों के अनुसार करे, या जैसा अब तक होता चला आया है, समाज की तरफ से जो आदेश हो वैसा, 'समाजवाद' (Socialism) के सिद्धांतों के अनुसार करे।) इस विषय में पर्याप्त मत भेद है अतः इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम शिक्षा के उन उद्देश्यों का वर्णन करेंगे जिनका प्रतिपादन कुछ बड़े बड़े विचारकों ने किया है। वे उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

- १—शिक्षा का उद्देश्य 'विद्या के लिये विद्या' (Knowledge for the sake of knowledge) प्राप्त करना है।
- २—बालक को जीवन में किसी 'व्यावसायिक' 'व्यवसाय' (Vocational aim) के लिये तैयार करना है।
- ३—शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक—'सर्वांग-विकास'—(Complete living-aim) शिक्षा का उद्देश्य है।
- ४—सम-विकास (Harmonious development aim) शिक्षा का उद्देश्य है।
- ५—सचरित्र का निर्माण (Moral aim) शिक्षा का उद्देश्य है।

१. विद्या के लिये विद्या—शिक्षा का उद्देश्य है—

प्रायः कहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्या के लिये विद्या का अभ्यास करना है। विद्या का भी अपना कोई उद्देश्य है—इसके लिये लोग नहीं मानते; विद्या प्राप्त करना, और प्राप्त की हुई विद्या दूसरों तक पहुँचाना—यह स्वयं अपने-आप में एक उद्देश्य है। विद्या के लिये विद्या को उद्देश्य मानने का यह परिणाम है कि माता पिता, अध्यापक—जो भी विद्या के इस उद्देश्य पर विश्वास

रखते हैं, वे बालक को पुस्तकों से लाट देते हैं, छोटी आयु में ही उसे महा-परिडित बनाने के लिये व्यग्र हो उठते हैं। ऐसी कें लिये ही किसी कवि ने कहा है—'अमी ममाचार च तर्कयादान समागता कुक्कुटपाद मिथ्या ।' प्रायः शिक्षक बच्चों को प्रत्येक विषय में प्रवीण बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि ऐसा कोई विषय बच न रहे जो बालक को न आता हो। उसमें उसकी रुचि हो, न हो, वह उसके लिये जीवन में उपयोगी हो, न हो। इसका परिणाम यही होता है जो एकदम बहुत-सा भोजन पेट में भर लेने से होता है। हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि विद्या के लिये विद्या का अभ्यास कोई बुरा उद्देश्य है। आज विद्या पेट पालने के लिये पढ़ी जाती है, किसी समय विद्या का केवल मात्र यह उद्देश्य नहीं होता था, परन्तु अन्य सब बातों की तरफ से आँख-मूठ पर केवल विद्या को एक मात्र उद्देश्य समझना मानो मनुष्य को केवल मिर समझ लेना है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत-सी बातों का मन में संग्रह कर लेना नहीं अपितु संग्रह का हुई विद्या को जीवन के लिये उपयोगी बनाना है। विद्या स्वयं उद्देश्य नहीं, अपितु किसी उद्देश्य का साधन है, स्वयं लक्ष्य नहीं, अपितु लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग है।

२. आजीविका के लिये तैयार करना—शिक्षा का उद्देश्य है—

शिक्षा मनुष्य को अलंघ्य करने वाला केवल शृंगार नहीं, उसके रोटी के मसाल को भी हल करने का साधन है—यह आयाच आज बड़ी तीव्रता से उठ खड़ी हुई है। चारों तरफ से आयाच आ रही है कि जो शिक्षा बालक को सिर्फ रितावे पढ़ना सिखा देती है, रोटी कमाना नहीं सिखाती, वह बेकार है। जब बालक यह समझ लेता है कि उसको शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय को सीखना है, अपनी आजीविका के प्रश्न को हल करना है, तब

वह निरुद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य ही तो मनुष्य में क्रिया-शीलता उत्पन्न करता है। बालक जब यह समझ कर पढ़ता है कि वह जो बुद्ध पढ़ रहा है उसे जीवन भर उमर साथ देना है तब वह पढ़ता भी लगन में है। परन्तु क्या यही शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य है? आजीवीका के लिये शिक्षा प्राप्त करने से एक व्यक्ति अन्ध्या डाक्टर बन सकता है, ऊँचे दर्जे का वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है—परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह अन्ध्या मनुष्य भी बन जाय। जैसी अवस्था में सिर्फ आजीवीका के लिये तैयारी को शिक्षा का उद्देश्य बना लेना भी शिक्षा के पूर्ण महत्त्व को न समझना है।

२. 'मर्गो विराम' शिक्षा का उद्देश्य है—

स्पेंसर ने 'शिक्षा' पर एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें जीवन के सब पहलुओं के, सब अंगों के विकास के लिये प्रेरित करना है। जीवन में जिस समय जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो हमें उसके लिये तय्यार करना शिक्षा का काम है। हमें उन सब नियमों का ज्ञान होना चाहिये जिनमें हम शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास कर सकें। घर में हम माता-पिता के साथ कैसे बतें, समाज में कैसे उत्तम नागरिक बनें, साथियों के साथ कैसा व्यवहार करें, आजीविता के लिये क्या करें, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं का क्या हल निराल, संक्षेप में, हर बात में हम पूर्ण हों, किसी में अधुरे न रहें—यह स्पेंसर का शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे एक सधे हुए व्यक्ति के हाथ में शींजार होता है, उसी मशीन सब तरह में ठीक होती है, तेल दिया जाता है, पुर्जा-पुर्जा काम देने के लिये तय्यार होता है, इसी तरह यह शरीर, हमारे काम के लिये तय्यार रहे, मन में भी किसी प्रकार का प्रांट न हो—यह स्पेंसर का शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें

सन्देह नहीं कि यह उद्देश्य बहुत ऊँचा है, परन्तु बालक हर समय तय्यारी ही करता रहे, हर समय सिपाही की तरह लगा ही रहे— यह बालक की प्रकृति से बहुत बड़ी आशा करना है। रूसो का कथन था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बच्चा तो बच्चा है, वह आदमी नहीं है, उससे आदमियों की-सी आशा रखना व्यर्थ है। स्पेंसर बच्चे से बहुत बड़ी आशा करता था। जो अध्यापक हर समय बच्चे को कुछ न कुछ बनाने में लगा रहता है उसके प्रति बच्चा विद्रोह कर उठता है। बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, वह चाहता है कि उसे खुला छोड़ दिया जाय, उसे अपनी इच्छानुसार कदम उठाने दिया जाय। स्पेंसर के सर्वांगीण-विकास के सिद्धान्त में बच्चे के बचपन को भुला दिया गया है।

४. 'सम विकास'—शिक्षा का उद्देश्य है—

कई लोगों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा अन्य सभी पहलुओं का सम-विश्राम है। हमारे समाज में हमें व्यक्तियों की उमी नहीं जिनका केवल एक दिशा में विश्राम हुआ है। शरीर बड़ा गठ ला है, परन्तु मन के बच्चे हैं, बहुत पढ़ लिख गये हैं, परन्तु शरीर बच्चों का-सा कमजोर है। शरीर में भा कोई अंग मुट्ठ है, कोई अंग कमजोर। मन में 'इच्छा'-'ज्ञान'-'कृति' रहते हैं। बच्चों की किसी काम को करने की इच्छा होती है, परन्तु इच्छा सदा इच्छा बनी रहती है। वे सदा करूँ-न-करूँ की दुविधा में रहते हैं। कई लोग किसी भी काम को भट-से कर डालते हैं, और करने के बाद सोचते हैं, हमें यह काम करना चाहिये था, या नहीं। स्पेंसर के सर्वांगीण-विश्राम और सम-विश्राम के इस सिद्धान्त में सिर्फ इतना भेद है कि सर्वांगीण-विश्राम में तो मनुष्य के सब पहलुओं के विश्राम की आशा की जाती है, सम-विश्राम में सब पहलुओं के विश्राम के साथ-साथ

उन सबके भी एक समान विकास की आशा की जाती है। जब सर्वांगीण विकास ही एक कठिन काम है तब सम-विकास तो उससे भी आगे की बात है, यह और भी कठिन है। एक व्यक्ति विज्ञान का पंडित हो, दर्शन-शास्त्र का ज्ञाता हो, शरीर से पहलवान हो, सब तरह से पूर्ण हो—यह बहुत अर्द्धा उद्देश्य है, जहां तक यह पूरा हो सके इस करना ही चाहिए, परन्तु यह उद्देश्य क्रियात्मक नहीं है, इस प्रकार के पूर्ण विकास की आशा करना दुराशा मात्र है।

५. 'मन्त्रिम निर्माण'—शिक्षा का उद्देश्य है—

कई लोगों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर को सुदृढ़ बना देना या मन को ज्ञान से भर देना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य बालक को सद्गुणकारी बनाना है, उसके चरित्र को शुद्ध तथा पवित्र बनाना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक है, सद्गुण तथा सद् व्यवहार का निर्माण है, अन्य उद्देश्य इसके पीछे चलने वाले हैं।

'वंश-परम्परा' तथा 'परिस्थिति'—दोनों में से बालक पर किस का अधिक प्रभाव है, इस विवाद में प्रायः कहा जाता है कि पैरिक्त संस्कारों को मिटा सकना एक असंभव कार्य है। इस विचार से शिक्षक प्रायः निराश हो जाते हैं और समझते हैं कि ये बालक सब कुछ नहीं बना सकते, उसे जो कुछ बनाना है वह तो बीज-रूप में बना बनाया है, शिक्षा उसका कुछ नहीं बना सकती। हर्बर्ट (Herbert) का कथन था कि यह बात नहीं है, शिक्षा यह साधन है जिसके द्वारा बालक की उस मूल प्रकृति को बदल जा सकता है जिसे शिक्षक पैरिक्त समझ कर यह समझ लेता है कि इसे तो बदला ही नहीं जा सकता। अस्त में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही बालक की प्रकृति को बदलना है। बालक तो पशु की तरह अपनी भिन्न-भिन्न प्राकृतिक-शक्तियों (Instincts)

को लेकर पैदा होता है, शिक्षक उसे पशु से मनुष्य बनाता है, उसमें नैतिकता की भावना को भरता है।

'चरित्र' एक व्यापक शब्द है। प्लेटो का मथन था कि मनुष्य 'ज्ञान' (Knowing), 'इच्छा' (Feeling) तथा 'वृत्ति' (Willing) का समूह है। 'ज्ञान' की परमाष्टा 'सत्यम्' (Truth) में है; 'इच्छा' की परमाष्टा 'सौन्दर्य' (Beauty) में है, 'वृत्ति' की परमाष्टा 'शिवम्' (Goodness) में है; इसी को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' (Truth, Goodness, Beauty) कहा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र ऐसा बना देना है जिसमें वह अपने जीवन को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' बना सके। बालक में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अर्पाग्रह की भावना को उत्पन्न करना, कठिनाइयों का मुकाबिला करने की भावना को जागृत कर देना भारत की प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता रहा है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक, गुरु की आज्ञा का पालन करने हुए तपस्या का जीवन न्यतीत करना चरित्रनिर्माण का ही एक रूप है। शिक्षक अगर बालक के चरित्र का निर्माण कर देता है, अगर बालक में सत्य के प्रति प्रेम, अच्छाई की पाने की लगन, ईमानदारी, न्याय प्रियता आदि गुण आ जाते हैं, तो शिक्षा ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया—ऐसा समझना चाहिए।

६ शिक्षा का उद्देश्य इन सब का समन्वय है—

हमने शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया। शिक्षा का उद्देश्य भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा है। नमाज या राष्ट्र में जो सम्मग्न प्रवृत्त होती गई है, -सी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी बदलता गया है। अगर राष्ट्र के सम्मुख अपनी रक्षा का प्रश्न मुख्य रहा है तो चरित्र-सुत्र करना शिक्षा का उद्देश्य हो गया है, अगर कोई राष्ट्र भूला मरने लगा है तो व्यापार आदि की

शिक्षा को मुख्यता प्राप्त हो गई है। जो राष्ट्र मय तरह से निश्चिन्त है, जिसके सामने कोई विशेष समस्या नहीं है, वह व्यक्ति को स्वतन्त्र विरासत करने की आशा देता है, अन्यथा वह अपने समस्या को हल करने के लिए शिक्षक की प्रावाज को दबाकर शिक्षक को अपने स्वर में स्वर मिलाने का याचित करता है। फिर भी मंसूर के शिक्षकों तथा विचारकों ने शिक्षा के अनेक उद्देश्य निश्चित किये हैं।¹⁰ कोई विद्या के लिए विद्या प्राप्त करने को शिक्षा का उद्देश्य कहता है, तो कोई आजीविका के लिए तैयारी को कोई सर्व गुण-सम्पन्न निर्दोष मानव को उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य कहता है, तो कोई चरित्र निर्माण को। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब इन सब उद्देश्यों का समन्वय किया जाय। समाज तथा राष्ट्र की बात सुनी जाय, परन्तु साथ ही शिक्षक की प्रावाज को भी अनसुना न किया जाय, भिन्न भिन्न विधाओं के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न की जाय, परन्तु साथ ही कोई व्ययसाय भी सिखाया जाय, बालक को सर्व गुण सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया जाय, परन्तु साथ ही उसे स्वतन्त्र भी विकसित होने दिया जाय, और इन सब के साथ उसके चरित्र पर उसके व्यक्तित्व के सुन्दर आधार पर निर्माण किया जाय।

शिक्षा में समाज-वाद तथा व्यक्तिवाद

(SOCIALISM AND INDIVIDUALISM)

हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि अब तक शिक्षा का मंचालन माता-पिता, समाज तथा राष्ट्र की इच्छानुसार होता रहा है। राष्ट्र बालक को जो बूढ़ बनाना चाहता है शिक्षक उसे वही बनाने में जुट जाता है। स्पार्टा के बालकों को तपस्वी बनाया जाता था। माताएँ बालकों के पैदा होते ही उनके बल की परीक्षा करती थीं। यह आजमाती थीं कि वह स्वस्थ और बलवान रहेगा, या कमजोर रहेगा। बच्चे को एक शिला पर पड़ा जाता था, जो बच रहता था, वह पाल-पोस लिया जाता था, जो मर जाता था, वह फेंक दिया जाता था। स्पार्टा की शिक्षा-पद्धति ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि शिक्षा में 'व्यक्ति' प्रधान होना चाहिये, या 'समाज'। क्या शिक्षा देने हुए हमें बालक को समाज रूपी भगौन का एक पुजा ममम्कर चलाना चाहिये, या बालक की व्यक्ति रूप में एक स्वतंत्र मत्ता ममम्कर चलाना चाहिये? बालक समाज के विकास के लिए है, या समाज बालक के वैयक्तिक विकास के लिए है? इसी ममम्मा को शिक्षा में 'समाज-वाद' (Socialism) तथा 'व्यक्तिवाद' (Individualism) की ममम्मा कहा जाता है।

अब तब शिक्षा में समाजवाद की ही प्रधानता रही है। बालक मानव समाज का एक अंग है। व्यक्ति की समाज में स्वतंत्र सत्ता ही क्या है ? समाज से स्वतंत्र किसी व्यक्ति की कल्पना करना एक मिथ्या कल्पना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में पलता है, समाज में बढ़ता है, जन्म से मरण पर्यन्त समाज का अङ्ग ही है, इसलिये समाज की इच्छा के अनुसार उसका निर्माण करना आवश्यक है। जान में, अनजान में, मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व को पीछे हटा कर, समाज तथा राष्ट्र की माँग के अनुसार उसे ढालना शिक्षक का कर्तव्य है।

जो लोग व्यक्ति तथा समाज की तुलना में, समाज की मुख्यता के पक्षपाती थे, वे इतने बढ़ गये कि व्यक्ति की तरह समाज को भी एक स्वतंत्र सत्ता कहने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि राष्ट्र की भी, व्यक्ति की तरह, मानो आत्मा है, और यह 'राष्ट्र', व्यक्ति को अपेक्षा एक उच्चतर सत्ता है। राष्ट्र के लिये ही व्यक्ति है, व्यक्ति के लिये राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र को सफल तथा सुदृढ़ बनाने के लिये व्यक्ति को अपनी सत्ता मिटा देने चाहिये। राष्ट्र के दृष्टि-कोण से ही प्रत्येक बात होनी चाहिये, शिक्षा में भी राष्ट्र का ही नियामक हाथ होना चाहिये, राष्ट्र को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह व्यक्ति को जिस प्रकार बनाना चाहे, बनाये। प्राचीन काल में स्पार्टा की शिक्षा इसी सिद्धान्त पर चल रही थी, वर्तमान युग में जर्मनी तथा जापान ने भी इसी सिद्धान्त को मुख्य रख कर अपने यहाँ शिक्षा का संचालन किया था। इस सिद्धान्त ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना दमन कर दिया कि व्यक्ति अपने आप कुछ भी करने योग्य नहीं रह गया, वह राष्ट्र की मशौन का एक पुर्जा हो गया, राष्ट्र के षण्धारों की गति की आलोचना करना भी पाप हो गया, और परिणाम-स्वरूप जर्मनी का सारा मानव-समाज हिटलर

का, और इटली का समाज मुसोलिनी का दास हो गया,³ अपनी स्वतंत्र आवाज उठाना किसी के लिये भी असंभव हो गया।

शिक्षा में 'समाजवाद' अमरीका, इंग्लैंड तथा अन्य प्रजातन्त्र देशों में भी पाया जाता है, परन्तु इन देशों में शिक्षा में 'समाजवाद' का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि व्यक्ति को समाज की सेवा के योग्य बनाया जाय, और शिक्षा में ऐसे विषयों का प्रवेश किया जाय जिनसे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हुए भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाज की सेवा कर सके। वह उत्तम नागरिक हो, समाज का भला करने की सोचा करे, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह अपने व्यक्तित्व को ही मिटा दे। नाज़िज़्म तथा फ़ासिज़्म में तो व्यक्ति को अपनी सत्ता को समाप्त ही कर देना होता है, तानाशाही राज्य में डिक्टेटर ही सत्र बुद्ध है, प्रजातन्त्र में व्यक्ति समाज की सेवा करता हुआ भी अपने स्वतन्त्र व्यक्ति व को नहीं खोता।

स्पार्टा, जर्मनी, इटली तथा जापान में जिस प्रकार का उभर 'राष्ट्र समाजवाद' (State Socialism) चला⁴ उसमें व्यक्ति की नगण्य सत्ता हो गई, व्यक्ति का माना मिटा मा दिया गया, उनमें व्यक्ति के स्वतन्त्र विराम का कोई स्थान ही नहीं रहा। इंग्लैंड, अमरीका आदि प्रजातन्त्र देशों में भी व्यक्ति को उत्तम नागरिक बनाने का अगर सज्जित अर्थ लिया जाय तो उमका भी इसके अतिरिक्त कोई अभिप्राय नहीं रहता कि व्यक्ति राष्ट्र के हाथों में पर आचार का फाम करे, राष्ट्र उमका जैसा उपयोग करना चाहे करे। राष्ट्र धर्म को इस प्रकार सुगय बना लेने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य या अपने देश के राजनैतिक नेताओं की हरेक बात में हों में नों मिलाना ही पड़ता है—भले ही वे ठीक कहें, या गलत कहें।

शिक्षा में समाज की तानाशाही के विरुद्ध १८ वीं शताब्दी में रूसो ने आवाज उठायी। उसने कहा कि समाज ने बालक के विकास को चारों तरफ से कैद कर रखा है। हमें बालक को समाज की कैद से छुड़ाना है। बालक में स्वतन्त्र शक्तियाँ हैं—शिक्षक का काम उसे ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों में रख देना है जिससे उस के 'व्यक्तित्व' का विकास हो सके। शिक्षा में व्यक्ति तथा समाज के मुकाबिले में व्यक्ति ही मुख्य है, उत्तम व्यक्ति ही उत्तम नागरिक बन सकता है। शिक्षा में व्यक्तिवाद (Individualism) के समर्थकों को कहना है कि परिवार, पाठशाला तथा राष्ट्र व्यक्ति के विकास के साधन हैं, व्यक्ति इनके लिये नहीं, ये व्यक्ति के लिये हैं। पाठशाला व्यक्ति के विकास के लिये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती है जिसमें वह अपने को उन्नत बना सके। राष्ट्र का काम व्यक्ति पर शिक्षा का बोझ लाद देना नहीं है, अपितु बालक का चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियों से घेर देना है जिन से प्रोत्साहित होकर वह अपने अन्दर छिपी हुई भिन्न भिन्न शक्तियों को प्रकाश में ला सके। आज जितनी नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ काम में लायी जा रही हैं मकरा लक्ष्य बालक के 'व्यक्तित्व' (Individuality) को जगाना है, उसमें जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उन्हें विकसित होने के लिये प्रोत्साहित करना है। 'एरिस्टिक पद्धति'—'प्रोजेक्ट पद्धति' 'डाल्टन मैन'—ये सब प्रणालियाँ व्यक्ति को प्रधान मान कर ही चलाई गई हैं, और इन सबका आधार शिक्षा में व्यक्तिवाद (Individualism) का सिद्धान्त है।

संसार में जो कुछ हुआ है व्यक्तियों द्वारा हुआ है। महात्मा गान्धी जैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ही भारत को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। व्यक्ति का महत्व समझने के लिये संसार के इतिहास के पन्नों को पलट लेना काफी है। जहाँ सारा

समाज टकरा मार कर रह जाता है वहाँ एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है, और ऐसा मज़क़ा देता है कि समाज में अब तक जो शिक्षिलता दिखाई देती थी वह शक्ति तथा उत्साह में परिणत हो जाती है।

'व्यक्तित्व' के विकास का क्या अभिप्राय है? क्या इसका यह अभिप्राय है कि व्यक्ति जैसी उच्छ्रद्धलता चाहे करे? अगर व्यक्ति के विकास का यह अभिप्राय हो तब तो व्यक्ति से समाज को खतरा पैदा हो जाय। व्यक्तित्व के विकास का अभिप्राय उच्छ्रद्धलता में नहीं, स्वतंत्रता से है। उच्छ्रद्धल व्यक्ति तो समाज के बंधनों को छिन्न भिन्न कर समाज की व्यवस्था में ही गड़बड़ी डाल देगा, स्वतंत्र व्यक्ति समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने के स्थान में सुधारने का प्रयत्न करेगा। शुद्ध अर्थों में व्यक्ति का विकास सामाजिक विकास में सहायक होगा, उस में बाधा डालने वाला नहीं।

'समाज' तथा 'व्यक्ति' में जो संघर्ष चल रहा है इसे अगर हम मिटाना चाहें तो यह समझ लेना आवश्यक है कि न तो समाज का उद्देश्य व्यक्तित्व को मिटा देना है, न व्यक्ति का उद्देश्य समाज के प्रतिगूल चलना ही है। समाज का काम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाये रखने में सहायता देना है, और व्यक्ति का काम अपने गुणों से समाज को लाभ पहुँचाना है। व्यक्ति का समाज के बिना कोई मूल्य नहीं, और समाज व्यक्तियों के बिना निरर्थक है! दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, अतः दोनों के गठ-बंधन से ही शिक्षा की गाड़ी चल सकती है।

का कहना था कि भारत में शासन करने के लिये उन्हें लार्डों की आवश्यकता है, उन्होंने अफ्रीका में प्रवीण होना शिक्षा का एक-मात्र लक्ष्य बना दिया, रूसों ने समाज के बन्धनों के प्रति विरोध की विचार धारा को जन्म दिया था, उसने बालक को स्वतंत्रता-पूर्वक विकसित होने देना शिक्षा का लक्ष्य बतलाया; इंग्लैंड अफ्रीका में प्रजातंत्र की भावना प्रबल हो उठी, वहाँ उत्तम नागरिक बनाना शिक्षा का लक्ष्य बन गया, जर्मनी में जर्मन जाति के विश्व विजयिनी होने की भावना को जन्म दिया गया, वहाँ राष्ट्र-धर्म की प्रधानता हो गई, व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को मिटा दिया गया। वहीना का अभिप्राय यह है कि देश की जैसी आवश्यकताएँ होती हैं वैसी विचार-धारा और दर्शन-शास्त्र उत्पन्न हो जाते हैं, और जसा दर्शन-शास्त्र होता है उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षा की पद्धति का क्रम चल पड़ता है। हम 'दर्शन शास्त्र' के उन मुख्य-मुख्य 'वादों' का यहाँ वर्णन करेंगे जिनका 'शिक्षा' के 'उद्देश्य', 'विधि' तथा 'विधान' के निर्णय करने पर प्रभाव पड़ रहा है।

२. आदर्श-वाद (IDEALISM)

प्रारम्भ से 'आदर्श-वाद' (Idealism) ही जीवन का मुख्य सिद्धान्त माना जाता रहा, और इसलिये इसी का शिक्षा पर प्रभाव रहा। 'आदर्श-वाद' (Idealism) 'दर्शन शास्त्र' (Philosophy) के भिन्न-भिन्न वादों में से एक 'वाद' है। इसका मुख्य प्रवर्तक लार्डो था। इस 'वाद' के मुख्य आधार-भूत तत्व निम्न हैं:—

आदर्श-वाद के आधार-भूत तत्व—

(१) प्राकृतिक-जगत् की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत्-का

महत्त्व अधिक है। संसार में मनुष्य अपने को दो भागों में बाँट लेता है—यह 'स्वयं', तथा बाह्य 'जगत्'। बाह्य जगत् पंच महाभूतों का बना हुआ है—पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश। विज्ञान इन महाभूतों की ही खोज करता है, (परन्तु इनके अतिरिक्त 'मैं' भी तो कुछ है। (इस 'मैं' का निरीक्षण करें तो ज्ञात होता है कि इसमें 'मन' तथा 'आत्मा'—ये दो सत्ताएँ हैं।) बाह्य-जगत् तो मेरे लिए है, (अब 'मन' तथा 'आत्मा' का जानना भौतिक पदार्थों के जानने की अपेक्षा अधिक बड़ा आदर्श है) मन तथा आत्मा का जगत् ही आदर्श-जगत् है। इस प्रकार 'आदर्श वाद' (Idealism) भौतिक जगत् पर बल न देकर 'मन' तथा 'आत्मा' पर अधिक बल देता है और कहता है कि संसार में अन्तिम सत्ता भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है, पृथिवी-अप तेज वायु आकाश नहीं, मन आत्मा-परमात्मा है। बाह्य जगत् तो आध्यात्मिक सत्ता का एक अत्यन्त तुच्छ प्रकाश है, वास्तविक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता ही है। यह 'आदर्श वाद' (Idealism) का पहला तत्त्व है।

(२) अगर 'भौतिक' सत्ता की अपेक्षा 'आध्यात्मिक' सत्ता अधिक वास्तविक है तब 'आध्यात्मिक' सत्ता का जानना ही मनुष्य का मुख्य प्रश्न हो जाता है। आध्यात्मिक सत्ता अपने को कैसे विवक्षित करती है? मन तथा आत्मा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे भीतर तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। हम सोचते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम क्रिया करते हैं—'ज्ञान'-'इच्छा'-'कृति'—ये तीन, मानसिक प्रक्रिया के तीन पहलू हैं। 'ज्ञान' का लक्ष्य क्या है? 'ज्ञान' बढ़ते बढ़ते 'सत्य' को पाना चाहता है। 'इच्छा' का लक्ष्य क्या है? 'इच्छा' की चरम सीमा 'सौन्दर्य' को पाने के लिए हाती है। 'कृति' का लक्ष्य क्या है? कम करते करते मनुष्य उत्तम से-उत्तम काम करना चाहता है। आध्यात्मिक

सत्ता के इसी विकास को लोटो ने 'सत्य'-'सुन्दर'-'शिव' (Truth, Beauty, Goodness) का नाम दिया है। मानव-जीवन का लक्ष्य 'सत्य शिवं सुन्दरम्' का पाना है, इन तीनों को जीवन में घटा लेना है। 'आदर्श-वाद' (Idealism) का यह दूसरा तत्व है।

(३) 'आदर्श-वाद' (Idealism) का कथन है कि मनुष्य का लक्ष्य 'सत्य' 'शिव'-'सुन्दर' को पाना तो है ही, परन्तु इसके साथ साथ आध्यात्मिक माप-दण्ड को भी बढ़ाते जाना है। जैसे प्रकृति पर विजय पाने वाले नवीन-नवीन आविष्कार करते हैं, आगे ही-आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे आध्यात्मिक सच्चाइयों की अनुभूति भी मनुष्य को आगे-ही आगे ले जाता है। 'सत्य'-'सुन्दर'-'शिव' का मार्ग मनुष्य को सापेक्ष-सत्य (Relative truth) से निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) की तरफ, सापेक्ष सौन्दर्य (Relative beauty) से निरपेक्ष-सौन्दर्य (Absolute beauty) की तरफ, सापेक्ष शिव (Relative goodness) से निरपेक्ष शिव (Absolute goodness) की तरफ ले जाता है। निरपेक्ष (Absoluteness) की तरफ जाना ही 'आदर्श' की तरफ जाना है, यही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। यह 'आदर्श-वाद' (Idealism) का तीसरा तत्व है।

(४) जिस आध्यात्मिक स्तर को मनुष्य-समाज ने पा लिया उसे आगामी सन्तति द्वारा सुरक्षित रखना भी हमारे लिये आवश्यक हो जाता है, नहीं तो हरेक सन्तति को नये सिरे से सब बातों का पता लगाना आवश्यक हो जायगा। हमारा यह कर्तव्य है कि 'आदर्श-वाद' के जिस स्तर पर हम पहुँच चुके हैं, उस तक अपनी सन्तति को भा पहुँचा दें, ताकि वह अपने से आगामी सन्तति को हमसे भी आगे पहुँचा सके, और इस प्रकार उन्नति करता हुआ

मानव समाज निरपेक्ष सत्य, निरपेक्ष शिव तथा निरपेक्ष सुन्दर को
पा सके। यह 'आदर्श वाद' का चौथा तत्व है।

आदर्श वाद का शिक्षा पर प्रभाव—

'आदर्श वाद' (Idealism) की जिन चार बातों का हमने उल्लेख किया है इनका 'शिक्षा' पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 'शिक्षा' का उद्देश्य 'भौतिक' उतना नहीं जितना 'आध्यात्मिक' है—यह आदर्शवादियों का कथन है। 'मन' 'आत्मा' आदि के अध्ययन पर इन्होंने बहुत जोर दिया। 'सत्य' शिव 'सुन्दर' का ज्ञान क्रमशः 'दर्शन शास्त्र' (Philosophy), 'नीति शास्त्र' (Ethics) तथा 'ललित कलाओं' (Arts) से दिया जाना लगा। शिक्षा संस्था का उद्देश्य बालकों को यह सब ज्ञान दे डालना समझा गया जो अब तक मानव जाति ने प्राप्त किया था। हरेक बालक के लिये सच्ची विषयों का ज्ञान आवश्यक माना गया। यह समझा गया कि जाति के सदस्यों में संचित किये हुए ज्ञान की धरोहर को सुरक्षित रखने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिये बालक उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जाति का संपूर्ण ज्ञान लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, पर्सियन या अरबी में सुरक्षित है अतः इन भाषाओं का ज्ञान उसके लिये आवश्यक हो गया। इस प्रकार इन प्राचीन भाषाओं के ज्ञान को 'मनुष्योपयोगी शिक्षा' (Humanistic Studies) का नाम दिया गया और इनका पढ़ना प्रत्येक बालक के लिये अनिवार्य हो गया। क्योंकि बालक को इतनी अगाध विद्या थोड़े से ही समय में देनी होती थी अतः यह समझा गया कि उस पर सुदृढ़ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खेल कूद में समय बिताना व्यर्थ है। दिन रात पढ़ना, रटना, किताया का फीड़ा बन रहना बालक का लक्ष्य बन गया, और उदात्त लक्ष्य शिष्य का धर्ममार्ग सब कुछ पढ़ डालने के लिए।

बाधित करना गुरु का लक्ष्य बन गया। 'आदर्श-वाद' (Idealism) का शुरु-शुरु में यह लक्ष्य नहीं था, जो कुछ वह आदर्श समझता था उसकी तरफ जाना उसका लक्ष्य था, परन्तु क्योंकि हरेक बात कुछ समय बाद पतन की तरफ चल पड़ती है, 'आदर्श-वाद' भी पतन के मार्ग पर चल दिया।

३. प्रकृति-वाद (NATURALISM)

प्रकृति-वाद आदर्श-वाद का विरुद्ध प्रतिनिधि था—

'आदर्श-वाद' (Idealism) के अन्ध-भक्त जब ग्रीक, लैटिन तथा संस्कृत के ज्ञान को ही ज्ञान की चरम-सीमा समझने लगे, जब 'ह्यूमनिस्टिक-स्टडीज' (Humanistic studies) ही शिक्षा का चरम लक्ष्य हो गयीं, तब इस की प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हुई। इस प्रतिक्रिया का नाम 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) था। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) के अन्तर्गत कई 'वाद' उत्पन्न हुए परन्तु उन सबको मुख्य तौर पर 'व्यथार्थ-वाद' (Realism) कहा जाता है। क्योंकि 'आदर्श-वाद' की प्रतिक्रिया के रूप में ये 'वाद' उत्पन्न हुए थे इसलिए इन 'वादों' का नाम 'व्यथार्थ-वाद' रखा गया—'आदर्श' का उल्टा 'व्यथार्थ'। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) तथा 'व्यथार्थ-वाद' (Realism) का लगभग एक ही अर्थ है। 'व्यथार्थ-वाद' (Realism) के मुख्य में तीन भेद माने जाते हैं। 'ह्यूमनिस्टिक व्यथार्थ-वाद' (Humanistic realism), 'समाजिक-व्यथार्थ-वाद' (Social realism) तथा 'इन्द्रिय-व्यथार्थ-वाद' (Sense realism)। इन तीनों का वर्णन 'शिक्षा-मनोविज्ञान' (चन्द्रप्रताप लालनपाल-कृत) के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में ही कर दिया गया है। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) का शुद्ध रूप 'इन्द्रिय-व्यथार्थ-वाद'

(Sense realism) है। 'प्रकृतिवाद' का 'शिक्षा' पर निम्न प्रभाव पड़ा —

प्रकृतिवाद या इन्द्रिय यथार्थवाद (Naturalism or Sense Realism) का शिक्षा पर प्रभाव —

(१) अब तक शिक्षा में पुस्तकों को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता था। पाठशाला का आधे से अधिक समय ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबी, फारसी पढ़ाने में नष्ट कर दिया जाता था। व्याकरण तथा कोश जैसी पुस्तकें रट लेना विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। पुस्तकों का पाठित्व दिखा सकने में शिक्षा का महत्त्व समझा जाता था। 'प्रकृतिवाद' या 'इन्द्रिय यथार्थवाद' (Naturalism or Sense realism) ने इस प्रवाह को रोक दिया।

(२) शुरू-शुरू में प्रेकन तथा कोमिनियस ने कहा कि शिक्षा का काम पुस्तकें पढ़ा देना नहीं, अपितु प्रकृति के अनुसार बालक को चलाना है। इसी आवाज को रूसो ने और जोर से उठाया। उसने कहा कि बालक को अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं विकसित होने दो—समाज से परे, बाल-शुल्लों के वातावरण से दूर, शिक्षक की देखरेख से दूर कर, प्राकृतिक वातावरण में बालक का उचित विकास हो सकता है। हम बालक को पुस्तकों से, अध्यापकों से, और न जाने किस किस चीज से ऐसे घेर देते हैं मानों वह कैदी हो। हमें शिक्षा देने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी जिस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं उसे हटा लेने की।

(३) बालक के ऊपर पोथियाँ लाद देना, यह समझना है कि यह 'बालक' नहीं, 'मनुष्य' है। हम यह भूल जाते हैं कि बालक बालक है। रूसो ने बालक को अपना खोया हुआ स्थान दिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि बालक भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। पहले शैशवावस्था आती है, फिर बचपन,

बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर परिपक्वावस्था आती है। रूसो ने एक कल्पित बालक का एमिली (Emile) नाम रखकर उसके जीवन को शिशु-काल, बचपन, बाल्य-काल, किशोरावस्था तथा परिपक्वावस्था—इन पाँच भागों में बाँटकर उसकी शिक्षा किस प्रकार हानी चाहिये इसका वर्णन किया। हर अवस्था में बालक में भिन्नता आती है। रूसो के इसी वर्णन से बालक की 'प्राकृतिक-शक्तियाँ' (Instincts), 'स्वार्थभावों' (Sentiments) तथा 'बुद्धि' (Intelligence) आदि का अध्ययन होना प्रारम्भ हुआ। रूसो के दर्शाए मार्ग पर चल कर ही बालक को एक स्वतंत्र 'व्यक्ति' (Individual) समझ जाने लगा और शिक्षा में 'व्यक्तिवाद' (Individualism) का सूत्र-पाठ हुआ। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का भी इसी समय से बीज पड़ा समझना चाहिये।

✓(४) 'प्रकृतिवाद' (Naturalism) ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा में 'विज्ञान' पर बल देना चाहिये। शिक्षा की पद्धति के विषय में 'प्रकृतिवाद' ने कहा कि बालक को पुस्तकों से घेरने के स्थान में ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से घेर देना चाहिये जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी को 'सुरिस्टिक मेथड' (Heuristic Method) कहा जाता है। बालक जो सीखे स्वयं सीखे, परीक्षण करता जाय और सीखता जाय, करे और सीखे (Learning by doing)—इन सब सिद्धन्तों को 'प्रकृतिवाद' (Naturalism) ने प्रोत्साहित किया। अब तो बालक को शिक्षा का केन्द्र बना दिया गया है, और इसी का परिणाम है कि शिक्षक या पाठ्यादि मुख्य होने के स्थान पर शिक्षा में बालक ही मुख्य समझ जाने लगा है। इसी भावना के प्रबल हो जाने में 'डाल्टन प्लान'—'प्रोजेक्ट-पद्धति'—'मॉन्टीसरी-पद्धति' आदि का निर्माण हुआ है। 'मनोविश्लेषण-वाद' (Psycho-

analysis) में वशों के दोषों तथा अपराधों की तरफ भी 'प्रकृति वाद' की लहर ने ही शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है।

४. क्रिया-सिद्धि-वाद (PRAGMATISM)

अमरीका में जान ड्यूई (१८५९) ने 'क्रिया सिद्धिवाद' (Pragmatism) की स्थापना की। इसके आधारभूत तत्व निम्न हैं—
क्रिया सिद्धि-वाद के आधारभूत तत्व—

(१) किसी भी सिद्धान्त को परखने की कसौटी यह है कि उससे क्रिया सिद्धि किस प्रकार होती है, 'अनुभव' (Experience) में वह कैसा जंचता है। क्या वह सिद्धान्त हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, या नहीं, हमारी समस्याओं को हल करता है, या नहीं। अगर पूरा करता है, अगर उससे हमारी क्रिया सिद्धि होती है, अगर वह हमारी समस्याओं को हल करता है, अगर 'अनुभव' से वह ठीक जंचता है, तब तो वह ठीक है, अन्यथा नहीं। संसार में 'निरपेक्ष सत्य' (Absolute truth) वहीं नहीं, परमार्थ-उ-सत्य का विचार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। हम अनुभव से, किसी चीज से काम लेकर ही चल सकते हैं कि वह वस्तु कारगर है या नहीं, अगर उसमें क्रिया सिद्धि होती है, तब ठीक, नहीं होती, तब सब लोग मिलकर भी उसका समर्थन क्यों न कर, वह निरर्थक है।

(२) इसके अतिरिक्त हम व्यक्ति पर स्वतंत्र रूप में विचार कर ही नहीं सकते। यह घर में जन्म लेता है, स्कूल में जाकर एक सामाजिक समुदाय में रहता है, स्कूल से निकलकर भी समाज में ही जीवन व्यतीत करता है। या तो वह समाज में जीवन व्यतीत कर रहा होता है, या समाज में जीवन व्यतीत करने की तय्यारी कर रहा होता है। इसलिए किसी भी बात को परखने का दसरा

सिद्धान्त यह है कि उससे 'सामाजिक सौकर्य' (Social efficiency) कहा तक बढ़ती है ।

(२) हमारा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन गुथा हुआ है, उसमें पृथक्ता नहीं, एकता है । डाक्टर को दुकानदार से, दुकानदार को वकील से, वकील को अध्यापक से, अध्यापक को बढ़ई से, और इन सब को एक दूसरे से काम पड़ता है । 'सामाजिक-सौकर्य' (Social efficiency) तभी हो सकती है जब समाज एक समुदाय के रूप में वर्तें । हमारा एक दूसरे से जो सम्बन्ध है उसे हम पहचानें और मजबूत करने के साथ सहयोग हो—हम अपने-अपने पृथक्-पृथक् समुदाय में ही अपने-अपने उस प्रकार न जोधे रहें, जैसा जाट जाटों की, बलिया बलियों की और राजपूत राजपूतों का विरादरी बनाये बैठे हैं । 'सामाजिक-सौकर्य' के लिये जय इतरेतराश्रय ही रह नक्त है ।

शिक्षा सिद्धि-वाद का 'शिक्षा' पर प्रभाव -

हम 'शास्त्र' का 'शिक्षा' पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है । इन्हीं का कथन है कि जब बालक के विषय में हम उसे समाज से अलग करने सोच ही नहीं सकते, यह हर समय या तो समाज में है या सामाजिक जीवन के लिये तय्यारी पर रहा है, तब आदर्श पाठशाला की कल्पना करते हुए हमें यही सोचना होगा कि पाठशाला भी एक छोटा-सा समाज है । 'परिवार', 'पाठशाला' और 'समाज' के वातावरण में अगर जमीन आसमान का अन्तर है, तो ये तीनों असफल सिद्ध होंगे । तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक है । कड़ू लोग गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में यही आक्षेप करते हैं कि उसमें ब्रह्मचारियों को सामाजिक परिस्थितियों में निरा छोड़ रखा जाता है । 'गुरुकुल' शब्द का अर्थ है 'गुरु' का कुल, अर्थात् 'परिवार' । 'गुरुकुल' का अर्थ

हे कि परिवार की भावना घर म ही नहीं पाठशाला म भी बनी रहे, इस दृष्टि से इनका उद्देश्य वर्तमान पाठशालाया से बहुत उचा है । हाँ, सामाजिक परिस्थितियों से गुरुकुलों का दूर रखा जाता है—यह अवश्य विचारणीय है । जो पाठशाला बालकों को सामाजिक जीवन के लिए तय्यार नहीं करती वह अस्फल है । पाठशाला तथा समाज में सिर्फ इतना ही अन्तर होना चाहिये कि समाज का दूर त वातावरण पाठशाला में न हो, परन्तु अगर इतना भारी अन्तर है कि पाठशाला में रहते हुए बालक समाज में सर्वथा अनभिज्ञ हैं, उन्हें बाजार में संडा लेना नहीं आता, बंक में रुपया जमा नहीं कर सकते, रेलगाड़ी में इकलें सकर नहीं कर सकते, तब पाठशाला बालकों को सामाजिक जीवन में चतुर नहीं बना सकती ।

हम समाज में देखते हैं कि वे ही व्यक्ति किसी काम को त्परता से, उसाह से और सफलता से करते हैं जो अपने सामने किसी लक्ष्य को बना लेते हैं । हम सकान बनाना है, फिर हम त्परता से सत्र काम छोड़ कर उगमे जुट जाते हैं, अगर अपने हान के लिए मरान बनाना है, तब तो त्परता और भी बढ़ जाती है । बालकों के सम्मुख भी जत्र इसी प्रकार का कोई लक्ष्य होता है तब उनका त्रिग शीलता चरम सीमा को पल्लु जाती है । शक्या देते हुए बालक के सम्मुख कोई 'लक्ष्य' (Object), कोई प्रयोजन' (Purpose), कोई 'योजना' (Project), कोई समस्या' (Problem) रस देनी चाहिए, फिर वह उसे हल करने म जी जान से जुट जाता है । जब बालक इस प्रकार किसी 'प्रयोजन' या 'योजना' को लेकर चलता है तब वह 'अनुभव' से काम करके बहुत कृद सीर जाता है । 'त्रिग मित्रि चाद' (Pragmatism) का यह भा कवन है कि समाज म सत्र एक दूसरे

के सहारे टिके हुए हैं, इसलिये पढ़ाई में भी प्रत्येक विषय को दूसरे से जोड़कर पढ़ाना ही पढ़ाने का सर्वोत्तम प्रचार है, इसी सिद्धांत को शिक्षा-शास्त्री 'साम्य-शिक्षा' (Correlation) का सिद्धान्त कहते हैं। अगर बालकों को बगीचा बनाने पर जुटा दिया जाय, और साथ ही उन्हें यह कह दिया जाय कि जो साम्य-सञ्जी होगी वह उन्हीं की अपनी होगी, तो वे बगीचा लगाते-लगाते सिर्फ कृषि ही नहीं सीखेंगे, कौन बीज कहाँ होता है, कितने बीज लगाये हैं, कहाँ से कितने में खरीदे हैं—इन सब बातों को सीखते-सीखते गणित, भूगोल, दुकानदारी आदि कई बातें सीख जायेंगे। इसी विचार-धारा का अनुसरण करते हुए ड्यूई के शिष्य क्लिपेटिक ने 'प्रोजेक्ट-पद्धति' (Project method) को जन्म दिया है।

शिक्षा के साधक-श्रंग

FACTORS IN EDUCATION)

प्रायः समझा जाता है कि शिक्षा पाठशाला में ही दी जाती है। कुछ अंश में यह ठीक भी है, परन्तु पाठशाला के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य भी अनेक साधक श्रंग हैं। शिक्षा के साधक-श्रंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे श्रंग हैं जिनका स्कूल के साथ संबंध नहीं, दूसरे वे हैं जो स्कूल से सम्बन्धित हैं। हम पहले शिक्षा के उन साधक श्रंगों का वर्णन करेंगे जिनका स्कूल के साथ सम्बन्ध नहीं है, परन्तु फिर भी उनका बालक की शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ता है। वे अच्छे हों तो बालक अच्छा, और वे बुरे हों, तो बालक बुरा बन जाता है। ये साधक श्रंग निम्नलिखित हैं:—

१— स्कूल से असम्बद्ध शिक्षा के साधक-श्रंग

- क. घर तथा परिचार
- ख. समाज तथा धार्मिक मस्थाएँ
- ग. सिनेमा तथा रेडियो
- घ. सभ्रहालय
- ङ. वाचनालय तथा पुस्तकालय

घर तथा परिवार—

बालक की शिक्षा का प्रारम्भ घर तथा परिवार में होता है। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शिक्षा का बीज घर में ही पड़ जाता है। माता-पिता व्यायाम करते हैं तो बालक को व्यायाम का शौक हो जाता है, वे पढ़ते-लिखते हैं तो उन्हें देख कर वह भी पढ़ने का शौकीन हो जाता है, वे नियमित सन्ध्या हवन करते हैं तो वह भी धार्मिक-वृत्ति का हो जाता है। इसके विपरीत जिस परिवार में माता पिता आलसी होते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, उस परिवार के बालकों से यही आशा की जा सकती है कि वे आलसी होंगे, सिगरेट शराब पीयेंगे। परिवार के सदस्यों के जो विचार होते हैं, देश का राजनीतिक समस्याओं पर उनकी जो सम्मतियां होती हैं, उन्हें सुन-सुन कर बालक भी वैसे ही विचारों के हो जाते हैं। अगर घर का वातावरण अच्छा है, माता पिता आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं, तो बच्चे भी नम्र स्वभाव के, आझाकारा होते हैं; अगर माँ बाप में डरवा चलता रहता है, गाली-गलौज हुआ करती है, तो बालक भी किसी बात की कसर नहीं छोड़ते। जिन घरों का नैतिक माप-दण्ड बहुत ऊंचा होता है उनमें बालक भी बिना विरोध प्रयत्न के उतने ऊंचे उठ जाते हैं। घर में स्वाभाविक तौर पर सराई रहती है, तो बालकों के स्वभाव में मनाई पुल-गिल जाती है, अगर घर में वस्तुएं जहां-तहां बिखरी पड़ी रहती हैं, तो बालक भी किसी वस्तु को सम्भाल कर रखना नहीं सीखता।

समाज का धार्मिक संस्थाएँ—

समाज के वातावरण का, और विशेषतया धार्मिक संस्थाओं का बालक की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बालक हिन्दू घर में पैदा हुआ है, वह जन्म से ही हिन्दू धर्म को मानने लगता

हे। उसका जीवन का दृष्टि बिन्दु दूसरे बालक से जो मुस्लिम घराने में हुआ है, भिन्न ही बना रहता है। ईसाई घराने में जन्म लेने वाला बालक हरेक बात को और ही दृष्टि से देखता है। धार्मिक दृष्टिकोण प्रायः जीवन की दिशा को बदल देता है। बुद्ध ने धर्म के प्रभाव में घर छोड़ दिया, महमूद राजनी ने धर्म के प्रभाव में मन्दिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि अर्थ धर्म के प्रति निष्ठा धीरे धीरे कम हो रही है, परन्तु फिर भी धर्म के नाम पर ही तो भारत के विभाजन के समय निरपराध तथा असहाय बच्चों तथा स्त्रियों के रुधिर से आतापियों ने अपने हाथ रंगे। धर्म का प्रभाव कम हो जायगा तो समाज में जो दिनोंदिन नयीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं उनका असर बालक की शिक्षा पर होने लगेगा। हर हालतमें समाज बालक पर प्रभाव डालता ही रहेगा।

सिनेमा तथा रेडियो —

आज सिनेमा बालकों की शिक्षा को बड़ी जोर से प्रभावित किये हुए है। कभी-कभी स्कूलों कालेजों के विद्यार्थी आधे टिकट में सिनेमा देखने का अधिकार पाने के लिये हड़ताल कर देते हैं। सिनेमा में प्रत्येक घटना को इन मोहक रूप में वर्शाया जाता है कि मास्तिष्क पर उसकी अमिट छाप पड़ जाती है। शिक्षा की दृष्टि से अगर उच्च कोटि के सिनेमा विद्यार्थियों को दिखाये जाय तो बहुत लाभ हो सकता है, परन्तु जैसे निरुद्धे सिनेमा आजकल चल रहे हैं उनके देखने पर राज्य की तरफ से प्रतिबन्ध होना चाहिये। रेडियो द्वारा निस्सन्देह अच्छे अच्छे प्रोग्राम बच्चों को भेंट किये जाते हैं। क्योंकि रेडियो का नियन्त्रण राज्य के हाथ में है अतः इससे उतने अवाधनीय मस्कार नहीं पड़ते जितने सिनेमा से पड़ जाते हैं। आजकल के युग में जब कि हरेक काम लोग

आसानी से करना चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते, रेडियो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन हो सकता है। घर बैठे सगीत, व्याख्यान, समाचार, समालोचनाएं सुन लेना रेडियो से ही सम्भव है।

संप्रहालय —

शिक्षा का अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। संसार में हर जगह कौन जा सकता है? इसी उद्देश्य से संप्रहालयों का निर्माण किया जाता है जिससे सब जगह भटकने की जगह एक ही स्थान में सब-कुछ देखा जा सके। हम बालकों को इतिहास, भूगोल पढ़ाते हैं—वर्तमान तथा भूत की बातें बतलाते हैं, और भिन्न भिन्न वस्तुओं की चर्चा करते हैं। संप्रहालयों द्वारा इन सभी का सहज ज्ञान हो जाता है। बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में सरकार की तरफ से संप्रहालय हैं, परन्तु प्रगतिशील सरकार को हर एक शहर में संप्रहालय बनाने चाहियें जिसमें बालक उनमें सब वस्तुओं को अपनी आंखों से देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। माता-पिता तथा शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि वे समय-समय पर बालकों को संप्रहालयों में ले जाकर, जहां तक हो सके, प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान करायें।

वाचनालय तथा पुस्तकालय—

दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा शिक्षा का महान् भण्डार प्रतिदिन वितरण होता रहता है। इनमें सब प्रकार की सामग्री रहती है। राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए राजसभाओं के भाषण, व्यापार में रुचि रखने वालों के लिए वस्तुओं के भाव, खेल में रुचि रखने वालों के लिए भिन्न-भिन्न साम्मुख्यों के समाचार—समाचार-पत्रों में सभी कुछ रहता है। जो बालक समाचार पढ़ने लग जाते हैं, उनकी आधी शिक्षा

तो इन पत्रों द्वारा ही हो जाती है। आजकल भिन्न भिन्न शहरों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, म्यूनिसिपैलिटियों तथा सार्वजनिक सस्थाओं की तरफ से वाचनालय खुले हुए हैं जिनमें प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध समाचार पत्र आते हैं। शिक्षा में इनका बड़ा स्थान है। वाचनालय के अलावा पुस्तकालयों का महत्व किसी प्रकार कम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये पुस्तक खरीद सकना संभव नहीं, न ही प्रत्येक पुस्तक ऐसी होती है जिसे अपने पास रखना आवश्यक ही हो, किसी एक बात के जानने भर के लिये उस की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में पुस्तकालयों का होना आवश्यक है ताकि पढ़ो लिखी जनता उनसे ज्ञान वृद्धि कर सके। हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार गावों में पुस्तकालयों की योजना पर विशेष ध्यान दे रही है।

२—स्कूल से सम्बद्ध शिक्षा के साधक अंग

(अध्यापन तथा अध्यापक)

बालक की शिक्षा में स्कूल से असंबद्ध जो साधक अंग हैं उनका वर्णन हम कर चुके। अब हम उन साधक अंगों का वर्णन करेंगे जिनका स्कूल से ही विशेष सम्बन्ध है। स्कूल का संबंध मुख्य तौर पर 'बालक', 'अध्यापन' तथा 'अध्यापक'—इन तीनों से है। बालक के सम्बन्ध में तो हमने 'शिक्षा मनोविज्ञान' नामक अलग ग्रन्थ लिखा है, उस में बालक के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है। अध्यापन में शिक्षक के लिए पीन पीन से साधक अंग हैं उन का सक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है। इन्हीं अंगों को कई लेखकों ने 'शिक्षा की विधियों' (Devices in Education) के नाम से दिया है। अध्यापन करते हुए शिक्षक को निम्न बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है—

- (क) अध्यापक की ध्वनि
- (ख) अध्यापक को भाषा
- (ग) विषय की तैयारी
- (घ) प्रश्न तथा उनके पृष्ठने की विधि
- (ङ) प्रश्नों के उत्तर
- (च) उदाहरण
- (छ) व्याख्या तथा वर्णन
- (ज) लिखित-कार्य
- (झ) गृह-कार्य
- (ञ) पाठ्य पुस्तक
- (ट) श्यामपट
- (ठ) स्कूल की मद्रहालय, वाचनालय, पुस्तकालय

अध्यापक की ध्वनि (Voice and Tone)—

कई अध्यापक एक ही ध्वनि में घंटे के शुरू से अन्त तक बोलते जाते हैं। यह ठीक नहीं। अच्छे व्याख्याता की तरह जहाँ ऊँचा बोलना हो वहाँ ऊँचा, जहाँ नीचा बोलना हो वहाँ नीचा बोलना चाहिये। एक ही ध्वनि को सुनते-सुनते बालक थक जाते हैं। कई अध्यापक बहुत चिल्लाते हैं। वे समझते हैं, जितना ही वे ऊँचा बोलेंगे उतना ही विद्यार्थी जल्दी समझेंगे। अगल बात यह है कि जब अध्यापक स्वयं किसी विषय को ठीक नहीं समझता तब ऊँचा चिल्लाकर सन्तोष करता है। बात समझने में समझ में आती है, चिल्लाने से नहीं। न बहुत ऊँचा बोले, न बहुत नीचा, तुला हुआ बोलें, और स्वयं ही न बोलता जाय, आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को भी अपनी कहने दे—यही शिक्षा का ठोस नियम है।

अध्यापक की भाषा (Language)—

कई अध्यापक अपना पांडित्य दिखाने के लिए बच्चों के सामने भी ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे बड़े भी न समझ सकें। बच्चों के सामने बच्चों की सी, और बड़ों के सामने बड़ों की-सी भाषा का प्रयोग ही अच्छे शिक्षक की चतुरता है। भाषा भाव प्रकट करने का साधन है, परिश्रम दिखाने का नहीं—विशेष तौर पर शिक्षक के लिये।

विषय की तैयारी (Preparation and Planning)—

प्रायः देखा गया है कि अध्यापक बिना किसी तैयारी के पढ़ाने आ बैठते हैं। जो स्वयं किसी विषय को नहीं समझ वह दूसरे को भी नहीं समझ सकता, इसलिए विद्यार्थी भी उनमें कुछ नहीं समझ पाते। ऐसे अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ते जाते हैं—न उनके पल्ले कुछ पड़ता है, न लड़कों के पल्ले। जो अध्यापक किसी विषय को जितना स्वयं गहराई से समझ हुआ होगा वह उतनी ही जल्दी विद्यार्थियों को समझा सकेगा—सूखे से तो नदी नहीं बहती, भरी भील से ही नदी निकलती है। तैयारी करते हुए अध्यापक को स्वयं कई नई नई बातें सूझती हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जब भी पढ़ाने जाय पूरी तैयारी करके जाय, और अगर एक ही पाठ को अनेक बार भी क्यों न पढ़ाना पड़े, उसी अनेक बार ही तैयारी करे। जो अध्यापक पूरी तैयारी से पढ़ाते हैं उनका अनुभव है कि पढ़ाते हुए उन्हें थकावट नहीं होती। इसका कारण यह है—कि बिना तैयारी करके पढ़ाने में स्वयं समझने और विद्यार्थी को समझाने के दो काम इकट्ठे करने पड़ते हैं, और तैयारी के बाद पढ़ाने में केवल समझाने का ही काम करना पड़ता है।

पढ़ाने की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए इस विषय पर जर्मनी के शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के पाँच शिक्षा क्रम (Herbart's Five Steps) प्रसिद्ध हैं जो निम्नलिखित हैं —

(क) तैयारी (Preparation)

(ख) निरीक्षण (Presentation)

(ग) तुलना तथा निष्कर्ष (Comparison and Abstraction)

(घ) नियम निधास्य (General sation)

(ङ) प्रयोग (Appl cation)

तैयारी—तैयारी का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी के सम्मुख आगे आने वाली समस्या को खोलकर स्पष्ट रख दिया जाय। उसे मालूम हो कि किस प्रश्न को उसे हल करना है। अध्यापक या पीशल इसी में है कि आनेवाली समस्या को हल करने में विद्यार्थियों का श्रवण तर्क का जो सचित ज्ञान है, श्रवण तर्क का जो 'पूर्वानुभवर्ती ज्ञान' (Apperceptive mass) है, उसे जागृत कर दे, और उन्हें नवीन विषय के ज्ञान में किसी प्रकार की घनसहट न हो। इसके लिये २७ मिनट काका हैं।

निरीक्षण—अध्यापक का दूसरा काम उस सम्पूर्ण सामग्री को विद्यार्थियों के सम्मुख रख देना है, जिसके आधार पर वे अपने सामने खड़ी हुई समस्या को हल कर सकते हैं। कई उदाहरण, कई प्रयोग, कई घटनाएँ विद्यार्थियों के सामने रख कर स्वयं परिणाम निरालने के लिये उन्हें तैयार करना होता है। इसमें सबसे अधिक समय लगता है। २५-३० मिनट इसमें लग जाते हैं।

तुलना तथा निष्कर्ष—प्रश्न के स्पष्ट हो जाने तथा उस प्रश्न पर प्रकरा बालनवाली सामग्री के उपस्थित हो जाने के

। याद उदाहरण, प्रयोगों, घटनाओं की समानता-असमानता को, उनकी तुलना को करना आवश्यक है। यह तुलना इस प्रकार करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं परिणाम निकाल सकें। जब अध्यापक अनेक बातों को विद्यार्थी के सम्मुख रखकर उनकी तुलना करने लगता है तो उसमें से स्वयं कई नियम निकलते देख पड़ने लगते हैं। इसी को 'निष्कर्ष' कहते हैं।

नियम-निर्धारण—निष्कर्ष निकलते ही विद्यार्थियों के

सम्मुख खड़ा हुआ प्रश्न हल हो जाता है, समस्या, समस्या नहीं रहती, उन्हें नियम स्पष्ट रूप में देखने लगता है। अगर विद्यार्थियों को नियम स्पष्ट न हो तो समझना चाहिये कि 'नैयारी' तथा 'निरीक्षण' में कहीं दोष रह गया है। विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि उन्होंने स्वयं नियम निर्धारण किया है, अध्यापक ने उन्हें अपनी तरफ से बता नहीं दिया।

प्रयोग—नियम निर्धारण कर चुकने पर उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिये उसे भिन्न भिन्न जगह, और भिन्न-भिन्न प्रकार से घटाने दिखाना चाहिए, जिससे विषय विलुल स्पष्ट हो जाय, उसमें कहीं-कहीं अस्पष्टता भी न रहे। इस प्रकार 'प्रयोग' के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिये जिससे उसे मालूम पड़ जाय कि बालक विषय को वहाँ तक समझे हैं।

विचार प्रक्रिया में 'आगमन' (Inductive) तथा 'निगमन' (Deductive)—ये दो प्रक्रियाएँ होती हैं। इनका वर्णन इसी पुस्तक में अन्य स्थान पर किया गया है। हर्वाट के इन पाँच क्रमों में 'आगमन' (Induction) तथा 'निगमन' (Deduction) दोनों को जोड़ दिया गया है, और इनके जुड़ कर काम करने से ही विचार-प्रक्रिया ठीक तौर पर चलती है।

प्रश्न तथा उनके पूछने की विधि (Types of Questions)—

प्रश्नों द्वारा विषय को स्पष्ट करने का तरीका बहुत पुराना है। उपनिषदों में शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरु उत्तर देते हैं। कभी-कभी गुरु भी प्रश्नों द्वारा शिष्य को सिखाता है। मुद्रगत की अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने की प्रणाली 'प्रश्न प्रणाली' ही थी। अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करके उसी से उत्तर निम्नलया सकता है, और उस के उत्तरों से समझ सकता है कि विद्यार्थी विषय को समझ या नहीं।

प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं :—'जाँच करने वाले प्रश्न' तथा 'ज्ञान देने वाले प्रश्न'। 'जाँच करने वाले प्रश्न' पाठ के प्रारंभ तथा अन्त में किये जाते हैं। प्रारंभ में इसलिये जिससे नवीन विषय को समझने के लिये बालक तैयार हो जाय। इनसे विषय समझने की भूमिका बंध जाती है। ये प्रश्न अन्त में इसलिये किये जाते हैं जिससे यह पता चल जाय कि बालक विषय को समझ गये हैं, या नहीं। 'ज्ञान देने वाले प्रश्न' नई बातें सिखलाते समय किये जाते हैं। इन प्रश्नों द्वारा बालक का मस्तिष्क नई बातों को खोजने की तरफ तेजी से चल पड़ता है। अगर शिक्षक देखे कि विद्यार्थी अभी विषय को समझने की तरफ ठीक ठीक नहीं चला, तो छोटे-छोटे तथा सरल प्रश्नों द्वारा उसे ठीक दिशा की तरफ ले जाने का प्रयत्न करना आवश्यक हो जाता है।

शिक्षक के लिये यह भी जानना आवश्यक है कि प्रश्न कैसे हों? प्रश्न सरल भाषा में पूछे जाने चाहिये, उनके अनेक उत्तर न होकर एक ही उत्तर होना चाहिये, छोटे होने चाहिये, एक प्रश्न में एक ही बात पूछनी चाहिये, प्रश्न में ही उत्तर नहीं आना चाहिये, हाँ-ना में ही उत्तर नहीं आना चाहिये, प्रश्न

न विद्यार्थियों के बुद्धि-स्तर से बहुत ऊचे ही होने चाहियें, न बहुत नीचे ही, उनका उत्तर सोचने में बुद्धि को कुछ जोर लगाना पड़े इतने कठिन अवश्य होने चाहिये, और प्रश्न स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिये ।

इसके अतिरिक्त शिक्षक के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि प्रश्न किस ढंग से पूछने चाहियें । एक ही विद्यार्थी से बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए, सारी कक्षा से प्रश्न करना चाहिए ताकि उत्तर देने के लिए सभी तैयार रहें, फिर भले ही किसी से भी पूछ लिया जाय, प्रश्न करते हुए किसी एक विद्यार्थी की तरफ संकेत कर देने से दूसरे मोचना छोड़ देते हैं इसलिए प्रश्न पूछने से पहले किसी की तरफ संकेत नहीं करना चाहिए, प्रश्न करते हुए कठोरता नहीं धारण करनी चाहिए, इस ढंग से प्रश्न करने चाहियें जिससे जिन विद्यार्थियों को विषय नहीं आता उन्हें भी स्पष्ट होता जाय ।

प्रश्नों के उत्तर (*Aus vers*)—

प्रायः बालक मु ह मु ह में ही उत्तर दे जाते हैं, वे इतना अस्पष्ट उत्तर देते हैं कि पास खड़े हुए को भी सुनाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि उन्हें अपने उत्तर के ठीक होने का भरोसा नहीं होता । जो बालक जितना ठीक जानता होगा वह उतना ही स्पष्ट और जोरदार उत्तर देगा । अगर बालक ऐसा उत्तर दे जा आधा ठीक, आधा गलत है, उसे सर्पथा गलत कह देना ठीक नहीं, जितना उत्तर ठीक हो उतना ही ठीक, जितना गलत हो, उतना ही गलत बतलाना चाहिए । विद्यार्थियों से यह भी अभ्यास कराना चाहिए कि उत्तर देते हुए क्रम-बद्ध विचार-धारा में उत्तर दें, यूँ ही असम्यद्ध रूप से न बोलते जाँय । अगर उनसे भारतीय स्वतन्त्रता पर नियन्ध लिखने को, या

अपने विचार प्रकट करने को कहा जाय, तो शिक्षक के लिए यह देखना आवश्यक है कि विद्यार्थी किसी क्रम से अपने विचारों को प्रकट करता है, या यूँ ही जो विचार आता जाता है उसे लिखता या कहता चला जाता है। उत्तर देते हुए अपने विचारों को किसी क्रम में प्रकट करने की आदत विद्यार्थी में डालनी चाहिये।

उदाहरण (Illustration) —

किसी चीज को समझने के लिए उस चीज को दिखा देना या उससे मिलती-जुलती चीज को दिखा सकना शिक्षा में बहुत उपयोगी है। मॉडल, चित्र, ड्राइंग से हम उस चीज के असली रूप को नहीं तो उससे मिलते-जुलते रूप को दिखा सकते हैं। सब से अच्छा तो यह है कि उस वस्तु को ही दिखा दिया जाय, उसे न दिखा सकें तो उसके मॉडल बना कर दिखाना चाहिये, यह भी न हो सके तो उसका चित्र दिखा देना चाहिए, चित्र भी न मिले तो अपने हाथ से उसकी ड्राइंग बना कर दिखा देना चाहिए क्योंकि आँखों द्वारा जो वस्तु देखी जाती है उससे अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है। जहाँ तक हो सके चित्रों में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर बालक अशुद्ध चित्र को देख कर कोई विचार बना लेगा तो उसी को ठीक समझने लगेगा।

व्याख्या तथा वर्णन (Explanation and Description) —

कई बातें अध्यापक की व्याख्या तथा उसके विशेष वर्णन के बिना विद्यार्थियों को स्पष्ट नहीं होतीं। शिक्षा की पुस्तक में वही 'मीनीटर पद्धति' राब्ट आ गया। इतने से विद्यार्थी को क्या पता लग सकता है? शिक्षक को इसकी व्याख्या करनी होगी। कभी-कभी व्याख्या के अतिरिक्त किसी किसी बात का वर्णन भी

करना होगा। पढ़ाते-पढ़ाते 'अमरीका की राज्य-क्रान्ति' का कहीं उल्लेख आ गया। यहां व्याख्या से काम नहीं चलेगा क्योंकि व्याख्या तो शब्द के अर्थ का खलासा करती है; यहां 'अमरीका की राज्य-क्रान्ति' का छोटा-मोटा वर्णन कर विद्यार्थियों को समझाना होगा।

लिखित-कार्य (Written Work) —

अध्यापक विद्यार्थियों को लिखित कार्य देने हैं, परन्तु अगर वे उसे जांचते नहीं तो यह-सब बेकार है। जांचने पर भी अगर विद्यार्थी को यह पता नहीं लगता कि उसने क्या अशुद्धि की है, तब भी लिखित कार्य देना बेकार है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी एक ही अशुद्धि को बार-बार करते हैं। इसका यही कारण है कि लिखित कार्य किसी ढंग से नहीं चलता। कई अध्यापक इतना लिखित-कार्य दे देते हैं जिसे जांच नहीं सकते; कई अध्यापक इतने सुस्त होते हैं कि कार्य देकर भी उसे नहीं जांचते। सबसे अच्छा यह है कि अध्यापक लिखित-कार्य देखकर मोटी-माटी अशुद्धियाँ नोट कर ले और सबको कक्षा में समझा दे ताकि विद्यार्थी वैसी अशुद्धियाँ आगे से न करें। यह भी अच्छा है कि जिसकी कापी हो उसी में अपने सामने जांच कराये और उसी से प्रश्न कर-करके शुद्ध कराये ताकि वह आगे से वैसी अशुद्धि न करे।

यह कार्य (Home Work) —

प्रायः विद्यार्थी पुस्तकों का थैले-का धेला घर ले जाते हैं। प्रत्येक अध्यापक उन्हें भरपूर कार्य घर करने के लिए दे देता है। काम इतना हो जाता है कि या तो विद्यार्थी कुछ करके ही नहीं लाते, अगर लाते हैं तो सब बेसिर। जल्दी-जल्दी में ही भी क्या सकता है। भारतीय परिस्थिति में तो कई बालक ऐसे

भी हैं जिन्हें स्कूल में जाकर पढ़ना होता है, घर में आकर माता-पिता का घर के काम में भी हाथ बटाना होता है। उनके लिये तो स्कूल में दिया हुआ गृह-कार्य कर सकना असंभव हो जाता है। गृह-कार्य की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक है कि अध्यापकों का आपस में सहयोग हो। एक दिन एक अध्यापक कार्य दे, दूसरे दिन दूसरा। इस उद्देश्य से एक ही कक्षा के अध्यापकों का परस्पर मिल कर सत्र-कुछ तब कर लेना आवश्यक है, तभी गृह-कार्य देने में कुछ लाभ हो सकता है, और यह समस्या हल हो सकती है।

पाठ्य-पुस्तक (Text Book) —

आजकल इस बात पर बल दिया जाता है कि पाठ-विधि में 'पाठ्य-पुस्तक' न रखकर 'पाठ्य विषयों' का निर्देश कर देना चाहिए, और अध्यापक तथा विद्यार्थी को अनेक पुस्तकों में से स्वयं मेहनत करके भिन्न-भिन्न विषयों का पढ़ना चाहिए। बात भी ठीक है, जब विद्यार्थी भिन्न-भिन्न पुस्तकों में से किसी विषय की तैयारी करेगा तब उसका ज्ञान एक ही पाठ्य-पुस्तक में से सत्र-कुछ पढ़ जाने की अपेक्षा अधिक होगा। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि अभी हमारे शिक्षक भी इस योग्य नहीं जो भिन्न-भिन्न पुस्तकों में से अपने विषय की तैयारी करके विद्यार्थियों को पढ़ावें। कालेज के प्र.क्र.सतों के लिए तो यह बात ठीक है कि वे एक ही पाठ्य-पुस्तक पर निर्भर न कर सब जगह से संग्रह करके एक विषय को विशद करने का प्रयत्न करें, परन्तु अभी स्कूल में जो अवस्था है उसे देखते हुए पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, अच्छा यही है कि विद्यार्थियों में इतनी योग्यता उत्पन्न कर दी जाय जिससे वे अपने परधन से 'पाठ्य-पुस्तक' पर निर्भर न रह कर 'पाठ्य-विषय' की भिन्न-भिन्न

ग्रन्थों से बटोर सकें। छोटी कक्षाओं के लिए तो हर हालत में पाठ्य-पुस्तकों की ही आवश्यकता रहेगी और उन्हें ऐसे ढङ्ग से लिखना होगा जिससे बालक उन्हें आसानी से समझ सकें।

श्यामपट (Black Board) —

शिक्षक श्यामपट को भेज-कुर्सी की तरह स्कूल का फर्नीचर-मात्र समझने हैं, शिक्षा में इसके महत्व को नहीं समझते। मनो-विज्ञान का यह नियम है कि ज्ञान जितने भी अधिक द्वारों से आता है उतना ही मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कान से सुनने के साथ-साथ आँख से देखना ज्ञान को स्पष्ट तथा निश्चित बनाता है। शिक्षक को श्यामपट का अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिए। जो कुछ पढ़ाता जाय उसका निचोड़ श्यामपट पर लिखता जाय ताकि विद्यार्थियों के लिए सब कुछ स्पष्ट होता जाय। लिखते हुए शुद्ध लिपि में लिखना आवश्यक है, नहीं तो अभ्यासक के टेढ़े-मेढ़े अक्षरों की नकल करने के कारण विद्यार्थियों के अक्षर भी बिगड़ सकते हैं। श्यामपट का प्रयोग करते हुए शिक्षक को एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए, कई शिक्षक बोर्ड के सामने खड़े होकर लिखने लगते हैं, श्यामपट ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से सब विद्यार्थी देख सकें, जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, जहाँ चोंच न पड़ती हो; श्यामपट पर इतनी ही बातें लिखनी चाहियें जो उसे इतना न भर दें कि यह किताब-सी बन जाय; पुराने निशान मिटा देने चाहियें; श्यामपट पर समय-समय पर स्याही फिरवा लेनी चाहिए ताकि यह ठीक काम दे सके; पट को ठीक रखने की विद्यार्थियों की बारी बाँव देनी चाहिए।

भ्रमहालय, वाचनालय, पुस्तकालय—

स्कूल से बाहर जो संग्रहालय (Museums), वाचनालय (Reading Rooms) तथा पुस्तकालय (Libraries) हैं

उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। स्कूल के भीतर भी संप्रहा-लय, पाचनालय तथा पुस्तकालय का होना आवश्यक है। भूगोल, जीव-विज्ञान आदि के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपना संप्रहालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्कूल का अपना संप्रहालय तो होना ही चाहिए। स्कूल के पाचनालय तथा पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें रहनी चाहिए जो विद्यार्थियों के सामान्य-ज्ञान को बढ़ाएं। पाठ्य पुस्तकों की कई-कई प्रतियाँ रहनी चाहिए ताकि गरीब विद्यार्थी उनसे लाभ उठा सकें। प्रायः देखा जाता है कि स्कूल विद्यार्थियों से पुस्तकालय के नाम से फीस लेते रहते हैं, परन्तु विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने का शौक पैदा नहीं करते। जिस किसी तरह हो फीस जमा हो जाय, रूपया आ जाय, यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालक जिस स्तर का हो उसे वैसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। बचपन में कहानी की पुस्तक पढ़ना समझ में आता है, परन्तु उन्नत भर कहानी-की-कहानी पढ़ते रहना सिद्ध करता है कि हमने अपने बालकों में उत्तम पुस्तकें पढ़ने का शौक पैदा नहीं किया।

३—स्कूल से सम्बद्ध शिक्षा के अन्य साधक-त्रय

(प्रधानाध्यापक)

हमने लिखा था कि स्कूल में 'बालक' 'अध्यापन' तथा 'अध्यापक' ये तीन मुख्य हैं जिन में से 'बालक' पर तो हम 'शिक्षा मनोविज्ञान'-नामक विम्वृत ग्रन्थ लिख चुके हैं, 'अध्यापन' के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का हम अभी उल्लेख कर चुके, अब हम 'अध्यापक' के सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें लिखेंगे।

'अध्यापक' के कार्य में मुख्य काम 'प्रधानाध्यापक' का है। 'प्रधानाध्यापक' को स्कूल का प्रबन्ध करने के लिये अनेक

वातें करनी होती हैं परन्तु हम यहाँ तन्मन् वातां पर ही कुछ लिखेंगे, अन्य वातां पर पुस्तक में जहा तहा वही विस्तार और फही सक्षेप से लिखा ही गया है —

(क) प्रधानाध्यापक के वर्तव्य समझना

(ख) समय विभाग को बनाना

(ग) छात्रा ने माता पिताओं से सहयोग

(घ) छात्रावास का प्रबन्ध करना

प्रधानाध्यापक (Headmaster) —

‘प्रधानाध्यापक’ के सम्यन्ध में पुराना विचार यह था कि यह एक जल्लाद है, हाथ में वेत लिये घूमता है विद्यार्थी और अध्यापक दोनों उस से डरते थे। मौका पड़ने पर अध्यापक उसे सहयोग देने के स्थान में उसके विरुद्ध ऐसे पडयन्त्र रचते थे जैसे आततायी राजा के विरुद्ध प्रजा रचती है। यह डरता था तो सिर्फ इस्पेक्टर से, और किसी से नहीं। अब ये सब विचार बदल गये हैं। ‘प्रधानाध्यापक’ के लिये आवश्यक है कि वह अपने जीवन तथा आचरण से अन्य अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये आदर्श बन कर रहे; इस बात को समझे कि परीक्षा में पास करा देना मात्र उसका लक्ष्य नहीं है, विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ उनके आचार-व्यवहार को बनाना भी उसका काम है; अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखे परन्तु उसके साथ ही हरेक के साथ सहानुभूति का वर्तान करे, हर समय हुजूमत ही न चलाये, इस प्रकार यों कि अपनी तरफ से प्रार्थना करे तो दूसरे उसकी प्रार्थना का आज्ञा की तरह पालन करें; साथ ही अध्यापकों का सहयोग पाने के लिये उन्हें भी सहयोग दे; पाठशाला की शांति भंग करने वाले तत्वों को उत्पन्न ही न होने दे, हो जाय तो उनका शीघ्र प्रतिस्फार करे; इस्पेक्टर से डरने के बजाय उसे अपना मित्र

समझे; नाता-पिता के सद्व्योग को पाने का प्रयत्न करे; विद्यार्थियों के सामने ही अध्यापकों की त्रुटि प्रदर्शित न करे, जो-कुछ कहना हो अलग बुला कर कहे, विद्यार्थियों के खेल आदि में भाग ले, स्वयं खेल न सके तो उनके खेलों में उपस्थित अवश्य रहे।

समय विभाग-तक (Time-Table) —

'प्रधानाध्यापक' को चाहिए कि समय-विभाग बनाते हुए कठिन विषयों को ऐसे समय में रखे जब बालकों के नस्तिष्क ताजे हों। स्कूल के अन्तिम घंटों में गणित के प्रश्न हल करना असफलता को निम्नन्वित करना है। स्कूल लगने के दूसरे अन्तर में विद्यार्थी कान के लिए बहुत अधिक तैयार होता है क्योंकि पहले अन्तर में तो अभी वह बाहर से आया ही होता है, दूसरे अन्तर तक वह अपने को स्कूल के वातावरण के लिए विल्कुल तैयार कर चुका होता है। विषयों में विविधता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। प्रामाणिक के पीछे ही योजगणित आ जाना ठीक नहीं। समय-विभाग ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए जिससे एक दिन विद्यार्थी को पाँच विषयों में गृह-कार्य करना पड़े, एक दिन सिर्फ दो विषयों में। गृह-कार्य के साथ समय विभाग को मेल खाना चाहिए। छोटे बालक ३० मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं जमा सकते, उनके अन्तर ३० ही मिनट के होने चाहिए, बड़ों के ४५ मिनट के, परन्तु जिस विषय को कम समय मिलना चाहिए उसे कम ही देना चाहिए, परीक्षाओं तथा हाथ के काम को ज्यादा मिलना चाहिए अतः उन्हें ज्यादा ही समय देना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में 'समय विभाग' की प्रति रहनी चाहिए। 'प्रधानाध्यापक' के कमरे में तीन तरह का समय-विभाग रहना चाहिए। एक ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय कौन-सी श्रेणी क्या कार्य कर रही है; दूसरा ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय कौन अध्यापक क्या

कार्य कर रहा है, तीसरा ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय किस अध्यापक का अन्तर चाली है। इससे प्रबन्ध में बहुत सुविधा होती है।

माता पिताओं से सहयोग (Parental co operation) —

इस समय अवस्था ऐसी है कि प्रधानाध्यापक की शक्ति एक दिशा में लग रही है, माता पिताओं की उसमें विरुद्ध दिशा में। अध्यापक चाहता है कि बालक पढ़े, माता-पिता चाहते हैं कि बालक पढ़ने के साथ-साथ घर का भी काम-काज करे, व्याह-शादियों में भी जाय। अध्यापक का काम तभी ठीक में चल सकता है जब अध्यापक, बालक तथा माता पिता एक ही दिशा में शक्ति लगायें।

इसका उपाय यही है कि माता पिता अध्यापक के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और अध्यापक माता-पिता के साथ सहानुभूति-पूर्ण संपर्क स्थापित करके उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाये। अध्यापक के लिए प्रत्येक माता पिता से वैयक्तिक तौर पर मिल सकना तो संभव नहीं है, परन्तु बालकों द्वारा वह माता-पिता को अन्तर्ज्ञी तरह प्रभावित कर सकता है। चतुर अध्यापक इस दृग् से काम करता है कि बालक घर जाकर अपने माता पिता से 'मास्टरजी' की ही चर्चा किया करता है। कई अध्यापक अपनी असह्यनुशलता से अपने को लड़कों का उपहासास्पद बना लेते हैं, कई लड़कों की प्रतिष्ठा के केन्द्र बन जाते हैं। बालकों द्वारा ही अध्यापक तथा माता पिता का परिचय होता है। अगर अध्यापक बालकों को ठीक तरह से प्रभावित कर सकेगा तो उसे बालकों की प्रेरणा से स्वयं माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जब माता-पिता मिलने आयें तब उनसे सहानुभूति से मिलना माता पिता के सहयोग का सबसे बड़ा साधन है।

छात्रावास का प्रबन्ध (Hostels)—

प्राचीन-काल में तो सब विद्यार्थी छात्रावासों में ही रहते थे, उन्हें 'गुरुकुल' कहा जाता था। आज विद्यार्थी घरों में रहते हैं, बाजारों के वातावरण ने उनके सस्कार दूषित हो जाते हैं। अच्छी शिक्षा के लिये छात्रावासों का होना आवश्यक है, परन्तु 'छात्रावास' बना देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें ठीक से चलाना और भी ज्यादा आवश्यक है। छात्रावासों की आन शिक्षा रत रहती है कि वहाँ सज्जई नहीं रहती, भोजन अच्छा नहीं मिलता, संगत घुरी होता है। इन्हीं को दूर करने के लिये तो 'छात्रावास' बनाने जाते हैं, केवल छात्रों की सुविधा के लिये नहीं बनाये जाते। आभनाप्यक्ष का कर्तव्य है कि स्वयं सारी सज्जई देते—बही जाले तो नहीं, च्ही नकन पर घास-पूत तो नहीं उगने लगा, टट्टियां सफ हैं या नहीं? भोजन का प्रबन्ध लड़कों के हाथ में ही दे देने से भोजन की समस्या बहुत-बुद्ध हल हो जाती है। घुरी संगत से बचो को बचाना बहुत आवश्यक है। बाहर के चिस्तो व्यक्ति को छात्रावास में कमी नहीं रहने देना चाहिये, भले ही वह उर्मा त्कूल का छात्र रहा हो, किसी का मित्र हो, सगा-सन्ध्या हो, नाही विद्यार्थियों को एत को बाहर रहने की आशा देनी चाहिये। 'छात्रावास' के बालकों को कमी राशो पर, कमी सितना में, कमी बाजार में जाने की आशा देना 'छात्रावास' को बिगाड़ देता है। इस दृष्टि से गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की तरफ अभी हमारी सरकार का ध्यान जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा के आधार-भूत सूत्र (MAXIMS OF METHODS)

बालकों को क्या शिक्षा दी जाय, यह तो राज-शक्ति के आधीन है। जैसी शिक्षा देश के कर्ता धर्ता लोग देना चाहेंगे शिक्षक को वैसी ही शिक्षा बालकों को देनी होगी। हाँ, उस शिक्षा को किम प्रकार बालकों के हृदय तथा मस्तिष्क में बैठा दिया जाय, यह कार्य शिक्षक कर सकता है। इस सम्बन्ध में शिक्षा-मनोविज्ञान को आधार बनाकर शिक्षा-शास्त्रियों ने कुछ सूत्र, कुछ नियम बनाये हैं जिनके अनुसार पढ़ाने से बालक इत्येक विषय को आसानी से समझ सकता है। वे सूत्र निम्न लिखित हैं—

१. विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाओ (From Analysis to Synthesis)
२. अव्ययी से अवयव की तरफ जाओ (From Whole to Part)
३. तार्किक-क्रम की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक-क्रम की तरफ जाओ (From Psychological to Logical order)
४. विशेष से सामान्य की तरफ जाओ (From Particular to General)
५. स्पष्ट से सूक्ष्म की तरफ जाओ (From Concrete to Abstract)
६. ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाओ (From known to Unknown)
७. सरल से विचल की तरफ जाओ (From Simple to Complex)

८. अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाओ (Indefinite to Definite)
 ९. परीक्षणों से परिणामों की तरफ जाओ (Empirical to Rational)

विरलेपण से सरलेपण की तरफ—

प्रायः समझा जाता है कि हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न अवयवों से मिल कर बनता है। पेड़ के ज्ञान का अभिप्राय है, टहनियों, पत्तों, फूलों तथा फलों का अलग-अलग ज्ञान। परन्तु बालक का ज्ञान इस प्रकार किसी वस्तु के अलग-अलग अंगों से मिलकर नहीं बनता। वह वृक्ष को देखता है, और टहनियों, पत्तों, फूलों, फलों वाली जो चीज सामने खड़ी है उस सम्पूर्ण वस्तु को वृक्ष कहता है। वृक्ष के भिन्न भिन्न अंगों का ज्ञान तो उसे वाद में होता है। परन्तु ज्ञान का अस्ती रूप तो तभी प्रकट होता है जब किसी वस्तु के सब अंगों का अलग-अलग ज्ञान हो, उन अंगों के परस्पर सम्बन्ध का भी ज्ञान हो। क्योंकि शुरु शुरु में बालक को यह ज्ञान नहीं होता इसलिए उसका ज्ञान अस्पष्ट, अनिश्चित तथा असम्बद्ध होता है। शिक्षक का काम बालक के ज्ञान को स्पष्ट, निश्चित तथा सम्बद्ध बनाना है। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यह है कि बालक को वृक्ष का 'विरलेपण' करके बतलाया जाय, और विरलेपण करने के बाद उसके सम्मुख उन्हीं अंगों का 'संश्लेषण' करके वृक्ष को खड़ा कर दिया जाय। इस प्रकार 'विरलेपण' होने के बाद जब 'सरलेपण' होता है तब बालक का ज्ञान स्पष्ट, निश्चित तथा सम्बद्ध हो जाता है। अगर किसी ने वृक्ष की ओर सचेत करके उसे बतला दिया है कि यह आम का पेड़ है, तो वह हरेक पेड़ को आम का ही पेड़ समझता है। यह इसलिए कि क्योंकि हरेक पेड़ की आकृति लगभग एक ही होती है। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आम के पेड़ के सम्बन्ध में उसके ज्ञान का उसके समस्त विरलेपण किया

जाय। जब बालक विश्लेषण करके पता लगायेगा कि आम के पेड़ पर तो आँविया आती हैं, शीशम के पेड़ पर नहीं, तब वह शीशम के पेड़ को आम का पेड़ नहीं कहेगा, और तब उसके ज्ञान में अनिश्चितता और अस्पष्टता भी नहीं रहेगी। 'विश्लेषण' से 'संश्लेषण' करके किसी वस्तु के यथार्थ रूप को प्रकट कर देने से बालक को उस वस्तु के भिन्न भिन्न अंगों, अवयवों का आपस का सम्बन्ध भी मालूम हो जाता है इसलिये उसका ज्ञान असम्यक्त, घेमेल भी नहीं रहता।

'अवयवों' से 'अवयव' की तरफ—

इसने अभी कहा था कि बालक का जो ज्ञान होता है वह अवयवी का होता है, अवयव का नहीं। मनोविज्ञान की परिभाषा में इस सिद्धांत को 'अवयवीवाद' (Gestalt theory) कहते हैं। बालक जब किसी चीज को देखता है तब वह वस्तु अपने संपूर्ण रूप में उसके सामने आती है, अपने भिन्न भिन्न अंगों के रूप में नहीं। 'अवयवी' का बालक को ज्ञान होता है अतः 'अवयवी' से ही उसे समझना शुरू करना चाहिये, और 'अवयवी' (Whole) से प्रारम्भ करके 'अवयव' (Part) की तरफ आना चाहिये। इसी सिद्धान्त के आधार पर आजकल पहले 'शब्दों' का ज्ञान कराया जाता है, फिर अक्षरों का। इस सिद्धांत का यह अर्थ नहीं है कि भूगोल पढ़ाते हुए 'पृथिवी' के ज्ञान से पढ़ाई शुरू करनी चाहिये, अपने देश या गाँव से नहीं। इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि बालक जिस 'अवयवी' (Whole) को जानता है उससे पढ़ाई शुरू करनी चाहिये, और क्योंकि इस दृष्टांत में बालक के लिये पृथिवी 'अवयवी' नहीं है, अपितु उसके इर्दगिर्द जो भू-भाग है वही उसका 'अवयवी' है, अतः उसीसे उसे भूगोल का ज्ञान शुरू करना चाहिए।

'तार्किक-क्रम' की अपेक्षा 'मनोवैज्ञानिक क्रम' की तरफ—

हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। पहले अ-आ इ ई सिखाया जाय, या पहले 'ग्राम' पढ़ना सिखा दिया जाय, और फिर 'शब्द ज्ञान' के बाद 'अक्षर-ज्ञान' सिखाया जाय? हमने अभी कहा था कि 'अवयवी' से 'अवयव' की तरफ आना चाहिये क्योंकि 'अवयवी' को बालक जानता है, 'अवयव' को नहीं जानता। इसीलिये हमने यह भी कहा था कि पहले 'शब्द' सिखाने चाहिये, पीछे 'अक्षर'। इसी भाव को दूसरे शब्दों में यह कह कर प्रकट किया जाता है कि बच्चों की शिक्षा मनोवैज्ञानिक-क्रम (Psychological order) से चलनी चाहिये, तार्किक (Logical order) से नहीं। तार्किक दृष्टि से तो अक्षरों से शब्द बनते हैं, अतः अक्षर पहले सिखाने चाहिये। परन्तु नहीं, सिखाने में हमें तार्किक क्रम को सम्मुख नहीं रखना, यह देखना है कि बालक के ज्ञान प्रहरण का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। इतिहास पढ़ाते हुए तार्किक क्रम तो यह है कि सत्सार के प्रारंभ से इतिहास पढ़ाना शुरू किया जाय, परन्तु बालक को सत्सार के प्रारंभ में क्या रचि हो सकती है? बालक तो यह जानना चाहता है कि अपने देश में क्या हो रहा है? कौन प्रधान मन्त्री है, कैसा विधान बन रहा है, चुनाव कैसे होता है? इसलिये सत्सार के प्रारंभ से इतिहास पढ़ाना शुरू करने के स्थान में अपने देश का इतिहास पहले पढ़ाना ही मनोवैज्ञानिक क्रम है। 'विद्यया से 'सामान्य', की तरफ—

हमारा सम्पूर्ण ज्ञान सामान्य का ही ज्ञान है। हम देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्रह्मदत्त को देख कर 'मनुष्य' के ज्ञान पर पहुँचते हैं, अगर हमें देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्रह्मदत्त का ही ज्ञान हो, 'मनुष्य' का ज्ञान न हो, तो हम भयदत्त के सामने आने पर यह न समझ

सकें कि यह क्या बला है। यज्ञदत्त आदि कई 'विशेष' रूपों को देख कर हम जान जाते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को 'मनुष्य' कहा जाता है, और जब वैसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो हम भट से उसे भी 'मनुष्य' कह देते हैं। 'मनुष्य'—इस 'सामान्य' विचार तक पहुँचने के लिये अनेक 'विशेष' मनुष्यों को देखना आवश्यक है। आम का पेड़, शीशम का पेड़, बट का पेड़—इन 'विशेष' पेड़ों को देखकर पेड़ का 'सामान्य'-ज्ञान होता है। पढ़ाने का नियम यही है कि बच्चों को भिन्न-भिन्न चीजें दिखाकर, भिन्न भिन्न उदाहरण देकर एक 'सामान्य' नियम का ज्ञान करा दिया जाय, और 'सामान्य'-नियम को फिर भिन्न-भिन्न स्थानों पर घटा कर भी दिखा दिया जाय। केवल 'सामान्य'-नियम का ज्ञान करा देना पर्याप्त नहीं है, उसे घटा कर दिखाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब बालक 'विशेष' से 'सामान्य' तक पहुँच जाता है, तब उस 'सामान्य' को फिर अन्य 'विशेषों' पर घटा कर अपने ज्ञान को अधिक परिष्कृत बना लेता है।

'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ—

हम स्थूल बात को आसानी से समझते हैं, सूक्ष्म को कठिनाता से। राजा हरिश्चन्द्र ने अपना पचन निघाहने के लिये अपने को बेच दिया—यह किस बालक को समझ में नहीं आता। अगर हरिश्चन्द्र की कथा सुनाये बिना बालकों को इतना ही कहा जाय कि 'सय' के लिये मध-शुद्ध करना चाहिये, तो वे बुझ नहीं सकेंगे। जो व्याख्याता-कथा-कहानी सुनाता है उस की बात से कोई ऊबता नहीं, जो सिर्फ कलासकी छाँटता है उसके व्याख्यान में आधे से अधिक उठ जाते हैं। कथा-कहानी सुनाकर उसे किसी सूक्ष्म सत्य पर घटाया जाय, तो सब बड़े प्रसन्न होते हैं, इसके बिना सूक्ष्म-सत्त्वों के निरूपण को नीरस

कहा जाता है। उपनिषदों की वर्णन-शैली 'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ चलती है। कहां 'ब्रह्म' का निरूपण आरंभ कहा गया-कहानी, परन्तु उपनिषदों के ऋषियों ने कथा-कहानी से ही ब्रह्म-ज्ञान को रोचक बना दिया है। जब बड़ों के लिये उदाहरण, दृष्टान्त, किस्से आवश्यक हैं, जब वे स्थूल के बिना सूक्ष्म की तरफ नहीं जा सकते, तब बच्चों का तो रहना ही क्या है ?

'विशेष से सामान्य' तथा 'स्थूल से सूक्ष्म'— इन दोनों सुत्रों में भेद यह है कि 'विशेष से सामान्य' में तो हम एक 'नियम' का पता लगाते हैं, 'स्थूल से सूक्ष्म' में यह आवश्यक नहीं कि 'नियम' का ही पता लगाया जाय। अहिंसा, सत्य, अस्तय, दया, परोपकार आदि सूक्ष्म 'विचार' हैं, जो 'विशेष से सामान्य' द्वारा नहीं परन्तु 'स्थूल से सूक्ष्म' की तरफ चलने से प्राप्त होते हैं।

'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ—

जो बात बालक के लिए विलकुल नई है उसे वह समझ नहीं सकता, समझने के लिए आवश्यक है कि वह बात उसके पहले प्राप्त किए हुए ज्ञान से मिलती-जुलती हो। 'पहला प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। पठित के लिए वेद के मन्त्रों का कुछ अर्थ हो सकता है, एक जुलाहे के आगे वेद-मन्त्रों को व्याख्या करने वाला ही मूर्ख कहाता है।

बालक का यह स्वभाव है कि वह विलकुल नई वस्तु को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसे जो कुछ सिखाया जाय वह उसके लिए विलकुल नया नहीं होना चाहिए, साथ ही बालक अत्यन्त परिचित वस्तु को भी चार-चार नहीं सुनना चाहता, इसलिए जो कुछ पढ़ाया जाय उसमें नवीनता का अंश होना भी आवश्यक है। 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाने का यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक अपने विषय में नवीनता का संचार न करे। नवीनता

ही तो बालक की रुचि उत्पन्न करती है, नवीन बात को जानने के लिए ही तो बालक उत्सुक रहा करता है, अतः 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाते हुए जहाँ एकदम 'अज्ञात' से प्रारम्भ नहीं करना चाहिए वहाँ 'नवीनता' को भी ध्यान में रखना चाहिये। 'सरल' से 'विपम' की तरफ—

जो बातें एकदम समझ में आ जाय वे सरल हैं, जिन्हे समझने में देर लगे वे विपम हैं। 'सरल' से ही 'विपम' को समझा जा सकता है। जो शिक्षक छोटी-छोटी बातें समझ कर आगे बढ़ता है, वह कठिन-से-कठिन बातों को समझ लेता है। तब से मुख्य बात यह है कि बालक को जो कुछ पढ़ाया जाय वह उसे समझ जाय। जब बालक किसी बात को समझ जाता है तब उसमें आत्म-भौरव की भावना उत्पन्न होती है, उत्साह होता है, आगे बढ़ने में रुचि होती है, और वह आगे बढ़ने लगता है। जब उसे कुछ समझ नहीं पड़ता तब वह हिम्मत ही हार बैठता है, और पढ़ाई में पड़ड़ने लगता है।

हाँ, अध्यापक के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो उसके लिए सरल है वह बालक के लिए विपम हो सकता है। 'सरल' से 'विपम' की तरफ जाने का अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक जिसे सरल समझे वह सरल है, जिसे विपम समझे वह विपम है। सरल और विपम बालक की दृष्टि से होता है, और बालक के लिये भी एक आयु में जो विपम है वह दूसरी आयु में सरल हो जाता है।

'अनिश्चित' से 'निश्चित' की तरफ—

बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है ? पहले उसका सम्पूर्ण ज्ञान अनिश्चित-स्थ होता है, फिर धीरे-धीरे निश्चित होता चला जाता है। गणित की सख्या से यह यही

समझता है कि कोई 'बहुत बड़ी संख्या' है, भूगोल का ज्ञान उसका अपने इर्द-गिर्द के इलाके के अनिश्चित से ज्ञान के रूप में होता है। मद्रास के लोगों से जब कहा जाता है कि हम देहरादून से आ रहे हैं तो वे कहते हैं, वही देहरादून जो लाहौर के आस-पास है। शिक्षक का काम इस 'अनिश्चित' को हाथ में लेकर एक चतुर कला-विज्ञ की तरह 'निश्चित' का निर्माण करना है।

'परीक्षणों' से 'परिणामों' की तर्फ—

प्रायः देखा जाता है कि पानी के जो नलके ज़मीन में गड़े नहीं रहते वे भयङ्कर सर्ज पड़ने पर फट जाते हैं। यह एक घटना है, इसे देखकर बालक स्वाभाविक तौर पर जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। डूँढते-डूँढते वह जान जाता है कि पानी जम कर फैलता है। क्योंकि नलका सब तरफ से बन्द है, अन्दर का पानी जम कर फैल गया है, अन्दर फैलने को जगह नहीं थी, अतः नलका फट गया है। इस प्रकार संसार में हो रही घटनाओं को देख कर या स्वयं परीक्षण करके बालक जब किसी परिणाम पर पहुँचता है तब वह उस विषय के ज्ञान को पा लेता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को परीक्षण करने में प्रोत्साहित करे ताकि वे स्वयं परिणाम निकाल सकें।

आगमन तथा निगमन पद्धति

(INDUCTIVE AND DEDUCTIVE METHOD)

पिछले अध्याय में हम शिक्षा के जिन आधारभूत सूत्रों का वर्णन कर आये हैं, उन्हें 'आगमन' तथा 'निगमन'—इन दो में विभक्त किया जा सकता है। क्योंकि उन सब का इन दोनों से सम्बन्ध है अतः इस अध्याय में हम इन दोनों का वर्णन करेंगे।

मनुष्य किसी विचार पर दो मार्गों से पहुँच सकता है। एक मार्ग तो यह है कि कोई दूसरा हमें रास्ता बता दे, दूसरा यह है कि हम खुद ही रास्ते का पता लगायें। उदाहरणार्थ, हम भाषा सीखना चाहते हैं। एक उपाय यह है कि भाषा का व्याकरण हमें पढ़ा दिया जाय, भाषा के नियम हमें बता दिये जाय, और ज्यों ज्यों हम भाषा सीखते जाय, उन नियमों को घटा कर देखते जाय। दूसरा उपाय यह है कि हम छोटे-छोटे वाक्यों की परस्पर तुलना कर भाषा के नियमों का स्वयं पता लगायें। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है, दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। भूगोल पढ़ते हुए एक उपाय यह है कि हमारे हाथ में पाठ्य पुस्तक दे दी जाती है, उसमें पृथिवी, सूर्य, मनुष्य-रेखा आदि के लक्षण दिये गये हैं, हम उन्हें स्मरण कर लेते हैं, और उनके बाद पृथिवी के भिन्न भिन्न भागों का अध्य-

यन करते हैं, एशिया, योरोप आदि का भूगोल पढ़ते हैं। दूसरा उपाय यह है कि जिस परिस्थिति का हमारे साथ निकटतम सम्पर्क है उसका हमें ज्ञान करा दिया जाता है हमें अपने गांव का फिर चिले का, फिर प्रान्त का, फिर देश का, फिर एशिया का, फिर योरोप का, और फिर भूमंडल का ज्ञान कराया जाता है। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है, दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। बालक को पढ़ना-लिखना सिखाते हुए एक उपाय यह है कि पहले अक्षर सिखा दिये जाय; फिर उन्हें मिलाना सिखाया जाय, फिर शब्द और फिर वाक्य सिखाये जाय, दूसरा उपाय यह है कि बालक जिन वाक्यों को बोलता ही रहता है उन वाक्यों से ही पढ़ाना शुरू किया जाय, वाक्यों से शब्द, शब्दों में अक्षर सिखाये जाय। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है; दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। ज्यामिति पढ़ाते हुए परिभाषाएँ याद करायी जा सकती हैं, या पहले उदाहरण देकर परिभाषाएँ बनवायी जा सकती हैं; रसायनशास्त्र आदि सब विज्ञानों में या अध्यापक पहले सब कुछ बता दे, या विद्यार्थी से परीक्षण करा कर जो कुछ बताना है उसी में निरुत्तराये। विचार तरु पढ़ाने के ये दो ही मार्ग हैं, और इन दोनों को तर्कशास्त्र में 'निगमन-शास्त्र' (Deductive Logic) तथा 'आगमन शास्त्र' (Inductive Logic) कहते हैं।

'निगमन-पद्धति' (Deductive Method) —

'निगमन'-पद्धति में नियम पहले बता दिया जाता है। नियम को मसूदा में, 'व्याप्ति' कहते हैं; अतः 'निगमन'-पद्धति को 'व्याप्ति-पूर्वक अनुमान' कहा जाता है। 'निगमन' में विचार निम्न तीन क्रमों में गुजरता है:—

(१) पहले तो हमारे सामने जो 'प्रश्न' है उसे हमें ठीक तौर पर समझ लेना चाहिये। हम क्या जानना चाहते हैं, कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हम जानना चाहते हैं कि पहाड़ पर आग लगी हुई है, या नहीं ?

(२) इस प्रकार समस्या के स्पष्ट हो जाने पर हम देखना चाहते हैं कि इस समस्या पर कौन-सा 'नियम' लागू होगा। हम जानते हैं, 'जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है।' यह एक नियम है, एक सत्य है, एक भिद्धान्त है। हमारे सामने जो समस्या है वह इस नियम से हल देने वाली है।

(३) इस नियम को लेकर हम पहाड़ के विषय में 'अनुमान' कर लेते हैं कि क्योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है, पहाड़ पर धुआँ देख रहा है, अतः वहाँ भी आग अवश्य होगी। 'निगमन' में यह तीसरा क्रम है। इन तीनों को क्रमशः 'समस्या' (Problem), 'नियम' (Generalisation) तथा 'अनुमान' (Inference) कहते हैं।

'आगमन-पद्धति' (Inductive Method)—

'आगमन-पद्धति' में दृष्टांत पहले बताये जाते हैं, अतः संस्कृत में इस पद्धति को 'दृष्टांत पूर्वक अनुमान' कहा जाता है। 'निगमन' की तरह 'आगमन' में भी विचार तीन क्रमों में से गुजरता है :—

(१) जिस नियम को बताना हो उसे सीधा न बताकर, अपने मन में ही ररकर, शिष्टरू पहले अनेक उदाहरण बतलाता जाता है। अध्यापक ने बालकों को यह बतलाना है कि 'जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है', परन्तु वह उन्हें सीधे तौर पर यह नहीं बतलाता। इस विचार को तो वह मन में ररता है, और उन्हें बतलाता है कि देखो, रसोई में धुआँ होता

है, वहाँ आग भी होती है, गंजिन से धुआँ निकलता है, वहाँ भी आग होती है; सिगरेट से धुआँ निकलता है, वहाँ भी आग है, ईंट के भट्टे से धुआँ निकलता है, वहाँ भी आग है।

(२) इतने चप्राप्त, उदाहरण, देकर वह बालकों से कहता है कि इन सब जगह तुम क्या नियम देख रहे हो? वे अपने-आप कह उठते हैं कि इन सब स्थानों की देखकर हम समझते हैं कि 'जहाँ-जहाँ धुआँ निकलता है, वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है।'

(३) फिर वह इस नियम का मौजूदा समस्या पर घटाता है। हमारे सामने समस्या यह है कि पहाड़ पर धुआँ दिखाई दे रहा है। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ धुआँ क्यों है? बालकों ने जिस नियम को 'आगमन-पद्धति' से स्वयं निकाला है उसे वे वर्तमान समस्या पर घटाकर स्वयं परिणाम निकाल लेते हैं कि क्योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ वहाँ आग होती है, पहाड़ पर भी धुआँ दिखाई दे रहा है, इसलिए पहाड़ पर आग अवश्य है।

'निगमन' तथा 'आगमन' में भेद —

① 'निगमन' (Deduction) में सीधा नियम बता दिया जाता है, 'आगमन' (Induction) में बालक स्वयं नियम को निकालते हैं; ② 'निगमन' में अपने ज्ञान को हम एक नई जगह पर घटाते हैं, 'आगमन' में हम नया ज्ञान मिलता है; ③ 'निगमन' में नियम पहले ही निकला होता है, 'आगमन' में नियम बाद को निकलता है; ④ 'निगमन' में हम नियम के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, 'आगमन' में हम स्वयं अनुसंधान करते हैं; ⑤ 'निगमन' बड़ों का तरीका है, 'आगमन' छोटों का तरीका है; ⑥ 'निगमन' में प्रायः साधक काम अध्यापक को करना होता है, 'आगमन' में प्रायः साधक काम विद्यार्थी को करना होता है।

आगमन-निगमन पद्धति (Inductive-Deductive Method)—

ऊपर जो कुछ कहा गया है इस से स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षा में इन दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण करने से ही काम चल सकता है। छोटे बालकों को उदाहरण दे देकर समझाना ही ठीक रहता है, परन्तु जो बालक ऊँची श्रेणियों में पहुँच चुके हैं उनका समय बार-बार उदाहरण देकर नष्ट करना ठीक नहीं। बच्चों के लिए 'आगमन पद्धति' (Inductive Method) तथा बड़ों के लिए 'निगमन पद्धति' (Deductive Method) ही ठीक है।

१९वीं शताब्दी में जर्मनी में हर्बर्ट नामक शिक्षा शास्त्री हुआ जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आगमन तथा निगमन पद्धतियों का मेल कर दिया और बालक की शिक्षा के 'पञ्च सोपान' (Five Steps of Herbart) का प्रतिपादन किया। इनका वर्णन हम पहले कर आये हैं। भारत के तर्क-शास्त्रियों ने भी इन्हीं पाँच का बहुत पहले वर्णन किया था। इन्हें वे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहते थे। हर्बर्ट के 'पञ्च सोपान' तथा तर्कशास्त्र के 'पञ्चावयव' निम्न लिखित हैं :—

प्रतिज्ञा—Preparation *Herbert*

उदाहरण } — Presentation

उपनय — Comparison and Generalisation

निगमन—Application

स्वयं-ज्ञान पद्धति

(HEURISTIC METHOD)

हमने पिछले अध्याय में कहा था कि 'आगमन-पद्धति' (Inductive Method) का अर्थ यह है कि बालक अपने आप नियम निकाले। इसी अपने आप ज्ञान प्राप्त करने की भावना की आधार बनाकर आर्मस्ट्रॉंग ने एक विशेष पद्धति को जन्म दिया है जिसे 'इंडिस्ट्रिक-मैथड' या 'स्वयं-ज्ञान-पद्धति' कहा जाता है। प्रीक भाषा में 'इंडिस्ट्रिको' शब्द का अर्थ है—'मैं मालूम करता हूँ', इसी से 'इंडिस्ट्रिक' शब्द बना है। 'इंडिस्ट्रिक' पद्धति के अनुयायियों का कथन है कि बालक की शिक्षा में दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। पहली यह कि बालक इरेक बात को स्वयं मालूम करे, दूसरी यह कि संसार ने जिस क्रम से जिस बात को जाना है उसी क्रम से ज्ञान प्राप्त करे।

(१) इस पद्धति के पृष्ठ पोषक पहली बात यह कहते हैं कि बालक को इस प्रकार की परिस्थिति से घेर देना चाहिये जिससे स्वयं अन्वेषण कर सके, विज्ञान की हर बात को स्वयं मालूम

कर सके, अध्यापक की तरफ से उसे बुद्ध बनाना सपने। जब कोई बालक किसी सिद्धान्त का स्वयं पता लगाता है तब उसमें एक अद्भुत उत्साह भर जाता है, उसकी शक्ति का कोई ठिकाना नहीं रहता, सीखने में जा निष्पन्न-बाधाएँ हैं वे एकदम समाप्त हो जाती हैं।

(२) दूसरी बात वे यह कहते हैं कि बालक को पढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे पहले वे ही विषय पढ़ाये जाय जो मनुष्य के विकास में पहले थे, वे पीछे पढ़ाए जाय जो उसके विकास में पीछे आये। इसी प्रकार बालक किसी बात को ठीक समझ सकता है, और इसी प्रकार वह उनका स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनका यह कथन विकास-वाद के आधार पर है। विकासवादियों का कथन है कि प्राणी पिछली पीढ़ियों में जिन जिन अवस्थाओं में से गुजरा है, वे सब इस जन्म में कुछ-कुछ देर के लिए वचपन में प्रकट होती हैं, और उनमें से गुजर कर ही हम बढ़े होते हैं। गर्भावस्था में शिशु भिन्न भिन्न शक्तों में से गुजरता है जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती हैं। गर्भस्थ शिशु की मछली, मेंढक, कुत्ता आदि की शक्तें बनती हैं। इस सिद्धांत को 'पुनरावृत्ति' (Recapitulation) का सिद्धांत कहा जाता है। इस पीढ़ी में पिछली सब पीढ़ियों का मानो सक्षिप्त 'उपसंहार', उनकी सक्षिप्त 'पुनरावृत्ति' हो जाती है। अगर शरीर के विकास में इस प्रकार की 'पुनरावृत्ति' होती है, तो मन के विषय में भी ऐसी 'पुनरावृत्ति' मानना असंगत नहीं है। इसी सिद्धान्त को शिक्षा के क्षेत्र में घटाते हुए 'एरिस्टिक पद्धति' के समर्थकों का कथन है कि बालक को उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस क्रम से जाति ने सीखा है। इसी सिद्धांत को 'कल्चर ईपोक थियोरी' (Culture Epoch Theory) कहा जाता है।

जाति अपने विकास में सभ्यता के जिन युगों में से निकली है बालक सक्षिप्त तौर पर उन्हीं युगों में से गुजरता है। इस सिद्धान्त के अनुसार पहले क्रिस्ते-रहानियाँ, फिर साहित्य, और फिर विज्ञान का जाति ने विक्रम किया, बालक भी इसी क्रम में से गुजर कर सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विचार-प्रक्रिया का हर्बर्ट ने प्रतिपादन किया। इसी विचार को आधार बनाकर ह्यूरिस्टिक पद्धति के समर्थक आर्मस्ट्रॉंग का कथन था कि विद्यार्थी को उस सब प्रक्रिया में से गुजरना चाहिये जिसमें से गुजरते-गुजरते पिछले विचारकों ने किसी नियम का आविष्कार किया था, बालक को आविष्कारक की मानसिक-प्रक्रिया में से गुजार देना चाहिये।

'स्वयं ज्ञान पद्धति' का वर्तमान शिक्षा पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। गणित में पहाड़े रटाने के स्थान में बालकों से पहाड़े बनवाये जाते हैं। वे 'दो अट्टे सोलह'-बाद करने के स्थान में दो को आठ बार जोड़ते हैं, और इस प्रकार स्वयं पता लगाते हैं कि दो अट्टे सोलह क्यों, और कैसे होते हैं। इस प्रकार जिस बात को वे स्वयं कर के देख लेते हैं उसका उनके मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव तो पड़ ही जाता है, साथ ही जिस बात का वे पता लगाते हैं उसका कारण भी जान जाते हैं। कार्य-कारण-भाव जान कर जो बात दिमाग में बैठती है वह मस्तिष्क के सम-विद्यमान के लिये ठीक भी है।

परन्तु इस पद्धति पर बहुत अधिक बल देना ठीक नहीं। हर विद्यार्थी हर बात का स्वयं नहीं मालूम कर सकता। कोई कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही आविष्कारक की स्थिति में आ सकता है। अनेक बातें विद्यार्थी को बतानी ही पड़ती हैं, नहीं तो समस्याओं का स्वयं हल ढूँढता ढूँढता बड़ बड़का बड़का बल भी निराल लेता

है, और ज्ञान बढ़ाने के स्थान में शालत ज्ञान में भी उल्लभ सकता है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के पास इतना समय भी नहीं है कि वह हर बात का स्वयं ही पता लगाना रहे। अगर स्वयं ही पता लगाना है तो पिछलों का पता लगाना ही बेकार हो जाता है। हाँ, इस पद्धति का इतना ही अर्थ है कि विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में उत्तेजित किया जाय, और सब कुछ शिक्षक का तरफ से ही उसके मन में न भर दिया जाय।

निरीक्षण तथा सरस्वती यात्राएं (OBSERVATION AND EXCURSIONS)

हमने देखा कि विद्या-प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन अपने-आप किसी बात का पता लगाना है, गुरु मुख से सुनकर याद कर लेना ही नहीं। प्राचीन तथा नवीन शिक्षा-प्रणाली में यह आधार-भूत भेद है। अगर विद्यार्थी ने हर बात क अपने आप पता लगाना है, तो उस के दो ही प्रकार हो सकते हैं। पहला तो यह कि वह हरेक बात का निरीक्षण करे, उसे देखे, उसे समझे; दूसरा यह कि वह अपने निवास के आस-पास घूमे फिरे, और हरेक वस्तु की जिसे वह न जानता हो, जाँच-पड़ताल करे, धन और समय ही तो सरस्वती की आराधना के लिए दूर-दूर की यात्राएं करे, हा सके तो विदेश में जाकर अपनी आँखों में हर बात को देख कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इस दृष्टि से 'निरीक्षण' तथा 'सरस्वती यात्राएं' भी विद्या प्राप्त करने की विधियाँ ही हैं।

१— निरीक्षण

'निरीक्षण' (Observation) क्या है? बालक हाथी को आते हुए देखता है, उसने हाथी पहले कभी नहीं देखा, भैंसा देखा

है। यह एकदम चिन्ता उठता है, देखो कितना बड़ा भैंसा था रहा है। परन्तु फिर कहता है, इसके सींग तो हैं ही नहीं। पहले उसने 'समानता' देखी, फिर 'भिन्नता' भी देख ली। यह कहता है, मैंने जो काला काला भैंसा देखा था, उससे यह मिलता है, पर उसके सींग थे, इसके सींग नहीं, इसलिये उस से नहीं मिलता। अपने पूर्व अनुभव के साथ 'समानता' (Similarity) तथा 'भिन्नता' (Dissimilarity) को देख लेना 'निरीक्षण' के कारण होता है। जब बालक ने हाथी और भैंस के भेद का पता लगा लिया, यह देख लिया कि इस के तो सूंड है, भैंसे का सूंड नहीं, इस के तो सींग नहीं, भैंसे के सींग हैं, यह तो बहुत बड़ा है, भैंसा तो इससे बहुत छोटा होता है—तब हाथी और भैंसे की 'विभिन्नता' को वह जान जाता है। इसी को 'विश्लेषण' (Analysis) कहते हैं। 'विश्लेषण' के बाद सब 'विभिन्नताओं' का वह 'संश्लेषण' (Synthesis) कर लेता है, सब 'विभिन्नताओं' को इकट्ठा कर लेता है। पिचार की इसी प्रक्रिया को 'निरीक्षण' (Observation) कहा जाता है।

'निरीक्षण' तीन प्रकार का है : 'प्रयोजन पूर्ण' (Purposeful), 'प्रयोजन-रहित' (Non-Purposeful) तथा 'प्रयोजन-प्रेरक' (Purposive)। 'प्रयोजन पूर्ण' निरीक्षण तब होता है जब हमें मालूम हो कि हम किस प्रयोजन से निरीक्षण कर रहे हैं। हम जड़ी-बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने जंगल से निकले, यह 'प्रयोजन-पूर्ण' निरीक्षण है। हम व्याख्यान सुन रहे हैं, इतने में एक मोटर गुञ्जरी, सब उधर देखने लगे, यह 'प्रयोजन रहित' निरीक्षण है। हम जंगल में जड़ी-बूटियाँ खोज रहे हैं, इतने में एक हरिण निकल आया, विशयियों को हरिण के सम्बन्ध में जानने की उत्कण्ठ इच्छा हो गई, सब उधर देखने लगे, अध्यापक ने भी यह देखकर

कि इनकी इस समय की जागृत जिज्ञासा का लाभ उठाना चाहिए, उन्हें हरिण के सम्वन्ध में अनेक बातें बतला दो। यह 'प्रयोजन-प्रेरक' निरीक्षण है। निरीक्षण का मुख्य प्रयोजन यह नहीं था, बीच में आ पड़ा, परन्तु आ पड़ने पर भी ज्ञान में कुछ वृद्धि ही कर गया। शिक्षा की दृष्टि से 'प्रयोजन पूर्ण' तथा 'प्रयोजन-प्रेरक' निरीक्षण ही उपयोगी हैं, 'प्रयोजन-रहित' सर्वथा निरुपयोगी हैं।

बालक को भिन्न-भिन्न आयु को दृष्टि में रख कर शिशु-वर्ग तथा लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मिडिल कक्षाओं का पाठ्य-क्रम निश्चित किया जाता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि बालक की भिन्न-भिन्न आयु में उसके अनुकूल सामग्री उपस्थित करता रहे ताकि वह 'निरीक्षण' की सान पर बुद्धि की धार को तेज करता रहे।

शिशु-वर्ग तथा लोअर प्राइमरी के लिये—

छोटे बच्चों के निरीक्षण के लिए जो-सुबुद्ध चुना जाय वह उन के घर, पाठशाला के आस-पास होना चाहिये, उसरी उनके जीवन से अत्यन्त निरुदृता होनी चाहिये। वे घर के कुत्ते, अपनी गाय मेंस बिल्लो के सवध में निरीक्षण कर अपना संग्रह तय्यार कर सकते हैं। घर में खेतों हा वा साग-सब्जों, फूल-बत्ती के पियय में निरीक्षण कर सकते हैं। गर्मों, सर्दों, वर्षा में क्या-क्या श्रुतु परिवर्तन होता है—अपने निरीक्षण के आधार पर इसका भी संग्रह बना सकते हैं।

अपर प्राइमरी के लिये—

कुछ बड़े बालकों को स्वतन्त्र रूप से निरीक्षण करने पर प्रेरित करना चाहिये। गेहूं, चना, सरसों के बीज बोकर प्रत्येक पांघे के अरु फूटने, तथा निरुलने, पड़ने, सूखने के सपूर्ण इतिहास को

सिलसिलेवार लिखने की उन्हें प्रेरणा करनी चाहिये। प्राणियों में मेढक के जीवन का इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। वह विकास क्रम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। अर्पर प्राइमरी के वर्गों से मेढक के संपूर्ण जीवन का निरीक्षण कराना चाहिये, और उनसे उस इतिहास को क्रम-बद्ध लिखने को कहना चाहिये। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े छोड़कर उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थी बहुत-कुछ सीख जाते हैं।

मिडल कक्षा के लिये—

मिडिल कक्षा के विद्यार्थियों से विज्ञान के साधारण नियमों को स्पष्ट करने वाली घटनाओं का निरीक्षण कराना चाहिये। भौतिकी, रसायन-शास्त्र, यान्त्रिकी, चुम्बक, विद्युत् आदि के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की घटनाओं का निरीक्षण किया जा सकता है। अगर निकट कोई पानी से विजली पैदा करने वाला सान्ट हो तो बालकों को वहाँ ले जाकर उसका निरीक्षण कराना चाहिये। उच्च श्रेणियों के लिये—

इसमें भी ऊँची श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिये अनेक ऐसे प्रयोग कराये जा सकते हैं, जिन से 'निरीक्षण' करते-करते बालक अपनी इन्द्रियों को साध सकें, और साधते-साधते अनेक क्रियात्मक बातें सीख जाँय। कुछ प्रयोग नीचे दिये जाते हैं:—

(१) बालकों से पाठशाला में सन्त्रिचयो का एक बगीचा बनवाया जाय। वे हर मौसम की शाक भाजी पैदा करें, और उस से जो आय हो वह उनके खर्चे में जमा की जाय।

(२) उनसे भूमि सम्बन्धी प्रयोग कराये जाँय। एक जगह गहरा गढ़ा खोदकर दिये जाय कि कितनी तहें दीरघ पड़ती हैं। वर्षा होने के बाद पानी के बहाव को देखकर भौगोलिक नक्शा

वनवाया जाय। भिन्न-भिन्न मिट्टियों में पाती कितनी जल्दी या देर में प्रविष्ट होता है—इस पर परीक्षण तथा निरीक्षण किया जाय।

(३) मौसमों का निरीक्षण किया जाय। समय का ज्ञान करने के लिए छड़ी गाड़ कर उसकी छाया का निरीक्षण करके घड़ी बनाई जाय। छाया की सहायता से दिशाओं का पता लगाया जाय। वायु-मापक यन्त्र बनाया जाय।

(४) वृक्षों का अध्ययन किया जाय। किन्हीं वृक्षों का एक ही तना होता है, किन्हीं के दो, किन्हीं के अनेक। अपने निरीक्षण से बालक वृक्षों के नाम लिखकर उनका वर्गीकरण करे।

(५) इसी प्रकार पशुओं, पक्षियों, कीटों, पतङ्गों का निरीक्षण करके उन्हें अपनी नोट-बुकों में लिखना तथा उसके आधार पर परिणाम निकालना विद्यार्थियों को क्रियात्मक बनाने में बहुत सहायक है।

(६) पाठशाला में 'जलाशय' (Aquaria) बनाकर उसमें जल-जन्तु तथा जल-पृक्ष रखे जा सकते हैं। कांच के बड़े पर्वत में भी इसी प्रकार का संग्रहालय तैयार किया जा सकता है। इन सब का 'निरीक्षण' करना चाहिए।

'निरीक्षण' के आधार पर बालकों को भूगोल, विज्ञान आदि अनेक विषय पढ़ाये जा सकते हैं। निरीक्षण की हुई वस्तु का वर्णन करने को, उसे लिखने को कहा जा सकता है। इस प्रकार 'निरीक्षण' अन्य विषयों के लिए भी सहायक है।

२—सरस्वती यात्राएँ

कोई समय था जब कि पाठशालाओं में 'वस्तु-पाठ' पढ़ाया जाता था, और इसमें जड़-चेतन दोनों का पाठ होता था। जड़ में ईंट, पत्थर, पहाड़, नदी-नाले तथा वृक्ष, फूल, फल, पत्ती; चेतन में मनुष्य-पशु-पक्षी। इन पाठों में चित्रों, ड्राइंग तथा मॉडल बना कर बालकों

को वस्तु का परिचय कराया जाता था। परन्तु चित्रों, ड्राइंग तथा मॉडल की अपेक्षा भी वस्तु को अपनी प्राकृतिक अवस्था में देख कर, उसका निरीक्षण करके, जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान सब ज्ञानों से उत्कृष्ट है। जीराफ का चित्र देखो, उस का मॉडल बनाओ, सब-कुछ करो, परन्तु सब-सुख के जीराफ को देखना और बात है, और चित्र को देखना दूसरी बात है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि चिड़ियाघर के जीराफ को देखना और जगल में मस्त फिर रहे जीराफ को देखना इन दोनों में भी महान् भेद है। आजकल की शिक्षा 'वस्तु-पाठ'

(Object Lesson) तथा 'प्रकृति पाठ' (Nature Lesson) में भेद करती है। 'वस्तु पाठ' पढ़ाते हुए हम निरसन्देह आम को लेकर पाठशाला में बालकों को दिखाते हैं, परन्तु अगर हम बालकों को गाँव के बगीचे में ले जाँय, वहाँ उन्हें आम का बाग दिखायें, आम सं लदे हुए, कोई पके, कोई अध-पके, कोई कच्चे आम के फल पेड़ों पर लदे रहे हों—इस 'प्रकृति पाठ' से, प्राकृतिक परिस्थित में वस्तु जिस रूप में है, उसका 'निरीक्षण' करने में बालक जो कुछ सीख जायगा, वह स्कूल में आम लेकर दिखाने से नहीं सीखेगा। बालक पढ़ाने से उतना नहीं सीखता जितना निरीक्षण से सीखता है, और निरीक्षण का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उस गाँव के आस पास घूमने को ले जाया जाय, वहाँ जो कुछ है वह उसे देखे, और संभव हा ता उसे दूर-दूर 'सरस्वती यात्राओं' (Excursions) के लिये ले जाया जाय।

बालकों को सरस्वती यात्रा पर जाने का जब भी अवसर मिलता है तो वे एकदम चेतन हो जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। परन्तु यह यात्रा साधक हो, 'प्रयोजन-पूर्ण' हो, इस के लिये शिक्षक को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। यात्रा का कोई विशेष

उद्देश्य, प्रयोजन होना चाहिये। मुगल बादशाहों ने दिल्ली के आस-पास कौन-सी इमारतें बनवायीं—इस उद्देश्य से दिल्ली की यात्रा की जा सकती है। सब से अच्छा यह है कि अध्यापक पहले ही उन स्थानों पर हो आये जहाँ यात्रा करनी है ताकि वह हर बात में बालकों को ठीक दिशा की तरफ निर्देश दे सके। इस बात पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है कि यात्रा में बालक अपना समय यों ही नष्ट न कर दें। एक अध्यापक के साथ २० से अधिक बालक नहीं होने चाहियें। बालकों के पास नोट-बुक हो जिसमें वे सब-कुछ लिखते जाँय। इन यात्राओं से ही पता लगता है कि अँलें रखता हुआ भी अन्धा कौन है, और कान रखता हुआ भी बहरा कौन है? अगर गांव के आस-पास की जड़ी-बूटियों की जानकारी के लिये यात्रा की गई है तो फूल-पत्ती के नमूने रखना बड़ा जरूरी है। इन सरल्यती-यात्राओं से बालकों की 'निरीक्षण-शक्ति' तीव्र होती है, और यह निरीक्षण की आदत विज्ञान के विद्यार्थी को एक महान् वैज्ञानिक, साहित्य के विद्यार्थी को एक महान् साहित्यकार तथा मनुष्य-समाज की गति-विधि के विद्यार्थी को एक महान् नेता बना देती है।

व्यक्ति तथा 'कक्षा'-शिक्षण पद्धति

(INDIVIDUAL AND CLASS-TEACHING METHOD)

बालक को किस प्रकार शिक्षा दी जाय, इसके अनेक उपाय हमने देखे । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उसे व्यक्ति रूप में इकट्ठे को शिक्षा दी जाय, या कई बालकों को इकट्ठे ? व्यक्ति रूप से एक एक बालक पर अलग अलग ध्यान देकर शिक्षा देना 'व्यक्ति शिक्षण पद्धति' (Individual Teaching Method) है ; अनेक बालकों को इकट्ठे एक समान शिक्षा देना 'कक्षा शिक्षण-पद्धति' (Class Teaching Method) है ।

१— व्यक्ति-शिक्षण-पद्धति

'व्यक्ति शिक्षण पद्धति' के दो रूप हो सकते हैं । या तो एक बालक के लिए एक अध्यापक रखा जाय, या अनेक बालकों के रहते हुए भी उन सब को अलग अलग ही पढ़ाया जाय । हर बालक के लिये अलग अलग शिक्षक रखना संभव नहीं है । राजा-महाराजा ऐसा कर सकें, सब ऐसा नहीं कर सकते । डॉ. अनेक बालकों के एक साथ रहते हुए भी उन पर अलग-अलग ध्यान दिया जा सकता है । योरोप तथा भारत में प्राचीन काल में इसी

प्रकार की शिक्षण-पद्धति प्रचलित थी। एक अध्यापक होता था, भिन्न-भिन्न पाठ पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी होते थे। बड़े विद्यार्थी छोटों को पढ़ाते थे, और बड़े विद्यार्थी अध्यापक के पास पढ़ते थे। अध्यापक ने जिस विद्यार्थी को पढ़ाना होता था, उसे अपने पास बुलाकर पढ़ा देता था। क्योंकि इस शिक्षण पद्धति में एक ही अध्यापक सब विद्यार्थियों को सब विषय स्वयं या अपने शिष्यों की सहायता से पढ़ा लेता था, इसलिए यह सस्ती तो थी परन्तु इसमें निम्न दोष थे :—

(१) क्योंकि स्कूल के छोटे बड़े सब विद्यार्थी एक ही कमरे में होते थे ताकि अध्यापक सब पर दृष्टि रख सके, इसलिए व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था ज्यादा रहती थी। जिस समय अध्यापक किसी बड़े बालक को अपने पास बुला कर पढ़ा रहा होता था उस समय दूसरे बालक शोर मचाने के मित्राच कुछ न करते थे।

(२) क्योंकि बड़े लड़के छोटों को पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी। अध्यापक के पढ़ाने और विद्यार्थी के पढ़ाने में अन्तर तो रहता ही है।

✓(३) इनदो पढ़ाने पर एक-दूसरे का मुकाबिला करने, एक-दूसरे से आगे बढ़ने आदि के गुण विद्यार्थियों में नहीं उत्पन्न होते थे।

२—कक्षा-शिक्षण-पद्धति

इस पद्धति के गुण—

'ठरक्ति-शिक्षण-पद्धति' के उक्त दोषों को देखकर इंग्लैंड में १८६२ में यह नियम बनाया गया कि स्कूल को भिन्न-भिन्न कक्षाओं में विभक्त किया जाय, प्रत्येक कक्षा की अलग-अलग पाठविधि

हो, उसका अलग अध्यापक हो, और एक स्तर के विद्यार्थी एक साथ पढ़ें। तभी से 'कक्षा-शिक्षण-पद्धति' (Class teaching) का प्रारम्भ हुआ। इस पद्धति के निम्न गुण हैं—

(१) बालक स्वभाव से अपनी आयु के बालकों के साथ रहना पसन्द करता है। घर में भी बड़ी आयु का बालक अपने से छोटी आयु के भाई बहन के साथ रहने के बजाय अपनी आयु के दूसरे बच्चों को साथी बना लेता है। उनके साथ वह ऐसा अनुभव करता है मानो अपने के बीच में हो। यह मन इसलिये होता है क्योंकि बालक हम सब की तरह एक सामाजिक प्राणी है, वह माना अपना समाज ढूँढ लेता है। 'कक्षा' एक समाज है, इसलिये इस समाज में उसका अपने को घर-का सा अनुभव करना स्वाभाविक है।

(२) जब मनुष्य समाज में बैठता है तब उसकी क्रिया शक्ति तथा अनुभव शक्ति पहले से बढ़ जाती है। इस्लाम गाने में और सैकड़ों व्यक्तियों के साथ देश-भक्ति का गीत गाने में कितना अन्तर है! जब सब मिल कर एक साथ कोई काम करते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति अलग अलग भी बढ़ी हुई होती है। एक का उत्साह दूसरे को, और दूसरे का तीसरे को स्फूर्ति देता है।

(३) इसके अतिरिक्त सामूहिक कार्य में प्रतिस्पर्धा के कारण एक-दूसरे से आगे निरलने की प्रवृत्ति आ जाती है और विद्यार्थियों में हर समय उत्साह बना रहता है। -

(४) जैसे अनेक विद्यार्थियों के बीच में अपने को पाकर प्रत्येक विद्यार्थी में स्फूर्ति, उत्साह पैदा होता है, वैसे ही अध्यापक भी एक विद्यार्थी का पढ़ाने हुए उतना उत्साह नहीं अनुभव कर सकता जितना एक कक्षा के सम्मुख अनुभव करता है। अच्छा व्याख्याता भरी सभा में बोलता हुआ अपने से बहुत ऊँचे उठ

जाता है; अच्छा अध्यापक भी भरी कक्षा को पढ़ाता हुआ बहुत ऊँचा उठ जाता है। सार्थही अध्यापक को जब मालूम है कि कक्षा में कोई भी विद्यार्थी कैसा भी प्रश्न कर सकता है तब उसे पाठ तैयार करना ही पड़ता है।

इस पद्धति के दोष —

'कक्षा-शिक्षण पद्धति' पर्याप्त समय तक चल चुकी है, अतः अब शिक्षा विदों का ध्यान इस पद्धति के दोषों की तरफ आकृष्ट हुआ है। इस पद्धति के निम्न दोष कहे जाते हैं :-

(१) इस पद्धति में विद्यार्थियों के वैयक्तिक भेदों को सम्मुख नहीं रखा जाता, सब भेदों को एक ही लाठी से ढँसा जाता है। अध्यापक अपनी एक चाल से चलता है, विद्यार्थियों की अनेक चालें होती हैं। एक ही कक्षा में कोई गणित में तेज, कोई कमजोर, कोई विज्ञान में तेज, कोई कमजोर। किसी की आलेख में रुचि, किसी की साहित्य में, किसी की इतिहास में। जिसकी विज्ञान में रुचि है, उसके लिए विज्ञान के घण्टे बढ़ाये नहीं जाते, जिसकी रुचि नहीं उसके लिए घटाये नहीं जाते। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों में सब से मुख्य भेद उनका तेज और कमजोर होना है। अगर अध्यापक तेज वालों की रफ्तार में चलता है तो कमजोर के पल्ले कुछ नहीं पढ़ता, अगर कमजोरों की रफ्तार से चलता है, तो तेज लड़के ऊँच जाते हैं, शरारतों में लग जाते हैं।

(२) इस पद्धति में अधिकतर काम अध्यापक ही करता है। वह कक्षा में आया, और व्याख्यान देने लगा। आध घण्टा, पौन घण्टा बोलता रहा, विद्यार्थी चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, विद्यार्थी को स्वतन्त्रता पूर्वक कुछ करने की तुली छूट नहीं होती। वर्तमान शिक्षा शास्त्रों अध्यापक को इतनी नुनी छूट देने के स्थान

में विद्यार्थी को छूट देना चाहते हैं, विद्यार्थी पुस्तक-पाठ करे, वह परीक्षण करे, जो कुछ करना हो वह करे, अध्यापक न करे, क्योंकि जो करेगा वही सीखेगा, सीखना विद्यार्थी को है, अध्यापक को नहीं।

(३) इस पद्धति में गुरु-शिष्य का तो कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। अध्यापक को पढ़ाने से मतलब, कितन को पढ़ा रहा है, इससे मतलब नहीं। शिक्षक के व्यक्तित्व की छाप विद्यार्थी पर पड़े, ऐसा-कुछ इस पद्धति में नहीं होता। गुरु शिष्य को एक-दूसरे को जानने का, एक-दूसरे को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। अनेक अध्यापक तो अपने विद्यार्थियों के नाम जानते हैं, न उन्हें पहचानते हैं; वे 'कक्षा' को जानते हैं, 'व्यक्ति' को नहीं।

३—नवीन शिक्षण-पद्धतियाँ

'कक्षा शिक्षण-पद्धति' के उक्त दोषों के कारण शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान फिर 'व्यक्ति शिक्षण पद्धतियों' (Individual Teaching) की तरफ जा रहा है। हाँ, इस बार यह वैयक्तिक-शिक्षण प्राचीन काल के वैयक्तिक-शिक्षण से भिन्न है। व्यक्ति की भिन्नताओं को सम्मुख रखते हुए जो नवीन शिक्षण पद्धतियाँ चल रही हैं उनका चर्चन आगे किया जायगा। मुख्य-मुख्य 'व्यक्ति-शिक्षण पद्धतियाँ' निम्न लिखित हैं :—

- ✓ (क) डिप्लोमाटन या बालोयान शिक्षा ✓
- (ख) मॉन्टीसोरी-पद्धति ✓
- (ग) प्रीजेक्ट पद्धति ✓
- (घ) डाल्टन पद्धति ✓
- (ङ) वैबिक शिक्षा पद्धति।

सानुबन्ध-शिक्षा

(METHOD OF CORRELATION OF STUDIES)

व्यावहारिक दृष्टि—

विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं। पढ़ाई, लिखाई—ये दो विषय हैं; इतिहास, भूगोल—ये दो विषय हैं। अरु-गणित, बीज-गणित, ज्यामिति—ये तीन विषय हैं; सुलेख, शीघ्र-लेख, व्याकरण, निबन्ध, साहित्य—ये पाँच विषय हैं। इस प्रकार विषयों को गिना जाय तो उनकी संख्या बीस के लगभग हो जाती है। इतने विषयों को थोड़े-से समय में कैसे पढ़ाया जाय—यह शिक्षक की सब से बड़ी समस्या है। श्रन्तु क्या वास्तव में ये सब विषय अलग-अलग हैं। जरा ध्यान देने से प्रतीत होगा कि इन विषयों में से अनेक का आपस में सम्बन्ध है, इतना सम्बन्ध कि एक को पढ़ाने में दूसरा स्वयं पढ़ाया जाता है। पढ़ाई लिखाई एक ही विषय में आ जाते हैं; इतिहास-भूगोल एक-दूसरे के साथ रहते मिले हैं; सुलेख शीघ्रलेख साथ साथ रहते हैं; व्याकरण-निबन्ध साहित्य को बाँधा जा सकता है। भिन्न-भिन्न विषयों का एक-दूसरे के साथ स्वाभाविक संबंध है। विषयों को एक-दूसरे के साथ बाँध कर पढ़ाना ही 'सानुबन्ध-शिक्षा' (Correlation of Studies) कहलती है।

शिक्षक १५-२० विषयों को कैसे पढ़ाये—इसी समस्या को हल करने के लिये 'सानुबन्ध-शिक्षा' (Correlation of Stud-

ies) के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जाता, इन सिद्धान्त के आधार में मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचार धारा भी काम कर रही है। -

मनोवैज्ञानिक दृष्टि—

‘मनोवैज्ञानिक-दृष्टि’ से विचार किया जाय तो बालक का ज्ञान भिन्न-भिन्न विषयों का अलग-अलग ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान एक समूचे जगत् का ज्ञान है; ‘अवयवी’ का ज्ञान होता है, ‘अवयव’ का नहीं, ‘अवयव’ का ज्ञान ‘अवयवी’ के ज्ञान के बाद होता है। गाना सुनते हुए मधुर संगीत का ज्ञान होना है, उसके ताल और लय का ज्ञान तो बहुत मेहनत से प्राप्त किया जाता है। शिक्षक का कर्त्तव्य है कि बालक के मन की रचना के अनुसार चले—जब उसके मन में ज्ञान अलग-अलग भागों में नहीं बँटा तथा तब उसी प्रकार चलने से यह ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। बालक के लिये सब विषय एक हैं, ज्यों-ज्यों वह विकसित होता जाता है त्यों-त्यों वह एकता में अनेकता का अनुभव करता जाता है। शिक्षक को भी इसी प्रकार चलना होगा। पहले सब विषयों को एक साथ रखा मिला कर बालक के सम्मुख रखना होगा, और ज्यों-ज्यों वह विकसित होता जाएगा त्यों-त्यों उन विषयों को एक-दूसरे से अलग-अलग करना होगा।

दार्शनिक दृष्टि—

‘दार्शनिक-दृष्टि’ से विचार किया जाय तो भी मनुष्य का ज्ञान एक अभिन्न इकाई है। ज्ञान में विविधता नहीं, एकता है। जब तक कोई नई बात मन में आकर मन की पुरानी निश्चित बातों के साथ अपना किसी-न किसी तरह का सम्बन्ध नहीं बाँध लेती तब तक वह अलग पड़ी रहती है, असरती है, मन का हिस्सा नहीं बनती। हमारे घर में कोई अतिथि आये तो उसे हमारे या हमारे

सगे सम्बन्धी मित्रों के साथ कोई-न कोई सम्बन्ध बतलाना होगा तभी उसे घर में आश्रय मिलेगा। रास्ते में चलते फिरते को कोई अपने घर में स्थान नहीं देता। यही विचारों का हाल है। जिन विचारों ने मन में पहले घर किया हुआ है, नये विचारों को उनके साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ना होगा। समय जुड़ जायगा तो उनका स्वागत होगा, नहीं जुड़ेगा तो उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिलेगा। इसी विचार को जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने अपनी विचार-धारा में पुष्ट करके 'केन्द्रीकरण' (Concentration) तथा 'सानुबन्ध शिक्षा' (Correlation of Studies) के सिद्धान्तों को जन्म दिया।

केन्द्रीकरण का सिद्धान्त—

हर्बर्ट का कथन था कि 'मन' का 'विश्लेषण' किया जाय तो कुछ नहीं रहता, फिर सिर्फ 'विचार' रह जाते हैं। विचारों के 'संश्लेषण' का नाम ही मन है। जैसे ईंटों की जोड़ने से घर बनता है वैसे विचारों की जोड़ने से मन बनता है। परन्तु ईंटों को किसी भी क्रम से रख देने से तो घर नहीं बनता, ईंटों का ढेर बन जाता है; विचारों को भी किसी भी प्रकार भर देने से 'व्यवस्थित मन' नहीं बनता, विचित्र मन बन जाता है, व्यवस्थित मन तभी बनता है जब इन विचारों को किसी क्रम से रखा जाय, उन्हें आपस में एक दूसरे से बांध दिया जाय। विचारों को इस प्रकार क्रम से बांधने से मानो एक 'विचारों का वृत्त' (Circle of thought) बन जाता है। जैसे सुन्दर वृत्त चारों तरफ से गोल होता है, कहीं में उभरा, कहीं से चपटा नहीं होता, इसी प्रकार क्रम से पड़े हुए और आपस में स्वाभाविक शृंखला में बंधे हुए विचार एक 'विचारों के वृत्त' का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति के विचार जितने शृंखला में बंधे होते हैं, उसका उतना सुन्दर 'विचार वृत्त' (Cir-

cle of thought) बनता है, और विचार का जितना सुन्दर 'वृत्त' होता है उतना ही उस व्यक्ति का मन सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित मन से ही मनुष्य में 'व्यवसाय शक्ति' (Will power) उत्पन्न होती है, 'व्यवसाय शक्ति' से ही वह किसी कार्य के करने में सफल होता है। 'विचार वृत्त के बनने का अभिप्राय यही है कि मन में जो कुछ प्रवेश करे वह पहले के विचारों के साथ अपना संबंध स्थापित कर ले। वृत्त में जैसे एक केन्द्र होता है, केन्द्र से ही वृत्त बाहर को फैलता है, वैसे 'विचारों के वृत्त' का भी कोई केन्द्र होना चाहिये। इस केन्द्र के साथ प्रत्येक विचार जो जोड़ कर मन का सुन्दर विकास होता है। अगर सदाचार को 'विचारों के वृत्त' का केन्द्र बना कर उसे विकसित किया जाय तो सम्पूर्ण जीवन चरित्र मय बन जाता है। जब 'विचार वृत्त' का केन्द्र बिन्दु सदाचार है, दूसरे सभी विचार इसी से गुँथे हुए हैं, इससे बिना जुड़ा कोई भी विचार नहीं, तब दुष्टाचार का विचार मन में आकर अपने तरीका कोई विचार न देकर अन्दर टिक ही नहीं सकता। प्रायः देराने में आता है कि सुशिक्षित व्यक्ति भी दुराचारी होते हैं, अशिक्षित भी सगुणकारी होते हैं। इस का कारण यही है कि सुशिक्षित होते हुए भी उस व्यक्ति के विचारों के वृत्त का विकास सगुणकार के केन्द्र से नहीं हुआ, और अशिक्षित होते हुए भी दूसरे व्यक्ति के विचारों के वृत्त का विकास सदाचार के केन्द्र से हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त को घटाने को ही 'केन्द्राकरण' (Concentration) का सिद्धान्त कहा जाता है। जैसे 'विचारों के वृत्त' का एक 'केन्द्र' है, सब 'विचार' उसी से जुड़े रहने हैं, वैसे अध्यापन में भी किसी विषय को 'केन्द्र' बनाकर अन्य सब विषयों का उसके साथ जोड़ देना मन का सुव्यवस्थित बना देना है। इवार्ट ने इतिहास का केन्द्र बना कर

अन्य विषयों को उसके साथ पिरो दिया था। इतिहास को केन्द्र बनाने का कारण यह था कि इस से महान् पुरुषों का चरित्र पढ़ कर विद्यार्थी ऊँचे चरित्र का भी बनता जाता है, और इतिहास के साथ जुड़ा साधु ज्ञान भी प्राप्त करता जाता है। साहित्य में ऐतिहासिक नाट्य नाटक, गणित में प्राचीन सेनाओं के सिपाहियों की सख्या, वेतन आदि का हिसाब, भूगोल में जिन जिन मार्गों से आक्राताओं को गुजरना पड़ा उनका वर्णन, पिछले में युद्धों के समय यदूरु आदि का वर्णन करके सब विषयों को इतिहास के ईर्षगिर्ष बाध दिया जाता है। अमेरिका में हार्वर्ड के अनेक अनुयायियों ने 'इतिहास' के स्थान में 'प्रकृति पाठ' (Nature Study) को सब विषयों का केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया है। 'निरीक्षण तथा सरस्यती यात्रा' के अध्याय में हम देख चुके हैं कि किस तरह 'प्रकृति पाठ' को केन्द्र बनाकर अन्य विषय पढ़ाये जा सकते हैं।

अनुबन्ध शिक्षा का विधात—

'केन्द्रीकरण' (Concentration) का अर्थ है किसी एक विषय को केन्द्र बना कर पढ़ाना, 'सम्बन्ध' का अर्थ है उस केन्द्रीय विषय के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध जोड़ कर पढ़ाना। किसी विषय को केन्द्र बनाने का उद्देश्य यही है कि उस केन्द्र के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध जोड़ा जाय, इसलिये 'केन्द्रीकरण' (Concentration) 'अनुबन्ध' (Correlation) स्थापित करने के लिये ही है। भारत में जिस वैसिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है उसमें काब्रना आदि किसी नाम को 'केन्द्रीय विषय' (Central Subject) बना कर अन्य विषयों का उसके साथ 'अनुबन्ध' (Correlation) अर्थात् सम्बन्ध स्थापित करना ही उद्देश्य है।

'केन्द्रीकरण' के विषय में यह आपत्ति की जाती है कि सब विषयों को एक ही विषय के साथ नहीं टाँका जा सकता, परन्तु 'अनुबन्ध' स्थापित करते जाना, एक विषय का दूसरे के साथ सम्बन्ध जाड़ते जाना तो कोई बठिन काम नहीं है। यह ठीक है कि जहाँ सम्बन्ध न हो वहाँ भी जबर्दस्ती किसी न किसी तरह से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न करना ठीक नहीं, परन्तु जहाँ सम्बन्ध हो वहाँ सम्बन्ध दिखाना 'व्यावहारिक', 'भौतवैज्ञानिक' तथा 'दार्शनिक' दृष्टि-कोण से सर्वथा उचित है।

क्रिया द्वारा शिक्षा की पद्धति

DYNAMIC OR ACTIVITY METHOD IN EDUCATION

पुराने और नये शिक्षा-शास्त्र में यह भेद है कि पहले 'अपने-आप करके सीखने और खेल द्वारा सीखने' (Learning by doing and learning by play) को शिक्षा का अङ्ग नहीं माना जाता था। जो कुछ करता था शिक्षक करता था, बालक नहीं; शिक्षक परीक्षण करके दिखाता था, बालक देखता था; शिक्षक पाठ पढ़कर सुनाता था, बालक सुनता था। आजकल यह समझा जाता है कि बालक परीक्षण करे, शिक्षक देखे, जहाँ अशुद्धि हो वहाँ बता दे; बालक पाठ पढ़े, शिक्षक सुने, जहाँ अशुद्धि हो वहाँ बता दे। जितनी नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ निकली हैं—'प्रोजेक्ट', 'डाल्टन', 'कबरगार्टन', 'मान्टीसरी', 'चेसिक'—सब के आधार में ये दोनों दृष्टि-कोण काम कर रहे हैं। इस अध्याय में हम 'क्रिया' द्वारा, और अगले अध्याय में 'खेल' द्वारा शिक्षा देने का वर्णन करेंगे।

'शिक्षा' एक विशेष प्रकार की 'क्रिया' का नाम है। बालक लिखता है, हम कहते हैं, यों न लिखो, यों लिखो; यह पढ़ता है, हम कहते हैं, यों न पढ़ो, यों पढ़ो; यह जो कुछ करता है, हम कहते हैं, यों न करो, यों करो—बालक 'क्रिया' कर रहा है, हम उस 'क्रिया' को ठीक दिशा दे देते हैं, यही 'शिक्षा' है।

अगर बालक के भीतर चल रही अपनी क्रिया—‘आभ्यन्तर-क्रिया’—(Self-activity) न होती, तो शिक्षा का प्रश्न एक ‘मनोवैज्ञानिक’ प्रश्न न होकर एक ‘यान्त्रिक’ प्रश्न होता। ईट-पत्थर में अपनी कोई ‘आभ्यन्तर क्रिया’ (Self-activity) नहीं है, उनमें हम जैसा मकान चाहे खड़ा कर देते हैं; बालक की ‘आभ्यन्तर क्रिया’ क्योंकि अपनी ही किसी दिशा की तरफ जा रही है इसलिए उस ‘क्रिया’ को ध्यान में रख कर चलना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। या तो जिस दिशा की तरफ उसकी ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ जा रही है हमारी क्रिया भी उमी दिशा की तरफ चले, या उस क्रिया को रोककर कोई दूसरी दिशा दे। अगर हमारी क्रिया बालक की क्रिया की दिशा में ही चलती है तब तो बालक हसी-खुशी से हमारी बात का स्वागत करता है, अगर उसके विरोध में चलती है, तब बालक और शिक्षक की क्रियाओं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान शिक्षा शास्त्र यही कहता है कि शिक्षक को बालक की ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ (Self-activity) का पता लगाकर, उसके साथ चलकर, उसे ठीक दिशा देनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ उत्पन्न कर देनी चाहिए जिसमें वह ठीक दिशा की तरफ स्वयं चल पड़े।

हम सड़क पर चले जा रहे हैं, इतने में कोने से एक चोर निकलता। हमने उसे अपनी तरफ बुलाया, वह भाग खड़ा हुआ। ठीक इसी समय एक दूसरा आदमी दिखाई दिया, वह भूला या, उसे भी हमने पुकारा, वह मूट बढ़ कर आगे आ गया। क्या कारण है कि पुकारने से एक आदमी भाग गया, दूसरा निकट आ गया? तुच्छा भूला है, हमने चाला हान आगे करके उसे पुकारा, वह उधलता हुआ आगा, वह भूला नहीं है, हमने हाथ

में रोटी लेकर उसके खाने की, उसने हमारी तरफ देख भी नहीं। क्या कारण है कि यही कुत्ता एक हालत में नागता खड़ा है, दूसरी हालत में हमें पहचानता भी नहीं? इन सबका यही कारण है कि सतार में 'विषय' (Stimulus) के खाने आने ही मतवाही 'प्रतिक्रिया (Response)' नहीं उत्पन्न होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस 'व्यक्ति' (Organism) में प्रतिक्रिया करनी है उसका घर्ना क्रिया—'आव्यन्तर क्रिया'— (Self activity) भी चल रही होती है, और उसकी भीतर क्रिया और हमारी जी हुई क्रिया के परिणाम से जो क्रिया हो सकती है यही क्रिया उत्पन्न होता है। कई क्रियाओं का परिणाम कौन-सी क्रिया होगी इनका निश्चय करने में 'व्यक्ति' के भीतर चल रही क्रिया का सबसे मुख्य प्रभाव पड़ता है।

बालक शान्त नहीं, क्रियाशील होता है, उसके भीतर उड़ी भारी क्रिया चल रही है, उसे बाँध कर बैठा देना उसे मानो जेल में डाल देना है। चतुर विचक्र के हाथ में बालक को यह असीन 'क्रियाशीलता' मसाले का खान करती है जिससे चतुर राज की भाँति वह एक भव्य भवन का निर्माण कर देता है। यह देखा गया है कि बालक दिन में १५ हजार शब्द तो बोल ही डालता है, उसका शब्द-कोष बहुत परिमित है, परन्तु एक ही बात को बार-बार बोलता जाता है। अपने शरीर के द्वारा साधारण व्यक्ति से ५ गुना ज्यादा शारीरिक गति करता है। यवनन में एक-एक 'ज्ञान-वाहक तन्तु' (Sensory Nerve) के लिए एक एक 'चेष्टा-वाहक तन्तु' (Motor Nerve) होता है, क्योंकि उस समय क्रियाहीन क्रिया करनी होती है, पीछे जाकर कई 'चेष्टा-वाहक तन्तुओं' के स्थान में एक एक 'चेष्टा-क्षेत्र' (Motor area) बन जाता है क्योंकि उस समय उतनी अधिक क्रिया की आवश्यकता नहीं

रहती। बालक शान्त बैठते हैं तो भी कुछ न कुछ बोलते ही जाते हैं। उनमें क्रिया का यह अदृश्य भरना इसीलिये फूटा पड़ता है क्योंकि बालक ने क्रिया द्वारा ही सब-कुछ सीखना होता है। बालक करते पहले हैं, सोचने पीछे हैं, चढ़े होने पर पहले सोचते हैं, फिर करते हैं। जब तक बालक किसी काम को करके नहीं सीखता तब तक वह उसे पूरी तरह सीख ही नहीं पाता। किडर-गार्टन तथा मॉन्टीसरी पद्धति में बालक भी क्रियाशीलता में ही लाभ उठाया गया है, जवानी शिक्षा नहीं की जाती। 'क्रिया द्वारा सीखने' (Learning by Doing) की पद्धति को मन विषयों में प्रयोग किया जा सकता है। थॉर्नटाइक ने इसके सम्बन्ध में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है जिनका यहाँ हम 'शिक्षा मनोविज्ञान' में कर चुके हैं। व्याहारिक गणित पढ़ाने का पुराना तरीका बढ़े बढ़े प्रश्न हल करवाने का था जिन्हें बालक कुछ नहीं समझता था। नवीन प्रणाली के अनुसार बालक से परीक्षा-पेचना करवाया जाता है, स्कूल में अपना बैक खोला जाता है, बालक का उसमें टिसान रहता है, पे चेक काटते हैं, स्कूल में छोटे-छोटे बाजार लगाते हैं, लाभ हानि की समस्याओं को 'क्रिया पद्धति' द्वारा स्पष्ट सीखा जाते हैं। आजकल 'विचार मक' (Theoretical) के साथ-साथ 'क्रियात्मक' (Practical) पढ़ाई पर विशेष बल दिया जाता है। लड़के परीक्षण करते हैं, नाटक खेलते हैं, बालचर बनते हैं, चढ़ई और जिल्दसाली का काम सीखते हैं, यह सब इसलिये क्योंकि आज की शिक्षण प्रणाली ने शिक्षा में हाथ से काम करने के तत्त्व को समझ लिया है।

प्रश्न होता है कि बालक के मन में क्या चीज है जो उसे हर समय क्रियाशील बनाये रखती है? भूख कुत्ता रोटी देखकर फगों उछल कर आता है, चोर हमें देखकर क्यों भाग जाता है?

यह इसलिये कि कुत्ते को 'भूख' लगी है, चोर को 'भय' लगा है। क्रिया-शीलता की आधार यही 'भूख'-'भय'-'जिज्ञासा' आदि 'प्राकृतिक शक्तियों' (*Instincts*) हैं, यही हमारे भीतर पैठी-पैठी हमें इधर-से-उधर चलाया करती हैं। जिस समय ये हमें प्रेरणा दे रही होती हैं, हमें क्रिया के लिये बाधित कर रही होती हैं, तब इन्हे 'प्रेरक-कारण' (*Urges, Motivations*) कहा जाता है। ये 'प्रेरक कारण' ही हम से 'क्रिया' (*Activity*) कराते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाते हुए 'प्रेरक-कारण' उत्पन्न कर देना या उन्हें प्रयत्न कर देना है। कक्षा में आकर यह कहकर पढ़ाना कि आज हम अमुक-अमुक पाठ पढ़ेंगे पढ़ाने का उत्तम तरीका नहीं है। पढ़ाने का तरीका यह है कि बालकों की 'क्रिया-शीलता' को उत्तेजित करने वाले 'प्रेरक-कारणों' (*Motivations*) की सहायता से उस काम में इस प्रकार लगा दिया जाय कि वह उससे चिपट जाय, और फिर काम को पूरा करके ही दम ले। 'मॉन्टोसरी'-'प्रजेक्ट' आदि पद्धति में इसी विचार को दृष्टि में रखा गया है। बालक के मन में 'प्रयोजन' (*Purpose*) उत्पन्न करके उसे उसके इत्त करने में लगा देने से वह काम करेगा, उससे धकेगा नहीं, और करते-करते बहुत कुछ सीख जायगा।

खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति

(PLAY WAY IN EDUCATION)

कोई समय था जब खेलना पाप समझा जाता था। माता-पिता प्रायः कहा करते थे, बच्चा हर समय खेल में लगा रहता है, पढ़ने में इसका दिल ही नहीं। जर्मनी के प्रो० कार्ल प्रूस ने कहा कि खेलना पाप नहीं, खेलना तो प्राणी को शिक्षा देने का एक साधन है, इसलिये प्रकृति ने इसे सुपुष्टित रखा हुआ है। जो चीज बेकार है वह ससार में टिकती नहीं—यह नियम है। ससार के प्रारंभ दिन से आज तक बच्चा खेलता ही चला आया है, आज से लाखों साल पहले जंगली का बच्चा हो, आज के बादशाह का बच्चा हो—सभी खेलते हैं। खेल का प्रकृति में कोई नारी उपयोग है, तभी तो, हमें निरुन्मी-सी जन्मने वाली यह चीज आज तक बनी हुई है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि 'क्रियाशीलता' (Activity) की उपयोगिता 'शिक्षा' के लिये है, इसी प्रकार 'खेल' की भी उपयोगिता यही है कि इस से पशु तथा मनुष्य का बालक सीखता है, भावी जीवन में जो कुछ उसे करना है उसके लिये खेल द्वारा अपने को तैयार करता है। 'क्रियाशीलता' ही किसी विरोध बात को सीखने के लिये 'खेल' का रूप धारण कर लेती है। जिन प्राणियों को कुछ सीखना नहीं वे खेलते भी नहीं। मच्छर को, सटमल को क्या सीखना है ?

खाना और जीना इन दो के सिवाय उनका कोई काम नहीं, इन दोनों को वे जन्म से ही जानते हैं, इसलिए उनके जीवन में खेल का कोई स्थान नहीं। जिस प्राणी को जीवन-यात्रा के लिए अधिक सीखने की आवश्यकता है वह उतना ही अधिक खेलता है, जिसे जितना कम सीखने की आवश्यकता है वह उतना ही कम खेलता है। खेलना ता सीखने का भारी साधन है।

खेलना बालक के लिये सीखने का साधन क्यों है? यह इसलिए कि सिर्फ सीखना तो एक 'काम' हो जाता है, कोई भी 'काम' बालक के लिए बसाने वाली चीज हो जाती है। बालक 'खेलना' चाहता है, 'काम' नहीं करना चाहता, हा, खेलने का अगर इस प्रकार उपयोग कर लिया जाय जिस से वह खेलता खेलता काम भी कर ले तब उसे कोई आपत्ति नहीं होती। यह क्यों 'खेलना' चाहता है, और क्यों 'काम' नहीं करना चाहता, इसके लिए 'खेल' और 'काम' के भेद को स्पष्ट रूप में समझ लेना आवश्यक है। 'खेल' और 'काम' में ये भेद हैं -

(१) 'खेल' का उद्देश्य खेलमात्र होता है, 'काम' का उद्देश्य काम नहीं होता, कुछ और होता है। बालक गेंद में खेल रहा है, खेलने के अतिरिक्त उसका क्या उद्देश्य है? पकौल बमलत कर रहा है। वह बमलत इसलिए करता है क्योंकि इनसे पैसा पैदा होता है। 'खेल' में उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भावना नहीं बनी रहती, क्योंकि बालक के मन में खेल के अतिरिक्त कोई उद्देश्य ही नहीं होता, 'काम' में उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भावना बनी रहती है, 'खेल' में परिणाम की चिन्ता नहीं, 'काम' में परिणाम की चिन्ता है, इसलिए 'खेल' में बालक लगा रहता है, 'काम' से भी चुपचा है।

(२) 'खेल' अपनी इच्छा पर आश्रित है, 'काम' दूसरे की

इच्छा पर। बालक खेलता है, कभी इधर भागता है कभी उधर, वह 'स्वतंत्र' होता है। अगर खेल में पन्धन भी हों तो अपने बनाये हुए, या अपने माने हुए। जो कुछ है अपनी इच्छा से है। काम में तो मनुष्य बंधा रहता है न इधर दौल सकता है, न उधर। जो बात अपनी इच्छा पर निर्भर करती है उसमें दिलचस्पी बनी रहती है, उसे आदमी देर तक करता बना जाता है, जो दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है उसे देर तक नहीं कर सकता। दुकानदार की मर्जी है जब चाहे दुकान खोले, जब चाहे बन्द कर दे। दुकानदार की इस स्वतंत्रता पर बड़े-बड़े नाकरा पराण आह भरा करते हैं। वे कहते हैं, यहाँ तकलाफ पाते हैं तो क्या आजादी तो नहीं है। दुकानदार अपने काम से जी नहीं चुराता, वे जी चुराते हैं। अध्यापक पढ़ाने आता है तो साचता है, जब स्कूल बन्द हो और जब वह घर भागे, तबक पफ्तर आता है तो सोचता है कब चार बजे आए वह ठे। यही लोग जब अपना काम अपनी मर्जी से करने लगते हैं तो दिन रात काम करते हुए भी नहीं थका। यह दूसरा कारण है कि बालक खेल में लगा रहता है, 'काम' में नहीं। यही कारण है कि जब 'खेल' पानकों के लिए आवश्यक कर दिया जाता है तब खेल के लिए जान देने वाले बालक भी खेल से जी चुराने लगते हैं, तब उनके लिए 'खेल' ही 'काम' बन जाता है।

(३) 'खेल' में आनन्द आता है, 'काम' में नहीं। 'खेल' में हरने पर भी बालक उद्वेग-पूरा-दसा करते हैं, 'काम' में तो आनन्द तभी आता है जब सफलता हो। जो सफल नहीं है, उस घे-भारे को भी काम तो करना ही पड़ता है, जो भार कर काम करना पड़ता है क्योंकि कुछ किए परीर सुझावा नहीं। यह वास्तव कारण है कि बालक 'खेल' में जुट रहे हैं, थककर चकनाचूर हो जाने

पर भी क्योंकि आनन्द आ रहा है इसलिये खेलने से नहीं थकते, और थोडा-सा 'राम' करने पर ही क्योंकि आनन्द नहीं आ रहा इसलिये काम से उब जाते हैं।

हमने देखा कि 'परिमाण की चिंता का न होना', 'स्वतन्त्रता' तथा 'आनन्द' ये तीन बातें हैं जिनमें बालक खेल में लगा रहता है, उससे थकता नहीं। यह स्पष्ट है कि अगर इन तीनों को 'काम' के साथ जोड़ा जा सके तो बालक काम में भी लगा रहेगा, उससे थकेगा नहीं। 'काम' के साथ इन तीनों भावनाओं का सम्बन्ध जोड़ देना ही 'काम' को 'खेल' बना देना है, और इसी को 'खेल द्वारा शिक्षा देना' कहा जाता है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'खेल' कितने प्रकार के हैं, और उन्हें 'काम' के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ?

मार्लबस ने खेलों को ५ भागों में विभक्त किया है :—

(१) परीक्षणत्मक खेल (Experimental Plays)

(२) दौड़ धूप वाले खेल (Movement Plays)

(३) रचनात्मक खेल (Constructive Plays)

(४) लड़ने-काटने वाले खेल (Fighting Plays)

(५) मानसिक खेल (Intellectual Plays)

'परीक्षणत्मक खेल' ये हैं जिनमें बालक चीजों को उठाने-धरने में लगा रहता है। इसमें वह भावी जीवन की तैयारी कर रहा होता है। पशु भी ऐसे खेल खेलते हैं। पिल्ली का पसा किसी भी चीज को कभी श्चर से पकड़ता है, कभी उधर से—यह मानो चूहे के शिखर का अभ्यास कर रहा होता है। कुत्ते का पिल्ला दूसरे पिल्ले को खेल-खेल में दातों से धर द्योचता है। उसे भी तो बड़े होकर शिखर खेलना होता है। इस प्रकार के खेलों से प्राणी को वस्तु के आकार प्रकार, रंग रूप का ज्ञान हा जाता है।

ऐसे खेल वालक व्यक्ति रूप से, इकले खेला करते हैं। मॉन्टीसरी पद्धति में पीछाणात्मक-‘खेल’ को ‘शिक्षा’ के साथ जोड़ दिया है। बालक ने वस्तुओं को उठाना-धरना तो है ही, फिर उसके गर्द ऐसे उपकरण क्यों न रख दिये जाय जिनसे वह इनके साथ खेलता खेलता वस्तुओं के आकार प्रकार, रंग-रूप आदि के विषय में व्यवस्थित रूप में कुछ सीख भी जाय। मॉन्टीसरी स्कूल में जाने वाले बच्चे से हमने एक बार पूछा, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो ? उसने कहा, हम पढ़ते नहीं, खेलते हैं। बान भी ठीक है, वे खेलते हैं, और खेलते-खेलते पढ़ जाते हैं।

‘दीड़-धूप वाले खेल’ वे हैं जिनमें बालक एक-दूसरे के पीछे भागते हैं, पत्थर उठाकर फेंकते हैं, वे यूँ ही इधर-उधर फिरा करते हैं, कुछ-न-कुछ बोला करते हैं। ये खेल बालक इकले भी खेलते हैं, दूसरों के साथ भी, साथ खेलने से इन खेलों में तीव्रता और वेग आ जाता है। इन खेलों से उनके शरीर का गठन दृढ होता है, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों या पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। फिटरगार्टन पद्धति में इसी भावना को श्रेष्ठ प्रोत्साहित किया गया है, यहाँ तक कि माता से भी यह आशा की जाती है कि वह बालकों के साथ खेल सके। इस प्रकार के खेलों से बालकों में सहयोग, सहानुभूति आदि की भावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है।

‘रचनात्मक खेलों’ में बालक मट्टी का घर बनाते हैं, स्टार्चटांग भीखते हुए पुल बनाते हैं, हाथ से काम करते हुए पुस्तकों की अपेक्षा बहुत अधिक सीख जाते हैं। ये खेल बच्चों के हैं। बाल्यक संस्था रचनात्मक खेलों का सबसे अच्छा दृष्टांत है। बालक जंगल में जाते हैं, कैम्प लगाते हैं, हाथ से लकड़ी काटते हैं, रोटी बनाते हैं, और यह सब-कुछ करते हुए बहुत-कुछ सीख जाते हैं। प्रोजेक्ट-शिक्षा-प्रणाली में बालक किसी रचनात्मक कार्य को सामने रखकर

खेल खेल में कर डालते हैं और पुस्तकें जो-बुद्ध नहीं सिखा सकती 'प्रोजेक्ट' उन्हें सिखा देते हैं।

'लड़ने भागने के खेल' कपड्डी, कुरती, हाकी, फुटबॉल आदि हैं। ये बड़ों के खेल हैं, समूह में खेले जाते हैं और इनसे बालक इतना कुछ सीख जाता है जो दूसरी किसी तरह सीख ही नहीं सकता। मिलकर काम कैसे करना चाहिये, हार कर भी कैसे हंसते रहना चाहिये, जीवन फूलों की शय्या ही नहीं है, उसमें काटे भी हैं, परन्तु कांटों में उलझ कर भी उन्हें कैसे सुलभाना चाहिये—ये गुण कपड्डी, कुरती आदि खेलों से ही सीखे जाते हैं। नैलसन ने बाटरलू का युद्ध क्रिकेट मैदान में जीता था। कैसे? क्योंकि युद्ध में जिन गुणों की आवश्यकता है, उसने वे खेल के मैदान में पाये थे।

'मानसिक खेल' तीन तरह के हैं : पहले, 'विचारत्मक' (Intellectual), जैसे, शतरंज, तारा, ड्रॉपट। शब्द-रचना का खेल खेलते खेलते बालक शुद्ध हिज्जे सीख जाता है, शतरंज से युद्ध की चालें समझ में आ जाती हैं। दूसरे, 'उद्बेगात्मक' (Emotional), जैसे, नाटक खेलना। आनकल नाटक का शिक्षा में बड़ा स्थान है। इतिहास सिखाने का सर्वोत्तम उपाय ऐतिहासिक नाटकों को खेलना है। नाटक खेलने हुए घटनाएँ बालक के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इसके साथ बने स्पष्ट तथा उच्च स्वर से बोलना पड़ता है, वीर, रौद्र, हास्य रस के भावों को अभिव्यक्त करना पड़ता है। इससे बालक स्पष्ट बोलना सीख जाता है, भिन्न भिन्न भावावस्थाओं को प्रकट करना उसे थनायास आ जाता है। तीसरे, 'वृत्त्यात्मक' (Volitional), जैसे, कोई हंसने वाली कहानी कह कर न हंसने की शर्त लगा दी जाय, जो हस पड़े, वह हारा समझ जाय, जो न हंसे, वह जीता। इस से अपने को नियमित करने का अभ्यास हो जाता है।

बालक को खेल खेल में सब कुछ सिखाने के विषय में रुझाव आसक्ति करते हैं, और कहते हैं कि यह 'मृदु शिक्षा विज्ञान' (Soft Pedagogy) है, बालक को हमस जीवन में कठिनाइयाँ का सामना करने योग्य बनाना है, न कि हर एक बात को आसान बना कर उसे कठिन कार्य करने के मर्यादा अभ्यास बना देना है। कठिन कार्य करने का अभ्यास करा कर हम उनमें कठिन कार्य करने की 'शक्ति' उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वह सब कठिन कार्यों को कर सके। परन्तु यह बात ठीक नहीं। आजकल का मनोविज्ञान मनुष्य के मन की इस प्रकार की भिन्न भिन्न 'शक्तियों' (Faculties) को नहीं मानता, इसलिए यह भी नहीं मानता कि कठिन विषयों के अभ्यास से कठिनाई का सामना करने की कोई 'शक्ति' उत्पन्न हो सकती है। असल बात तो यह है कि हमने बालक को शिक्षा देनी है और शिक्षा को खेल में जोड़ देना शिक्षा देने का सहूल उपाय है। सर से पहले काव्दवेल कुक (Caldwell Cook) ने 'क्रीड़ा पद्धति' (Play way) शब्द का प्रयोग किया था। उसने देखा कि अंग्रेजी पढ़ाते हुए लड़कों का ध्यान पाठ भी तरफ नहीं होता था। उसने रोस्पीयर के नाटकों को बालकों से करवाना शुरू किया। फिर क्या था, अंग्रेजी पढ़ना उनके लिए खेल हो गया। इसी पद्धति को आज शिक्षा के हर क्षेत्र में घटाया जा रहा है, और खेल को शिक्षा के साथ जोड़कर अनेक शिक्षा प्रणालियाँ प्रचलित हो रही हैं। हम अगले अध्यायों में उन्हीं में से रिडर-गारटन, मॉन्टीसरी, प्रोजेक्ट तथा बेसिक शिक्षा प्रणालियों का वर्णन करेंगे।

किंडर-गार्टन पद्धति (KINDERGARTEN METHOD)

जर्मनी के शिक्षा-शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल (१७८३-१८५२) ने 'क्रिया द्वारा शिक्षा' (Learning by doing) तथा 'खेल द्वारा शिक्षा' (Learning by play way) के सिद्धान्तों को आधार बनाकर 'किंडर गार्टन' पद्धति का निर्माण किया। उस का कथन था कि पाठशाला एक 'उद्यान' (garden) है जिस में 'बालक' (kinder) रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली को देख-रेख में बढ़ता है। पौधे का विकास उसके आन्तरिक नियमों से होता है, इसी प्रकार बालक का विकास भी उसके आन्तरिक नियमों से होता है। शिक्षक का काम तो माली की तरह पौधे को उसके आन्तरिक नियमों के अनुसार बढ़ने देने में सहायता देना है।

वे नियम क्या हैं? इन नियमों के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए फ्रोबेल ने एक दार्शनिक विचार-धारा को जन्म दिया था। उसका कथन था कि:—

प्रोबेल की दार्शनिक विचार-धारा—

(१) विश्व में 'एकता' (Unity) का नियम काम कर रहा है। 'ईश्वर' (God), 'जीव' (Spirit) तथा 'प्रकृति' (Nature) में आधार-भूत तत्त्व 'एक' ही है। यह एकता का तत्त्व 'ईश्वर' है। 'ईश्वर' से ही 'जीव' तथा 'प्रकृति' का विकास होता है, वही

सय का आदि स्रोत है। भारत के वेदान्तियों का भी यही सिद्धान्त है।

(२) 'एकता' के अतिरिक्त दूसरा नियम 'विकास' का, 'वृद्धि' (Development) का नियम है। प्रत्येक वस्तु अपने आन्तरिक नियमों के अनुसार विकसित होती हुई उसी 'एकता' की तरफ जा रही है। 'एकता' से 'अनेकता' उत्पन्न होती है, परन्तु फिर इस 'अनेकता' की गति 'एकता' की तरफ हो रही है, ससार 'पूर्णता' की तरफ, 'ब्रह्म' की तरफ गतिमान है।

(३) यह 'वृद्धि' (Development), यह 'पूर्णता' कैसे होती है? इस 'वृद्धि' का आधार 'आभ्यन्तर गति' (Self-activity) है। हम 'खेल द्वारा सीखने' के अध्याय में लिख आये हैं कि मनुष्य जन्म से ही ऐसी 'प्रेरणायें' (Urges, Motivations) को लेकर पैदा होता है जो उसे हर समय कुछ-न कुछ करने के लिये बाधित करती हैं। यह 'आभ्यन्तर-गति' मनुष्य को 'विकास' की तरफ, 'पूर्णता' की तरफ, 'ब्रह्म' की तरफ ले जाने के लिये है—यह फ्रॉबेल का कथन है।

(४) 'आभ्यन्तर-गति' (Self activity) के पूर्ण विकसित होने का साधन 'समाज' (Social Institutions) है। परिवार में, स्कूल में, समाज में ही 'आभ्यन्तर-गति' अपने को विकसित करने के लिये उत्तेजित होती है, इकलपन में 'आभ्यन्तर-गति' का बंग नहीं मिलता।

बालक को जब स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है तब उस की 'आभ्यन्तर गति' का उत्तेजन मिलता है। यह गति अपने को 'खेल' द्वारा प्रकट करती है। 'आभ्यन्तर गति' (Self activity) तथा 'खेल' (Play) द्वारा बालक का 'विकास' (Development) करना और उसे परमार्थ 'एकता' (Unity)

की तरफ से जाना ही सिद्ध है। इस दृष्टि से क्रोडेल का सिद्धांत तबभी मुख्य सिद्धान्त बालक को 'आन्वन्तर-गति' (Self-activity) को शिक्षा में मुख्य स्थान देना है। इस के बजाय कि शिक्षक अपने को मुख्य रखे, उसे बालक को मुख्य रखना चाहिए, और बालक की 'आन्वन्तर गति' को ठीक दिशा देने में सहायक होना चाहिए। बालक जो कुछ करे अपने आप करे, और अपने-आप करके सीखे।

इस उद्देश्य में क्रोडेल ने बालकों के लिये कुछ खेलने की चीजें बनायी थीं जिन्हें वह 'उपहार' (Gifts) कहता था। इन 'उपहारों' (Gifts) से बालक खेलने लगता था। इन खेलों को वह बालक की 'क्रीड़ा' (Occupation) कहता था। इस प्रकार इन 'उपहारों' के साथ खेल में लगे रहने से उसे परिमाण, रंग, रूप, गिनती आदि का ज्ञान स्वयं खेलते-खेसते हो जाता था।

क्रोडेल के 'उपहारों' (Gifts) की संख्या २० है, परन्तु उन में मुख्य ७ ही हैं और सात भी 'लम्ब-गोल' (Cylinder), 'गोल' (Sphere) और 'घन' (Cube)—इन तीन आकृतियों के ही भिन्न भिन्न रूप हैं।

साठ उपहार (Gifts) निम्न हैं—

(१) पहले 'उपहार' में दूः रंगदार ऊन की गेंदें हैं जो लाल, पीले, नीले, नारंगी, हरे, बैजनी रंग की होती हैं। इन के साथ 'क्रीड़ा' (Occupation) का अर्थ है बालक इन गेंदों के साथ खेले। इस खेल में उसे रंग, रूप, गति, दिशा स्वयं का ज्ञान हो जाता है।

(२) दूसरे 'उपहार' में किसी कड़ी वस्तु के 'गोल' (Sphere), 'घन' (Cube) तथा 'लम्ब गोल' (Cylinder) दिए जाते हैं जिन में उसे 'घन' की स्थिरता तथा 'गोल' की गति-संज्ञा

का परिचय प्राप्त होता है, और 'लम्ब गोल' में वह 'स्थिरता' तथा 'गति' दोनों को देखता है। इस 'उपहार' से उसे 'समानता' और 'भिन्नता' देखने का अभ्यास भी हो जाता है।

(३) तीसरे 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो ८ छोटे छोटे समान घनों से मिलकर बनता है। इन से वह अनेक उपयोगी उपकरण बनाता है, बेच, सीढ़ी, दरवाजा, पुल बनाने लगता है। इस से उसे योग और ऋण के प्रारम्भिक विचार भी मिल जाते हैं।

(४) चौथे 'उपहार' में बालक को एक 'घन' दिया जाता है जो ८ 'प्रिज्म' के मिलने से बनता है। 'प्रिज्म' आर छोटे छोटे 'घनों' के मेल से वह कई चीजें बनाना सीख जाता है, और उसके ज्ञान में नवीनता आ जाने के कारण स्पष्टता आती जाती है।

(५) पाचवें 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो २७ छोटे छोटे घनों से मिल कर बनता है। इनमें से तीन घन फिर आधे आधे हिस्सों में, और तीन घन चौथाई हिस्सों में कटे होते हैं। इतना सामान हा जाने पर बालक भिन्न भिन्न रचनाएँ बनाता है, और 'आकृति' तथा 'संख्या' के ज्ञान में बहुत जल्दी उन्नति करता है। यह तीसरे 'उपहार' से लगभग मिलता है।

(६) छठे 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो १८ बड़े और ६ छठे 'निपम अनुर्णुजो' (Oblongs) से मिलकर बनता है। इससे आकृतियों की विविधता का उसे ज्ञान हो जाता है।

७) सातवें उपहार में 'वर्ग' तथा 'त्रिभुज' दिये जाते हैं जिनसे वह 'आकृति' को भिन्न भिन्न शक्तों बनाना सीख जाता है। क्रोयल जानता था कि छोटे बच्चे 'खेल' (Play) को, और बड़े बालक 'काम' (Work) को पसन्द करते हैं। इसलिये बच्चों के खेलों के अतिरिक्त उसने बड़े बालकों के लिए कागज काटना,

धागे में मत्तके पिरोना, चटाई बुनना, टोकरी बनाना, मिट्टी से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाना तथा खेतों करने को भी 'उपहारों' में सम्मिलित किया है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों से काम कराये, और काम कराते हुए जैसा काम हो उसके सम्बन्ध में कोई गाना गाये, गाने के भाव को प्रकट करने वाली क्रियाएं करता जाय, क्रियाओं को भी भाव-भङ्गी से जानदार बनाता जाय।

यद्यपि आज फोवेल के 'उपहारों' का प्रयोग नहीं किया जाता, तो भी फोवेल ने शिक्षा के क्षेत्र में सदा के लिए स्थान बना लिया है। जगह-जगह किंडर गार्टन स्कूल खुले हुए हैं। आज जो हाथ से काम करने पर, खेल द्वारा जिल्दसाजी, चमड़े, क्राफ्ट, मिट्टी के काम सिखाने पर, खेल द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है, स्कूल में बालकों से वहींचे लगवाये जाते हैं—यह सब फोवेल की ही विचार धारा का फल है। फोवेल प्रकृति को परमात्मा का ही एक रूप समझता था, और प्रकृति-पाठ को परमात्मा तक पहुँचाने का साधन मानता था। इसीलिए उसने 'प्रकृति पाठ' (Nature study) पर बल दिया, और उसी बल देने का परिणाम है कि आज हमारी पाठ-विधि में 'प्रकृति-पाठ' एक मुख्य विषय बन गया है।

मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धति (MONTESSORI METHOD)

मेरिया मॉन्टीसरी (१८७०-१९५२) इटली की रहने वाली थीं। उन्होंने 'हीन-बुद्धि' (Feeble-minded) बालकों की शिक्षा को हाथ में लिया और अपनी पद्धति के अनुसार शिक्षा दी। उन्होंने देखा कि जो बालक 'हीन-बुद्धि' कहे जाते थे, 'मॉन्टीसरी प्रणाली' के अनुसार शिक्षा पाने पर वे 'अच्छे-भले' (Normal) लड़कों के समान काम करते थे। उनके हृदय में प्रश्न हुआ कि 'अच्छे-भले' बालकों के साथ उनकी प्रणाली का प्रयोग किया जाय तब तो शायद वे और भी ज्यादा काम करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी पद्धति का 'अच्छे भले' बालकों पर प्रयोग शुरू किया और देखा कि इसका बालक को शिक्षा देने में चमत्कार-पूर्ण प्रभाव था।

१—मॉन्टीसरी के शिक्षा-सिद्धान्त

मॉन्टीसरी ने फ़ोवेल की 'क्रीड़ा तथा क्रिया' (Play and Activity) को आधार बना कर चलने वाली किंडर गार्टन-पद्धति को ही परिमार्जित कर उसे नवीन रूप दिया। 'मॉन्टीसरी-पद्धति' के शिक्षा-सिद्धान्त निम्न हैं :—

(१) शिक्षा, 'विकास' (Development) का नाम है। बालक के जन्म-काल से ही उसके भीतर अपने पूर्ण विकास का सामर्थ्य रहता है, ठीक इस तरह जैसे मृत्त के रूप में विकसित

होने का सामर्थ्य बीज में रहता है। बीज अपनी 'आभ्यन्तर गति' से बढ़ता है, बालक भी उसी 'आभ्यन्तर-गति' से विकसित होता है। माली का काम पौधे को पकड़ कर बढ़ाना नहीं, शिक्षक का काम भी बालक को जबरदस्ती ठोकर-पीट कर पंडित बनाना नहीं। उसका अन्दर से विकास हो रहा होता है, और शिक्षक उस विकास में सहायक मात्र है।

(२) विकास 'स्वतंत्रता' (Freedom) पर आधित है क्योंकि बालक के विकास का बीज उसके भीतर मौजूद है, इस लिए उसके विकसित होने के लिए उसे पूर्ण 'स्वतंत्रता' मिलनी चाहिए, नियन्त्रण का योक डाल कर उसके स्वतंत्र विकास को रोकना नहीं चाहिए। परन्तु स्वतंत्रता किस प्रकार की दी जाय इसे भी मॉन्टीसरी ने स्पष्ट किया है। बालक में जो मूलभूत 'प्राकृतिक-शक्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ' (Instincts and Tendencies) हैं उनके अनुसार उसे स्वतंत्रता-पूर्वक चलने देना, और उन प्रवृत्तियों को दबाने के स्थान पर उन्हें शिक्षा का आधार बनाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। पाठशाला में बालक को घर की-सी स्वतंत्रता मिलना चाहिए तभी उसका विकास उस दिशा की तरफ होगा जिसकी तरफ चलने के लिए उसका जन्म हुआ है।

(३) बालक के 'व्यक्तित्व' (Individuality) का ध्यान रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगर बालक का स्वतंत्र विकास होने दिया जाय तो प्रत्येक बालक का अपने पृथक्-पृथक् 'व्यक्तित्व' के अनुसार पृथक्-पृथक् विकास होता है। आज समूह में शिक्षा देकर उसके 'व्यक्तित्व' को कुचल दिया जाता है। जिस समय पाठशाला में सब बालकों को एक लकड़ी से हाँका जा रहा था उस समय मॉन्टीसरी ने बालक के 'व्यक्तित्व' को आयाज उठाकर एक नवीन दिशा की तरफ मंकेन किया।

(४) मॉन्टीसरी ने 'आत्म शिक्षण' (Auto-education, Self-education) पर बल दिया। शिक्षक बालक के विकास में इतना अधिक हस्तक्षेप करता है कि बालक के लिए आत्म विनाम असम्भव सा हो जाता है। इस पद्धति में शिक्षक को स्थान नहीं है, बालक अपने-आप शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक तो उसके सामने सिर्फ उपकरण रख देता है। मॉन्टीसरी ने इन 'शिक्षा-उपकरण' (Didactic apparatus) का निर्माण इस ढंग से किया है कि उनका प्रयोग एक ही प्रकार से ही सकता है, दूसरी प्रकार से नहीं। एक लकड़ी में तीन छेद हैं। प्रत्येक छेद में एक ही परिमाण की खूटी आ सकती है। अगर वह बड़े छेद में पतली खूटी डाल देता है, तो अन्त में छोटे छेद के लिए मोटी लकड़ी बच रहती है जो उसमें नहीं आ सकती—भट बड़ अपनी गलती समझ कर उसे सुधार लेता है। इन उपकरणों की सहायता से बालक स्वयं अरना गुरु बन जाता है।

(५) 'कर्मोन्द्रियो की शिक्षा' (Muscular training) पर भी मॉन्टीसरी बहुत बल देती है। बालक के अंगों की भिन्न-भिन्न मांस-पेशियों को जब तक साधा न जाय तब तक उसे सड़कियों में कठिनाई प्रतीत होती है, इनके साधने से लिपटना, चलना, दौड़ना आसान हो जाता है, और वह छोटी ही आयु में सड़कियों से उछल जाता है।

(६) 'ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा' (Sense training) भा ज्ञान के लिए आवश्यक है। ज्ञानेन्द्रियों ही तो हमें ज्ञान पहुँचाने के मार्ग हैं, ये कमजोर हुईं तो ज्ञान में अस्पष्टता रहती है। मॉन्टीसरी का कथन है कि ७ वर्ष की आयु में बालक को ज्ञानेन्द्रियों बहुत क्रिया-शील रहती हैं और इसी समय वह बहुत सा ज्ञान बटोर लेता है। इन्द्रियों का साधने के लिए उससे ऐसे अभ्यास

'नेत्रेन्द्रिय' को साधने के लिए एक ही आकार प्रकार की भिन्न-भिन्न रंगों की टिकियां बनायी जाती हैं, जो और सब बातों में एक-सी. सिर्फ रंग में भिन्न भिन्न होते हैं। एक रंग की टिका उसे दे दी जाती है, और वैसी ही दूसरी निकालने को कहा जाता है। इस प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों को साधा जाता है।

मॉन्टीसरी का कथन है कि इस प्रकार इन्द्रियों को साधने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि प्रत्येक इन्द्रिय को ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हो जाता है। हमारे ज्ञान में अपूर्णता इसलिए रहती है क्योंकि हम इन्द्रियों से अधिकतर ज्ञान प्राप्त करने के आदी हैं। दूसरा लाभ यह है कि इन्द्रियों को व्यपने से सिर्फ इन्द्रियाँ ही नहीं सधतीं, मनुष्य की सम्पूर्ण बुद्धि च विकसित होता है; एक इन्द्रिय को सधाई हुई 'शक्ति' (Faculty) सब इन्द्रियों को, बुद्धि मात्र को 'शक्तिदान' करती है। यह एक तरह का बौद्धिक व्यायाम है।

भाषा की शिक्षा—

भाषा की शिक्षा में 'लिखना' तथा 'पढ़ना'—ये दो चीजें आती हैं। मॉन्टीसरी का कथन है कि 'लिखना' पहले सिद्धान्त चहिए। लिखने में दो बातें हैं, कलम पेंसिल आदि लिखने के साधन को पकड़ कर उसे ठीक-ठीक चलाना सीखना, और अक्षर लिखना। कर्मेन्द्रियों की शिक्षा में बालक की मांस-पेशियों को ठीक गति करने का अभ्यास तो पहले ही करवा जा चुका होता है, अब उसके हाथ में पेंसिल देकर ज्यामिति के उपकरणों के बीच के भाग में पेंसिल फेरने को कहा जाता है। क्योंकि उपकरणों के बीच में निश्चित स्थान होता है इसलिए बालक उतनी ही पेंसिल फेरता है जितना पेंसिल फेरने के लिए स्थान है, यों ही इधर उधर उसे नहीं चलाना।

छोटे उद्यान। इन घरों में बालक की कर्मेंद्रियों को साधने की सब शिक्षा दी जाती है। चलने फिरने जैसी छोटी छोटी बातों से लेकर, अपने से सम्बन्ध रखने वाली, तथा दूसरों से सम्बन्ध रखने वाली सभी क्रियाएँ सिखा दी जाती हैं। कपड़ा पहनना, उतारना, अपनी हरेक चीज को प्रेम से, सभालकर रखना, स्थाना परोसना आदि सब काम वधे अपने आप सीख जाते हैं, और तीन वर्ष की आयु में इस चतुराई से करने लगते हैं जो बड़े भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मॉन्टीसरी स्कूल के अढ़ाई वर्ष के बालक भी चाय परोसते हुए भरे हुए प्याले की चाय न गिरने देते हैं, न प्याला तोड़ते हैं।

ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा—

‘ज्ञानेन्द्रियों’ की शिक्षा के लिये मॉन्टीसरी ने ‘शिक्षोपकरण’ (Didactic apparatus) बनाये हैं जिनका निर्माण इस ढंग से हुआ है कि एक उपकरण से एक ही प्रकार का काम हो सके, दूसरा न हो सके। इसका परिणाम यह होता है कि बालक को कहने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा न करो, ऐसा करो। उपकरण स्वयं उसे यह देता है, ऐसा करो। ये ‘उपकरण’ प्रोजेक्ट के ‘उपकरणों’ के परिष्कृत रूप के हैं।

‘स्पर्शेन्द्रिय’ को साधने के लिए एक डिब्बे में ऊनी, रेशमी, मधुमली, लहर के दो-दो रुमाल रख दिये जाते हैं। सब का रंग-रूप आकार प्रकार एक सा रहता है, इससे बालक का ध्यान स्पर्श की तरफ ही जाता है, दूसरी तरफ नहीं। उसे एक रुमाल निकाल कर दे दिया जाता है और वैसा ही दूसरा रुमाल निकालने को कहा जाता है। यह स्पर्श से वैसा ही रुमाल निकालता है, इससे स्पर्श-शक्ति सध जाती है।

'नेत्रेंद्रिय' को साधने के लिए एक ही आकार प्रकार की भिन्न-भिन्न रंगों की टिकियां बनायी जाती हैं, जो और सब बातों में एक-सी, तिकै रंग में भिन्न भिन्न होती हैं। एक रंग की टिकी उसे दे दी जाती है, और वैसी ही दूसरी निकालने को कहा जाता है। इस प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों को साधा जाता है।

मॉन्टीसरी का कथन है कि इस प्रकार इन्द्रियों को साधने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि प्रत्येक इन्द्रिय को ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हो जाता है। हमारे ज्ञान में अपूर्णता इसलिए रहती है क्योंकि हम इन्द्रियों से अधिकतर ज्ञान प्राप्त करने के आदी हैं। दूसरा लाभ यह है कि इन्द्रियों को साधने से सिर्फ इन्द्रियाँ ही नहीं सधती, मनुष्य की सम्पूर्ण बुद्धि का विकास होता है; एक इन्द्रिय की सधा हुई 'शक्ति' (Faculty) सब इन्द्रियों को, बुद्धि मात्र को 'शक्तिदान' करती है। यह एक तरह का बौद्धिक व्यायाम है।

भाषा की शिक्षा—

भाषा की शिक्षा में 'लिखना' तथा 'पढ़ना'—ये दो चीजें आती हैं। मॉन्टीसरी का कथन है कि 'लिखना' पहले सिखाना चाहिए। लिखने में दो बातें हैं, कलम पेंसिल आदि लिखने के साधन को पकड़ कर उसे ठीक-ठीक चलाना सीखना, और अक्षर लिखना। कर्मेन्द्रियों की शिक्षा में बालक की मांस-पेशियों को ठीक गति करने का अभ्यास तो पहले ही कराया जा चुका होता है, अब उसके हाथ में पेंसिल देकर ज्यामिति के उपकरणों के बीच के भाग में पेंसिल फेरने को कहा जाता है। क्योंकि उपकरणों के बीच में निरिक्त स्थान होता है इसलिए बालक उतनी ही पेंसिल फेरता है जितना पेंसिल फेरने के लिए स्थान है, यों ही इधर उधर उसे नहीं चलाता।

जब पेंसल फेरते-फेरते उसकी मांस-पेशियाँ सध जाती हैं, और यह पेंसल पकड़ना सीख जाता है, तब उसे अक्षर लिखना सिखाया जाता है। शिक्षिका उसके सामने गत्ते का बना अक्षर रख कर उस पर उगली फेरने को कहती है। यह उंगली फेरता जाता है, और उसी समय यह उस अक्षर को योलती जाती है। अक्षर को लिखना सीखने में हाथ काम कर रहा होता है, आँख काम कर रही होती है, कान भी काम कर रहा होता है। इन तीनों इन्द्रियों के इकट्ठा काम करने का परिणाम यह होता है कि लिखना तो यह सीख ही रहा होता है, पढ़ना भी यह उसी समय सीख जाता है। एक तरह से बिना सिखाये पढ़ना सीखा जाता है। मॉन्टेसरी का कथन है कि यह एक आश्चर्य की बात है कि उसकी पद्धति के अनुसार बालक 'लिखना' सीख रहा होता है, 'पढ़ना' नहीं, परन्तु लिखना सीखते-सीखते वह एकदम पढ़ना-म्यय भी सीख जाता है।

मॉन्टेसरी पद्धति के आलोचकों का कथन है कि 'शिक्षोपकरण' (Didactic apparatus) इतने महंगे हैं कि उन्हें हर स्कूल नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त मॉन्टेसरी का 'बौद्धिक-व्यायाम' का विचार 'शक्ति मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का विचार है जिसे आज का मनोविज्ञान स्वीकार नहीं करता। इस सम्बन्ध में हमारे 'शिक्षा मनोविज्ञान' का पृ. २६ २७ पढ़ें। अन्यथा यह पद्धति बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।

३—किंडर-गार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति की तुलना

समानता

किंडर-गार्टन-पद्धति

मॉन्टेसरी-पद्धति

१—तीन से सात वर्ष के बालकों १—तीन से सात वर्ष के बालकों

- | | |
|---|---|
| की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। | की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। |
| २—बालक के आन्तरिक विकास के लिए 'उपहार' (Gifts) का प्रयोग होता है। | २—बालक के आन्तरिक विकास के लिए 'शिक्षोपकरण' (Didactic apparatus) का प्रयोग होता है। |
| ३—इन्द्रियों की साधना (Sense training) पर बल दिया जाता है। | ३—इन्द्रियों की साधना पर बल दिया जाता है। |

भिन्नता

- | | |
|--|--|
| १—बालक को 'सामाजिक' वातावरण में, दूसरे बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। | १—बालक को 'वैयक्तिक' रूप में शिक्षा दी जाती है। |
| २—फोबेल के 'उपहारों' के बिना भी वैसे उपकरण बना कर शिक्षा दी जा सकती है और दी जाती है। | २—मॉन्टीसरी के 'शिक्षोपकरणों' के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती। |
| ३—'खेल' इस शिक्षा का आधार है। 'संगीत' (Song), 'गति' (Movement) तथा 'भाव-गति' (Gesture) द्वारा खेल अभिव्यक्त होता है। | ३—'खेल' पर विशेष बल नहीं दिया जाता। 'शिक्षोपकरण' ही ऐसे बनाये गये हैं जिनमें बालक लगा रहता है, और वे ही उसकी शक्तों को उसे बता देते हैं। |

योजना-पद्धति

(PROJECT METHOD)

हम पहले एक अध्याय में 'कार्य सिद्धिवाद' (Pragmatism) का उल्लेख कर आये हैं। जीवन में सत्य क्या है यह निश्चित रूप से कौन कह सकता है? हाँ, जो बात उपयोगी सिद्ध हो, काम दे, वह सत्य अवश्य है, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, मतलब निरुलता है, क्रिया सिद्ध होती है। इस 'वाद' के मुख्य समर्थक अमरीका के जॉन ड्यूई (१८५९) हैं। उनके अनुयायी किल्पेट्रिच (Kilpatrick) ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य सिद्धि-वाद को घटाकर 'योजना-पद्धति' (Project method) को जन्म दिया है।

१— योजना-पद्धति का मनोवैज्ञानिक आधार

इस पद्धति का समर्थन करने वालों का कथन है कि प्रचलित शिक्षा का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती। स्कूल में गणित के बड़े बड़े प्रश्न हल करने पर भी हमारे बालक बतिये से सीढ़ा चरीदते हुए ठीक हिसाब नहीं लगा सकते, दार्शनिक तत्त्व-विवेचना करने पर भी पोस्ट आक्स से पार्सल भेजना नहीं जानते। शिक्षा व्यावहारिक होती चली जा रही है, उसका जीवन से कोई सम्बन्ध दिखाई

नहीं देता। इस समस्या को हल करने के लिये उन्होंने 'योजना-पद्धति' (Project method) का आविष्कार किया है। उनका कथन है कि हम दो प्रकार में काम करते हैं, या तो पहले से 'योजना' बनाकर, या बिना किसी योजना के। जो काम हम पहले से 'योजना' बनाये बिना करते हैं, वे ठीक से नहीं हो पाते, जिनके लिये हम योजना बना लेते हैं, वे ठीक से हो जाते हैं। 'योजना' वाले काम भी दो तरह के हैं। एक तो वे जिनमें 'योजना' का हमारे अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने से सम्बन्ध नहीं होता, दूसरे वे जिनका जीवन की वास्तविक समस्या को हल करने के साथ सम्बन्ध होता है। पाठशाला में लड़कियों को कातना सिखाया जाता है। वे सीख तो जाती हैं, परन्तु आधी से ज्यादा रुई खराब कर देती हैं, धागे जगह-जगह से तोड़ देती हैं। अब अगर उन्हें कह दिया जाय कि जो रुई वे कातेगी उसकी उन्हें अपने लिये साड़ी बनवा दी जायगी, तो उतने ही समय में वे पहले से चौगुनी रुई कात लेंगी, एक-एक धागा सभाल कर रखेंगी, और बहुत जल्दी सीख जायेंगी। कारण यह है कि पहली 'योजना' का जीवन की किसी समस्या के साथ सम्बन्ध नहीं था, दूसरी 'योजना' का जीवन की वास्तविक समस्या के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया। जब कोई 'योजना' (Project) जीवन की वास्तविक समस्या के साथ जुड़ जाती है, तब वह हम में एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न कर देती है, और हम उस 'योजना' को पूरा करके ही दम लेते हैं। इस के निम्न मनोवैज्ञानिक कारण हैं :—

- १—'योजना' में 'प्रयोजन' (Purpose) रहता है।
- २—'आप-से-आप-पता' (Spontaneity) रहता है।
- ३—काम में 'सार्थकता' (Significance) दी जाती है।
- ४—काम में 'रुचि' (Interest) उत्पन्न हो जाती है।

‘प्रयोजन’ (Purpose, Motive)—

किसी काम को करते समय अगर मन में ‘प्रयोजन’ उत्पन्न हो जाय तो मनुष्य उसे हल करने में जी जान से जुट जाता है, यह मनोवैज्ञानिक नियम है। ‘प्रयोजन’ का उत्पन्न करने का अर्थ है जीवन की किसी ‘समस्या’ (Problem) का उत्पन्न कर देना। यह स्मरण रखना चाहिये कि जो समस्या जीवन की वास्तविक समस्या होगी, काल्पनिक नहीं होगी, वही व्यक्ति को सिर से पैर तक हिलाकर काम में भूत की तरह लगा देगी। मैग्डूगल का कथन है कि जब मन में कोई वास्तविक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य उसका कोई न कोई हल ढूँढा ही करता है। वह समस्या जीवन में एक विपमता उत्पन्न कर देती है। चलते फिरते, सोते-जागते हम अपनी परिस्थिति से अपने को कटा हुआ सा अनुभव करते हैं। हमारे और हमारी परिस्थिति के बीच यह सदा ‘अटकाव’ के रूप में बनी रहती है। मनुष्य इस ‘विपमता’, इस ‘अटकाव’ को दूर करके ही शान्त हो सकता है। ‘योजना’ (Project) में ‘प्रयोजन’ (Purpose, Motive) का उत्पन्न हो जाना एक ‘विपमता’ का, एक ‘प्रश्न’ का, एक ‘समस्या’ का उत्पन्न हो जाना है, और मनुष्य का यह स्वभाव है कि ऐसी परिस्थिति में समस्या को हल करने के लिए उसमें अभूत-पूर्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ‘योजना-पद्धति’ (Project method) में इसी कारण बालक के सम्मुख एक ऐसा ‘प्रयोजन’ (Purpose) रखा जाता है जिसका जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, फिर वह उसे अपनी ‘समस्या’ समझता है, और उसके हल करने में दिन रात एक कर देता है।

‘आप-से धारणा’ (Spontaneity)—

जब कोई समस्या वास्तविक समस्या होती है तब उसके

हल करने में किसी बाहर को प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती, तब मनुष्य अपने-आप उसमें जुटा रहता है। स्कूलों में लड़कियों से बिनाई सिखाने के लिये स्वेटर बिनवाये जाते हैं, वे उसमें बीस हील हुज्जत करती हैं, परन्तु अपने घरपालों के स्वेटर चोरी-चोरी स्कूल के घण्टों में ही बिनती रहती हैं। यह ही काम है, परन्तु जब तक यह स्कूल की तरफ से कराया जाता है, वे नहीं करती, जब अपना समझ कर करती हैं, तब मना करने पर भी नहीं मानती। 'योजना-पद्धति' (Project method) में भी बालक अपनी 'योजना' (Project) अपने आप बनाते हैं, उसे स्वयं चुनते हैं, इसलिये भी वे उस में लगे रहते हैं।

'सार्थकता' (Significance) तथा 'रुचि' (Interest) —

जब हम अपनी चुनी हुई 'समस्या' को हल करने में लगे होते हैं तब हमें अपना काम 'सार्थक' दिखाई देता है। आज हमारे बालक जो कुछ पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं पड़ता कि वे उस विषय को क्यों पढ़ते हैं? उन्हें पढ़ाया जाता है इसलिये वे पढ़ते हैं। जब बालक को मालूम हो कि वह किसी काम को क्यों कर रहा है, तब उसकी सम्पूर्ण शक्ति उस काम को करने में केन्द्रित हो जाती है, और काम करने में 'रुचि' भी उत्पन्न होती है। गहरी दृष्टि से विचार किया जाय तो 'प्रयोजन' का उत्पन्न होना ही अपने-आप 'सार्थकता' तथा 'रुचि' को उत्पन्न कर देता है।

२—'योजना' बनाने के आवश्यक अंग

'योजना-पद्धति' में पांच बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

क—बालकों के सम्बन्ध में मित्र-मित्र परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जिनमें से वह अनेक योजनाएँ बना सकें।

ख—इन अनेक योजनाओं में से किसी एक को चुनना।

ग—चुनने के बाद उसे पूर्ण करने का कार्य-क्रम बनाना ।

घ—फिर पूर्ण करने में लग जाना ।

ङ—पूर्ण करने के बाद यह निर्णय करना कि 'योजना' ठीक तौर पर पूरी हुई है या नहीं ।

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों उत्पन्न करना—

हम बालकों को नुमाइश में घूमने ले गये, वे लौटकर कहने लगे, हम तो स्कूल में नुमाइश करेंगे । महाराणा प्रताप का जीवन-चरित्र सुनते सुनते बालकों के हृदय में भावना उठी, हम तो प्रताप का नाटक खेलेंगे । भिन्न भिन्न परिस्थितियों से ये भिन्न भिन्न 'योजनाएं' (Projects) बालकों के मन में अपने-आप उठीं । शिक्षक का काम बालकों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देना है जिनसे उन्हें 'योजनाएं' स्वयं सूझें ।

भिन्न-भिन्न योजनाओं में से किसी एक को चुनना—

इन योजनाओं में से किसी एक को चुनने का काम बालकों का है । प्रायः अध्यापक योजना चुनने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं । यह 'योजना पद्धति' के नियमों के विरुद्ध है । बालक जितना यह अनुभव करेंगे कि 'योजना' उनकी अपनी चुनी हुई है उतना ही उसे पूरा करने में वे तन्मय हो जायेंगे । बालकों को ही अपनी योजना चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । अध्यापक को यह देर लेना चाहिए कि जिस 'योजना' को बालक चुने उसका उनके जीवन से कोई वास्तविक सम्बन्ध हो, नहीं तो उस 'योजना' को वे बीच में ही अधूरा छोड़ देंगे ।

'योजना' को पूर्ण करने का कार्य-क्रम बनाना—

'योजना' बन जाने के बाद उसे क्रियान्वित करने का कार्य-क्रम बनाना होता है । अध्यापक के लिए यह देर लेना आवश्यक है कि प्रत्येक बालक को कोई-न-कोई काम मिले, ऐसा न हो कि

कई बालक तो सब-कुछ करते जाँय, कई ज़ाली तारुते ही रहें। प्रत्येक बालक को जो कार्य करना हो वह उसे लिता देना चाहिए।

'योजना' को पूर्ण करने में लग जाना -

प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना चाहिये। कभी-कभी शिक्षक समय बचाने के लिये अधिक काम बालक के स्थान में स्वयं करने लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिये। 'योजना पद्धति' में बालक 'क्रिया द्वारा सीखने' (Learning by doing) के सिद्धान्त से सीख रहा होता है। अगर शिक्षक ही सब-कुछ करने लगे तो बालक क्या सीखेगा? 'योजना' को पूर्ण करने में ही सब से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता देख कर शिक्षक को उतावला नहीं होना चाहिए। 'योजना' को पूर्ण करने में बालक जितनी देर तक लगे रहेंगे उतना ही कुछ-कुछ सीखते रहेंगे।

'योजना' का निर्णय—

'योजना' पूर्ण होने के बाद सब बालकों को उस पर अपनी सम्मति प्रकट करनी चाहिए—अपना 'निर्णय' देना चाहिए, 'योजना' जैसी चाहिए घी वैसी बनी, या नहीं बनी, क्या दोष रह गये, 'योजना' को पूर्ण करते-करते उन्होंने और क्या कुछ सीख लिया।

इस सम्बन्ध में यह लिख देना आवश्यक है कि किसी भी 'योजना' को पूर्ण करते-करते बालक एरु नहीं, अनेक बातें सीख जाते हैं। हम पहले 'सानुबन्ध शिक्षा' (Correlation of Studies) पर लिख आये हैं। 'योजना-पद्धति' में 'सानुबन्ध शिक्षा' का सिद्धान्त बहुत अधिक स्पष्ट होता है। बाजार लगाने की 'योजना' का पूरा करने में बालक खरोदने-बेचने का हिमाय रखने

से गणित, उस सबका वर्णन लिखने से निबन्ध-लेखन, एवं बाजार से सम्बन्ध रखने वाली अनेक बातें सीख जाते हैं।

३—'योजना-पद्धति' का उदाहरण

श्रीयुत स्टोन ने पोस्ट आफिस से पासल भेजने की एक योजना का उल्लेख किया है, जिसमें समझ आ जायगा कि इस पद्धति द्वारा किस प्रकार बालक सीखते हैं। बहुत बाद विचार के बाद बालकों ने तय किया कि किसी अनायालय के बालकों को भेट के रूप में कुछ पार्सल भेजेंगे। हाथ से काम सिलाने के घटे में उन्होंने फाराज मोड़ना, पार्सल पर ठीक से लपेटना, तागे से बाँधना आदि सीखा। सब लोग ठीक से पार्सल भी तो नहीं बांध सकते। भाषा सीखने के अन्तर में उन्होंने पत्र लिखना सीखा। गणित के अन्तर में पार्सल को तोलना, कितने वजन पर कितना टिकट लगता है, विदेश भेजने में कितना व्यय होता है, सचारी गाड़ी, माल गाड़ी या हवाई जहाज से भेजने में क्या भेद है, कितने पैसे लगेंगे, कितने बच रहेंगे—यह सब कुछ सीखा। जहाँ-जहाँ पार्सल भेजना है, वह शहर किस जिले में है, यह भूगोल के अन्तर में सीखा। अनायालय के बच्चों को किसी ने मिट्टी में रिलीने बना कर, किसी ने स्टेटर बना कर भेजे, किसी ने टिकटे इकट्ठी करके भेजी। इन चीजों को बनाना, इकट्ठा करना वे अपने-अपने अन्तर में सीख गये। अनायालय के बालकों को उन्होंने पत्र लिखे, उनमें उत्तर माँगा। लिखने के अन्तर में उन्होंने पत्र लिखना सीख लिया।

इस पद्धति ने शिक्षा को जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ कर व्यावहारिक बना दिया है, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका आपस में सम्बन्ध भी बांध दिया है, परन्तु इसके सनाबोच में

कथन है कि इस प्रकार सिखाने से शिक्षा में कोई कम नहीं रहता, जो 'योजना' बनती है उसमें वे ही बातें सिखायी जा सकती हैं जो उसमें काम आती हैं, दूसरी नहीं। ऐसी अनेक बातें हैं जो शिक्षा का अंग हैं, परन्तु 'योजना' में नहीं आती। इस पद्धति के समर्थक इसका यही उत्तर देते हैं कि ऐसे विषयों की अलग-से शिक्षा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं।

'योजना-पद्धति' छोटे बालकों के लिए प्रयोग में लायी जाती है, बड़े बालकों के लिए इसी पद्धति के आधार-भूत नियमों को लेकर 'डाल्टन-पद्धति' का निर्माण हुआ है। अगले अध्याय में हम 'डाल्टन-पद्धति' की चर्चा करेंगे।

१७

डाल्टन-पद्धति

(DALTON PLAN)

अमेरिका के डाल्टन नगर में मिम् हेलेन पार्फहार्स्ट ने १६१३ में इस पद्धति को जन्म दिया। 'समूह शिक्षा' (Class teaching) में जिन दोषों का हम पहले वर्णन कर आये हैं उन्हें दूर करने के लिए 'समूह शिक्षा' के प्रति विद्रोह के रूप में, 'व्यक्ति-गत' (Individual) शिक्षा देने के लिए इस पद्धति का निर्माण हुआ। 'डाल्टन-पद्धति' के आधार भूत सिद्धान्त निम्न हैं :-

(१) बालक को कक्षा के बन्धन से मुक्त कर दिया जाय। जिस चीज में उसकी रुचि हो उसे पढ़े, जब चाहे पढ़े, जितना चाहे पढ़े, उसके लिए कक्षा का बन्धन नहीं, विषय का बन्धन नहीं, समय विभाग का बन्धन नहीं। इससे जिम्मेदारी अध्यापक पर न रह कर विद्यार्थी पर आ पड़ती है। मनुष्य का स्वभाव है कि 'स्वतंत्रता' न मिलने पर वह 'उच्छ्रद्धाल' हो जाता है, 'स्वतंत्रता' मिलने पर अपने को बचन में बाधने लगता है। इसलिये डाल्टन स्कूलों में नियन्त्रण का प्रश्न नहीं होता।

(२) कक्षा के बन्धन से मुक्त होकर बालक के 'व्यक्ति व' का विकास होता है, परन्तु 'व्यक्तित्व' के विकास के साथ साथ उसका अन्य सब कुछ साथ मिलकर, उनके सहयोग से काम करना भी सीखना है, इसलिये आधे समय उन्हें इस्ला राम करने को कहा

जाता है, बाकी आधे समय में वे मिलकर काम करते हैं। 'समूह-शिक्षा' में 'प्रतिस्पर्धा' (Competition) से बालक काम करता है, 'व्यक्ति-गत शिक्षा प्रणाली' के आधार पर बनी 'डाल्टन-पद्धति' में यह दूसरों के 'सहयोग' (Co operation) से काम करना सीखता है।

(३) 'डाल्टन-पद्धति' में बालक के सम्मुख 'लक्ष्य' बिल्कुल स्पष्ट करके रख दिया जाता है। जैसे 'योजना-पद्धति' में 'समस्या' को सामने रखकर उसे समझा दिया जाता है, इसी प्रकार 'डाल्टन-पद्धति' में 'समस्या' समझाकर, स्पष्ट करके बालक के सम्मुख रख दी जाती है। 'समस्या', 'प्रश्न', 'लक्ष्य' को सामने देखकर बालक उसे हल करने में जुट जाता है, यह मनोवैज्ञानिक नियम है।

डाल्टन-प्रणाली

'डाल्टन प्रणाली' से किस प्रकार कार्य होता है, इस बात को समझने के लिये निम्न शब्दों को समझ लेना आवश्यक है :—

- १—पाठ का टुकड़ा (Contract)
- २—निर्दिष्ट-पाठ (Assignment)
- ३—इकाई (Unit)
- ४—प्रयोग-शालाएँ (Laboratories)
- ५—गति-सूचक रेखा-चित्र (Graph)
- ६—सम्मेलन (Conference)
- ७—विमर्श-सभा (Assembly)

पाठ का टुकड़ा—

प्रत्येक बालक को वर्ष भर में एक निश्चित पाठ तय्यार करना होता है। इस पाठ को एक एक मास के दिवाय से १२ हिस्सों में बाँट दिया जाता है। एक मास में जितना पाठ तय्यार करना होता

है, उतने का विद्यार्थी को 'ठेका' करना होता है, और लिख कर देना होता है कि वह महीने भर में अपनी सुविधा के अनुसार अपने 'ठेके' को पूरा कर देगा।

निर्दिष्ट पाठ—

प्रत्येक मास में ठेके का जो पाठ होता है उसे कुछ भागों में बाँट दिया जाता है। शिक्षक लिखकर देता है कि इस मास में अमुक अमुक पुस्तक को पढ़ना है, अमुक अमुक चित्र देखने हैं। ठेके के इन निर्देशों को 'निर्दिष्ट पाठ' (Assignment) कहा जाता है। महीने भर के काम को 'ठेका' और प्रत्येक सप्ताह के कार्य को 'निर्दिष्ट-पाठ' कहते हैं। ठेके में चार सप्ताह होने के कारण 'निर्दिष्ट पाठ' (Assignment) भी चार ही होते हैं। महीने भर का निर्दिष्ट पाठ लिखकर बालक को देना शिक्षक का काम है।

इक ६—

प्रत्येक निर्दिष्ट पाठ (Assignment) को 'भाग' (Part) कहा जाता है। महीने में चार निर्दिष्ट पाठ रहते हैं अतः चार ही 'भाग' रहते हैं। प्रत्येक भाग (Assignment or Part) को पाँच उप-भाग (Minor part) किये जाते हैं, और एक एक उप-भाग को 'इकाई' (Unit) कहा जाता है। महीने भर के ठेके (Contract) में ४ निर्दिष्ट पाठ (Assignment), और एक एक निर्दिष्ट पाठ में ५ इकाइयों (Units) रहती हैं, इस प्रकार सारे ठेके में, ४ गुणा ५, अर्थात् २० इकाइयाँ होती हैं।

प्रयोगशाखा—

डाल्टन विधि में कक्षा के कमरे नहीं होते। इसके स्थान में प्रयोगशालाएँ होती हैं। गणित, इतिहास, भूगोल आदि की 'प्रयोगशालाएँ' कक्षाएँ हैं जिनमें पर प्रकार ही महात्तरक मायदा

उपस्थित रहती है। किसी विषय का कोई अन्तर निश्चित नहीं होता। बालक अपनी रुचि और सुविधानुसार जिस 'प्रयोग-शाला' में जब चाहे जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रत्येक कक्षा का अलग-अलग स्थान रहता है, वहाँ उसी कक्षा के लिए सदापरक सामग्री मौजूद रहती है। वहाँ पर उस विषय का एक विशेषज्ञ विद्वान् उपस्थित रहता है। बालक को जो कठिनाई हो वह उससे पूछ सकता है।

प्रगति-मूलक रेखा चित्र—

विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है, इसे जानने के लिए तीन प्रकार के रेखा-चित्र प्रयोग में लाए जाते हैं। एक रेखा-चित्र विद्यार्थी के अपने पास रहता है, जिसे उसे पता चलता रहता है कि उसने २० में से पाठ की कितनी 'इकाइयाँ' (Units) कर लीं। दूसरा रेखा चित्र उस विषय के विशेषज्ञ के पास रहता है, जिसकी प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी ने काम किया। इनसे पता चलता है कि उस विषय में उसने कितनी इकाइयाँ कर लीं। तीसरा रेखा-चित्र कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की किस-किस विषय में कितनी-कितनी इकाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, यह दर्शाता है। महीने भर में २० इकाइयों को पूरा कर लेने पर 'ठेका' समाप्त होता है।

'सम्मेलन' तथा 'निर्णय-सभा'—

पाठशाला के समय को दो भागों में बाँटा जाता है। प्रातः-काल विद्यालय में आते ही शिक्षक तथा विद्यार्थियों का 'सम्मेलन' (Assembly) होता है। यह मिलना डाल्टन-पद्धति का आवश्यक अंग है। इस सम्मेलन में शिक्षक सन को जो-कुछ कहना हो, कह देता है। सायंकाल को सन बालक इतिहास, भूगोल अथवा किसी अन्य विषय की 'निर्णय-सभा' (Conference) में इकट्ठे

होते हैं और अपने-अपने अनुभव सुनाते हैं। 'सम्मेलन' में शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देता है, 'विमर्ष सभा' में बालक अपने-आप अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं।

योजना-पद्धति में सब विषयों का अनुबन्ध (Correlation) ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। डाल्टन-प्रणाली में एक-एक विषय के विशेषज्ञ के आधीन बालक काम करते हैं अतः इस प्रणाली में सानुबन्ध-शिक्षा (Correlation of studies) का सिद्धान्त काम में नहीं लाया जाता—यह इस प्रणाली का दोष है। प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशालाएँ बनाना भी सब स्कूलों के लिए सम्भव नहीं है, न प्रत्येक शिक्षक में इतनी योग्यता या लगन होती है कि वह 'निर्दिष्ट-पाठ' (Assignment) बनाने की मेहनत कर सके। अगर ये सब बातें सम्भव हों तो १२ से ऊपर की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए इसमें अच्छी कोई पद्धति हो नहीं सकती।

‘बुनियादी-तालीम’ या ‘वर्धा-योजना’

(BASIC EDUCATION AND ITS METHOD)

भारत का सब से बड़ा प्रश्न प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है। अंग्रेजों को सब भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपना काम चलाने के लिए इने-गिने उदे-लिने चाहिए थे, इसलिए अन्य उन्नत देशों के विपरीत वहाँ उच्च-शिक्षा देने वाले विश्व विद्यालयों का निर्माण पहले हुआ, प्राथमिक-शिक्षा की तरफ ध्यान पीछे गया। जब देश में हलचल हुई, जातीयता की भावना जागृत हुई, तब सब वर्गों की शिक्षा का प्रश्न उभर उठा। महात्मा गांधी (१८६९-१९४८) ने इस दिशा की तरफ विशेष ध्यान दिया और जब अंग्रेजों के रहते पहली बार कांग्रेस मन्त्री मण्डल बने तब मुख्यतया प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न को हल करने के लिए वर्धा योजना अथवा बुनियादी-तालीम के विचार को जन्म दिया। १९३७ में महात्मा गाँधी के सभापतित्व में वर्धा में एक शिक्षा-सम्मेलन हुआ जिसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुए :—

(१) इस सम्मेलन की सन्मति में देश भर में प्रत्येक बालक को ७ वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।

(३) यह सम्मेलन महात्मा गांधी के इस विचार की पुष्टि करता है कि प्राथमिक-शिक्षा के काल में किसी उत्पादक 'हस्त-कला' को केन्द्र बनाकर शिक्षा देनी चाहिए और अन्य जो भी शिक्षा दी जाय वह इस 'केन्द्रीय हस्त कला' (Central handi-craft) के साथ अनुबद्ध अथवा समन्वित (Correlate) करके दी जानो चादिये । केन्द्रीय हस्त कला चुनते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बालक की परिस्थिति के अनुकूल हो ।

(४) यह सम्मेलन आशा करता है कि इस पद्धति से शिक्षा देने पर अभ्यापकों के वेतन पर जो व्यय आयेगा वह विद्यार्थियों द्वारा बनाये हुए हस्त कला के सामान की बिक्री से पूरा हो जायगा ।

वर्धा सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर डॉ० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में 'जाकिर-हुसैन कमेटी' बनायी गई, जिसने इन प्रस्तावों पर महात्मा गांधी के सम्मुख १९३७ के अन्त-तथा १९३८ के बीच में दो रिपोर्टें पेश कीं । इन रिपोर्टों में जो विस्तृत पाठविधि बनाई गई, उसी का नाम वर्धा योजना अथवा युनियादी-तालीम है ।

युनियादी तालीम के मूल-सिद्धान्त

'वर्धा सम्मेलन' तथा 'जाकिर हुसैन कमेटी' की दोनों रिपोर्टों के आधार पर 'युनियादी तालीम' की जो योजना बनी, उसके अनुसार प्रथम तथा मुख्य स्थान 'केन्द्रीय हस्त-कला' को, द्वितीय इस योजना के 'स्वावलम्बी' होने को, तृतीय ७ वर्ष तक 'निःशुल्क तथा अनिवार्य' शिक्षा को, चतुर्थ 'मातृभाषा' द्वारा शिक्षा देने को प्राप्त है । अब हम इन चारों पर क्रमशः विचार करेंगे ।

'केन्द्रीय हस्त-कला' —

'युनियादी-तालीम' का सबसे मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी 'हस्त-कला' (Craft) को केन्द्र बनाकर शिक्षा दी जाय। कई लोग यह समझते हैं कि जिस स्कूल में मिट्टी, लकड़ी, चमड़े आदि का कोई काम मिलता जाय वहाँ युनियादी-तालीम चल रही है। यह भ्रम है। पढ़ाई के अन्य विषयों के साथ-साथ हस्त-कला को चलाना युनियादी-तालीम नहीं है। युनियादी-तालीम में तो 'हस्त कला' ही मुख्य विषय है। अगर दिन में साढ़े पाँच घण्टे शिक्षा दी जाय, तो उसमें तीन घण्टे बीस मिनट 'हस्त कला' की ही शिक्षा दी जायगी। युनियादी स्कूल में बालक जो चीजें बनायेंगे, वे सिक स्कूल के अन्दर घर में रखने की नहीं होंगी, वे उन पर इतनी मेहनत करेंगे कि बाजार में वे अन्य चीजों का मुकाबिला कर सकेंगी। बालक जब हस्त-कला सीखेंगे तब चार बातों पर विशेष ध्यान दिया जायगा :—

- १—यह उनकी परिस्थिति के अनुकूल हो।
- २—यह 'हस्त-कला' उत्पादक होनी चाहिये।
- ३—उससे बुद्धि का उत्पन्न होना मिले।
- ४—अन्य सब विषय उसने सम्बन्धित किने जाय।

परिस्थिति की अनुकूलता तथा उत्पादकता को दृष्टि में रखते हुए 'कृषि' (Agriculture), 'कटाई-पुनाई' (Spinning and Weaving) तथा 'लकड़ी का काम' (Wood work) को 'केन्द्रीय हस्त-कला' (Central handicraft) बनाया गया है। कृषि सिखाने का यह अभिप्राय नहीं कि माली से सीखा जाय, कटाई-पुनाई सीखने का यह अभिप्राय नहीं कि जुल्यहे से सीखा जाय, लकड़ी के काम सीखने का यह अभिप्राय नहीं कि बढ़ई से सीखा जाय। ये लोग अन्य चलाना सिखा सकते हैं, हस्त-कला

द्वारा बुद्धि को उत्तेजित नहीं कर सकते। इन विषयों को पढ़ाने के लिए ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक तैयार करने होंगे जो कृषि, रताई-बुनाई के साथ साथ बुद्धि को उत्तेजित कर सकें, महात्मा गान्धी के शब्दों में, बढई बालक को बढई ही नहीं इंजिनीयर बना सके। किसी ‘कला’ को, ‘योजना’ को आधार बनाकर शिक्षा देना ‘योजना-पद्धति’ (Project method) है, और ‘हस्त कला’ को आधार बना कर शिक्षा देना ‘क्रिया द्वारा शिक्षा’ (Learning by doing) के सिद्धांत का ही पालन करना है—‘वर्धा योजना’ में इन दोनों को आधार बनाया गया है। इसके साथ-साथ ‘केन्द्रीय हस्त-कला’ में गणित, भूगोल, इतिहास, चित्रकला आदि का जोड़ देना ‘सानुबन्ध शिक्षा’ (Correlation) का सिद्धांत है। इन सब सिद्धान्तों को ‘बुनियादी-तालीम’ में ले लिया गया है। शिक्षा का ‘स्वावलम्बी’ होना—

‘बुनियादी-तालीम’ के ‘स्वावलम्बी’ होने के दो अर्थ हैं—

(क) विद्यार्थी का ऐसी ‘हस्त-कला’ को सीखना जो उसे आगामी जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बना दे।

(ख) स्कूल में जो सामान बने उसे बेचकर अन्धकार का घेतन निरूल आये, ऐसा प्रबन्ध करना।

यह तो ठीक है कि आजकल हमारी शिक्षा विद्यार्थी का बहुत अधिक समय नष्ट कर देती है, उसमें व्यावहारिकता नहीं होती। इसी दृष्टि से ‘योजना-पद्धति’ (Project method) में हम बात पर अधिक बल दिया जाता है कि जो भी ‘योजना’ बने वह जीवन की किसी-न किसी वास्तविक समस्या को हल करने वाली होनी चाहिए, और इसी बात को ‘बुनियादी-तालीम’ ने ले लिया है। सब से बड़ी समस्या तो शिक्षा प्राप्त करके आजीविक कमाना ही है, अतः ‘बुनियादी-तालीम’ में इस बात पर जोर दिया जाता

है कि बालक प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा ग्रहण करे जिससे आगामी जीवन में वह स्वायत्तमयी बन सके। हाँ, बालक के बनाये सम्मान की विन्दी से पाठशाला के अध्यापकों का उत्सर्ग भी बतल सके यह अन्वयावहारिक बात है। जिस समय महात्मा गांधी ने यह स्कीम रखी थी उस समय उन्होंने २५ रुपया मासिक प्राथमिक अध्यापकों का वेतन सोचा था परन्तु यह बहुत कम था।

शिक्षा का निःशुल्क तथा अनिवार्य होना—

म्यूनिंसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में शिक्षा 'निःशुल्क' तथा 'अनिवार्य' थी, फिर भी उत्तरी तथा 'युनिवर्सिटी कालीज' की शिक्षा में निम्न भेद था :—

क—बोर्डों के नियम के अनुसार ५ वर्ष, परन्तु 'युनिवर्सिटी-कालीज' के अनुसार ७ वर्ष की शिक्षा 'निःशुल्क' तथा 'अनिवार्य' है।

ख—बोर्डों के अनुसार ५ से १० वर्ष की आयु का, परन्तु 'युनिवर्सिटी-कालीज' के अनुसार ७ से १४ वर्ष की आयु का बालक अवश्य स्कूल में होना चाहिये।

ग—बोर्डों के अनुसार यह समझा जाता है कि बालक पर में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता; 'युनिवर्सिटी-कालीज' के अनुसार यह समझा जाता है कि पहले उसने पर में 'प्राथमिक-शिक्षा' ग्रहण कर ली है, ७ वर्ष से १४ वर्ष तक उत्तरी शिक्षा का दूरव्यवहार है।

घ—बोर्डों के अनुसार ५ से १० वर्ष की आयु तक केवल 'प्राथमिक-शिक्षा' दी जाती है, ५ वर्ष में दी गयी इतनी ही जा सकती है; 'युनिवर्सिटी-कालीज' के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों शिक्षाएँ दी जाती हैं।

ङ—बोर्डों की शिक्षा के अनुसार शिक्षा का ध्येय कुदृष्ट नहीं लिया जाता; 'युनिवर्सिटी-कालीज' के अनुसार बालक सम्मान बनाते हैं, और उसकी विन्दी से अध्यापकों का वेतन दिया जाता है।

ऊपर दिये गये विवेचन से स्पष्ट है कि ‘बुनियादी तालीम’ में शिक्षा का स्तर बोर्डों में दो जाने वाली शिक्षा से ऊँचा कर दिया गया है। केवल प्रारम्भिक पाँच वर्ष ही शिक्षा देने से बालकों के फिर सब-बुद्ध भूल कर छपड़ हो जाने की सम्भावना रहती है, अतः शिक्षा-काल ५ से बढ़ाकर ७ वर्ष कर दिया गया है। ७ से १४ वर्ष की आयु ऐसी होती है जो मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, इस समय ही हुई शिक्षा जीवन पर छा जाती है। इसलिए ५ से १० वर्ष के स्थान में अर्धवार्षिक शिक्षा का समय ७ से १४ वर्ष कर दिया गया है। कांग्रेस सरकारों ने बोर्डों की प्राथमिक-शिक्षा में ‘बुनियादी-तालीम’ को ही प्रायः सब प्रान्तों में जारी कर दिया है।

मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा—

‘बुनियादी तालीम’ में मातृ भाषा को यह स्थान दिया गया है जो अब तक अंग्रेजी को मिलता रहा है। अब तक प्रत्येक विषय अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता रहा है। इतने बड़े देश में सिके गुरुकुलों के संचालकों ने उच्च से-उच्च शिक्षा मातृ भाषा द्वारा दी है, नहीं तो बड़े-बड़े शिक्षा-धुरन्धरों का ध्यान भी इधर नहीं गया। वर्तमान शिक्षा संचालकों का कर्तव्य है कि गुरुकुलों के सहयोग से मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देने में सहायता लें। जिन शब्दों का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं, वे गुरुकुलों में अनेक वर्षों से चल रहे हैं। बुनियादी तालीम में मातृ-भाषा के यह हिन्दु-स्तानी को स्थान दिया गया है, यह एक प्रकार से प्रत्येक प्रांत की द्वितीय भाषा मानी गई है, इसमें अंग्रेजी को कोई विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है।

२—‘बुनियादी-तालीम’ और ‘योजना-पद्धति’

हम पढ़ने दित्या आये हैं कि बुनियादी-तालीम में योजना-पद्धति (Project method) से बहुत-बुद्ध लिया गया है। हाथ

से करके सीखना, योजना का जीवन के साथ पारस्परिक संबन्ध होना तथा विषयों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध होना 'योजना-पद्धति' से ही लिए हुए सिद्धान्त हैं। 'योजना पद्धति' को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाकर ही बुनियादी-तालीम की रचना की गई है। फिर भी इन दोनों में भेद है। योजना-पद्धति में योजना (Project) शिक्षा देने का साधन-मात्र होती है, उससे शिक्षा का काम चल गया तो उसे वहीं छोड़ वाला एक नई योजना में लग जाते हैं। बुनियादी तालीम में हस्त-कला तो जीवन का अंग बन जाती है, यह शिक्षा का ही साधन नहीं, आगामी जीवन में जीविका का भा वह साधन है, और पढ़ने के समय अध्यापक की आजीविका भी उससे चलती है। जहाँ तक किसी हस्त-कला (Craft) को केन्द्र बनाने का विचार है, यह बहुत उत्तम है, परन्तु जब इससे बालक के आगामी जीवन तथा अध्यापक की आजीविका को समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है तब इसके अनेक समालोचक खड़े हो जाते हैं। बालक छोटी आयु में जीवन भर के लिए किसी हस्त-कला को कैसे चुन सकता है? अध्यापक बालक के बनाये तिलीनों की विक्री पर आजीविका चयन करता हुआ क्या अनुभव कर सकता है? इस विक्री से इतनी आय भी हो सकती है या नहीं कि इसका खर्च चल सके?—ये ऐसे विचार हैं जिन का संतोष जनक उत्तर नहीं मिलता।

वर्गीकरण

(CLASSIFICATION)

इस समय जिस प्रणाली से बालकों को पढ़ाया जाता है उसका नाम 'समूह-शिक्षा' (Class-teaching) है। 'समूह-शिक्षा' में सब बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है। परन्तु सब बालक एक ही तरह के तो नहीं होते। कोई तीव्र बुद्धि, कोई गणित तथा विज्ञान में रुचि रखने वाले, कोई साहित्य में रुचि रखने वाले, जितने कक्षा में बालक उतने उनके भेद। इसी कठिनाई को हल करने के लिए 'डॉक्टन-पद्धति' आदि नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ प्रचलित हुई हैं जिनका आधार 'वैयक्तिक शिक्षा' (Individual teaching) है। परन्तु 'वैयक्तिक शिक्षा' भी तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक एक-एक बालक के लिए एक-एक शिक्षक का प्रबन्ध न किया जाय, क्योंकि कोई से दो बालक एक से नहीं होते। ऐसी अवस्था में मुख्यध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह 'समूह-शिक्षा' तथा 'वैयक्तिक शिक्षा' का किस प्रकार समन्वय करे। हम प्रत्येक बालक के लिए एक-एक शिक्षक नहीं रख सकते, फिर क्या किया जाय ? किस प्रकार 'समूह शिक्षा' को चलाते हुए प्रत्येक बालक की

पृथक् रचि का, पृथक् प्रकृति का, उसके पृथक् व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाय ?

इस समस्या को हल करने के लिये तीन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है :—

- १—विद्यार्थियों का 'पृथक्-व्यक्तित्व' (Individuality)
- २—योग्यता के अनुसार चढ़ाना-उतारना (Promotions and Degradations)
- ३—वैयक्तिक रचि के अनुसार विषयों का चुनाव ।

१—विद्यार्थी का 'पृथक् व्यक्तित्व'

प्रत्येक अध्यापक जानता है कि एक ही आयु के एक बालक का दूसरे बालक से महान् भेद होता है। क्योंकि कुछ बालक एक ही आयु के हैं, इस आधार पर उन्हें एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी भी विषय को ग्रहण करने का उनका सामर्थ्य अलग अलग होता है। एक बालक एक विषय में कमजोर है, दूसरे में एकदम चमक उठता है। इन सब भेदों का परिणाम यह होता है कि शिक्षक अगर तेज बालकों की चाल से चलता है, तो कमजोर बालक देखते रह जाते हैं, वे अपना पढ़ने आना ही बेकार समझने लगते हैं, और अगर यह कमजोर बालकों की चाल से चलना है, तो तेज बालक एक ही बात को बार-बार सुनकर ऊब जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देना बन्द कर देते हैं। व्यक्तिगत भेदों के कारण शिक्षक के लिए सबको एक चाल से पढ़ाना फटिन हो जाता है, भिन्न-भिन्न प्रकृति के विद्यार्थियों के लिए एक ही चाल से चलने वाले शिक्षक से पढ़ना फटिन हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए 'श्रेणी' (Class) के भीतर अचान्त श्रेणियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें 'भाग' (Section) तथा 'दर्जा' (Grade) कहते हैं।

'श्रेणी'-'भाग'-'वर्ग'—

विद्यालय में जितने विद्यार्थी आते हैं, हम उनकी परीक्षा लेते हैं, और मोटे तौर से उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में बाँट देते हैं। एक तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को एक श्रेणी में, दूसरी तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को भिन्न श्रेणी में रखा देते हैं। श्रेणियों में बाँटना भिन्नता में एकता लाने का यत्न करना है ताकि शिक्षक एक चाल से चल सके, और विद्यार्थी एक ही योग्यता के होने के कारण एक साथ समझ सकें। परन्तु एक ही श्रेणी में भी तो बहुत भिन्नता होती है। कई बालक रोगी रहने के कारण देर तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, और श्रेणी के साथ नहीं चल सकते। कई किसी प्रभाव-शाली व्यक्ति के लड़के होते हैं, अत्यन्त कमजोर हैं, योग्यता के कारण नहीं, माता पिता के प्रभाव के कारण, किसी की सितारिशा के कारण ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे हैं। कई कृपाक मिलने से उत्तीर्ण हुए हैं, फेल होते होते ही बचे हैं, कई १०० में से १०० अंक लेकर चढ़े हैं। इस समस्या को हल करने के लिये श्रियुक्त स्टा के कथनानुसार 'श्रेणी' को 'भागों' (Sections) में बाँटा जाना आवश्यक है। एक ही श्रेणी में जो प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 'क' 'भाग', जो द्वितीय विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 'ख' 'भाग', और जो तृतीय-विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 'ग' 'भाग' कर देने से शिक्षक को फिर भिन्नता में एकता मिल जाती है, और एक ही श्रेणी के तीनों भागों में शिक्षक तथा बालक ठीक चाल से चल सकते हैं, एक ही पाठ को तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं। 'भागों' को केवल सङ्ग के आधार पर बाँट देना ठीक नहीं। एक ही श्रेणी में १२० बालक शिक्षा पा रहे हैं, इसलिये चालीस-चालीस के रूँ हो 'भाग' बना देना, और 'भागों' में बाँटते हुए विद्यार्थियों की चारुता पर ध्यान

न देना, वास्तविक समन्या का हल करना नहीं है। 'भागों' में भी जो भिन्नता है उसका इलाज करने के लिये श्रीयुव लैंडमन्ट ने 'वर्ग' रचना (Drafts) के विचार को जन्म दिया है। उनका कथन है कि योग्यता के अनुसार, एक ही 'भाग' के विद्यार्थियों को पाँच-पाँच, दस-दस के 'वर्ग' (Drafts) में बाँट देना चाहिए, और शिक्षक को सम्पूर्ण श्रेणी को पढ़ाते हुए उस 'वर्ग' की अलग-अलग देख-रेख रखनी चाहिये।

इतनी एकता लाना उचित है, या नहीं, इस पर शिक्षा-शास्त्रियों की भिन्न-भिन्न सम्मति है। एकता लाने का उद्देश्य शिक्षा में 'व्यक्तिगत-भेद' को सामने रखना है, परन्तु कई लोगों का कहना है कि बहुत अधिक एकता लाने से विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हो जायगी, और वे इतने एक-समान हो जायेंगे कि उनमें विपन्नता के कारण प्रतिस्पर्धा, एक-दूसरे से बढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी। मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक मुझविला न हो तब तक उनमें क्रिया-शीलता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए 'श्रेणी'—'वर्ग'—द्वारा एकता लाते हुए भी भिन्नता बनाये रखनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में 'प्रतिस्पर्धा' (Emulation) की भावना बनी रहे। 'समूह-शिक्षा' में यह गुण है कि छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण उनमें 'प्रतिस्पर्धा' बनी रहती है, 'वैयक्तिक शिक्षा' में संख्या कम होने के कारण 'प्रतिस्पर्धा' नहीं रहती। दोनों के गुण सम-भाव से बनाये रखने के लिए यह उचित है कि 'श्रेणी'-'भाग'-'वर्ग' न बहुत बड़ा हो, न बहुत छोटा हो, न विल्कुल एक-सा ही हो। पचीस मर्याद तक तो शिक्षक 'समूह शिक्षा' के गुणों के साथ-साथ प्रत्येक बालक पर व्यक्ति रूप से भी ध्यान दे सकता है, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या २५ से अधिक जितनी बढ़ती जायगी उतना ही 'समूह शिक्षा' के लाभ घटने शुरू हो जायेंगे, और ४०

वर्गीकरण

सख्या के वाद तो विलकुल ही जाते रहेगे, अत 'प्रतिस्पर्धा' आदि 'समूह शिक्षा' के गुण बनाये रखने के लिए 'श्रेणी' के किसी 'भाग' की सख्या २५ से कम और ३० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

२— योग्यता के अनुसार चढाना-उतारना

बालक के माता पिता के दृष्टि काण म तथा शिक्षक के दृष्टि काण मे एर भारी भेद यह है कि माता पिता तो बालक के अनुत्तीर्ण हो जाने पर भी यही चाहते हैं कि उसे चढा दिया जाय, शिक्षक यह चाहता है कि वह जिस श्रेणी के योग्य है उसी में रहे ताकि आगे उन्नति कर सके। जिस विद्यालय में सिफारिशों से बालक चढते रहते हैं उसमें अन्त में जाकर सर्वान्न रक्षा में इतने अयोग्य विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं कि वार्षिक परीक्षा में बहुत भारी सख्या में वे अनुत्तीर्ण हा जाते हैं। मुख्याध्यापक का यह कर्तव्य है कि योग्यता की ठीक ठीक जाच करे। कई बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परन्तु शिक्षकों की दृष्टि में उन्हें उत्तीर्ण हाना चाहिए था। ऐसों को उपरलो श्रेणी में चढा देना ही ठीक है। कई बालक छोटकर, नफल करके, या परीक्षक की शिथिलता में परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, परन्तु शिक्षक की दृष्टि में उन्हें अनुत्तीर्ण होना चाहिए था। ऐसों को उपरलो कक्षा में इस शर्त पर चढाना चाहिए कि अगर कुछ समय बाद शिक्षक की सम्मति में वे उपर की श्रेणी के योग्य न समझे गये तो उन्हें फिर वापस बुला लिया जायगा। हाँ, ऐसा निर्णय करते हुए यह भी ठीक में जाच लेना चाहिए कि शिक्षक उस बालक के प्रति अन्याय न कर रहा हो। परीक्षा की ही बालक के चढाने-उतारने की अन्तिम कसौटी न समझ लेना चाहिए, चढाना उतारना इस दृष्टि में चाहिए जिस से पढ़ाते हुए अध्यापक यह अनुभव न करे कि उसके सामने अत्यन्त विषम योग्यताओं के विद्यार्थी बैठे हैं।

जो विद्यार्थी चढ़ जाते हैं उनमें से कई बहुत तेज भी हो सकते हैं, वे एक ही वर्ष में दो साल का काम कर सकते हैं। ऐसे बालक ही समाज की सम्पत्ति हैं। उन्हें बेकार सुस्त बालकों के साथ जोते रखना उनका नाश करना है। उनकी समस्या का हल करने के लिए कई शिक्षा शास्त्री यह कहते हैं कि विद्यालय में दो परीक्षाएँ होनी चाहिए—वार्षिक तथा परमासिक। परमासिक परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को छोट लेना चाहिए जो एकदम अगली श्रेणी में चढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे दो-चार ही होंगे तो क्या, उन्हीं से तो पाठशाला की शान है। यह ठीक है कि छः महीने तक अगली श्रेणी की आधी से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी होगी, और नये विद्यार्थियों के आजाने से जहाँ इन के लिये पिछली पढ़ाई करना कठिन होगा वहाँ अध्यापक के लिये अन्य विद्यार्थियों के साथ इन्हें लेकर चलना कठिन होगा। इस कठिनाई का समाधान यूनं किया जा सकता है कि पाठविधि को दो हिस्सों में बाँट दिया जाय। पहले छः महीने दो तिहाई कराई जाय, अगले समय में एक तिहाई, और उस समय में एक-तिहाई पाठ के साथ-साथ पिछले छः महीने के दो-तिहाई पाठ को मोटी तौर पर दोहरा दिया जाय। जिन कुशाम-बुद्धि बालकों को छः महीने में आगे चढ़ा दिया गया है वे शीघ्र ही पिछला पाठ पकड़ लेंगे। जिन बालकों को इस शर्त पर चढ़ाया गया था कि वे सन्तोष-जनक कार्य करेंगे तो आगे चलते रहेंगे, नहीं तो उतार दिये जायेंगे, उन्हें ठीक काम न करने पर उतार देना चाहिए। जो मुख्याध्यापक इस प्रकार के 'वर्गीकरण' को अपना कर्तव्य नहीं समझता वह प्रत्येक बालक के साथ, माता पिता के साथ, अध्यापकों के साथ अन्याय करता है।

कम उम्र बालकों के लिए 'विशेष-कक्षाओं'(Special Classes)

का प्रबन्ध होना चाहिए। 'विशेष कक्षाओं' का यह अभिप्राय नहीं कि एक ही श्रेणी के कमजोर बालकों को इकट्ठा करके एक शिक्षक के सिपुर्द कर दिया जाय। इतने शिक्षक कहाँ मिलेंगे? इसका यह अभिप्राय है कि कई श्रेणियों के भिन्न-भिन्न बालकों को स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक के सिपुर्द किया जाय, और वह सब से व्यक्ति रूप से काम कराये। हरेक की निर्बलता को देखे, उसी पर जोर दे, और दूर हो जाने पर जिस कक्षा के योग्य वह बालक हो उसे पढ़ने के लिए फिर उसमें भेज दिया जाय। 'विशेष कक्षाओं' में परीक्षा का भय नहीं रहता, बालक अपनी मनचाही चाल से चलता है, शिक्षक उसे रास्ता दिखाता जाता है, जब वह किसी श्रेणी में ठीक से चलने योग्य हो जाता है, तब उस नाले को नदी के प्रवाह के साथ आगे आगे बहने के लिए सम्मिलित कर दिया जाता है।

३—रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव

इस समय विद्यार्थी को पढ़ाने के तीन प्रकार चल रहे हैं। पहले प्रकार में एक साल तक एक विद्यार्थी को एक श्रेणी में रहना पड़ता है। सब विषय पढ़ने पड़ते हैं। जिनमें तेज है उनमें तथा जिनमें कमजोर है उनमें उतना ही समय देना पड़ता है। यह 'एक कक्षा प्रणाली' (Single class system) कहता है। इसमें विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की स्वतन्त्रता नहीं होती। सालभर एक कक्षा में पढ़ने के बाद उसे परीक्षा लेकर अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाता है। इसमें बहुत उधेड़-धुन नहीं करनी पड़ती, यह 'वर्गीकरण' का सब से आसान तरीका है। दूसरा 'बहु-कक्षा प्रणाली' (Manifold system) है। इसमें प्रत्येक बालक भिन्न-भिन्न विषयों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार निम्न भिन्न कक्षाओं के साथ पढ़ता है। किसी विषय को ५वीं के साथ, किसी को ७वीं के साथ पढ़ता है। इसमें विद्यार्थियों को मन-रना होती

है, परन्तु उस की पढ़ाई की देव-रेख कर सकना कठिन होता है। 'धर्गीकरण' के इस दोष को दूर करने के लिए 'परमर्षा गता' अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ती है जो सम्पूर्ण अन्यायन काल में विद्यार्थी की देख रेख करते हैं, उसे परमर्षा देते रहते हैं। तीसरे में इन दोनों को मिला दिया गया है, यह 'मिश्र कक्षा प्रणाली' (Mixed system) कहाता है। इस में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षा में ही रखा जाता है, जैसे पहले प्रकार के संबन्ध में कहा जा चुका है, परन्तु गणित, विज्ञान आदि कुछ विषयों के सम्बन्ध में उन्हें अपनी रीच तथा योग्यता के अनुसार ऊँची या नीची कक्षा में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है।

इस तीन प्रकार के 'धर्गीकरण' के अतिरिक्त विषयों में एक और 'धर्गीकरण' भी किया जा रहा है जिस के विषय में कुछ विस्तृत विवेचन करना आवश्यक है।

इंग्लैंड में १९२६ में सर हेनरी हेडो की अध्यक्षता में युवा बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ११ या १२ वर्ष की अवस्था में प्रत्येक युवक की नस-नस एक नई लहर से भर जाती है, यह अवस्था 'किशोरवस्था' (Adolescence) कहाती है। समुद्र में जब लहर उठे तभी उसे पकड़ लेने से वैसाक तर जाता है, फिर इस लहर को क्यों न पकड़ा जाय? इस लहर को पकड़ लेने से, इस अवस्था में बालक के जीवन को नई दिशा दे देने से यह बुद्ध-शुद्ध बन सकता है। इस दृष्टि से कमेटी ने प्रस्ताव किया कि ११-१२ वर्ष की अवस्था में बालक की शिक्षा को एक नवीन दिशा देने लिए उसके पहले मार्ग को तोड़ देना चाहिए। अगर यह समझ जाय कि तीन वर्ष की आयु में बालक 'शिशु शाला' (Nursery school) में प्रवेश करेगा तो ३ से ५ वर्ष की आयु तक दो वर्ष

यह उसमें रहे, ५ से ७ वर्ष की आयु तक दो वर्ष 'बाल शाला' (Infant School) में रहे, ७ से ११ वर्ष की आयु तक ४ वर्ष 'जूनियर स्कूल' (Junior School) में रहे, ११ से १५ वर्ष की आयु तक ४ वर्ष 'सीनियर स्कूल' (Senior School) में रहे। इस प्रकार लगभग ११ वर्ष की आयु में प्रत्येक बालक 'चूनियर' तक पहुँच चुका होगा, 'सीनियर' में जाने वाला होगा। 'शिशु शाला' 'बाल शाला' 'जूनियर स्कूल'-'सीनियर स्कूल' का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होगा। अनेक 'शिशु शालाओं' के बालक एक 'बाल शाला' में जायेंगे, अनेक 'बाल शालाओं' से पढ़ चुके बालक एक नवीन 'जूनियर स्कूल' में जायेंगे, अनेक 'जूनियर स्कूलों' के छात्र एक नवीन 'सीनियर स्कूल' में जायेंगे, जिनमें साथी अलग, शिक्षक अलग, मकान अलग, सब कुछ पहले से भिन्न होगा। इसका बालक के विश्वास पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। विद्यार्थी 'शिशु शालाओं' से छूट कर 'बाल शालाओं' में पहुँचेंगे, 'बाल शालाओं' से छूट कर 'चूनियर स्कूलों' में पहुँचेंगे, वहाँ से छूट कर 'सीनियर स्कूलों' में पहुँचेंगे जितना ऊपर पहुँचेंगे उतनी छोट होती जायगी, उतना 'वर्गीकरण' होता जायगा, अनेक बालकों में उतनी पक्ता निम्नली आयगी। क्योंकि 'जूनियर स्कूल' से उत्तीर्ण होने के बाद लगभग ११ वर्ष की आयु में बालक के जीवन में एक नवीनता आ जाती है, उसकी रुचियाँ जाग जाती हैं, नस नस पड़कने लगती हैं, कोई गाता है, कोई खेल में रमने लगता है, कोई विज्ञान की जिज्ञासी तरह चल देता है, अब इस आयु में बालक को भिन्न भिन्न विद्याओं में जाने का मार्ग मिल जाना चाहिये। ११ वर्ष की आयु के बाद 'सीनियर स्कूल' में पहुँचने पर उसकी भिन्न भिन्न रुचियों के विश्वास के लिए उसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल मिलने चाहियें जिनमें अपनी रुचि, अपनी

योग्यता के अनुसार वह पढ़ सके। जिस देश में जितना अधिक 'शिशु-शालाएँ' होंगी उतनी अधिक और उतनी ही अच्छी छोट, उतना ही अच्छा वर्गीकरण 'बाल-शालाओं' के लिए हो जायगा, जितनी अधिक 'बाल शालाएँ' होंगी उतना अच्छा वर्गीकरण 'जूनियर स्कूलों' के लिए हो सकेगा, और जितने अधिक 'जूनियर-स्कूल' होंगे उतना अच्छा वर्गीकरण 'सीनियर-स्कूलों' के लिए हो सकेगा। दस-बीस में से एक तरह के बालक छोटना उतना आसान नहीं जितना सौ, दो-सौ में से, और सौ, दो-सौ में से भी एक-से बालक छोटना उतना आसान नहीं जितना हजार-दो हजार में से। इस प्रकार छंटते छंटते, उनका वर्गीकरण होते-होते, जब बालक लगभग ११ वर्ष की आयु में पहुँचेंगे तब शिक्षा की दृष्टि से एक महत्व-पूर्ण बात तो हो चुकी होगी। हजारों बालकों का 'वर्गीकरण' हो चुका होगा, कौन तेज हैं, कौन कमजोर हैं, कौन आगे चल सकते हैं, कौन नहीं चल सकते, किस की गणित और विज्ञान में रुचि है, किसकी साहित्य में रुचि है? बालकों का वर्गीकरण होते ही अगर उन्हें उस आयु में अपनी रुचि और योग्यता के अनुकूल विषयों का चुनाव करने का अवसर मिल जाय, तो फिर वे क्या-से-क्या नहीं बन सकते? यह आयु धोड़े पर चढ़ कर सरपट शीड़ने की है, प्रत्येक बालक जीवन की घुड़दौड़ के लिए मानो व्याकुल हो रहा होता है। ऐसे समय बालक की-रुचि के-अनुकूल-विषय न देकर यूँ ही पढ़ाते जाना भोके को चूक जाना है। इसीलिए 'सर हेनरी हेडो कमेटी' ने यह सुझाव रखा कि पाठशालाओं का इस दृष्टि से पुनः संगठन किया जाय और 'सीनियर स्कूल' के बाद बालकों के वर्गीकरण के साथ विषयों का भी वर्गीकरण किया जाय। बचपन से 'सीनियर स्कूल' तक जिन बालकों की साहित्य में ही रुचि हो वे साहित्य की धारा में बहने वाले हैं, जिनकी विज्ञान में

रुचि हो वे विज्ञान की धारा में बहने वाले हैं। भिन्न भिन्न स्कूलों की साहित्य धारा, विज्ञान धारा बहती हुई 'सीनियर स्कूल' की 'साहित्य धारा' और 'विज्ञान धारा' में आ मिले। इस उद्देश्य से 'सीनियर स्कूल' के ४ सालों के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों के 'विभागों' (Groups) का निर्देश किया। व्यापार, साहित्य आदि भिन्न भिन्न विषयों के 'विषय विभाग' बनाकर बालकों को सुविधा दी जाय ताकि वे ११ वर्ष की आयु के बाद, उस आयु के बाद जब उनके भीतर सचमुच एक परिवर्तन उठ खड़ा होता है, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव करें।

'हैडो कमेटी' की इसी विचार धारा को अब भारत में भी अपना लिया गया है। १९४८ से ८ वीं श्रेणी उत्तीर्ण कर लेने के बाद ९ वीं श्रेणी से बालकों के लिए विषयों के ४ 'विभाग' (Groups) निश्चित कर दिये गये हैं, जिनमें से वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी एक 'विभाग' को चुन सकता है। वे हैं—'साहित्य विभाग' (Literary Group), 'विज्ञान-विभाग' (Scientific Group), 'रचनात्मक विभाग' (Constructive Group) तथा 'कला विभाग' (Art Group)। क्योंकि इन भिन्न भिन्न विभागों के विषयों को दो साल में पूरा नहीं किया जा सकता इसलिए 'इन्टरमीजियेट' के दो सालों को 'सीनियर स्कूल' के दो सालों में मिला कर इन स्कूलों का नाम 'हायर सेकेंडरी स्कूल' रख दिया गया है, और इनका पाठ्य क्रम ४ साल का बना दिया गया है। इस प्रकार विषयों का 'वर्गीकरण' बालकों के 'वर्गीकरण' के आधार पर किया गया है, अतः माता-पिता तथा शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालकों को किसी 'विभाग' (Group) को दिलगामी हुए अपनी रुचि का नहीं, बालकों की रुचि का ध्यान रखें, तभी विषय वार इस नवीन वर्गीकरण से कुछ लाभ होगा।

परीक्षाएँ

(EXAMINATIONS)

परीक्षाएँ दो तरह की हैं। एक वे जो शिक्षक न्यून विद्यार्थियों की योग्यता जाँचने के लिए समय-समय पर लेता रहता है। पढ़ाने हुए यह जानने के लिए कि विद्यार्थी समझ रहे हैं, या नहीं, पश्न करते जाना शिक्षा का आवश्यक अंग है। शिक्षक जो परीक्षाएँ लेता है वह इन प्रश्नों का ही एक विशेष रूप है। ऐसी परीक्षाएँ लेते ही रहना चाहिये, परन्तु परीक्षा का एक और भा विशेष रूप है। साल भर पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाय, तो उसे उपरली भेजी में चढ़ा दिया जाता है; अनुत्तीर्ण हो जाय, तो नहीं चढ़ाया जाता। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेने पर कालेज में जाने के लिये मैट्रिक की परीक्षा होती है, कालेज में बा० ए०, एम० ए० की। ये परीक्षाएँ शिक्षक भी ले सकते हैं, बाहर के परीक्षक भी ले सकते हैं, परन्तु प्रायः बाहर के परीक्षक ही लेते हैं। ऐसी परीक्षाएँ विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए हानि बनकर आती हैं क्योंकि इनमें उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी आगे कदम रख सकता है, और शिक्षक कुछ पढ़ाता रहा है या नहीं, इसकी भी परीक्षा हो जाती है। ये परीक्षाएँ जिनमें विद्यार्थी एक भेजी से दूसरी भेजी में जाता है,

किस ढङ्ग से होनी चाहिये—यही परीक्षा के सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रश्न है। ये भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न ढङ्ग से ली जाती हैं। आगे बढ़ने में पहले हम संक्षेप में यह दिखलायेंगे कि किस देश में ये परीक्षाएँ किस ढङ्ग से ली जाती हैं।

इंग्लैंड तथा भारत में परीक्षा प्रणाली—

भारत में प्रायः आम्बल-परीक्षा प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न पर अभ्यास नहीं बनाता, कोई दूसरा बनाता है ताकि बालकों को पुंही न चढ़ा दिया जाय। क्योंकि अभ्यासकोपी घेतन गुण्डि इस बात पर आश्रित रहती है कि उनके पढ़ाये कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं अतः परीक्षा केवल बालकों की नहीं, अभ्यासकोपी भी जाँच दे, और इसीलिए अभ्यासकोपी के हाथ में परीक्षा का काम नहीं छोड़ा जाता। इस बात का विशेष प्रयत्न किया जाता है कि परीक्षक तथा विद्यार्थी में किसी प्रकार का परिचय न हो, परीक्षक को विद्यार्थियों का और विद्यार्थियों को परीक्षक का नाम नहीं पता या जाता। ३ घंटे में ६७ प्रश्न करने को दिए जाते हैं जिनमें २० से १०० पूर्ण होते हैं, इसी निश्चित प्रतिशत से ऊपर अङ्क लेने पर विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जाता है। परीक्षक के घर उच्च पर भेग दिये जाते हैं और परीक्षा क लगभग दो सप्ताह महीने बाद परीक्षा निकलता है, इस बीच में विद्यार्थी माँस रोके परिराम की तरफ दिक्कत ही धाँधे बैठ रहता है। इंग्लैंड तथा भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली की यही रूप रेखा है।

यह प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है। परीक्षा का अर्थ यह समझा जाता है कि बाहर के परीक्षक ने जितने उत्तीर्ण कर दिया वह उत्तीर्ण होने के योग्य है, जिसे अनुत्तीर्ण किया है वह अनुत्तीर्ण होने के योग्य है, परन्तु अनुभव से पता चलता है कि ऐसा होता नहीं। परीक्षकों के निर्णय में इतनी भिन्नता, इतनी विषमता पायी जाती

है कि एक जिसे उत्तीर्ण कर देता है, दूसरा उसी को अनुत्तीर्ण कर देता है; एक जिसे सर्व प्रथम ठहराता है, दूसरा उसे सब से नीचे ला पटकता है। एक ही उत्तर के विषय में भिन्न भिन्न परीक्षकों के निर्णय में जमीन-आसमान का भेद होता है। स्टार्च तथा इलियट ने अमेज़ी के उत्तर-पत्र की १४२ अन्यापकों से जाँच कराई, और किसी ने ६४ अङ्क दिये, तो किसी ने ६८ दिये; इतिहास में ७० अन्यापकों से जाँच कराई, किसी ने ४३ अङ्क दिये, तो किसी ने ६० दिये। डा० बलार्ड ने ७ विद्यार्थियों के उत्तर पत्रों की एक स्वतंत्र परीक्षक से जाँच कराई, उसने उन्हें १०० में से ४० से लेकर ६० तक अङ्क दिये। फिर उन्हीं जाँच किए हुए उत्तर-पत्रों को उसने अन्य १३ परीक्षकों से जाँच कराई और उन्हें कहा कि इन्हें योग्य। के अनुसार पहला-दूसरा इत्यादि स्थान दें। परिणाम यह हुआ कि एक उत्तर-पत्र को तो पहले से लेकर सातवें तक सभी क्रमों में रखा गया, दो छः क्रमों में आये, बाकी चार को पाँच क्रम मिले—अर्थात् किसी ने एक उत्तर पत्र को पहला रखा, तो किसी ने उसी को दूसरा, किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, और किसी ने अन्तिम। डा० बलार्ड ने एक और परीक्षण का उल्लेख किया है। १६२० में अमेरिका में इतिहास की परीक्षा में छः प्रोफेसरों को परीक्षक बनाया गया। उन छः के पृथक् पृथक् अङ्कों के आधार पर विद्यार्थी का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना निर्भर था। उत्तीर्ण होने के लिए १०० में से ६० अङ्क लेना आवश्यक था। इन्हीं प्रोफेसरों में से एक ने उन्हीं प्रश्नों का एक उत्तर-पत्र लिखा जिसे वह अपनी दृष्टि में आदर्श उत्तर समझता था। गलती से यह उत्तर-पत्र भी विद्यार्थियों के उत्तर-पत्रों में सम्मिलित हो गया। दूसरे प्रोफेसरों ने उन्हीं किसी विद्यार्थी का उत्तर-पत्र समझ कर ही जाँचा और किसी ने ५० तो किसी ने ८० तक अङ्क दिये। क्योंकि

६० अंक पाने से विद्यार्थी उत्तीर्ण समझा जाता था इसलिए ४० अंक पाने के कारण यह प्रोफेसर भी अनुत्तीर्ण हो गया ।

उत्तर-पत्रों को जाँचने में इतनी भिन्नता के अनेक कारण हैं ।
 सो, पाँच-सो उत्तर पत्रों में ८-१० प्रश्नों को हरेक कापी में जाँचते-जाँचते परीक्षक यह निश्चय नहीं कर सकता कि किम परीक्षार्थी को जिस प्रश्न पर ७ अंक देने चाहियें, किसे ६ और किसे ८ अंक । एक बार पंजाब विश्व-विद्यालय ने एक परीक्षक के पास मग उत्तर भेजने के स्थान पर भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों का एक ही प्रश्न का उत्तर जाँच करने के लिए भेजा ताकि उसके निर्णय में विषमता न हो सके, परन्तु इतने उत्तरों को देखते-देखते परीक्षकों ने अनुभव किया कि जहाँ १०-१५ उत्तर देगे, उनके लिए इतने उत्तरों में तुलना करना असम्भव सा हो गया । परीक्षक किसी समय प्रसन्न है तो ५-१० अंक ज्यादा दे जाता है, किसी समय खिन्न है तो ५-१० अंक कम दे डालता है । अंक देने की विषमता को देखते हुए यह कह सकना कि जिसे १०० में से ३० अंक मिले हैं, वह उत्तीर्ण होने योग्य है, और जिसे २८ अंक मिले हैं वह अनुत्तीर्ण होने योग्य है, असम्भव है ।

इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में स्मृति की ही परीक्षा होती है । विद्यार्थी सन-बुद्ध रट लेते हैं । कोई-कोई तो गणित के उत्तर भी रट लेते हैं । साल भर गुब्ब नही पढ़ते, परीक्षा से पहले दिन रात एक कर के अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं । जो रट नहीं सकते वे परीक्षा पत्र घुराने के साधन ढूँढते हैं, परीक्षा में नकल करने हैं, पकड़े जाते हैं । परीक्षा पढ़ाई के लिए नहीं होती, पढ़ाई परीक्षा के लिए समझी जाती है । विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों का यही दृष्टि-कोण रहता है ।

इस प्रणाली में ज्यादातर परीक्षा 'प्रस्ताव लेखन' की होती है। जो कच्छा लिखना जानता है, अपने भाषों को ठाँक ढग से प्रकट कर सकता है, वह कुछ न-कुछ लिखकर इतीर्ण हो जाता है। इतिहास, भूगोल, साहित्य—सभी में—इस पर प्रस्ताव लिखो, उस पर प्रस्ताव लिखो, घस प्रस्ताव-ही-प्रस्ताव लिखवाने जाते हैं।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थियों को यह ध्यानपूर्वक दिला देती है, उन्हें इतना घबड़ा देती है कि कभी कभी अन्धे विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं। चालकों पर मस्तिष्क कभी कभी परीक्षा के धके को चर्खा नहीं कर सकता। परीक्षा के समय कई पागल हो जाते हैं, और परीक्षा में फेल होने के कारण कई आत्म-हत्या कर बैठते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी जुड़ी ही रहेगी, परन्तु इस पद्धति में जो दोष हैं उन्हें दूर करना ही होगा। अब तो भारत स्वतंत्र हो गया है, अब आवश्यक नहीं कि अनेकों टी पेटों लेकर-ना फकीर बनकर चला जाय। भारत सरकार को एक फकीरान भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिये, और अन्य देश जैसे इन समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, वैसे हमें भी निकालना चाहिये।

अर्जन्ती में परीक्षा प्रणाली—

अर्जन्ती में इन्टेल तथा भारत की तरह मासिक, परन्वसिक तथा वार्षिक परीक्षाएँ लेने का रिवाज नहीं है। साल को तीन भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के अन्त में अध्यापक अपने विषय के विद्यार्थी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति एक रजिस्टर में दर्ज कर देता है। इन सम्मतियों को यह १, २, ३ की सख्या में प्रकट करता है, जो इन के बीच में हों उन्हें +२, +३ या -२, -३

आदि के रूप में प्रकट करता है। वर्ष के अन्त में मुख्यतयापक शिक्षकों के परामर्श तथा इन रजिस्ट्रों के आधार पर विद्यार्थी को चढ़ा देता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं चढ़ाया जाता उन १ सय १० प्रतिशत से अधिक नहीं होती। साल भर विद्यार्थी पर काफी ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थी तथा उसके माता पिता को लगातार उसकी प्रगति के विषय में चेतानी दी जाती है, परन्तु परीक्षा पर विद्यार्थी के भाग्य का निर्णय करने के लिये साल भर उस न जो काम किया है, उस पर निर्णय किया जाता है। प्रत्येक स्कूल में खेल, अज्ञा पालन, सद्ब्यवहार, शिष्टाचार, विधिम आदि पर भी श्रुत दिये जाते हैं। स्कूल की अन्तिम परीक्षा जिसे पास कर वह युनीवर्सिटी में जाता है, अध्यापकों ही द्वारा उस इलाके के इन्स्पेक्टर की देख रेख में ली जाती है। परीक्षा लिखित भा होती है, मौखिक भी—प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों की भरमार नहीं की जाती। उस एक प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी एक नियन्ध लिखता है। अध्यापक तीन नियन्धों के विषय निदिष्ट करता है, जिनमें से इन्स्पेक्टर किसी एक को चुनकर विद्यार्थियों को दे देता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है, और इसमें उत्तीर्ण होने पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। भाषा का परीक्षा में शब्द कोषों के प्रयोग की आज्ञा रहती है। सब विषयों की परीक्षा नहीं होती, केवल मुख्य मुख्य विषयों की परीक्षा होती है। युनीवर्सिटी में कोई परीक्षा नहीं होती, केवल अंत में एक परीक्षा होती है जिसे 'डायटर' की परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के विषयोंकेसर विद्यार्थी का किसी निदिष्ट विषय पर नियन्ध लिखने को रहता है, समय समय पर उसकी तय्यार की हुई मामूली की जाच करता रहता है, उसे नई-नई पुस्तकें पढ़ने का पठनशं देता है। इस मुख्य

इस प्रणाली में उपादातर परीक्षा 'प्रस्ताव लेखन' की होती है। जो अच्छा लिखना जानता है, अपने भावों को ठाक ढंग से प्रकट कर सकता है, वह कुछ न-कुछ लिखकर इत्तीर्ण हो जाता है। इतिहास, भूगोल, साहित्य—सभी में—इस पर प्रस्ताव लिखो, उस पर प्रस्ताव लिखो, उस प्रस्ताव-ही-प्रस्ताव लिखवाये जाते हैं।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थियों को यह आसूल दल दिला देती है, उन्हें इतना घमड़ा देती है कि कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी फेल हो जाते हैं। बालकों का मन्तिष्क कभी कभी परीक्षा के धक्के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परीक्षा के समय कई पागल हो जाते हैं, और परीक्षा में क्रेत होने के कारण कई आत्म-हत्या कर बैठते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी जुड़ी ही रहेगी, परन्तु इस पद्धति में जो दोष हैं उन्हें दूर करना ही होगा। अब तो भारत स्वतंत्र हो गया है, अब आवश्यक नहीं कि अंग्रेजों की पंटी लक र-या कसीर बनकर चला जाय। भारत सरकार को एक कभी-दल भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिये, और अन्य देश जैसे इन समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, वैसे हमें भी निकालना चाहिये।

जर्मनी में परीक्षा प्रणाली—

जर्मनी में इल्लैण्ड तथा भारत की तरह मामिक, परमात्मिक तथा धार्मिक परीक्षाएँ लेने का रिवाज नहीं है। माल को तीन भागों में बाट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के अन्त में अध्यापक अपने विषय के विद्यार्थी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति एक रजिस्टर में दर्ज कर देता है। इन सम्मतियों को यह १, २, ३ की मर्यादा में प्रकट करता है, जो इन के बीच में हों उन्हें +२, +१ या -२, -३

आदि के रूप में प्रकट करता है। वर्ष के अन्त में मुख्य-अध्यापक शिक्षकों के परामर्श तथा इन रजिस्ट्रों के आधार पर विद्यार्थी को चढ़ा देता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं चढ़ाया जाता उन १० प्रतिशत से अधिक नहीं होती। साल भर विद्यार्थी पर काफी ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थी तथा उसके माता-पिता को लगातार उसकी प्रगति के विषय में चेतावनी दी जाती है, परन्तु परीक्षा पर विद्यार्थी के भाग्य का निर्णय करने के स्थान पर साल भर उस न जो काम किया है, उस पर निर्णय किया जाता है। प्रत्येक स्कूल में खेल, अज्ञा पालन, सद्ब्यवहार, शिष्टाचार, परिश्रम आदि पर भी अंक दिये जाते हैं। स्कूल की अन्तिम परीक्षा जिसे पास पर वह युनीवर्सिटी में जाता है, अध्यापकों ही द्वारा उस इलाके के इन्स्पेक्टर की देख रेख में ली जाती है। परीक्षा लिखित भाँ होती है, मौखिक भी—प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों की भरमार नहीं की जाती। उस एक प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी एक निबन्ध लिखता है। अध्यापक तीन निबन्धों के विषय निर्दिष्ट करता है, जिनमें से इन्स्पेक्टर किसी एक को चुनकर विद्यार्थियों को दे देता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती है, और इस में उत्तीर्ण होने पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। भाषा का परीक्षा में शब्द-रूपा के प्रयोग की आज्ञा रहती है। सब विषयों की परीक्षा नहीं होती, केवल मुख्य मुख्य विषयों की परीक्षा होती है। युनीवर्सिटी में कोई परीक्षा नहीं होती, केवल अंत में एक परीक्षा होती है जिसे 'डायटर' की परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के लिए प्रोफेसर विद्यार्थी को किसी निर्दिष्ट विषय पर निबन्ध लिखन को कहता है, समय-समय पर उसकी तय्यार की हुई सामग्री की जाँच करता रहता है, उसे नई-नई पुस्तकें पढ़ाने का परामर्श देता है। इस मुख्य

विषय के साथ उसे कोई-से दो और विषय लेने होते हैं। तीन विषय होने के कारण उसकी जाँच के लिए तीन परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं, जो उसकी निबन्ध के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा लेते हैं। वे उसे पूछते हैं कि किस किस विषय पर प्रोफेसर के कितने व्याख्यान उसने सुने हैं, कौन-कौन से सुने हैं, क्या क्या पुस्तकें पढ़ी हैं। यह मौखिक-परीक्षा लिखित परीक्षा की अपेक्षा भी अधिक गहराई में जाती है। लिखित परीक्षा से तो प्रायः निबन्ध लिखन की शक्ति की जाँच होती है, मौखिक से विद्यार्थी ने विषय को कितना पचा लिया है, यह पता लगता है। यूनिवर्सिटी की 'डाक्टर' की परीक्षा के लिए भी इसी प्रकार की जाँच होती है। परीक्षा का परिणाम विद्यार्थी को उसी समय बता दिया जाता है।

मास में परीक्षा प्रणाली—

फ्रांस की परीक्षा-प्रणाली इंग्लैंड और जर्मनी से भिन्न है। परीक्षा वर्ष में दो बार होती है; एक वर्ष के अन्त—जून-जुलाई में, दूसरी वर्ष के प्रारम्भ—अक्तूबर में। जो जून-जुलाई में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तथा जो रोगी होने अथवा अन्य किसी कारण से उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, वे अक्तूबर में परीक्षा देते हैं। परीक्षकों के घर उत्तर-पत्र नहीं भेजे जाते। परीक्षकों की परीक्षा-केन्द्र में आकर रहना होता है, और जब तक पत्रों की जाँच न कर लें तब तक वहीं रहना पड़ता है। परीक्षा के प्रथम दिन से १५ दिन के अन्दर-अन्दर परिणाम सुना देना जरूरी है, विद्यार्थियों को देर तक दुविधा में नहीं रखा जाता। मौखिक परीक्षा में लिखित की अपेक्षा दुगुने बरक रंगे जाते हैं, और उमें लिखित की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है। पिछले तीन साल तक की शिक्षक की सम्मति को भी परीक्षकों का ध्यान में रखना होता

है। लिखित परीक्षा में सत्र दो परीक्षक नियत किए जाते हैं, दोनों की सम्मति से अंक दिये जाते हैं। लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक का उत्तर देना होता है। भाषा की परीक्षा में विद्यार्थी शब्द कोष का प्रयोग कर सकते हैं।

इटली में परीक्षा-प्रणाली—

जमनी में शिक्षक ही अपनी श्रेणी के विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है; प्रास में शिक्षक भी ले सकता है, बाहर का परीक्षक भी; इटली में वह अपने विद्यार्थियों की नहीं, परन्तु दूसरे विद्यार्थियों की अपने विषय में परीक्षा ले सकता है। उत्तर पत्रों की जाच परीक्षा केंद्रों में होती है, परीक्षकों के घरों पर नहीं, और एक सप्ताह या ज्यादा से-ज्यादा दस दिन में परिमाण निकाल देना होता है। उत्तर पत्रों की जाच करते हुए अंक नहीं दिए जाते, परीक्षक अपनी सम्मति नोट करता है, और मौखिक परीक्षा के समय इस सम्मति को भी ध्यान में रखा जाता है। मौखिक परीक्षा का परिणाम तो उसी समय सूचित कर दिया जाता है। जो विद्यार्थी एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें अवतुर की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। यूनीवर्सिटी में परीक्षा होती ही नहीं। साल भर याद सब उपरली श्रेणी में चढ़ा दिए जाते हैं, किन्हीं किन्हीं खास विषयों में परीक्षा देनी होती है जो वे यूनीवर्सिटी के अध्ययन काल में, साल में जो दो बार परीक्षाएं होती हैं, उनमें जब चाहें दे सकते हैं।

अमरीका में परीक्षा प्रणाली —

अमरीका में परीक्षा को सचथा समाप्त कर दिया गया है। अमेरिकन विश्व-विद्यालयों में अन्तिम परीक्षा कोई होती ही नहीं। विद्यार्थी की योग्यता का माप 'प्रमाण-प्रथा' (Credit system)

से किया जाता है। पहली प्रेमी से डाक्टर की उपाधि लेने तक विद्यार्थी अपने अध्यापकों से इस बात के 'प्रमाण' (Credit) लेता जाता है, जिन से सिद्ध हो कि वह पढ़ने में नियम-पूर्वक रहा है, ध्यान में पड़ता रहा है, जो पाठ घर घर करने को दिया जाता रहा है उसे घर के लाता रहा है, पढ़ाते हुए जो प्रश्न पूछे गए उनका सन्तोष-जनक उत्तर देता रहा है। एक प्रेमी से दूसरी में जाने के लिए जितने 'प्रमाण' (Credit) आवश्यक हैं उतने इच्छे हो जाने पर वह चढ़ा दिया जाता है, इतने समय में ही ये 'प्रमाण' (Credit) एकत्रित हो सकते हैं, अधिक में नहीं—एसा कोई बंधन नहीं है। विद्यार्थी कमाते भी हैं, और अध्यापकों से 'प्रमाण' (Credit) भी इच्छे करते रहते हैं, और इस प्रकार ऊंची-ने-ऊंची उपाधि विद्या परीक्षा दिये प्राप्त कर लेते हैं। ये 'प्रमाण' वे एक साल या इस साल जितने समय में सुविधानुसार प्राप्त कर सकें, प्राप्त करते हैं, और पढ़ाई के बीच में टूट जाने पर फिर उन्हें जारी कर सकते हैं!

नवीन परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये जर्मनी, कान्स, इटली, अमेरिका ने अपने अपने देशों में जो प्रणालियाँ प्रचलित की हैं उनका इल्लेख हमने किया। इन प्रणालियों के अतिरिक्त इन सब देशों में एक नवीन प्रणाली चल निकली है जिसका प्रारम्भ श्री एनू ब्लाई ने किया।

थामान् ब्लाई का कथन है कि प्रचलित प्रणाली में विद्यार्थी के किसी विषय के ज्ञान की उतनी परीक्षा नहीं होती जितनी इस बात की परीक्षा होती है कि वह निरन्ध लिखने में कितना दीरघ है। इसके अतिरिक्त परीक्षक यह नहीं कह सकता कि जिसे उत्तर १६ में में ३ अंक दिए हैं उसे ४ या ५ क्यों नहीं

दिये, वह नाप तोल कर श्रक नहीं दे सकता, और इसीलिए एक ही उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न-भिन्न श्रक देते हैं। साथ ही बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अटल से काम लेते हैं, निशाना ठीक बैठ गया तो श्रक मिल गये, नहीं बैठा तो रह गये। इन सब दोषों को दूर करने के लिए ही नवीन परीक्षा-प्रणाली का चलन हुआ है।

इस प्रणाली में लगभग ३७ प्रकार के प्रश्न दिये जाते हैं जिनमें से ७८ प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रश्नों के प्रकार निम्न हैं :—

- (१) संधारण-स्मृति के प्रश्न (Questions of simple recall)
- (२) पूरक-प्रश्न (Completion exercises)
- (३) हाँ-ना, ठीक गलत बताना (Yes No True False)
- (४) सप्रश्न प्रतिक प्रश्न (Answer type tests)
- (५) सर्वोत्तम उत्तर (Best answer)
- (६) परिचयन प्रश्न (Enumeration tests)
- (७) तर्क सूचक प्रश्न (Idea tests)

‘सत्याग्रह आन्दोलन के जनमदाता का नाम है’। इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गांधी। उत्तर में ५ अक्षर हैं, पांच ही बिन्दु दे दिये हैं, जिसमें विद्यार्थी समझ सके कि उत्तर ठीक है, या नहीं। इस प्रश्न से ‘संधारण स्मृति’ के साथ साथ विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा हो जाती है। ‘भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री’ ने लोक सभा में शब्द—इस शब्द को पूरा करना पूरक प्रश्न कहाता है। ‘देहरादून में जो यन्त्र पड़ा जाता है उनमें से मुख्य पात्र, लकड़ी, रजरी, चूना, लोहा, मोना, गरी हैं’—इस वाक्य में ठीक शब्द पर हा—‘ना’ लिखने को कहा जाता है। यह ‘हाँ-ना प्रश्न’ कहाता है। एक तरह माता, बलम चचा शब्द लिखकर दूसरी तरह मनीषा, गगन, पिता शब्द

से किया जाता है। पहली श्रेणी से डाक्टर की उपाधि लेने तक विद्यार्थी अपने अध्यापकों से इस बात के 'प्रमाण' (Credit) लेता जाता है, जिन से सिद्ध ही कि वह पढ़ने में नियम पूर्वक रहा है, ध्यान से पढ़ता रहा है, जो पाठ घर पर करने को दिया जाता रहा है उसे कर के लाता रहा है, पढ़ाते हुए जो प्रश्न पूछे गए इनका सन्तोष-जनक उत्तर देता रहा है। एक श्रेणी से दूसरी में जाने के लिए जितने 'प्रमाण' (Credits) आवश्यक हैं उतने इकट्ठे हो जाने पर वह चढ़ा दिया जाता है, इतने समय में ही ये 'प्रमाण' (Credit) एकत्रित हो सकते हैं, अधिक में नहीं—ऐसा कोई बंधन नहीं है। विद्यार्थी कमाते भी हैं, और अध्यापकों से 'प्रमाण' (Credit) भी इकट्ठे करते रहते हैं, और इस प्रकार ऊंची से-ऊंची उपाधि बिना परीक्षा दिये प्राप्त कर लेते हैं। ये 'प्रमाण' के एक साल या इस साल जितने समय में सुविधानुसार प्राप्त कर सकें, प्राप्त करते हैं, और पढ़ाई के बीच में टूट जाने पर फिर उसे जारी कर सकते हैं!

नवीन परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमरीका ने अपने-अपने देशों में जो प्रणालियाँ प्रचलित की हैं उनका इल्लेख हमने किया। इन प्रणालियों के अतिरिक्त इन सब देशों में एक नवीन प्रणाली चल निकली है जिसका प्रारम्भ अंग्रेजों ने किया।

श्रीमान् बलार्ड का कथन है कि प्रचलित प्रणाली में विद्यार्थी के किसी विषय के ज्ञान की उतनी परीक्षा नहीं होती जितनी इस बात की परीक्षा होती है कि वह नियत लिखने में कितना योग्य है। इसके अतिरिक्त परीक्षक यह नहीं कह सकता कि जिसे हमने १६ में से ३ अंक दिए हैं उसे ४ या २ क्यों नहीं

दिये, वह नाप तोल कर अंक नहीं दे सकता, और इसीलिए एक ही उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न-भिन्न अंक देते हैं। साथ ही बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अटकल से काम लेते हैं, निश्चय ठीक बैठ गया तो अंक मिल गये, नहीं बैठे तो रह गये। इन सब दोषों को दूर करने के लिए ही नवीन-परीक्षा-प्रणाली का चलन हुआ है।

इस प्रणाली में लगभग ३५ प्रकार के प्रश्न दिये जाते हैं जिनमें से ७८ प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रश्नों के प्रकार निम्न हैं—

- (१) संधारण-स्मृति के प्रश्न (Questions of simple recall)
- (२) पूरक-प्रश्न (Completion exercises)
- (३) हाँ ना, दीर्घ-गलत बताना (Yes No True also)
- (४) सङ्ग्रह गणक प्रश्न (Askerati n tests)
- (५) श्रेष्ठतम उत्तर (Best answer)
- (६) परिगणन प्रश्न (Enumerative n tests)
- (७) तर्क गूँथक प्रश्न (Reasoning n tests)

‘सत्याग्रह आन्दोलन के जनकदाता का नाम है’। इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गांधी। उत्तर में ५ अक्षर हैं, पाँच ही बिन्दु दे दिये हैं, जिससे विद्यार्थी समझ सकें कि उत्तर ठीक है, या नहीं। इस प्रश्न से ‘साधारण स्मृति’ के साथ साथ विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा हो जाये है। ‘भारतवर्ष के प्रधान मंत्री’ से लोक सभा में “ 1234” — इस वाक्य को पूरा करना पूरक प्रश्न कहता है। ‘देहरादून में जो वस्तुएं पैदा होती हैं उनमें से मुख्य चाय, लकड़ी, जड़ी, चूना, लोहा, सोना, चाड़ी हैं’ — इस वाक्य में ठीक गलत पर हाँ—‘ना’ लिखने से क्या जाता है। यह ‘हाँ-ना-प्रश्न’ कहा जाता है। एक तरह काता, फलम, चया शब्द लिखकर दूसरी तरह भनीया, गयान, भिना शब्द

लिखे जाते हैं और विद्यार्थियों को इन्हें एक-दूसरे के सम्बन्ध में रखने को कहा जाता है। अगर वह माता के साथ पिता, गदात के साथ कलम और चचा के साथ भतीजा रखता है, तब ठीक, नहीं तो उत्तर अशुद्ध हो जाता है। यही 'सम्बन्ध धोतक' प्रश्न है। एक ही प्रश्न के जब कई उत्तर हो सकते हों, तो वे लिख दिये जाते हैं, उनमें से विद्यार्थी को जो सबसे अच्छा जंचे उस पर चिह्न बनाने को कहा जाता है, यह 'सर्वोत्तम उत्तर'-सूचक प्रश्न है। 'भारत के उच्चकोटि के कौन-से चार नेता हैं, क्रम से लिखो'—यह पृष्ठना 'परिगणन सूचक' प्रश्न है। जिन प्रश्नों से विद्यार्थी की तर्क शक्ति प्रकट हो वे 'तर्क-सूचक-प्रश्न' कहाते हैं।

इस प्रणाली में प्रश्न का उत्तर एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, सचित्त 'हो-ना' में ही हो सकता है, विस्तार में नहीं, अतः इस में नाप-तोल कर अंक दिये जा सकते हैं। इस प्रणाली में स्मृति को परखने के लिये 'स्मृति' के, निम्न-लेखन को परखने के लिये 'परिगणन' के, तथा तर्क-शक्ति को परखने के लिये 'तर्क-सूचक-प्रश्न' रखे गये हैं। एक-एक मिनट में बालक बीसियों प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, और उसकी योग्यता का ठीक अन्दाज हो सकता है। यह ठीक है कि इस में परीक्षक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु परिश्रम करना तो उसका कर्त्तव्य ही है। इस प्रणाली को छोटे बच्चों, हाई-स्कूल तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है।

भारत में वर्तमान प्रचलित परीक्षा-प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस प्रगातिशील युग में किसी प्रणाली को सिर्फ इसलिये न चलते रहने दें क्योंकि यह चली आ रही है। इस में जो परिवर्तन अभीष्ट हो उसे शीघ्र में शीघ्र करना चाहिये।

अनुशासन (DISCIPLINE)

अनुशासन का अर्थ—

'शिष्य' को 'शिष्य' इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने 'अनुशासन' में रहना होता है, 'शिष्य' तथा 'अनुशासन' दोनों 'शस्' धातु से बने हैं जिसका अर्थ है, 'नियन्त्रण'। अंग्रेजी में भी 'टिशाइपल' और 'डिसिप्लिन' एक ही भाव को प्रकट करते हैं। 'अनुशासन' का नमूना सेना में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सेना में भर्ता होता है उसे अपनी इच्छा ताक में रख देनी होती है, आज्ञा चलन ही उसका एक मात्र कर्तव्य हो जाता है। सेना के 'अनुशासन' का अर्थ है, बिना अनु नच किये, जो कुछ कहा जाय उसे करते जाना। जो सिपाही सब जाते हैं उन्हें स्वन्दक में फूटने की आज्ञा दी जाय, तो वे जान की परा नहीं करते, फूट जाते हैं। जो परा करने लगते हैं, वे सब हुए सिपाही नहीं रहे जाते। इसी प्रकार 'शिष्य' को इस प्रकार साथ लेना कि माता पिता, तथा गुरु जो आज्ञा दें उसे सब बिना अनु नच के करे, यही 'अनुशासन' में, 'नियन्त्रण' में रहना है।

अनुशासन का उद्देश्य—

सेना का 'अनुशासन' किसी उद्देश्य में होता है। देखा पर शत्रु

गुरुमरु करे ता सिराही अ कर्तव्य है कि उसे जो आज्ञा में जाय वैसा ही करे, इसी प्रकार देश की रक्षा हो सकती है। शिक्षा के लिए भी 'अनुशासन' का कोई उद्देश्य होना चाहिए। वह उद्देश्य क्या है ?

इसमें कोई दो सन्निर्दिष्ट नहीं हो सकती कि 'शिक्षा' में 'अनुशासन' में रखने का उद्देश्य उन्ने उन गुरुओं को धारण करने योग्य बनाना है जिनसे यह आगामी जीवन में उत्तम नागरिक बन सके। देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि इसके नागरिक सबे हों, ईमानदार हों, एक-दूसरे के अधिकारों का धर रखें, लड़ाई नगाड़ा न करें। मनुष्य का स्वभाव तो अपने 'स्वार्थ' की सिद्धि है। यह अपने को केन्द्र बना कर लड़ता-झगड़ता है, चण्ड-लूट मार करना है, सब कुछ अपने पास जोड़ लेना चाहता है। उसे मनमानी करने को छोड़ दिया जाय, तो वह दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं देखना चाहता। देश तथा समाज की उन्नति में पाठक इन प्रवृत्तियों को रोक कर ठीक रास्ते पर लगा देना ही 'अनुशासन' का उद्देश्य है। मनुष्य केवल स्वार्थी ही नहीं है, न्याय ही सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए उसकी सामाजिक भावना को आधार बनाकर उसे 'स्वार्थ' में 'निःस्वार्थ' की तरफ भी ले जाना जा सकता है। अगर उसे समाज में रहना है, इच्छे ही नहीं रहना, तो अपने को ही केन्द्र बनाकर चलने से कम नहीं चलेगा, इसलिए समाज में रहने की उसकी इच्छा को उचित कर उसे समाज प्रियी भागों में हटाकर समाज के अनुकूल भागों पर चलाया जा सकता है। जिस उच्च से चलाया जा सकता है उसी को 'अनुशासन' कहते हैं।

दो प्रकार के अनुशासन—

'अनुशासन' दो प्रकार का है। 'भौतिक अनुशासन' और

'स्वतंत्र अनुशासन'। दोई समय था जब 'दण्ड शास्त्रि प्रजा सर्वा' का बोलचाल था। डंडा दिखाओ तो कोई बोल नहीं सकता था। योरोप में 'लॉक'-नानक शिक्षा शास्त्री हुए हैं। उनका कथन था कि डंडे के बिना बालकों को बस में नहीं रखा जा सकता। इस विचार के अनुयायी कहते थे कि बालक को जब कोई बात बार-बार कराई जाती है, अभ्यास में, वह उस का अंग बन जाती है। जैसे बार-बार के अभ्यास में शरीर की मांस पेशिया पुष्ट होती हैं, वैसे ही बार-बार उन गुणों के अभ्यास करने में जिन्हें हम बालक में डालना चाहते हैं वे गुण पुष्ट हो जाते हैं। अगर हम समझते हैं कि दूध पीना बालक के लिए हितकर है, तो वह बालक चाहे उसे जबर्दस्ती दूध पिलाया चाहिए, डंडे के डार में, उध धमका कर, हर तरह से पिलाना चाहिए। यही 'सैनिक अनुशासन' (Military discipline) है। परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उपाय ठीक नहीं है। जब बालक को रोई भी काम डंडे के जोर से कराया जाता है तब वह विद्रोह कर लठता है। यह बालक का ही नहीं, अनुष्ण मात्र का स्वभाव है। और इसी कारण समाज में क्रान्तियाँ हुआ करती हैं। प्राचीन काल में जब राजा का अलख शासन था तब गुणों में भी 'सैनिक शासन' को आधार बनाकर गुरु लोग शिष्य पर 'अनुशासन' किया करते थे; जैसे राजा के एकतर शासन में क्रान्तियाँ हुईं और हा रही हैं, वैसे गुरु के कठोर 'अनुशासन' से शिष्यों में भी विद्रोह मचता था, और मच रहा है। इसी कारण 'अनुशासन' के सम्बन्ध में एक नवीन 'मनोवैज्ञानिक' विचार-धारा ने जन्म लिया है। यह 'स्वतंत्र अनुशासन' (Free discipline) कहा जाता है। तुकर में इसके सर्वप्रथम समर्थक 'विडर गारटन'-पद्धति के प्रस्ताव को पेल हुए हैं। उनका कथन था कि बालक को एक आत्मा,

या भाषी नागरिक समझकर चलना बड़ी गलती है। 'बालक' तो बालक है, और बालक समझ कर ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। बालक खेलना चाहता है, दौड़-धूप करना चाहता है, रतभ्रम चाहता है। प्रकृति ने उसमें ये प्रवृत्तियाँ उसे बिगाड़ने के लिए नहीं, उसे बनाने के लिए रखी हैं। बालक को दबा कर नहीं, डरा-धमका कर नहीं, उसे स्वतंत्र छोड़ कर, खेलते-खेलते, वे सब गुण सिखाये जा सकते हैं जिन्हें हम ज़रूरती सिखाना चाहते हैं, और सिखा नहीं पाते। 'स्वतंत्रता' और 'परतंत्रता' में बड़ी तो भेद है। जिस काम को हम ज़रूरती सिखाना चाहते हैं उसमें बालक अपने को परतंत्र अनुभव करता है, इसलिए सीखने के स्थान में वह चिद्रोह कर उठता है; जिसे उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, परन्तु समझा देते हैं कि वह उसके लिए हितकर है, उसमें क्योंकि वह अपने को स्वतंत्र अनुभव करता है, इसलिए उसे सोख जाता है, चिद्रोह नहीं करता।

विस्तृत तथा संकुचित अनुशासन—

'अनुशासन' पर विस्तृत तथा संकुचित—दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। विस्तृत दृष्टि तो यह है कि हम बालक को समाज के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए समाज का सफल नागरिक होने के लिए जो गुण आवश्यक हैं उन्हें हम बालक को सिखाने हैं। हमका सबसे उत्तम उपाय तो यह है कि शिक्षक अपने आचरण में बालकों को सिखाये। जो शिक्षक स्वयं समय पर नहीं आता, स्वयं झूठ बोलता है, वह बालकों को समय पर आने और सत्य बोलने की शिक्षा दे, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता। विस्तृत दृष्टि से तो बालक को अपने जीवन से ही प्रभावित किया जा सकता है, परन्तु शिक्षक का असीली प्रश्न तो मूल का नियंत्रण है। यही संकुचित दृष्टि से 'अनुशासन'

का प्रश्न है। शिक्षक अपने स्कूल के संकुचित क्षेत्र को दिन दिन और घड़ी घड़ी की समस्याओं का कैसे हल करे ?

अनुशासन में शिक्षक का कर्तव्य—

स्कूल में 'अनुशासन' ठीक रखने के लिए शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए - (१) संकेत

(१) बालकों पर 'संकेत' (Suggestions) का बड़ा भारी प्रभाव होता है। बालक में 'संकेत' प्रदण करने की असीम शक्ति होती है। अगर अध्यापक को भाव नगी से, उसकी हर बात से बालक पर यह प्रभाव पड़े कि उसे परिश्रम करना चाहिए, तो यह परिश्रम ही होता है, अगर बालक का जेठ सा भी शरारत का इशारा मिल जाय तो यह भट से शरारत करने लगता है। कई अध्यापकों के इशारों में कभी कभी स्कूलों में हड़तालें हुआ करती हैं।

(२) नियंत्रण

(२) नियंत्रण प्राप्त शरारत का कारण हुआ करता है। जो बालक हर समय किसी उपयोगी काम में लगे रहते हैं उन्हें 'अनुशासन' भंग करने की दुरस्त ही नहीं मिलती। नियंत्रण कायम रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी-न किसी काम में लगाये लगे। (३) नियंत्रण

(३) नियंत्रण ठीक रखने के लिए अध्यापक को अपने अन्दर 'मानसिक स्थिरता' (Emotional stability) धारण करनी चाहिए। अगर विद्यार्थी को पता हो कि जेठ सी बात से मास्टर सहज सारा दो जाते हैं, जेठ सी बात से नाराज, तो लड़के ही मास्टर को पताने लगते हैं। शिक्षक को भट से, बिना बात के क्रोध में और बिना बात के ठट्ठ मार कर हंसते देखकर बालक को पता नहीं रहता कि यह किस पानी में हैं, शिक्षक उसके साथ न्याय कर रहा है, या अन्याय। जहाँ बालक पर यह

प्रभाव पड़ा कि शिक्षक उसके साथ अन्याय कर रहा है, वही अनुशासन भंग का बीज बोया गया।

(४) बालक पर जब यह प्रभाव पड़े कि अध्यापक अपना रोव जमाने के लिए कई चेकर आज़ाज़ देता है, तो वह भी जान-बूझ कर उन आज़ाज़ों को भंग करने लगता है। आज़ा हो, परन्तु साथ ही उस आज़ा की सार्थकता की पूरी तरह से डेवल्लो, उसमें कड़वा मत आने से, उसकी निरर्थकता सिद्ध हो जाय, तो उसे वापस ले लो।

(५) जैसा पहले कहा जा चुका है, कहने में करने का अधिक प्रभाव पड़ता है। कई अध्यापक अपने जीवन में हर नियम का उल्लङ्घन करते हैं, बालकों में किसी नियम का उल्लङ्घन होते देख कर आग-बगला हो उठते हैं। ऐसे अध्यापक अपनी कमजोरी के कारण बालकों को नियन्त्रण में रखते ही नहीं, रखने लगते हैं तो रख नहीं सकते, जबरदस्ती करते हैं, तो विद्रोह सदा बरा लेते हैं।

उपर जा चले कदो गई हैं उनका अधिकतर शिक्षक के साथ सम्बन्ध है। 'अनुशासन' के लिए कई ऐसी बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक है जिनका विद्यार्थी के माथ सम्बन्ध है, और उन में सब से बड़ी बात 'अनुशासन में स्वतन्त्रता' (Free discipline) है।

मूल में 'स्वतन्त्र-अनुशासन'—

यह युग 'जन-तन्त्र' का युग है, इसी भावना ने अनुशासन-प्रणाली में भी प्रवेश कर लिया है। जिस देश में नियम अधिक नोडे जाते हैं उसका यही कारण होता है कि जनता उन नियमों को पसन्द नहीं करती। जिन नियमों के पीछे जनता की आवाज होती है उन्हें नोडने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती। स्कूल में

भी अगर विद्यार्थी अनुभव करें कि जो नियम चल रहे हैं उन्हीं के अपने बनाये हुए हैं, तो वे उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। अध्यापक का काम विद्यार्थियों के सामने सारी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट रख देना है जिससे वे स्वयं उन नियमों को बनायें जिन्हें अध्यापक बनाकर उनपर थोपना चाहता है। यह ठीक है कि अब तक मुख्य-अध्यापक तथा अध्यापक ही नियम बनाते रहे हैं, इन नियमों को बनाने में उनकी योग्यता भी विद्यार्थियों से बहुत अधिक होती है, परन्तु अब जन-तंत्र के युग में यह अनुभव किया जाने लगा है कि विद्यार्थियों का स्कूल के शासन-प्रबन्ध में हाथ होने से अनुशासन का कार्य आसान हो जाता है।

छोटे पक्षों तथा अध्यापकों में तो जमीन-आसमान का अन्तर होता है इसलिए वे तो अपना शासन स्वयं नहीं कर सकते, परन्तु बड़े बालकों तथा अध्यापकों में इतना भारी अन्तर नहीं होता, वे नियमों का महत्व समझ सकते हैं, अपना शासन भी अपने-आप कर सकते हैं, उन्हें जिम्मेदारी के काम भी किये जा सकते हैं। जब बालकों के अपने कंधों पर जिम्मेदारी आ पड़ती है तब अनुशासन में रहना वे स्वयं सीख जाते हैं, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में धीरे-धीरे का संघर्ष स्वयं दूर हो जाता है। विद्यार्थी अपना पार्षिक (Prefect) स्वयं चुनें, अपने शासन के नियम स्वयं बनायें, उन नियमों का जो उल्लंघन करे उसे स्वयं पकड़ दें—इस प्रकार 'अनुशासन' की समस्या को बहुत-बुद्ध हल किया जा सकता है।

प्रस्तावना में आरम्भ—

'अनुशासन' का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जो नियम बनाये जाते हैं उनका पालन किसी पाषाण यन्त्र के कारण न हो, आन्तरिक प्रेरणा से हो। इसके बजाय कि माता पिता या गुरु के

कहने से बालक किसी काम को करे, अगर वह आन्तरिक प्रेरणा से उस काम को करेगा, तो उस काम में उसे स्वयं आनन्द आयेगा। 'अनुशासन' बाहर का न रहे, अन्दर का होने लगे, इसके लिए 'अनुशासन' चार क्रमों में से गुजरता है। वे क्रम निम्न हैं —

- (१) प्रकृति द्वारा निश्चित कार्य-कारण के सम्बन्ध में अनुभव से बालक का नियंत्रण।
- (२) बड़ों द्वारा पुरस्कार तथा दंड का भय दिखाकर नियंत्रण।
- (३) समाज द्वारा निन्दा तथा स्तुति के कारण नियंत्रण।
- (४) श्राव्य सम्मान के स्थायी-भार बन जाने पर नियंत्रण।

जब बालक छोटा ही होता है तब उसे यह अनुभव होने देना आवश्यक है कि अगर वह उल्टा काम करेगा तो प्रकृति ही उसे दंड दे देगी। इस अवस्था में वह अपने अनुभव से बहुत-कुछ सीख जाता है। हम सब बचपन में आग से खेलते-खेलते अपने अनुभव से जान चुके हैं कि आग से हाथ जल जायगा। रूसी और स्पेनर का कथन था कि बालक को दंड नहीं देना चाहिए, दंड देने का काम प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, और दंड देना ही तो ऐसा देना चाहिए जिसमें कार्य-कारण का सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई देता हो। हम देखते हैं कि आग से खेलने से हाथ जल जाता है, चारू से खेलने से हाथ टूट जाता है, कोई चीज ली जाय तो उसके लोथे जाने का दुःख बना रहता है। स्कूल में भी अगर बालक देर में आवे तो उसे रूज के बाद रोके रखना, अगर गन्दे कपड़े पहने तो स्कूल में ही कपड़े धुलना कर भेगी में बैठने देना कार्य-कारण के सम्बन्ध को सामने रख कर 'अनुशासन' करना है। यह क्रम बचपन का है, स्कूल में जाने से पहले का है।

परन्तु बालक को प्रकृति के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता । स्वयं परीक्षण करते-करते बालक अपने को नुनसान भी पहुँचा सकता है । उसे यह बताना आवश्यक है कि कौन सी बात ठीक है, कौन-सी शलत । अगर वह फहे के अनुसार न करे तो उसे 'दण्ड' देना आवश्यक हो जाता है, काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'पुरस्कार' भी देना होता है । यह क्रम बचपन के बाद का है । इसके विषय में अगले अध्याय में लिखा जायगा ।

'अनुरासन' में तीसरा क्रम समाज द्वारा निन्दा तथा स्तुति है । जब बालक दण्ड तथा पुरस्कार से ऊपर उठ जाता है तब वह नियमों का पालन करते हुए निन्दा तथा स्तुति को ध्यान में रखता है । स्कूल स्वयं एक समाज है । शिक्षक का कर्तव्य है कि स्कूल का मान-दण्ड इतना ऊँचा बनाये रखे जिससे कोई भी विद्यार्थी ऐसे काम को करता हुआ लज्जा अनुभव करे जो स्कूल के ऊँचे स्तर के प्रतिबन्ध हो, जिससे स्कूल की अप्रतिष्ठा होती हो, जिससे वह दूसरों की निन्दा का पात्र बने ।

'अनुरासन' में सब से ऊँची अवस्था तब आती है जब बालक किसी दूसरे के बढ़ने से नहीं, किसी दूसरे को सन्तुष्ट करने के लिए नहीं, अपने आत्मा के सन्तोष के लिए किसी नियम का उल्लङ्घन नहीं करता । यह अवस्था तब आती है जब बालक में 'आत्म सम्मान के स्थायी-भाव' (Self-regarding sentiment) का निर्माण हो जाता है । इस अवस्था में 'अनुरासन' बाहर नहीं रहता, आन्तरिक हो जाता है, माता पिता, गुरुओं तथा पड़ोस के सन्तोष के लिए नहीं होता, अन्तरात्मा के सन्तोष के लिए होता है ।

दण्ड तथा पुरस्कार

(PUNISHMENTS AND REWARDS)

'अनुशासन' या 'दंड' तथा 'पुरस्कार' के साथ विशेष सम्बन्ध है, विशेषतया स्कूल के 'अनुशासन' के साथ। सब से अच्छा 'अनुशासन' तो यह है कि बालक किसी काम को इसलिए करे क्योंकि वह काम अच्छा है, उसके न करने या करने में 'दण्ड और पुरस्कार', 'निन्दा और स्तुति' को ध्यान में न रखे, परन्तु ऐसा होता नहीं है। 'दंड' या 'निन्दा' के भय से बालक घुरे कामों से रुके रहते हैं, 'पुरस्कार' या 'स्तुति' की खूशियों से अच्छे काम करते हैं। हम पहले 'दण्ड' और फिर 'पुरस्कार' पर विचार करेंगे।

१—दण्ड

दण्ड के उद्देश्य—

दण्ड के तीन उद्देश्य हो सकते हैं: 'वदला' (Retribution), 'सुधार' (Reformation) तथा 'प्रतिषेध' (Prevention)। जिस समय समाज अत्यन्त निचली अवस्था में था, जगली था, उस समय बदला लेने की भावना से ही दंड दिया जाता था। आज भी पाँची का दण्ड 'वदला' लेने के लिए ही दिया जाता है। दण्ड का अर्न्त उद्देश्य व्यक्ति का 'सुधार' तथा आगे से वह या दूसरा

कोई वैसा अपराध न करे, इस प्रकार का 'प्रतिरोध' करना है। स्कूल में तो 'सुचार' तथा 'प्रतिरोध' ही दण्ड का उद्देश्य हो सकता है, 'बदला' नहीं।

दण्ड की निरापत्तार्थ—

दण्ड वैसा हो, इस सम्बन्ध में अनेक विचार प्रकट किये गये हैं जिनमें से वेन्थम के विचार प्रामाणिक माने जाते हैं। वेन्थम ने दण्ड की विशेषताओं का वर्णन करते हुए ममान को ध्यान में रखा है, परन्तु स्कूल के सम्बन्ध में भी ये विचार वैसे ही ठीक हैं। ये विचार निम्न हैं :—

(१) दण्ड अपराध के 'अनुपात' में (Proportionate) होना चाहिए। किसी अपराध के लिए कोई निश्चित दण्ड नहीं होना चाहिए, परिस्थिति तथा अपराधी की मनोवृत्ति के अनुसार उसमें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता चाहिए जिससे अपराध और दण्ड में अनुपात बना रहे। स्कूल में डेर से आने पर एक रुपया जुर्माना होगा—इस निर्धारित नियम बनाने का परिणाम यह होगा कि जो बालक किसी ऐसे काम में देर में आया है जिसे समझने पर अभ्यासक भी आवश्यक समझ सकता है उसे भी जुर्माना होगा, और विद्यार्थी को स्कूल के निश्चय में अन्याय द्वाारा पड़ेगा। जो बालक पश्चाताप कर रहा हो उसे भी नियमानुसार निश्चित दण्ड देना विचार-शून्य कार्य है। शारीरिक दण्ड, जुर्माना, निःशुल्कता आदि ऐसे दण्ड हैं जिन्हें परिस्थिति तथा व्यक्ति की मनोवृत्ति के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है, और इन का इसी प्रकार उपयोग भी करना चाहिए। थोड़ी-सी बात पर जुर्माना आसमान तक कर देना शिष्टक के लिए अपनी अयोग्यता सिद्ध कर देना है।

(२) दण्ड अपराध के 'अनुरूप' (Characteristic)

होना चाहिए। विद्यार्थी को समझ आ जाना चाहिये कि इस अपराध के लिए ऐसा ही दण्ड क्यों दिया गया। देर में आने वाले को देर से जाने देना, मैले कपड़े वाले से स्कूल में ही कपड़े धुलवाना, अनुरूप दण्ड हैं; देर में आने पर कान पकड़वाना, मैले कपड़े होने पर बेंत मारना प्रतिरूप दण्ड हैं, ऐसे दण्ड हैं जिनका कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है, और न बालक की समझ में ही आ सकता है।

(३) दण्ड ऐसा होना चाहिये जिससे दूसरे भी वैसा अपराध करने से रुकें। यह उनके लिये 'उदाहरण-रूप' (Exemplary) हो। इस उद्देश्य से दण्ड सबके सामने देना चाहिए या नहीं, इस बात का निर्णय भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न करना होगा।

(४) दण्ड ऐसा होना चाहिये जो अपराधी का 'सुधार' करने वाला (Reformative) हो, उसकी नीच वृत्तियों को दबाये और उच्च-वृत्तियों को उभारे। अपराधी को जितना ही विश्वास होता जायगा कि उसे बदले की भावना से दण्ड नहीं दिया जा रहा उतना ही वह सुधरता जायगा।

(५) दण्ड ऐसा होना चाहिये जिससे अपराधी ने जो नुकसान पहुँचाया है उसकी 'सतिपूर्ति' करने वाला (Compensatory) हो।

(६) दण्ड ऐसा होना चाहिये जो 'सर्व-प्रिय' (Popular) हो, जिसे दूसरे भी ठीक कहें, ऐसा न हो जिससे सब विद्यार्थियों की सहानुभूति शिक्षक के साथ होने के स्थान में अपराधी के साथ हो जाय।

दण्ड के प्रकार—

इन दृष्टियों से विचार किया जाय तो दण्ड को दो भागों में

काटा जा सकता है—'मृदु' तथा 'कठोर'। एकान्त में या सब के सामने भिड़क देना, अपमानित करना, अरु काट लेना, छुट्टी के समय राकलेना, जुर्माना करना आदि 'मृदु' दंड हैं, मारना पीटना 'कठोर' दंड हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि दंड देने की आवश्यकता ही न पड़े। जिस सस्था में जितना अधिक दंड दिया जाता है उसकी शासन व्यवस्था उतनी ही निरक्ष्मी है, परन्तु अगर दंड देने की आवश्यकता पड़े भी तो कम से-कम, मृदु-स-मृदु, हल्के से हल्का दंड देना चाहिए, जब इनमें से किसी उपाय से काम न चले सभी कठोर दंड देना चाहिए।

भिड़कना (Reproof)—अगर गुरु शिष्य में प्रेम सम्बन्ध हो तो गुरु का शिष्य को अपराध के लिए भिड़क भर देना पर्याप्त होता है। कई अध्यापक जरा-सी बात पर भिड़कने लगते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि 'अपराध तथा दण्ड में अनुपात' होना चाहिए, ऐसा न हो कि छोटा-सा अपराध और बड़ा सा दंड, एवं बड़ा-सा अपराध और छोटा-सा दंड हो। जहाँ अंत के इशारे से काम चल जाय वहाँ भिड़कना भी उचित नहीं, बालक के स्वभाव को देखकर जहाँ सब के सामने भिड़कना आवश्यक हो वहाँ सबके सामने भिड़कने से बचना भी उचित नहीं।

अपमानित करना (Disgrace)—कभी-कभी बालक को सबके सामने अपमानित करना आवश्यक हो जाता है। हरेक अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, इसलिए बालक ऐसे कामों में बचाना चाहता है जिनसे अपमान सहना पड़े। कोने में सजा करना, सब पर लहा कर देना ऐसे ही दंड हैं, परन्तु इन सबके देते हुए ध्यान रखना चाहिए कि बालक पर यह प्रभाव न पड़े कि अध्यापक उससे किसी प्रकार का बदला ले रहा है, उससे अ-वाय कर रहा है,

सीमा से अधिक दंड दे रहा है, या ऐसा दंड दे रहा है जिसे अपराध के साथ किसी प्रकार जोड़ा ही नहीं जा सकता।

अंक काट लेना (Loss of marks)—सदाचार आदि के सम्बन्ध में विद्यार्थी को साल के शुरु में ५० अंक दिये जा सकते हैं, और ज्यों-ज्यों वह अपराध करता जाय त्यों-त्यों उसके अंक काटे जा सकते हैं। गुरुकुल कागडी तथा कन्या गुरुकुल देहपट्टन में यह प्रथा है, और इसे 'त्रताभ्यास' कहा जाता है। 'त्रताभ्यास' के अंकों को माता पिता के पास भेजना चाहिए जिससे वे भी शिक्षकों के साथ बालक को सम्बन्धने में सहयोग दे सकें।

छुट्टी के समय रोक लेना (Detention)—कई स्कूलों में अपराधों के दण्ड रूप में बालकों को छुट्टी के समय रोक लिया जाता है, और उनसे कोई काम कराया जाता है। एक लड़के ने दूसरे को मारा, उसे छुट्टी में रोक लिया गया और संस्कृत के दस वाक्य लिखने को कहा गया। मारने का और संस्कृत के वाक्य लिखने का कोई सम्बन्ध नहीं, अतः यह दण्ड अपराध के अनुरूप नहीं है। ऐसे दण्ड देने का परिणाम यह होता है कि जो काम उमसे कराया जाता है उसके साथ उसके मन में घृणा का सम्बन्ध हो जाता है। दंड देने के लिये विद्यार्थी को रोक लेना अनुचित नहीं है, परन्तु उस समय उससे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे पढ़ाई में ही उसे घृणा न हो जाय।

जुर्माना (Fines)—अपराध के लिए जुर्माना करना बालकों को नहीं, माता पिता का दण्ड देना है। जो जुर्माना दे सकते हैं वे जुर्माने की पर्वा नहीं करते। जुर्माना कम से-कम करना चाहिए।

शारीरिक दंड (Corporal punishment)—उन्हीं जिन दंड का वर्णन किया गया है, वे 'सूडु' दण्ड हैं। मारना-पीटना

पेंत लगाना 'कठोर' दंड है। कठोर दंड देते हुए भी यह देखना आवश्यक है कि दंड अपराध के 'अनुरूप' है या नहीं, दंड तथा अपराध एक दूसरे के 'अनुरूप' हैं या नहीं, उनका कार्य-कारण का सम्बन्ध जुड़ सक्ता है या नहीं, क्या दंड देने से दूसरों के सामने ऐसा 'उदाहरण' उपस्थित हो जाता है जिससे उनमें से कोई वैसा अपराध न करे, क्या उससे अपराधी का 'सुधार' होता है, क्या ऐसा कठोर दंड तो नहीं दिया जा रहा जिससे सब विद्या-विद्यों की 'सहानुभूति' अपराधी के साथ ही हो जाय, वह विद्या-विद्यों का 'हीरो' बन जाय।

शारीरिक दंड के विषय में दो विचार धाराएँ काम कर रही हैं। बुद्ध लोगों का कथन है कि शारीरिक दंड विरलुल नहीं देना चाहिए, उद्य लोग कहते हैं कि इसके बिना कई लड़कों को सीधा रखा ही नहीं जा सकता। प्रायः बालक देखना चाहते हैं कि बिना दतरे के वे कहाँ तक शरारत में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बालकों को जनतक यह न दिस जाय कि शरारत का मार्ग कठोर दंड का मार्ग है तबतक वे शरारत में आगे ही-आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, यह ठीक है कि शारीरिक दण्ड देते हुए अभ्यापक को खूब सावधानी लेना चाहिए कि वह क्रोध में तो दण्ड नहीं दे रहा, बदले से तो दण्ड नहीं दे रहा निरमग-भाव में दण्ड दे रहा है। ऐसे ही गुरुओं के लिए कहा गया है, 'सामृते पाणिभिर्नन्ति गुरो न विगोक्षते।'— गुरु जब मारते हैं तब अमृतमय हाथों से मारते हैं, विष सने हाथों से नहीं।

२—पुरस्कार

दण्ड का आधार दुःख है, पुरस्कार का आधार सुख है। दण्ड की तरह पुरस्कार की भी कई विशेषताएँ हैं जो निम्न हैं—

पुरस्कार की विशेषताएँ—

(१) पुरस्कार ऐसे होने चाहिए जिनसे बालक का सम्पूर्ण चरित्र प्रभावित हो। भिन्न भिन्न विषयों में प्रथम आने पर पुरस्कार देने की अपेक्षा सब विषयों में प्रथम आने वाले को पुरस्कार देना अधिक अच्छा है, इससे बालक का सीमित विकास होने के स्थान में सर्वांगीण विकास होता है।

(२) पुरस्कार प्राप्त करना ही बालक का लक्ष्य नहीं हो जाना चाहिए। बचपन में बालक पुरस्कार के लिए मेहनत करे इसमें कोई दोष नहीं, परन्तु ज्यों जथा वह बड़ा होता जाय, त्यों-त्यों पुरस्कार के बिना कार्य करने की आदत बालनी चाहिए, नहीं तो जब तक उसे कुछ लाभ नहीं दीखता वह काम करना नहीं चाहेगा, यह एक तरह की रिस्वत का रूप धारण कर लेता है।

(३) पुरस्कार दैनिक जीवन की साधारण बातों पर ही देना चाहिए, जीवन के मूल तत्वों पर नहीं। नियम-पालन, सफाई, मेहनत, हरेक चीज को सभाल कर यथा-स्थान रखना आदि साधारण बातें हैं, इन पर पुरस्कार देना ठीक है, जीवन में भी इन बातों पर ध्यान देने से कुछ प्राप्ति ही होती है, परन्तु सत्य बोलना, नम्र चर्य का पालन करना, दूसरों की भेदा करना आदि जीवन के मूल तत्व हैं, इन का पुरस्कार के साथ सम्बन्ध जोड़ देना ठीक नहीं, इन्हें तो बालक को बिना पुरस्कार के करना सीखना चाहिए। झूठ बोलने पर दण्ड देना ठीक है, परन्तु सत्य बोलन पर पुरस्कार देना ठीक नहीं, क्योंकि सत्य तो बिना पुरस्कार के ही बोलना चाहिए। नेईमानी कर्मे पर दण्ड देना ठीक है, परन्तु ईमानदारी पर पुरस्कार देना ठीक नहीं, क्योंकि वैयक्तिक हानि भी हो जाय, ईमानदारी तो शरतनी ही चाहिए।

(४) जिन बालकों में जन्म सिद्ध कई विशेष गुण हैं उनके लिए पुरस्कार देना अन्य बालकों को निरुत्साहित करना है, पुरस्कार न भी दिया जाय तब भी जिसमें जो गुण है वह तो है ही, फिर उस पर पुरस्कार देने का दूसरों को निरुत्साहित करने के अतिरिक्त कोई दूसरा असर नहीं हो सकता। अगर एक बालक ६ कीट लम्बा है, और दूसरा ४ कीट है, तो लम्बाई पर पुरस्कार रखना ४ कीट वाले को निरुत्साहित करने के सिवाय कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता क्योंकि जो ६ कीट का है वह, पुरस्कार मिले न मिले, ६ कीट का रहेगा ही।

पुरस्कार के प्रकार—

पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। या तो पुरस्कार के रूप में हम बालकों को पुरस्कार, पैसेल आदि 'चीजें' देते हैं, या उनकी 'प्रशंसा' करते हैं। इनाम में चीजें देने से बालकों का उत्साह बहुत बढ़ता है, यह चहरी नहीं कि उस चीज का मूल्य बहुत अधिक ही हो। असल में इनाम में कोई चीज मिल जाने से बालक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा हुआ पाता है, इसलिए मूल्य प्रशंसा ही सब में अच्छा पुरस्कार है। 'प्रशंसा' के रूप में शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसका बालक को आगे बढ़ाने में वह बड़ा भारी उपयोग कर सकता है। जैसे गिद्धक देने से बालक अपराध से रुक जाता है, वैसी प्रशंसा कर देने से उसकी शक्ति या तीव्र हो उठती है। शिक्षक का अन्तिम ध्येय यह होना चाहिए कि बालक किसी चीज को पाने या प्रशंसा के लिए, अर्थात् पुरस्कार के लिये कोई काम न करे, जो-बुद्ध कर अपना कर्तव्य समझ कर करे।

पाठशाला तथा स्वास्थ्य-रक्षा

(SCHOOL HYGIENE)

प्रायः शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक-विकास करना समझा जाता है, शारीरिक नहीं। स्कूल में इतना पढ़ाया-लिखाया जाता है कि बालक का शरीर क्षीण होने लगता है। परन्तु उही शिक्षा का काम बालक के मन के साथ-साथ उसके शरीर का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना है। इस दृष्टि से शिक्षा-संचालकों के दो कर्तव्य हो जाते हैं—पहला तो 'पाठशाला' के स्थान, वायु, जल, नालियाँ, टट्टियाँ, स्नान-गृह, चयन आदि का स्वास्थ्य-प्रद प्रबन्ध करना है; दूसरा 'बालक' के रहन-सहन, कपड़ा, सफाई आदि का ध्यान रखना है; पहले में 'पाठशाला' की स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न आ जाता है, दूसरे में 'बालक' की स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न आ जाता है। हम इस अध्याय में 'पाठशाला' की स्वास्थ्य-रक्षा पर प्रथम बोलेंगे, अगले अध्याय में 'बालक' की स्वास्थ्य-रक्षा पर।

१—पाठशाला का स्थान तथा जमीन

पाठशाला का स्थान चुनते हुए अन्य बातों के साथ-साथ वहाँ की 'परिस्थिति' तथा 'जमीन' का ध्यान अत्यन्त रखना चाहिए।

स्थान अथवा परिस्थिति —

पाठशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ भरपूर प्रकाश और वायु आती हो, शार, गंधुओं और दुर्गन्ध न आती हो, चारों तरफ हरियावली, सारा पत्तीचे हो। 'सर्वतानामुपमधे नदीना च संगमे धियो विप्रा अजायत' पर्वतों के निचले, नदियों के किनारे विशाभ्ययन करने में जो आनन्द आता है वैसे दूसरी जगह नहीं आता, वही धोमान विप्र पैग होते हैं। परिस्थिति के अतिरिक्त जमीन का ठीक ठीक चुनाव बहुत आवश्यक है।

जमीन ठीक होना चाहिए -

(१) जमीन के दो हिस्से होते हैं 'उपरि-स्तर' (Surface soil) तथा 'अध-स्तर' (Subsoil)। 'उपरि-स्तर' में 'सज्ज' (Inorganic) तथा 'पेन्द्रियिक' (Organic) पदार्थ रहते हैं। 'पेन्द्रियिक' पदार्थों में पशुओं की हड्डियाँ, पत्रपतियाँ आदि होती हैं; इसी कारण 'उपरि-स्तर' में 'दृमि' (Bacteria) रहते हैं। 'अध-स्तर' में केवल 'सज्ज' (Inorganic) पदार्थ रहते हैं अतः उसमें 'दृमि' नहीं रहते। पाठशाला का भवन उनाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 'उपरि-स्तर' पर सध जगह रोड़ी-पुटपट ही जग साह किमी प्रकार के दृमियों का डर न रहे।

(२) 'उपरि-स्तर' भी दो तरह का हो सकता है—'द्विद्र युक्त' (Porous) तथा 'द्विद्र रहित' (Impervious)। वर्षा के समय 'द्विद्र युक्त' स्तर में पानी जमीन के भीतर सिम जाता है, और दृमियों तथा जमीन की कार्बन आदि को 'अध-स्तर' (Subsoil) में भी पहुँचा देता है। जब गर्मों के कारण जमीन में भाव-पट्टों के जल उमके साथ साथ नीचे पहुँचने से पोषाणियाँ—दृमि तथा कार्बन—नीचे उतर आती हैं, अतः जमीन 'द्विद्र युक्त' (Porous) न होकर 'द्विद्र रहित' (Impervious) होनी चाहिए।

(३) 'द्विद्र-युक्त' जमीन से जो पानी नीचे को रिपजा दे वह 'द्विद्र रहित' स्तर के आ जाने पर और अधिक नीचे नहीं जा सकता, वह 'भू-जल' (Ground water) कहा जाता है। कितनी भी जगह के कूप को देख कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या 'भू-जल' कितनी दूर पर है। स्वास्थ्य-प्रद भूमि के लिए आवश्यक है कि यहाँ का 'भू-जल' पृथिवी के 'उपरि-स्तर' से कम से कम १० फीट नीचे हो, इससे ऊपर नहीं।

(४) जिस प्रकार पृथिवी के नीचे जल है, इसी प्रकार भूमि में वायु भी रलो मिली रहती है। 'द्विद्र युक्त' (Porous) भूमि में ५० प्रतिशत वायु का मिश्रण रहता है। इस वायु को 'भू-वायु' (Ground air) कहते हैं। 'भू-वायु' में २ से ८ प्रतिशत तक 'कार्बन डाई ऑक्साइड' रहता है, इसमें 'ऑक्सीजन' साधारण वायु से बहुत कम रहता है, 'द्विद्र-युक्त' होने के कारण इसमें 'उपरि-स्तर' के 'गेन्द्रियिक' (Organic) पदार्थ पड़े रहते हैं, उनके साथ-साथ 'कृमि' (Bacteria) भी 'उपरि-स्तर' से 'निम्न-स्तर' में जाते रहते हैं। जब जमीन के जल की सतह बहुत बढ़ी होती है, या गर्मी आदि के कारण वायु फैलती है, तब यह 'भू-वायु' ऊपर उठ आती है, और 'कार्बन डाई ऑक्साइड' को फैलाकर अनेक बीमारियों को पैदा कर देती है। इसलिए भी ऐसी जमीन मा चुनाव करना चाहिए जो 'द्विद्र युक्त' न हो, और जहाँ पानी बहुत नीचे हो।

२—वायु का स्वतंत्र गमनागमन

वायु का जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है अतः यह देखना आवश्यक है कि बालकों को शुद्ध वायु मिलती है, या नहीं। शुद्ध वायु में निम्न अंश होते हैं—

नाइट्रोजन ७६ प्रतिशत ।

आक्सीजन २०.०६ प्रतिशत ।

कार्बन डाई-आक्साइड ०.४ प्रतिशत ।

स्कूल में बैठे हुए बालकों के फेफड़े में जो वायु बाहर निकलती है उसमें निम्न अंश होते हैं —

नाइट्रोजन ७६ प्रतिशत ।

आक्सीजन १९ प्रतिशत ।

कार्बन डाई आक्साइड १.४ प्रतिशत ।

वाष्प आदि अशुद्ध ६ प्रतिशत ।

इस प्रकार हमने देखा कि शुद्ध वायु में और स्कूल की वायु में बड़ा भेद है। शुद्ध वायु में '०७ प्रतिशत 'कार्बन डाई आक्साइड' होता है, स्कूल की वायु में ४.७ प्रतिशत शुद्ध वायु में २०.०६ प्रतिशत 'आक्सीजन' होता है, स्कूल की वायु में १.६ प्रतिशत शुद्ध वायु में फेफड़े से निकले दुर्गन्ध-युक्त अन्य पदार्थ नहीं होते, स्कूल की वायु में होते हैं।—तीव्र यह है कि स्कूल की वायु में कार्बन अधिक तथा आक्सीजन कम होता है। इसके अतिरिक्त फेफड़े से जो वायु निकलती है उसमें जल का अंश भी रहता है। यह अलौकिक-अंश स्कूल की हवा में फैल जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर का पसीना उतना नहीं सूख पाता जितना तब सूखता अगर वायु मण्डल में जलीय अंश न होता। शुद्ध वायु तथा स्कूल की वायु में सब से बड़ा भेद 'कार्बन डाई-आक्साइड' का है, यही तो जीवन के लिए हानिकारक है। यह देखा गया है कि १०० घन फुट शुद्ध वायु में '०२ घन फुट 'कार्बन डाई-आक्साइड' और मिश्र हो जाय तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा असर नहीं होता। इस दृष्टि से स्कूल की वायु में साधारण अवस्था की-अवस्था-इयदा से इयदा १०० घन फुट

१=४ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

जगह में ०२ घन फुट 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' सठन की जा सकती है, अधिक नहीं। यह देखा गया है कि एक बालक एक घंटे में ४ घन फुट 'कार्बन डाई ऑक्साइड' पैदा करता है। ०२ घन फुट 'कार्बन' सहन करने के लिए १०० घन फुट शुद्ध वायु की आवश्यकता है, तो ४ घन फुट 'ग्लूकोस' सहन करने के लिए २००० घन फुट शुद्ध वायु की आवश्यकता होगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्कूल में एक घंटे में एक बालक को शुद्ध हवा देने का प्रबन्ध करना हो तो उसे २००० घन फुट हवा मिलनी चाहिए। अगर स्कूल के कमरे में एक बालक के लिए १०० घन फुट जगह मानी जाय, अर्थात् छत से लेकर फर्श तक जितना क्षेत्रफल कमरे का वने उसमें से प्रत्येक बालक के हिस्से १०० घन फुट जगह आवे, तो एक घंटे में २० बार हवा को बदलना चाहिए ताकि बालक को (१०० × २०) अर्थात् २००० घन फुट शुद्ध हवा मिल सके। शुद्ध हवा न मिलने में बालक धक जाते हैं, उन्हें सिर दर्द होने लगता है, हृदय पर असर होता है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। इसी लिए खूबी हवा में, वृक्षों के नीचे पढ़ाना सबसे अच्छा है। अगर कमरों में ही पढ़ाना हो तो कमरे हवादार होने चाहियें, और दो-दो, तीन-तीन घंटे के बाद सब छात्रों को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि शुद्ध हवा प्रवेश कर सके। दरवाजे और खिड़कियाँ खोलकर रखने चाहियें। मकान बनाने हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्ध हवा के निकलने और शुद्ध हवा के आने के लिए पर्याप्त रोशनीदान और खिड़कियाँ हों। जैसा अभी कहा गया था, एक बालक को एक घंटे में कम से कम २००० घन फुट शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। अगर माना जाय कि हवा १ सेकण्ड में ५ फुट की गति में चलती है तो एक बालक के लिए १६ गज इतना रोगनमान तथा खिड़कियाँ चाहियें, तब उसे २००० घन फुट शुद्ध

हवा मिल सकेगी। अगर एक श्रेणी में ५८ विशावी हों तो प्रत्येक को २००० घन फुट हवा देने के लिए ५१ वर्ग फीट रोशनदान तथा सिद्धकिया चाहिये।

३ — जल-प्रबन्ध तथा नालियां

बालकों को बड़े आदमियों की अपेक्षा अधिक जल की आवश्यकता रहती है, अतः जल का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अगर जल को भर कर रखा जाय तो जिम वर्तन में रखा जाय उसे खोल कर देना सकता चाहिए। जहां थोड़ा सोडने से ही पानी निकल आता है वहां जल की समय समय पर परीक्षा कर लेनी चाहिए कि वही उरुमें भूमि के 'ऊपरी स्तर' से पानी का प्रवेश तो नहीं हो गया। अगर बालक कूप का पानी पीने हैं, और दीर्घायुकाश में कूप का पानी निकलना नहीं रहा, तो मूल खुलने से पहले कुछ साफ रखा लेना चाहिए। छात्रागमों में पानी का इतना प्रबन्ध होना चाहिए जिममें छात्र अच्छी तरह स्नान कर सकें, पर्वन मांज सकें, और आवश्यकता पड़ने पर कपड़े भी धो सकें। इस प्रकार जो पानी यह निकले उसे नालियों द्वारा बगीचे में पहुँचाना चाहिए, कीचड़ नहीं होने देना चाहिए। मरानों के लिए जैसी नालियां बननी हैं वैसे रूज में भी पानी चाहिए, पानी को दही इरट्टे नहीं होने देना चाहिए। सुली नालियों की सफाई आसानी से हो जाती है, परन्तु अगर बन्द नालियां हों तो उन्हें ठीक से बनाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सला भी आ सके।

४ — टट्टियां, मूखालय आदि.

प्रायः समझ जाता है कि टट्टी, मूखालय, पत्रबे तो गन्दगी के लिए ही हैं, इन्हें साफ रखने की आवश्यकता नहीं। किसी अन्य

१८५ 'शिवा शम्भ'—सिद्धान्त, विधि, विधान, शक्तिदास

मुख्याध्यपक की परत ही यह है कि उसके प्रबन्ध में टट्टियों, मूत्रालयों, नालियों तथा चबियों की क्या अन्या है। इन्हीं में मच्छर, मक्खी तथा तरह-तरह के कृमि उत्पन्न होते हैं। किन्तु आदि का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारे स्कूल की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, छात्रों पर गन्दे जम जाने से प्रकाश नहीं आता, उन्हें साफ रखना चाहिए, दीवारों पर जाले नहीं लगने देने चाहिए, काँच देते हुए दरवाजे, खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, नहीं तो सारा गर्द फिर वही आ बैठता है।

छात्र तथा स्वास्थ्य-रक्षा (PERSONAL HYGIENE)

छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उनके चमत्, भोजन, शौच, सिर और पेट की सफाई, ठीक साम लेना, निद्रा आदि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हम इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करेंगे :—

१— चमत्

शरीर का ताप-मान 37°C डिग्री है। यह बाहर की हवा से ज्यादा है। इतना ताप रहने से शरीर ठीक-से काम करता है। परन्तु शरीर में चरुत में ज्यादा ताप इकट्ठा न हो जाय इसलिए त्वचा, आस-प्रश्वस और मल-मूत्र से ताप निकलता भी रहता है। इनसु-प्रवास और मल-मूत्र से निकलने वाले ताप का तो हम नियन्त्रण नहीं कर सकते, त्वचा द्वारा निकलने वाले ताप का नियन्त्रण कर सकते हैं, और इसीलिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। ताप का यह निरम है कि यह जहाँ अधिक हो वहाँ से कम ताप वाली पशु में पला जाता है :- शरीर का ताप क्योंकि बाहर की वायु से अधिक होता है अतः शरीर में हर समय ताप वायु में जाना रहता है। यह ताप चरुत में कम न हो जाय इसके लिए पशुओं की

आवश्यकता है। कभी-कभी यद्य ताप को इतना अधिक रोक्क सकते हैं कि शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाय, इसलिए बहुत अधिक पत्रों का धारण करना भी हानिकर है। यद्य दो प्रकार का ही सद्यता है। 'वाहक' (Conductor) और 'अवाहक' (Non conductor)। सर्दियों में उन आदि ताप के 'अवाहक' यद्य धारण करने चाहिये, गर्मियों में सूत आदि ताप के 'वाहक'। इसके अतिरिक्त यद्य इच्छा होना चाहिए। उसका सारा बोझ कंधे पर पड़ना चाहिए, कमर में इस प्रकार कस कर नहीं बाँधा जाना चाहिए जिससे शरीर के भीतरी अंगों पर जोर पड़े, लुला होना चाहिए, बहुत बढ़ नहीं होना चाहिए, बरसाती की तरह बिल्बुल छिद्र-हीन नहीं होना चाहिए। सिर पर टोपी, जुपवाँ के गारदर, गले में काला, पैर के जूते कभी कभी यहा के रक्षक के स्वतन्त्र आने जान को रोकते हैं, अतः इनका समल कर प्रयोग करना चाहिए। फड़े बालकों के यद्यों से पर्साने की बद्यु आती रहती है। उन्हें मट-में धो टालना चाहिए। रात के कपड़े अलग होने चाहिये, दिन के अलग। कपड़े फटे नहीं रहने चाहिये। शिक्षक का कर्तव्य है कि इन सब बातों की तरफ ध्यान देता रहे, क्योंकि मूल में जो आशतें वे सीख जायेंगे, वे जीवन भर साथ बनी रहेंगी।

२—भोजन

हम पहले देख चुके हैं कि शरीर से हर समय गर्मी उत्पन्न होती और खर्च हो रही होती है। इनकी जा गर्मी खर्च हो रही है इसे मापा गया है। जैसे लम्बाई नापने के लिए १ इंच का पैमाना है, वैसे खर्च हो रही गर्मी मापने का इद्य है 'कैलोरी' (Caloric) कहते हैं। छोटे बालकों के शरीर में प्रतिदिन १६०० और बड़े बालकों के शरीर में २४०० 'कैलोरी' खर्च होती है। अतः बालकों को इतना भोजन मिल जाना चाहिए जिससे छोटी की

१६०० और वड़ों को २५०० 'कैलोरी' मिल जाय। भिन्न-भिन्न भोजनों में भिन्न भिन्न 'कैलोरी' उत्पन्न करने की शक्ति है। १ पाँच दूध में ३००, १ पाँच जई में १८०६, १ पाँच चावल में १६५६, और १ पाँच पनीर में २०११ 'कैलोरी' हातां है। भोजन का समय विभाग बनाते हुए प्रत्येक बालक को कितनी 'कैलोरी' चाहिए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त स्वस्थ-पदार्थों को 'प्रोटीन', 'फैट', 'शुगर' और 'स्टार्च'— इन चार भागों में बाँटा गया है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। शरीर में जो टूट फूट होती रहती है उसे प्रोटीन से ही पूरा किया जा सकता है। एक बच्चे को ५० ग्राम प्रोटीन मिलनी ही चाहिए। मटर में प्रोटीन २२.६३ प्रतिशत, पनीर में १५.४ प्रतिशत है। हमारे भोजन में 'शुगर' और 'टार्च' ही ज्यादा होता है, 'प्रोटीन' और 'फैट' कम होता है, इस तरह अधिक ध्यान देना चाहिए।

भोजन में एक और तत्व माना जाता है जिसे 'विटामिन' कहा जाता है। येमें तो कई 'विटामिन' हैं, परन्तु ४ मुख्य हैं। इन्हें विटामिन 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' कहा जाता है। 'विटामिन ए' का काम शारीरिक वृद्धि है। यह न हो तो शरीर रोगों का मुकाबिला नहीं कर सकता, तब ही कमो अनुभव होने लगती है। काँड़ निरार आदल, दूध, घी आदि में 'विटामिन ए' होता है, परन्तु तलने में और अधिक गर्म करने से यह जाता रहता है। 'विटामिन बी' का काम शरीर को सन्तुलित बनाने रखना है, सुनिष्क को शक्ति प्रदान है। मटर, गेहूँ के दलिनके आदि में यह पर्याप्त पाया जाता है। 'विटामिन सी' संतरे, नारंगों, नीबू में पाया जाता है, इसकी कमो में नन्हे फूँ आते हैं। 'विटामिन डी' की कमो में होइंगे कमजोर हो जाता है, दूध, दही, नखलन में यह पाया जाता

है। भोजन के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को अपनी आयु के अनुसार पूरा भोजन और सब प्रकार के 'विटैमिन' मिलते रहें। मिठाई, चटनी, चाद, अचार, मिर्च, मसाले, चाय, काढ़ी की आदत बालकों को बाल देना ठीक नहीं।

३—दाँत

दाँत दो तरह के होते हैं—दूध के दाँत और पक्के दाँत। बच्चा मास की अवस्था में दूध के दाँत निकलने शुरू होते हैं, सात-आठ वर्ष की अवस्था में उनके स्थान पर पक्के दाँत आने लगते हैं। पक्के दाँतों की संख्या ३२ होती है। मसूड़े तरु दाँत की संज्ञा को 'इनेमल' कहते हैं, इसमें ज्ञान तन्तु नहीं होते, इनेमल के नीचे भीतरी हिस्से को 'डेन्टाइन' कहते हैं, इसमें ज्ञान-तन्तु रहते हैं। 'इनेमल' सख्त होता है, 'डेन्टाइन' कोमल होता है।

मुँह का रस 'अम्लीय' होता है, परन्तु अगर मुँह में भोजन के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहें तो सड़ कर 'अम्ल' उत्पन्न कर देते हैं। यही अम्ल 'इनेमल' को खा जाता है, और इसे दाँतों में कीड़ा लगाना, या 'ट्रीज' कहा जाता है। 'इनेमल' के नष्ट हो जाने पर भीतर का 'डेन्टाइन' बाहर आ जाता है, स्वतः समय 'डेन्टाइन' के ज्ञान-तन्तुओं को, सदा से, सीठा आदि लगाने लगता है। ज्ञान के टुकड़ों के सड़ने से उत्पन्न हुए 'अम्ल' को रोकने के लिए 'सोडा पाउडर-पेपर' या 'बोरैक्स' का किसी 'एन्टी-मैप्टिक' के साथ प्रयोग करने से मुँह शुद्ध रहता है, दाँत चमक नहीं होते। दूध के दाँतों को भी मंजून से साफ करना आवश्यक है, क्योंकि सड़े हुए दाँत के बाद सड़ा हुआ दाँत निकलने की सम्भावना रहती है। नीम की दातुन अच्छी है, इससे मुँह का साद भी रोक बना रहता है। प्रातः उठने के बाद और सोने से पहले दाँत साफ कर लेना अच्छा है। बच्चों के दाँतों की तरफ बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यक

कता है क्योंकि दाँत के दर्द को ठीक करने की अपेक्षा दर्द न होने देना अधिक बुद्धिमत्ता है।

४—सिर की सफाई

ऐसे तो सभी अंगों की सफाई आवश्यक है, परन्तु यहाँ के सिर की सफाई का प्रश्न बहुत विरट है। लड़कियों और लड़कों के सिर जूँओं से भरे रहते हैं। एक जूँ की आयु तीन चार सप्ताह तक की है, और इस भरसे में वह सी अण्डे दे देती है जिन्हे लीरा कहते हैं। एक से दूसरे तक पहुँचने में इन्हे देर नहीं लगती। यालक सृजा सृजा कर तंग हो जाते हैं। जिस यालक के जूँ पायीं जायँ उसे अन्य यालकों से ग्रथक कर देना चाहिए और रात को सोने से पहले साबुन से सिर धोकर सिर में अच्छी तरह से 'पैरेलीन ऑयल' मल देना चाहिए। दो तीन रात लगातार साबुन से सिर धोकर 'पैरेलीन ऑयल' लगाने से जूँ मर जाती हैं, और पतली कंगी फेरने से लीख निरल जाती हैं। कभी कभी गन्दे कपड़े रखने से 'कपड़े की जूँ' पैदा हो जाती है। इनका इलाज ऐसे कपड़ों पर इत्रों परा देना है। इत्रों की गर्मी से ये मर जाती हैं। जब तक किसी यालक के सिर या कपड़ों में जूँ हों तब तक उसे दूसरों के साथ नहीं मिलने देना चाहिए।

५—पेट की सफाई

दाँत ठीक न होने से पाचन-शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हाँतो का काम पेट को करना पड़ता है। पाचन ठीक न होने से पेट स्थिर नहीं होगा, और यालक को कब्ज की शिकायत रहनी है। ठीक समय पर पेट का साफ होना अत्यन्त आवश्यक है। गन्दी और सड़ी हुई दवा में पीना भी होता है, इसे मक् कोई जानते हैं,

परन्तु पेट में जो गन्धी और सड़ी हवा जमा रहती है उसको तरह हमारा ध्यान नहीं जाता। श्वेत-राल ठीक समय पर प्रतिदिन शींच जाने में उसी समय शींच जाने का अभ्यास हो जाता है, और आयु पर्यन्त यह अभ्यास स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखता है, और विधियों की आवश्यकता नहीं रहती। पेट में कृमि हों तो बालक झोले हुए दाँत दिखादिता है, उसके पेट में एकदम दर्द हो जाता है, कभी-कभी भूगी आने लगती हैं, ऐसे समय डाक्टर को दिखाने और उन इलाज कराना चाहिये।

६—नाम ठीक-से लेना

नाक का ध्यान नॉन लेना है, परन्तु कई बालक मुख से साँस लेते हैं। मुख से साँस लेने का कारण आमत भी हो सकती है, परन्तु प्रायः इसका कारण नाक का रुक जाना है। नाक रुकने के अनेक कारण हैं, सर्दी लग जाना, नाक की भिन्नी का मोटा पड़ जाना, नाक में चटन, इरुती आदि का पंम जाना तथा 'फ्लेन्नारड' से उच्छे मुख से साँस लेने लगते हैं। 'फ्लेन्नारड' नाक की नावरी सतह पर, जहाँ नाक मुँह में खलती है, मोटे मोटे धानों के पैदा हो जाने का नाम है। प्रायः राम से 'फ्लेन्नारड' ठीक हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाँव तो इनका आपरेसन करा देना अच्छा है। अभ्यास को चाहिए कि जो बालक मुख से साँस लेते हैं उनका ध्यान रखने।

फेफड़ों में हम शुद्ध हवा लेते हैं। फेफड़ों द्वारा ही हवा की ऑक्सीजन स्थिर में मिलती और कार्बन गैस बाहर निकलती है। साधारणतया हमारा साँस फेफड़ों के ऊपर ऊपर ही रहता है, फेफड़ों की गहराई तक नहीं पहुँचता, इसलिए सारे फेफड़ों में 'ऑक्सीजन' नहीं पहुँच पाती। गहरा नाँस लेने में पूरे फेफड़ों में 'ऑक्सीजन' पहुँच जाती है।

७—नींद

बालक की नींद कम करना उसका भोजन कम कर देने के समान है। ६ वर्ष से कम के बालक को १३ घण्टे सोना चाहिए, ७ वर्ष के बालक को १२½ घण्टे, ८ वर्ष के बालक को १२ घण्टे, इस प्रकार १६ वर्ष तक आध-आध घण्टे कम करते हुए १६ वर्ष के व्यक्ति को ९ घण्टे सोना चाहिए। कई लोगों का विचार है कि मानसिक कार्य की थकावट को शारीरिक परिश्रम से दूर किया जा सकता है। यह सलत धारणा है। मानसिक तथा शारीरिक थकावट—दोनों थकावटें हैं और थकावट की दूरी नींद से, विश्राम से होती है। प्रायः देखा गया है कि कम नींद लेने पर बालक लिखने-पढ़ने में ज्यादा अशुद्धियाँ करता है, यही बालक नींद ले लेने पर कम अशुद्धियाँ करता है। बालकों की वृद्धि का अधिक भाग नींद लेते समय होता है, अतः नींद में कमी नहीं आने देनी चाहिए। छात्र बालकों का स्कूल के समय भी सोने का प्रबन्ध करना चाहिए। इस के बजाय कि बालक सब अतरों में मोते रहे, या ऊँघते रहे, किसी एक निश्चित समय पर आध घण्टे के लिए मुला दिये जाय, तो उनमें नव-जीवन आ जाता है। दीर्घानिद्रा का महत्व यही है कि उसमें अत्यन्त परिश्रम कर लेने के बाद बालकों को आराम करने का समय मिल जाता है। हमारे बालकों को जितना मामिक परिश्रम करना पड़ता है, उसके साथ दीर्घानिद्रा न हो तो कई बालकों का स्वास्थ्य बिल्कुल गिर जाय। दीर्घानिद्रा के समय को खाल भर में पाट देना अधिक उपयुगी है।

बैठने-उठने का ढंग

(POSTURES)

बालक भिन्न भिन्न ढंगों से बैठते, सड़े होते हैं। चलन-ठहरने से बैठने और सड़े होने से शरीर के कई अंग विकृत हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, आँखों पर जोर पड़ने से वे कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि बालक को अधिक समय पाठ-शाला में बैठे-बैठे बिताना होता है अतः उसके अंगों के विकृत हो जाने की अधिक जिम्मेवारी शिक्षक पर आ पड़ती है। प्रायः चार अवस्थाओं में बैठने आदि की आवश्यकता पड़ती है अतः इन चारों के समय बालक के शरीर के ढंग पर ध्यान देना चाहिए—

(१) गुरु से मुनते समय, (२) स्वयं पढ़ते हुए बैठना, (३) लिखते-समय बैठना तथा (४) खड़ा होते हुए अंगों का सम तोलन। इन इन चारों पर कुछ-कुछ विचार करेंगे :—

गुरु से मुनते समय बैठने का ढंग—

गुरु से विद्या ग्रहण करते समय बालक को मुनना होता है। उस समय सबसे अच्छा बैठने का तरीका यह है कि कटि प्रदेश के नीचे का भाग कुर्सी पर सम रूप में टिका हुआ हो, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। व्यापार बैठने में रीढ़ की हड्डी पर ही जोर पड़ता है अतः उसी पर ध्यान देना आवश्यक है। सोचा बैठने में रीढ़ की हड्डी में चार प्साय पड़ते हैं। गले के पीछे पुनाय अक्षर का

होता है, कन्धों के पास आकर बाहर को, वहाँ से पेट के पीछे की तरफ अन्दर को, और फिर बाहर को। बालक जब सलत तरीके से बैठता है तब पेट के पीछे वा पुमाय अन्दर की तरफ होने के बजाय बाहर की तरफ आ जाता है। बार-बार इस स्थिति में आने से कमर भुङ्कने लगती है। बालक को सीधा बैठना चाहिए ताकि रीढ़ को हड्डी भुङ्कने न पाये। सीधा भी देर तक वह नहीं बैठ सकता इसलिए पीठ के पीछे गुंसा सहाय होना चाहिए जो उम्र ठीक स्थिति में बैठने में सहायता पहुँचाये।

पढ़ते समय बैठने का ढंग—

पढ़ते समय भी सीधा बैठना चाहिये, पुस्तक आँसू से १२ इंच दूर रखनी चाहिये, नजरदीक रखने से नजर छोटी हो जाती है, चक्रवर्त से ज्यादा दूर तो बालक स्वयं ही नहीं रखता। पुस्तक ऊपर न तो आँसू के विलुप्त नीचे ही रखना चाहिए, न फिर सीधा परके विलुप्त उसकी सीध में, आँसू से ४५ अंग के कोण में पुस्तक रखकर पढ़ना चाहिये। प्रकाश बायें कंधे के ऊपर में पुस्तक पर पड़ना चाहिए, आँसू पर नहीं पड़ना चाहिए। बालक कभी कभी बहुत आँसू भुङ्ककर पढ़ने लगते हैं। आँसू भुङ्कने से आँसू मरुचित हो जाती है, पेट पर साय बोक आ पड़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है, इस प्रकार बैठने में बालकों को सावधानी चाहिए।

लिखा समय बैठने का ढंग—

बालक को रीढ़ का हड्डी पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव लिखते समय गलत बैठने का पड़ता है। लिखने से रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ने से यह दाईं तरफ भुङ्क जाती है। दाईं तरफ झुलिये भुङ्क जाती है क्योंकि बालक दाहिने हाथ से लिखता है, और लिखने समय दाहिने तरफ ही वह अधिक झुकाता है। इसलिए जोर पड़ने

से रीढ़ का टाचों हिस्सा उभर आता है। लिखते समय बालक मानो शरीर की नोंस-पेशियों से कुश्ती कर रहा होता है। किसी बालक को लिखते समय देखने से स्पष्ट हो जायगा कि वह सिर से लेकर पैर तक सब अंगों का प्रयोग करता है, कभी भौं तानता है, कभी टाचों को होता है, कभी वायें को होता है, कभी पल्छिया बदलता है, कभी पेंसिल को ऊपर मे, कभी नीचे मे दबाता है। इसका यह अभिप्राय है कि जितना हम समझते हैं लिखना बालक के लिए उतना साधारण काम नहीं है, और इस असाधारण प्रक्रिया को सीखते सीखते बालक के अंग विकृत हो जान की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर हम ध्यान रखें कि शुरू में बालक (१) लिखना किस प्रकार सीख रहा है, (२) किस ढंग का लिखना सीख रहा है, (३) किस प्रकार पेंसिल आदि का पकड़ता है, (४) वायें हाथ का प्रयोग करता है या नहीं, (५) लिखते समय कैसे बैठता है, तो लिखने से उत्पन्न होने वाले अनेक दोषों को दूर किया जा सकता है।—

लिखना सीखने के प्रकार पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान है कि शुरू शुरू में एक साल तक छोटे अक्षर नहीं सिखाने चाहियें। पहले-पहल रंगीन चाक से कृष्ण पट पर भिन्न भिन्न, बड़ी बड़ी, गोल, अर्ध गोल, सोंधी, टेढ़ी लकीरें लगाने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके बाद दो इंच बड़े अक्षर लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। क्योंकि यह सब सड़े-सड़े होगा अतः किसी विशेष अंग पर जोर नहीं पड़ेगा। तीसरे वर्ष पेंसिल और अत में कलम हाथ में देनी चाहिए। लिखने के ढंग पर शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान है कि अक्षर सीधे लिखने का अभ्यास कराना चाहिए, टेढ़े नहा। टेढ़े अक्षर लिखने में एक तरफ मुड़ना पड़ता है जिस में शरीर का दबाव एक तरफ पड़ने से रीढ़ की हड्डी के झुक जाने

का भय है। पैमिल आदि परङ्गने के ढंग पर शिक्षा-शास्त्रियों का कथन है कि लिखने को इस प्रकार परङ्गना चाहिए जिसमें हथेली नीचती रहे, हाथ को कागज पर बिल्कुल उल्टा करके नहीं लिखना चाहिए। बायें हाथ के प्रयोग न करने में सारा बोझ दायें हाथ पर, और दायें हाथ से शरीर के दायें भाग पर पड़ता रहता है। इसे दूर करने के लिए बायें हाथ से कागज का परङ्ग रहना, उसे लिखते समय आश्रयकृतानुसार ऊपर करने रहना ठीक है। कभी-कभी बायें हाथ से लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए, इससे शरीर को लाभ पहुंचता है। लिखते हुए बैठने समय कागज बालक के बिल्कुल सामने रखना चाहिए। कई बार कागज को दूर पर तुरक रख कर बालक लिखने लगते हैं। लिखते समय पैर जमीन पर मूढ़ रूप में टिकाने रखना चाहिए। किसी एक तरफ खार नहीं पड़ना चाहिए।

१६६ वा। समय अथा का समतोलन—

खड़े होने में समय अच्छा तरा ना तो यह है कि दोनों ण्डियों एक दूसरे से बरा दूर, परन्तु आमने सामने रहे, और शरीर का सारा बोझ दोनों टोंगों पर बराबर पड़े, छाती उभरी रहे, मिर सोधा, ठोड़ी उरा आगे को रहे। परन्तु इस स्थिति में भी बालक देर तक नहीं रह सकता। इस स्थिति का बदलना होता एक टांग गुड़ आगे रख कर दूसरी टांग पर बोझ डाल देना चाहिए, और इस प्रकार टांग को आगे पीछे बदलने रहना चाहिए। प्रयत्न यह होना चाहिए कि मध्य अंगा पर उनही शक्ति के अनुसार समान बोझ पड़े, और अगर किसी अंग पर देर तक बोझ पड़ता रहे, तो उसे आघात का समय भी मिन जाय। इसी का 'याग दर्शन' ने 'तत्र स्थिर-मुखं आसनम्' कहा है—जिसमें आघात मिले वही आसन है, वही बैठने उठने का ठीक तरीका है।

ब्राह्मण-काल में शिक्षा

[EDUCATION IN ANCIENT (BRAHMANIC) PERIOD]

'शिक्षा' की समग्र कोई आज की ही समस्या नहीं है। जब मे माता-पिता तथा पुत्र का सम्यन्ध बना है, तभी से माता पिता के लिए अपने पुत्र की शिक्षा की समस्या बनती रहती है। आदि-कालीन माता-पिता के सम्मुख यह प्रश्न था कि उन तक जो ज्ञान स श्रुत रूप में पहुँचा है, अथवा जिन नई बातों पर उन्होंने स्वयं पता लगाया है, उन्हें आगामी सन्तति तक वे कैसे पहुँचायें? अगर वे चाप-दादा से पारंगत हुए, और स्वयं उपार्जित किये ज्ञान को किसी सुगम उपाय से अपनी सन्तति को दे सकते हैं, तब तो मान्य-समान और उसके साथ-साथ उनकी सन्तान भी उन्नति करती जायगी, अगर नहीं दे सकते तब मनुष्य हर युग में हर बात को नये सिरे से हँदने में ही लगा रहेगा। इसी समस्या के हल को 'शिक्षा' का नाम दिया जाता है। जैसे इस समस्या का हल हम आज कर रहे हैं, वैसे ही मुद्गर-भूत में, ब्राह्मण-काल में, प्राचीन भारत के ऋषियों-मुनियों ने इस समस्या का हल निकाला था। यह हल क्या था?

'शिक्षा' तथा 'मरकार'—

भारत के प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने 'बालक' को शिक्षा का केन्द्र माना था। आज एक लम्बे-चौड़े इतिहास से में गुजरने के बाद युद्ध में 'बालक' को शिक्षा का केन्द्र माना जाने लगा है, नहीं तो शिक्षक, स्कूल और पाठ्य क्रम को ही मुख्य माना जाता रहा, बालक का कहीं पता भी नहीं था। प्राचीन भारत की पाठ्य प्रणाली में 'बालक' को इतना महत्व दिया गया था कि उसी के जन्म मुबारक के लिए १६ मन्त्रों की कल्पना की गई थी। ऋषियों का यथन था कि 'बालक' पर निम्न तीन प्रकार के मन्त्र प्रभाव डालते हैं—

- १ अपने पिछले जन्म के मन्त्र
- २ मात-पिता के मन्त्र
- ३ परिस्थिति से पढ़ने वाले मन्त्र

'बालक' की शिक्षा क्या है, मानों 'मन्त्रों' का ही एक मेल है। परिस्थिति के द्वारा पढ़ने वाले 'मन्त्रों' से माता पिता द्वारा आने वाले मन्त्र प्रयत्न होते हैं, माता पिता द्वारा आने वाले मन्त्रों की अपेक्षा भी अपने पिछले जन्म से आने वाले मन्त्र प्रयत्न होते हैं। शिक्षा का प्रश्न मन्त्रों का प्रश्न है। अगर अपने पिछले जन्म के मन्त्र ही इस जन्म में प्रयत्न रहेंगे तब निम्नलिखित शिक्षा का प्रश्न एक अत्यन्त जटिल प्रश्न हो जायगा। भारत के प्राचीन शिक्षा-शास्त्री 'पुनर्जन्म' और 'कर्म' के सिद्धान्त को मानते थे, इसलिए वे यह भी मानते थे कि शिक्षा द्वारा पिछले जन्म के मन्त्रों को सर्वथा नहीं बदला जा सकता। क्योंकि उनके सम्मुख यह जटिल समस्या थी कि पिछले जन्म के मन्त्रों के साथ हम कैसे व्यवहार करें इसलिये उन्होंने 'मन्त्रों' के विषय को एक गम्भीर प्रश्न बना दिया, और जीवन को प्रारम्भ से अन्त तक शुद्ध मन्त्रों के मन्त्र का प्रश्न बना लिया था। मनुष्य क्योंकि पिछले जन्म

के तथा माता-पिता के संस्कारों का परिणाम होता है, इसलिये इस जन्म में उसे ऐसे वैसे संस्कारों से नहीं बदला जा सकता, जन्म भर उस पर संस्कार पड़ते रहने चाहियें, तब जाकर कोई प्रत्यक्ष परिणाम निकल सकेगा - इस दृष्टिकोण को लेकर प्राचीन ऋषियों ने 'शिक्षा' के प्रश्न पर विचार किया है और इस जन्म में १६ संस्कारों का वर्णन किया है।

संस्कारों के दो भाग—

संस्कारों को दो भागों में बाँटा गया है। उत्पत्ति से पूर्व के (Pre natal), तथा उत्पत्ति के बाद के (Post natal)। उत्पत्ति के पूर्व के संस्कार हैं: गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन। क्योंकि माता-पिता के संस्कार का बालक पर प्रभाव पड़ता है अतः 'गर्भाधान' संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। माता-पिता को यह समझना चाहिये कि वे किसी ऊँची आत्मा का आह्वान कर रहे हैं—यही इस संस्कार का उद्देश्य है। जब जीव माता के गर्भ में प्रवेश कर जाय और उसका शारीरिक-विकास होने लगे तब 'पुंसवन' संस्कार किया जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि माता पिता ऐसा अन्न खाये, ऐसा रहन-सहन करें जिससे बालक का शारीरिक विकास ठीक दिशा की तरफ चल सके। पुंसवन के बाद छठे या आठवें मास में 'सीमन्तोन्नयन' संस्कार किया जाता है। सीमन्त में माता अपने सिर में तेल लगाती है, कंथा डरती है। यह वह समय है जब गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का निर्माण होने लगता है। इस संस्कार का यह उद्देश्य है कि माता शिशु के मस्तिष्क के समुचित विकास का ध्यान रखेगी। शिशु के उत्पन्न होने के अनन्तर जो संस्कार दिये जाते हैं—यें बाद के (Post-natal)—संस्कार हैं। इनमें से कई संस्कार तो केवल स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से निरिचन किये गये हैं। अन्न-प्राशन, निष्कमण,

कर्म वेद आदि सस्कारों का महत्त्व स्वारथ्य रक्षा की दृष्टि से कम नहीं है, और इन सब पर इतना बल देना सिद्ध करता है कि भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में 'बालक' को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन सस्कारों के बाद 'उपनयन' सस्कार आता है। उपनयन संस्कार का भी सा सम्बन्ध 'शिक्षा' से था। 'शिक्षा' के सम्बन्ध में प्राचीन दृष्टि-कोण अधिक स्पष्ट करने के लिये हम 'शिक्षा' के पाँच पहलुओं पर विचार करेंगे। वे पहलु निम्न लिखन हैं —

१. परिस्थिति (Surrounding)
२. शिष्य अथवा प्रशारणी (Pupil)
३. गुरु अथवा आचार्य (Teacher)
४. अध्यापन के विषय (Curriculum)
५. अध्यापन की विधि (Method of teaching)

'शिक्षा' तथा 'परिस्थिति'—

शिक्षा के लिए 'परिस्थिति' अत्यन्त आवश्यक है। परिस्थिति के तीन भाग किये जा सकते हैं। भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। मानसिक तथा आध्यात्मिक परिस्थिति के लिए तो शिक्षा सम्या का निर्माण होता ही है, वे लोग शिक्षा के लिए भौतिक परिस्थिति को भी अत्यन्त आवश्यक समझते थे। उनका विचार था कि शिक्षा के केन्द्र मानो तथा शहरों के बाहर प्रकृति की गोद में होने चाहियें। 'उत्तरे गिरिणां संगमे च नदीनां धिरो विप्रो अगाम्'—गर्ग को उत्तरेका तथा नदी के तट पर विप्र बनना है। प्राचीन काल के शिक्षा केन्द्र अधिरो के आश्रमों में होते थे, और वे आश्रम-शहरों में न होकर वनों में होते थे। जंगल में रहने के कारण बालक शहर के विपरीत सन्धियों से बचे रहते थे।

बालक को भौतिक दृष्टि से जहाँ शुद्ध परिस्थिति में रखा जाता था वहाँ मानसिक दृष्टि से भी वह प्रयत्न किया जाता था कि उसे

उसके मानसिक विकास के अनुकूल वातावरण में रत्ना जाय। घर में माता-पिता वाचक की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे सकते अतः उसे घर से बाहर किसी दूसरे के पास भेजना आवश्यक है, परन्तु बाहर भेजने पर उसे घर का स्व. माता-पिता का स्व. प्रेम न मिलने से उसका उर्ध्वचर विकास न हो सकेगा अतः उसका घर पर रहना आवश्यक है—इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने 'गुरुकुल प्रणति' का निर्माण किया था। 'गुरुकुल' का अर्थ था—गुरु का 'कुल'। घर में शिक्षा ठीक प्रकार नहीं चल-सकती। माता-पिता लाड़-प्यार में बालक को पिगाड़ देते हैं, अतः बालकों को घर से तो बाहर ही भेज दिया जाय, परन्तु बाहर भेज कर भी एक घर से उसे दूसरे घर में ही भेजा जाय, एक 'कुल' से दूसरे 'कुल' में भेजा जाय, एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता के पास भेजा जाय, एक परिवार से दूसरे परिवार में भेजा जाय—'गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली' का यही आधार-भूत तत्व था। बालक शिक्षा पाने के लिए अपने माता-पिता को छोड़ कर गुरु के परिवार ही माता-पिता मान कर जाता था और उन्हीं के कुल को अपना कुल मान लेता था। इस समय भी देखने में आता है कि अपने को अन्न, पत्रिय या वैश्य ब्रह्मण्य बालों का एक ही 'गोत्र' पाया जाता है। वासिष्ठ गोत्र ब्रह्मण्य, अत्रि गोत्र तथा वैश्यों—सभी का हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि एक ही गुरु के पास सभी घरों के लोग शिक्षा पाने के लिए जाते थे, और वहाँ रहते हुए वे सब उस गुरु का ही अपना पिता-माता समन्वित थे, और अन्त में एक-दूसरे को भाई-भाई मानते थे—यह जानना यहाँ तक पड़ी हुई थी कि जैसे एक ही माता-पिता की सन्तान में विवाह करना वर्जित था वैसे एक ही गुरु के शिष्यों में विवाह सम्बन्ध वर्जित माना गया था। सगोत्र-विवाह भारतीय प्रथा के अतिरिक्त है। एक ही आश्रम में रहते

दुष्ट शास्त्री विवाह की चर्चा न चल पड़े, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने लिखने में ही लगा रहे, ये गुरु पत्नी को अपनी माता, गुरु पुत्रों को अपनी बहन समझे—इस भावना को हट्ट करने के लिए सगोत्र विवाह को वर्जित ठहराया गया था, इसमें और कोई दूसरा कारण न था।

गुरु का कुल शुद्ध अर्थों में 'कुल' होता था, इसलिए गुरु-कुलों में पिशा दान के माथ-साथ भोजन, रुपड़ा, रहना—सभी उच्च मुफ्त होता था, किसी यात के लिए किसी प्रकार भी फीस नहीं ली जाती थी। धनी मानी मज्जन गुरुकुलों को गाँव या जायदाद लगा देते थे, समय-समय पर दान देते थे, राजा-महाराजा राजकोष से मदायता करते थे या विद्यार्थी लोग स्वयं भिक्षा वृत्त से अपने तथा अपने गुरु का जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा-वृत्ति का अर्थ भीस मागना नहीं था। 'भिक्षा' देना प्रत्येक व्यक्ति अपना महान् अधिकार मनकता था। आज भी यहाँ में इस भिक्षा-वृत्ति को सुन्दरता देखी जा सकती है। विद्यार्थी लोग अपने आश्रम में निकलते हैं। घर की देविचा उन की राह देखती भोजन तप्यार पर अपने दरवाजे पर लड़ी होती हैं। कभी कभी आध आध पटा विद्यार्थियों की इन्तजार में लड़ी रहती हैं। विद्यार्थी आते हैं और उन के भिक्षा-पात्र में आगे बढ़-बढ़कर देविचा पनाया हुआ अन्न डालती जाती हैं। इस भिक्षा को ले जाकर वे गुरु के सामने रख देते हैं—गुरु भी अन्न प्रहृत कता है, शिष्य भी प्रहृत करते हैं। अपने घर में भिक्षा ले जाने की मन्दी थी, ना ही कोई गुरु के घर में भिक्षा के लिए जा सकता था। अपने हाथ में भिक्षा लिये जो माया लड़ी-देती थी, उसे छापट अपना पुत्र स्मृत हो जाता होगा जो किसी दूसरे परिवार के दरवाजे पर लड़ा भिक्षा पदक कर रहा होता था। महापात्र तथा मद्रास प्रान्त में आज भी

विद्यार्थियों की शिक्षा भिक्षा वृत्ति से ही चलती है, इसे 'मधुहरी' कहा जाता है। विद्यार्थी किसी भी परिवार में जाता है, 'भबती भिक्षा देहे'—बोलता है, और घर की देवी उसकी मोली में तप्पार हुआ भोजन लाकर डाल देती है।

सब विद्यार्थियों के मिलकर रहने तथा भिक्षा वृत्ति से जीवन-यापन का परिणाम यह होता था कि अमीर-सारीय का भेद विद्यार्थियों में नहीं रहता था। जैसे सारीय का लड़का भिक्षा मांगता था जैसे अमीर का लड़का भी मोली लेकर भिक्षा के लिए जाता था। गुरुकुल द्वारा समाजवाद की भावना प्रत्येक छात्र के जीवन में क्रियात्मक रूप धारण कर लेती थी। कृष्य तथा सुदामा का यही गठ बचन होता था और समाज की ऊच-नीच की भावना को समाप्त कर दिया जाता था।

भिक्षा वृत्ति से जीवन-यापन का यह भी परिणाम था कि शिक्षा सभी थी, दूरेक को प्राप्त हो सकती थी। आज शिक्षा को वाधित तथा सर्व-व्यापी बनाने में सबसे बड़ी बाधा उच्च भारी व्यय है। प्राचीन-काल में शिक्षा पर कोई व्यय नहीं होता था इसलिए सब के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकता सम्भव था।

शिष्य अथवा ब्रह्मचारी—

'गुरुकुल' में जो विद्यार्थी भर्ती होते थे उन्हें 'ब्रह्मचारी' कहा जाता था। 'ब्रह्मचारी' शब्द का अर्थ है, 'ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्म में चिचरे वह 'ब्रह्मचारी' है। 'ब्रह्म' का अर्थ है, 'महान्'। जीवन में छोटे से बड़े होने जाना, मरुचिन् से विद्यमान होते जाना, अपने चैत्र को बढ़ाते जाना, आगे ही-आगे चलते जाना ही 'ब्रह्म-चर्य' है। 'ब्रह्मचर्य' के ये विलुप्त अर्थ हैं। इनके संसृति अर्थ भी हैं। संसृति अर्थों में 'ब्रह्मचर्य' का अर्थ है—पीयं रक्षा करना। प्राचीन-काल में पीयं-रक्षा पर बड़ा डल दिया जाता था। आज

कोई शिक्षणालय विद्यार्थियों को वीर्य रक्षा की शिक्षा नहीं देता, परन्तु गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में वीर्य रक्षा सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु समझी जाती थी। २४ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला विद्यार्थी 'वसु', २६ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला 'रुद्र', तथा ४८ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला 'आदिश्वर' मन्त्रचारी कहलाता था।

गुरुकुल में भरती होते समय प्रत्येक मन्त्रचारी का 'उपनयन' संस्कार होता था। 'उपनयन' का अर्थ है—'गुरु के समीप पहुँचना'। शिक्षा क्या है, गुरु के समीप पहुँचना है, उसके अत्यन्त निकट हो जाना है। 'उपनयन' संस्कार के मन्त्र में लिखा है, 'आचार्य उप-नयमाना मन्त्रगणितं दृग्गुणं गर्भमतं तं रात्रोन्मिश्य उदरे विभर्ति'—अर्थात् उपनयन संस्कार करते हुए माना आचार्य ही माता पुरुष मन्त्रचारी की तीन रात तक अपने गर्भ में धारण करता है। क्या गुरुशिष्य के सम्बन्ध का इतना ऊँचा गुणो काई रिश्ता सकता है। जिसका उपनयन संस्कार होता जाता है उस 'द्विज' कहा जाता था। 'द्विज' का अर्थ है, दूसरी बार पैदा हुआ। पहली बार बालक माता-पिता से जन्म लेता है, यह शरीर का जन्म है, दूसरी बार गुरुकुल में जाकर गुरु की आज्ञा अनुसार उसके गर्भ से जन्म लेता है, यह मानसिक जन्म है, इस जन्म द्वारा वह मनुष्य बनता है। 'उपनयन' संस्कार प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक था। जिसका उपनयन नहीं होता था वह जाति व्युत्पन्न समझा जाता था। इसका यही अभिप्राय हो सकता है कि गुरुकुल के युग में प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा प्राप्त करना बाध्य था, जिसका 'उपनयन' संस्कार नहीं होता था, अर्थात् जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, उसे समान मर्दाई का स्थान न था।

इस समय का समाज चार भागों में विभक्त था जिसे 'वर्ण व्यवस्था' कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—ये चार

वर्ण थे। पहले तीन वर्णों के बालकों का 'उपनयन' संस्कार होता था। वीद्वायन धर्म-सूत्र में लिखा है कि शूद्र का भी उपनयन किया जाय। मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मण के बालक का ८ वर्ष में, क्षत्रिय के बालक का ११ वर्ष में, और वैश्य के बालक का १२ वर्ष में उपनयन संस्कार करने का विधान है। लोणाक्षि स्मृति में यह आयु क्रमशः ७, ६ और ११ बतलाई गई है। आपलम्ब धर्म सूत्र में लिखा है कि कोई भी वर्ण हो, अगर 'ब्रह्मचर्य' उद्देश्य हो तो ७, 'आयु' उद्देश्य हो तो ८, और अगर 'तेज' अर्थात् शारीरिक-पुष्टि उद्देश्य हो तो ६ वर्ष की आयु में 'उपनयन' होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने शारीरिक-बुद्धि को मुख्य रत्नना हो उसे शिक्षा-देर में प्रारम्भ करनी चाहिए—यही भिन्न-भिन्न-आयु के विधान का अभिप्राय था।

जिनका 'उपनयन' नहीं होता था उन्हें 'सापित्री-वर्तित' तथा 'जात्य' कहा जाता था। ऐसे लोगों के विषय में 'परिहार्याः प्रयत्नतः'—अर्थात् इनसे सदा धुके रहना चाहिए—ऐसा कहा गया है।-पसिष्ठ ऋषि का कथन है कि जिनका 'उपनयन' न हुआ हो उनसे कोई व्यवहार न रखे। एक अन्य स्मृतिकार का कथन है कि ऐसों के साथ विवाह-सम्बन्ध भी न करे—'अभ्यापनं याजनं च विवाहादि च वर्जयेत्'। इस सारी कड़ई का यही अभिप्राय है कि भारत की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था में अशिक्षित रहने को कोई स्थान ही न था, जो अशिक्षित होता था उसका समाज में ही-यहिष्कार हो जाता था। ठीक भी है, जब समाज मन के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है तब अशिक्षित रहने का कोई कारण ही नहीं रह जाता।

—धर्म को सम्मुख रखकर शिक्षा देने का यही अभिप्राय जाति जो जिस वर्ण के माता-पिता को सन्तान दे उते उस प्रकार की

शिक्षा में विशेष रुचि हो सकती है, और वह उस दिशा में प्रवीण हो सकता है। इसका अभिप्राय यह कभी नहीं था कि एक वर्ण का बालक दूसरे वर्ण की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। ऋग्वेद (६, ११-) का एक श्लोक यह कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी पिता भिक्षु है, मेरी माता गेहूँ पीसती है, हम नाना धी हैं, भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के हैं, परन्तु एक ही परिवार के अङ्ग हैं। जो किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था वही शूद्र कहा जाता था। शूद्रों के अतिरिक्त उस समय के समाज में दास, दस्यु, असुर और पिशाच भी थे जो अनार्य कहाते थे। इन अनार्यों को भी समाज में पचा लिया गया था और उन्हें भी वेद विद्या के अध्ययन तथा अन्य वैदिक महत्कार करने का पूरा अधिकार था। ऋग्वेद (१०-४२-६) में लिखा है 'जना यदग्नि अजयन्त पद्म'-अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पाँचवे अनार्य ने अग्नि की परिचर्या की। वैदिक महत्कार में इन अनार्यों को समाज का अङ्ग बनाने के लिए 'पद्म जन'-इमं शब्द ही रचा गया। ऋग्वेद (६६-६२०) में अग्नि को 'पद्म जनो' का श्लोक कहा गया है—'अग्नि श्रुति पद्मानः पाद्वज्जन्य पुरोहितः'। याजुर्मन्त्रों की संहिता (२६-२) में लिखा है : 'यथेमा वाचं कल्याणी आरक्षणी जनभ्य ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय'—अर्थात् वेदों के अध्ययन का सबको समान अधिकार है। —

बालकों के समान यान्त्रिकों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यज्ञ में यजमान के साथ यजमान पत्नी पूर्ण अधिकार के साथ भाग लेती थी। ऋग्वेद के मन्त्रों के जैसे 'श्रुति' हैं, जैसे 'श्रुति' भी हैं। रोमणा, सोममुद्रा, अराना, कट्ट, पिश्याया, घोषा, जुहु, रागाभृन्गी, वीलोमो, जलिता, धजा, द्यमायनी, उर्वशी, शरद्वी, चर्मा, इन्द्राणी, सावित्री, देवतामी, नाभा, आरुष्टभावा,

सिद्धता, निवाचनी तथा गौपायना—ये वेदों की ऋषिकर्म्म हैं। अथर्व (११६) में लिखा है: 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्'— अर्थात् ब्रह्मचर्य धारण करके कन्या युवक पति को प्राप्त करती है। उस समय स्त्रियाँ 'ब्रह्म वादिनी' होती थीं, उन्हें ब्रह्म का वसा ही ज्ञान होता था जैसा किसी भी ब्रह्म ज्ञानी को होता है। छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों में मैत्रेयी का वर्णन आता है। जिस समय याज्ञवल्क्य घर छोड़कर सन्यास लेने लगे तब उनका तथा मैत्रेयी का ब्रह्म ज्ञान सम्बन्धी वार्तालाप हुआ। जनक की सभा में जब याज्ञवल्क्य ने अपने को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म वेत्ता घोषित किया तब गार्गी ने उसकी परीक्षा ली और याज्ञवल्क्य के विषय में अपना निष्पत्ति दिया कि निःसन्देह यह ब्रह्म वेत्ताओं में सबसे बड़ा चढ़ा है। मंडन मिश्र की स्त्री ने शरणाचार्य से शरणार्थ किया था और अपने क्षेत्र में शरर स्वामी का हारा दिया था। इन स्व दृष्टान्तों से सिद्ध होता है कि प्रचीन काल में बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा समान रूप से दी जाती थी—स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

गुरु अथवा आचार्य—

शिक्षा देने वाले को 'आचार्य' कहते थे। 'आचार्य' का अर्थ है, 'आचारं प्राहयतीति आचार्य'—जो आचार विचार बनावे। आचार्य का काम—शिक्षा देने के साथ—ब्रह्मचारी के—सदाचार को बनाना भी था। विद्यार्थी को 'द्वार' कहा जाता था। पाणिनी ने 'द्वार' का अर्थ दिया है, जिसे धारा जाय, आरुद्धादित्वात् द्वार जाय, सप्त प्रहार की विघ्न पाधाओं से बचाया जाय। आचार्य का काम बालक को 'द्वार' समभार, (पृथ्वीय समभार), उसे सप्त प्रहार के पापों से बचाना होता था। विद्यार्थी को 'अन्तेवासी' भी कहा गया है। 'अन्तेवासी' का अर्थ है, जो गुरु के अन्दर बसता हो,

उसके हृदय में जा पहुँचे । 'उपनयन' का भी यही अर्थ है—'उप', अर्थात् 'समीप', और 'नयन', अर्थात् 'ले जाना' । आचार्य बालक को अपने समीप ले आता है । तभी 'उपनयन' करते हुए वेद ले रहा है कि यह ऐसा समय है जब आचार्य मानो माता धनकर बालक को तीन रात तक अपने गर्भ में धारण करता है । इन सब बातों से सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य का पिता पुत्र या सा सम्बन्ध होता था ।

गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए छान्दोग्य (६, १४, १-२) में कहा है—जैसे किसी की आँसों पर पट्टी बांध कर उसे जंगल में छोड़ दिया जाय और वह रास्ता ढूँढ़ता फिरे, इसी प्रकार हम इस जन्म में अन्धे की तरह रास्ता टटोलते फिरते हैं । जिस प्रकार रास्ता टटोलने वाले को कोई आकर आँसों से पट्टी उतार दे और उसे ठीक रास्ता बता दे इसी प्रकार गुरु हमारी आँसों से अविद्या की पट्टी उतार कर हमें ठीक मार्ग दिखाता है ।

उप कोटि के आचार्य अपने-अपने आश्रमों में रहा करते थे । वे अपने विषय के अग्रगण्य विद्वान् होते थे । विद्या की खोज में विद्वान् लोग उनके यहाँ पहुँचते थे । गुरु की खोज जाता था । जो शिष्य गुरु धारण करने आते थे वे हाथ में समिधा लेकर आते थे 'समित्पारि' होते थे । समिधा लेने का अभिप्राय यह था कि जैसे वह समिधा सिर लटकी है, परन्तु आग के स्पर्श में यह प्रदीप्त हो उठती है, वैसे शिष्य भी समिधा के समान है, वह गुरु की विद्या के स्पर्श में अग्नि की भाँति प्रदीप्त होना चाहता है । उपनिषदों में जब-जब भी किसी शिष्य के गुरु के पास आश्रम के लिए जाने का वर्णन आया है, साथ साथ वह भी लिखा है कि वह हाथ में समिधा लेकर गया । एक ही समय में शिष्य विद्वान्-विद्वान् विषयों को विद्वान्-विद्वान् गुरुओं में पढ़ते थे—जो, तिम, सुरा,

अज्ञात होता था उसी से वह विषय पढ़ते थे, कभी-कभी अगर कोई गुरु दूर-दूर रहते थे तो शिष्य एक विषय का अध्ययन समाप्त कर फिर दूसरे विषय के लिए दूसरे गुरु के पास चले जाते थे।

यह आवश्यक नहीं था कि शिष्य एक ही गुरु के पास निर्याध्ययन करता रहे। गोपब्रह्मण (१-१-३१) में भीद्गल्य तथा मैत्रेय—इन दो गुरुओं का संवाद आता है। मैत्रेय को जब यह अनुभव हो गया कि भीद्गल्य उससे अधिक विद्वान् है तो उसने अपनी पाठशाला बन्द कर दी, और जब तक स्वयं उस विषय में भीद्गल्य के समान परिदृष्ट नहीं हो गया तब तक अपनी पाठशाला चलाने का नाम तक न लिया।

उन दिनों में आवकल की तरह पुस्तकें नहीं थीं, पुस्तकालय नहीं थे, सम्पूर्ण विद्या गुरु के भस्तिष्क में रहनी थी। इसका यह लाभ भी था कि कोई पुस्तकालयों को जलाकर सम्पूर्ण विद्या का नाश नहीं कर सकता था। मैक्स मूलर ने लिखा है कि यदि आज भी कोई संस्कृत विद्या के सब ग्रन्थों को नष्ट-भ्रष्ट कर दे तो भारत के श्रोत्रियों के भस्तिष्क में उन सब ग्रन्थों को फिर से रचना की जा सकती है। विद्या को सुरक्षित रखने के लिए 'गुरु-शिष्य-परम्परा' बनी हुई थी। प्राचीन ग्रन्थों में इसपरम्परा का उल्लेख है— उनमें लिखा है कि किस गुरु से किस शिष्य ने विद्या को सुरक्षित रखा। प्रत्येक आचार्य धरना कर्तव्य समझता था कि प्राचीन काल से आ रहे विद्या रूपी धन को देश तथा जाति के लिए सुरक्षित रखे। इसीलिए जहाँ शिष्य गुरु की कलशों किंचित् करते थे वहाँ गुरु भी योग्य शिष्यों की कलशा में रहते थे। वैश्वदेव उपनिषद् (१-४-३) में लिखा है कि जैसे जमीनी नीचे से पहात है, जैसे भास्व मयत्सर के पीछे भागते हैं, वैसे तुम्हें शिष्यापी शर हो।

जैसे प्राद्वण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—ये चार 'वर्ण' थे, वैसे प्राद्वचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास—ये चार 'आश्रम' थे। मुख्य तौर पर प्राद्वण तथा क्षत्रिय जय वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे तब शिक्षक का कार्य करते थे। प्रत्येक शहर के ईश-गिर्व वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे। उष सं उष कोटि के विद्वान्, गृहस्थ पूष कर, वानप्रस्थ महण करते थे, और ये वानप्रस्थी समाज के निशुल्क शिक्षक का काम करते थे। क्योंकि गृहस्थ-आश्रम में रहते हुए ये उष सं-उष अनुभव प्राप्त कर चुके होते थे अतः देश के नव-गुप्तों को ये अपने परिपक्व अनुभव से शिक्षा देते थे। मुख्य तौर पर तो वानप्रस्थियों के हाथ में ही शिक्षा का कार्य था, परन्तु गृहस्थी प्राद्वणों तथा क्षत्रियों के लिए शिक्षक का काम करना वजित न था। प्राद्वण-गुरुओं का वर्णन तो जहाँ-तहाँ पाया ही जाता है, उपनिषदों में क्षत्रिय-गुरुओं का भी वर्णन मिलता है। यह नहीं कि क्षत्रिय-गुरु क्षत्र विद्या का ही उपदेश देते थे, ऐसे-ऐसे क्षत्रिय गुरु भी विद्यमान थे जो राज राज के साथ साथ प्रज्ञा-विद्या का भी उपदेश देते थे। शतपथ प्राद्वण (११.६.२.१) में पिद्व-राज जनक का वर्णन आता है। उसने स्वतन्त्रेण आरुण्य तथा याज्ञवल्क्य से अग्निहोत्र की विधि के सम्यन्ध में प्रश्न किया जिसका उत्तर केवल याज्ञवल्क्य से देते बना और वह भी अभूष। इम पर जनक ने उन्हे अग्निहोत्र की यथार्थ विधि का उपदेश दिया। कीर्तितकी उपनिषत् (४.१) में गार्भ्य बालाकी प्राद्वण को पारिश-राम अजातरात्र ने चुप करा दिया और वह प्राद्वण हाथ में समिधा लेकर अजातरात्र के पास विद्या महण करने के लिए प्रस्तुत हो गया। गृहदारण्यक (२.१.१) में भी इसी दत्त बालाकी की कथा आती है। इसे दत्त इसलिये कहा गया है क्योंकि इसे अपनी विद्या का पदा मन्त्र था। गृहदारण्यक (५.१.१) में वा गाल देरा के

राजा प्रयाहण जैयली का वर्णन आता है जिसमें खेतकेतु ने आरुणेय तथा उसके पिता को ब्रह्मज्ञान दिया। छान्दोग्य (५-११) में अश्वपति कैकेय के पास पाँच ब्राह्मण 'वैश्वानर' की शिक्षा लेने आये—ऐसा वर्णन पाया जाता है।

अभ्यापन क विषय—

ब्रह्मचारी का जब 'उपनयन' संस्कार होता था तब वह अत्यन्त साधारण वेश धारण करता था। शरीर पर चर्म—'अजिन'; नीचे के भाग में सन आदि का 'वास'; हाथ में 'दंड'; कमर में 'मेखला'; छाती पर 'यज्ञोपवीत'। सिर के बाल, शिला को छोड़कर, या तो सब मुँडवाने होते थे, या सब बाल रखने होते थे। बड़े होने पर 'क्षीर कृत्वं वर्जय'—सिर या दाढ़ी-मूछ के बाल मुँडाने की मनाही थी। आचार्य पूछता था—'कस्य ब्रह्मचारी असि'—'तू किस का ब्रह्मचारी है' ? शिष्य कहता था—'तव'—'आपका'। 'उपनयन' हो चुकने के बाद आचार्य उसका 'वेदारम्भ' संस्कार करता था। आश्वल गृह्य सूत्र (१-२०-२) के अनुसार शिष्य को सम्बोधन करके कहा जाता था, ते बालक ! तू आज से ब्रह्मचारी है, जले की प्रमूत मात्रा पिया कर, पान में लगा रद्द, निठल्ला कभी मत फिर, दिग का कभी मत सोना, आचार्य के आधीन रहकर विद्याभ्ययन करना, बारह वर्ष पर्यन्त एरुएक वेद का अभ्ययन करना और ब्रह्मचर्य धारण करना, आचार्य की धम-युक्त आज्ञा का पालन करना, अधमं युक्त आज्ञा का पालन मत करना, क्रोध और मूठ छोड़ देना, मैथुन से दूर रहना, गंडला पर मन सोना, गाना-बजाना नाचना गन्ध माला मुरमा लगाना आदि ठीक नहीं; अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति जागरण—नि-दा-लोभ मोह भय शोक दोड़ देना, रात्रि के पिड़ने पर न उठ जाना और धारणक शौच, दन्त धारण, स्नान, मन्थो

पासन, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और योगाभ्यास किया करना, उस्तरा मत लगवाना, मांस, रूखा सूर्या अन्न तथा मद्यादि का सेवन न करना; धूल, घोड़ा, ऊँट आदि की सवारी न करना; प्राण के भीतर मत रहना, जूता-छाता न रखना, लघुशब्दों के बिना इन्द्रिय का स्पर्श न करना; धीर्य रक्षा करके ऊर्ध्व-रेता बनना और धीर्य को शरीर में रक्षाना, द्रव्यों में तेल मलना आदि छोड़ देना, अति-अम्ल, अति तिक्त, अति-कषाय, क्षार तथा रेचन द्रव्यों का सेवन न करना, युक्त आहार विहार में रहना, विद्या के प्रत्यक्ष मूलों में रहना, मुशील बनना, थोड़ा सोलना, सम्यक् बनने का प्रयत्न करना, मेखला और दण्ड का धारण करना, भिक्षा में निर्वाह करना, अग्निहोत्र, स्नान, मन्थ्या, आचार्य का आश्रायारी, प्रातः साय आचार्य का नमस्कार करने वाला बनना—ये तेरे नित्य के धर्म हैं।

इस उपदेश में स्पष्ट है कि चरित्र वा निर्माण अभ्यास का आवश्यक विषय था। ब्रह्मचारी की सम्पूर्ण दिन-चर्या ऐसी बनाई गई थी जिसमें क्षण क्षण में उसके आचार का निर्माण होता था। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि पुस्तक पाठ की तरह फोड़ें ध्यान नहीं दिया जाता था। मुस्कत उपनिषद् में शौनके का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यह आगरस आचार्य के पास गया और कहा कि मैं चारों वेदों, धर्म, कल्प, निरुक्त, शिक्षा को पढ़ चुका हूँ—मुझे 'अपरा' विद्या का ज्ञान है, 'अप' विद्या था नहीं। सब नीतिक विद्याओं को 'अपरा' विद्या कहा जाता था, आत्म विद्या को 'अप' विद्या कहा जाता था। छान्दोग्य उपनिषद् (७-१) में लिखा है कि नारद आचार्य मन कुमार के पास गये, और उनमें कहा कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पाँचों वेद इतिहास पुराण

२१४ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, शक्तिदात

वेदों के वेद (जिससे वेद त्वष्ट हो जाते हैं), विद्य (शुद्ध-
विज्ञान), राशि (गणित), देव-विद्या (उत्पत्ति-विज्ञान), निधि-
शास्त्र (अर्थ-शास्त्र), वाक्योवाक्य (तर्क-शास्त्र), एकाग्र
(नीति शास्त्र), देव-विद्या (निरुक्त), ब्रह्म-विद्या, भूत विद्या
(भौतिकी, रसायन, प्राणी-शास्त्र), ज्ञान विद्या (धनुर्विद्या), नक्षत्र
विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या (विष ज्ञान), देव-जन विद्या
(ललित-कला) को पद चुका हूँ । मैं 'मन्त्र विन्' हूँ, 'आत्म विन्'
नहीं हूँ ! 'अपरा विद्या' तथा 'मन्त्र विद्या' का एक ही अर्थ है ; 'पर-
विद्या' तथा 'आत्म-विद्या' का एक ही अर्थ है । प्राचीन भारत में
सभी विद्याएँ पढ़ायी जाती थीं, परन्तु क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य
'भुक्ति' समग्र जाता था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा 'अपरा'
अथवा 'मन्त्र'-विद्या पढ़ने के वाट 'पर' अथवा 'आत्म' विद्या
पढ़ने की होती थी, और सधा गुरु वही समग्र जाता था जो
'अपरा' तथा 'पर', 'मन्त्र-विद्या' तथा 'आत्म-विद्या', भौतिक विज्ञान
तथा आत्म-ज्ञान दोनों का ज्ञान दे सकता था-

यद्यपि उस समय अपने-अपने विषयों के विशेष-विशेष ज्ञात
होते थे तो भी सम्पूर्ण ज्ञान को एक अखंड ज्ञान समग्र जाता
था । व्याकरण के ज्ञाता को ज्योतिष तथा वैद्यक का ज्ञान भी होना
था, ज्योतिषी को व्याकरण, न्याय, सांख्य, वैद्यक आदि का ज्ञान
होना था । यही कारण है कि प्राचीन प्रणाली के पंडित प्रायः सभी
बुद्ध जानते थे । ये व्याकरण पढ़ा सकते थे, परन्तु साप-ही स्वयं
उजातप तथा आयुर्वेद भी पढ़ा सकते थे । मन विषय पढ़ा सकने
के साथ-साथ वे किसी एक विषय के विशेष ज्ञाता भी होते थे ।
तत्त्व-शाला विरय-विद्यालय में पाणिनी, पाण्डित्य तथा जीवक ने
शिक्षा प्राप्त की थी । पाणिनी व्याकरण के, पाण्डित्य धर्मशास्त्र
के, और जीवक वैद्यक के विरय-विख्यात विद्वान् हुए, परन्तु उन

मन में विशेषता यह थी कि पाणिनी व्याकरण के साथ साथ राजनीति भी जानते थे, चाणक्य राजनीति के साथ-साथ व्याकरण भी जानते थे, और जीवक आयुर्वेद के साथ साथ अन्य शास्त्रों के भी छाता थे।

शिक्षा समाप्त कर चुकने पर आचार्य का वीक्षान्त भाषण (Convocation address) होता था जिसमें छात्र होता है कि आचार्य दिन बातों का शिक्षा के लिए आवश्यक समझते थे। एक वीक्षान्त-भाषण का नमूना त्रैनिरीयोपनिषत् (११, १-४) में पाया जाता है। गुरुकुल छोड़ते हुए शिष्य को सम्बोधन पर आचार्य कहता है—सत्य बोलना। धर्म आचरण करना। व्याख्याय में प्रमाद मत करना। आचार्य को जो प्रिय हो वह दक्षिण रूप में उमें देकर मद्यचर्याभ्रम के अनन्तर गृहस्थाभ्रम में प्रवेश करना और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना। सत्य बोलने में प्रमाद मत करना, धर्माचरण में प्रमाद मत करना, जिस बात में तुम्हारा भला हो उसमें प्रमाद मत करना, अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना, व्याख्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना। संसार में जो 'देव' हैं, तुम में गुणों में बढ़े बढ़े हैं, और जो 'पितर' हैं, तुम में आयु में बढ़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना। माता को देवी समझना, पिता, आचार्य, अतिथि—इन्हें देव मानना। हमारे जो अनिन्दित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं; जो हमारे सुचरित हैं, उन्हीं को उपास्य समझना, दूसरों को नहीं। हममें भेष विद्वान् जहाँ बैठे हों वहाँ उनके उपदेश को ध्यान में मुनना, वाद विवाद में मत बदलना। धडा से देना, अधडा में भी देना, अपनी बढ़ती भी सम्पात्त में से देना, भी न बढ़ रही हो ता भी लोकराज से देना, भय से देना, प्रेम से भी देना। ऐस्य करके हुए भी अगर किसी बात में सन्देह उत्पन्न हो

जाय, यह समझ न पड़े कि 'धर्माचार' क्या है, अध्याय किस स्थिति में कैसे वर्तना है, 'लोकाचार' क्या है, यह सन्देह खड़ा हो जाय, तो तुम्हारे आस-पास के धर्म-कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, बिना रूखे स्वभाव के, सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्राह्मण जैसे वर्तें वैसे वर्तना। 'विश्वाम्बु' विषयों में भी युक्त, आयुक्त, अरुक्त, धर्म-शान्ति, मंदाशी ब्राह्मणों के पीछे ही चलना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद् का मार है, यही हमारा अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना।

'वेत्तारम्भ' तथा 'शिक्षान्त मन्कार' के समय आचार्य के जिन दो भाषणों का हमने उल्लेख किया उनमें उस समय के-अध्ययन के विषयों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है।

अध्ययन की विधि—

तैत्तिरीय उपनिषत् (११, २) का प्रारम्भ 'शिक्षा' अध्याय में होता है। उसमें लिखा है कि शिक्षा 'शब्दों' द्वारा दी जाती है, शब्दों का निर्माण 'वर्णों' से होता है। अथा-इ ई तथा क-ख ग घ आदि 'वर्ण' हैं। वर्णों के ज्ञान के बाद स्वर' अध्याय उच्चारण का ज्ञान आवश्यक है। कौन सा वर्ण कैसे बोला जाता है—इसका ज्ञान स्वर ज्ञान है। कई बालक 'स' को 'रु' और 'न' को 'ट' बोलने लगते हैं। उनका 'स्वर' ठीक नहीं होता। जैसे 'वर्ण' का ज्ञान कराना आवश्यक है, वैसे 'स्वर' का ज्ञान-ध्यान भी उतना ही आवश्यक है। 'वर्ण' तथा 'स्वर' के ज्ञान के बाद 'मात्रा' का ज्ञान कराया जाता है। दस्यु, दीर्घ, प्लुत—इन मात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण में महत्वपूर्ण है। कई बालक दस्यु की जगह दीर्घ और दीर्घ का जगह दस्यु मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा के बाद मात्राओं का 'वर्ण' जानना आवश्यक है।

संस्कृत के ज्ञान में मात्राओं का अपना-अपना बल है। 'आ' की मात्रा का बल शब्द को स्त्री लिंगी बना देता है, 'ओ' का बल एक वस्तु को दो बना देता है, 'अ' का बल एक को अनेक बना देता है। इसके बाद शब्द ज्ञान में 'साम'—अर्थात्, समता से उच्चारण करना आना चाहिए, बोलने का ढंग आना चाहिये। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनन्तर शब्दों का 'सन्तान' प्रारंभ हो जाता है, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से ग्रंथ बन जाते हैं, यही शब्दों का 'सन्तान'— फैलाव— है। इस प्रकार वर्णों में प्रारंभ करके वर्णों की सन्तान तक पहुँचने में ही सब 'शिक्षा' समा जाती है। यह तैत्तिरीय उपनिषद् का शिक्षा अध्याय है।

'शब्द' और 'अर्थ' का आपस का सम्बन्ध कैसा है? कई लोग कहते थे कि 'शब्द' और 'अर्थ' का नित्य-सम्बन्ध है, कई कहते थे कि इन दोनों का कल्पित सम्बन्ध है, माना हुआ सम्बन्ध है। नित्य सम्बन्ध मानने वाले कहते थे कि 'घट' का अर्थ घड़ा ही हो सकता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं; अनित्य सम्बन्ध मानने वालों का कहना था कि 'घट' का हमने घड़े से सम्बन्ध जोड़ रखा है इसलिए 'घट' कहने से घड़ा अर्थ लिया जाता है, अगर कोई दूसरा अर्थ जोड़ लिया जाय तो यह अर्थ लिया जाय। वैय्याकरणी 'शब्द' और 'अर्थ' का नित्य सम्बन्ध मानते थे; नेप्यायिक इन दोनों का अनित्य, अधान्, कल्पित सम्बन्ध मानते थे। आजकल जो 'प्रत्यय सम्बन्ध-वादी' (Associationists) कहे जाते हैं वे प्राचीन भारत के नेप्यायिकों की तरह 'शब्द' और 'अर्थ' के कल्पित सम्बन्ध को मानने वाले ही समझने चाहिये।

तो फिर 'ज्ञान' क्या है? जैसा हमने देखा, ज्ञान तो 'शब्द' और 'अर्थ' का कल्पित सम्बन्ध है। 'ज्ञान' तक पहुँचने का तरीका क्या है?

प्राचीन शिक्षा शास्त्री 'ज्ञान' तक पहुँचने के पाँच क्रम बतलाते थे—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन—इन्हें ज्ञान के 'पचावयव' कहा जाता था। इन पाँचों का क्या अर्थ है ?

हमने पहाड़ पर धुआँ देखा और उसे देखते ही कह दिया—'पहाड़ पर आग लगी है'। इस प्रकार पहाड़ पर धुआँ देखकर मूढ-से कह देना कि वहाँ आग लगी है, 'प्रतिज्ञा' कहा जाता है।

परन्तु प्रश्न होता है कि हम क्यों मानें कि पहाड़ पर आग है, इस में 'हेतु' क्या है ? पहाड़ पर धुआँ देख कर यह कह देना कि वहाँ आग लगी है, पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कथन की पुष्टि में कहना होगा कि वहाँ आग है 'क्योंकि वहाँ धुआँ देख रहा है' ! यहाँ 'हेतु' है।

परन्तु धुआँ देख रहा है तो क्या हुआ ? इस 'हेतु' की पुष्टि में हमें कोई दृष्टांत भी देना होगा। इसलिए हम कहते हैं, 'जैसे रसोई में धुआँ होता है और धुएँ के साथ आग होती है, इसी प्रकार क्योंकि पहाड़ पर धुआँ दिखाई दे रहा है, अतः वहाँ पर भी आग अवश्य है।' इसी को 'उदाहरण' कहते हैं।

उदाहरण देकर सिद्धान्त निकाल लेने के बाद यह सिद्धान्त सब जगह लागू हो सकता है—यह सिद्ध करना आवश्यक है। जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है—इस प्रकार अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने को 'उपनय' कहते हैं।

'उपनय' के बाद, अर्थात् एक 'सिद्धान्त' निकाल लेने के बाद सामने की घटना पर उसे लागू करके दिखाने को 'निगमन' कहते हैं। जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है, सामने पहाड़ पर धुआँ है अतः वहाँ भी आग अवश्य है—इस प्रकार अपने कथन को घटा कर दिखा देना 'निगमन' है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की सिखाने की यही पद्धति थी। इस पद्धति में दो भाग किये जा सकते हैं। पहले को 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' (Deductive Method) कहा जा सकता है, दूसरे को 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' (Inductive Method) कहा जा सकता है। 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' (Deductive Method) में हम पहले एक सत्य का प्रतिपादन कर देते हैं, एक व्याप्ति को, एक नियम को, एक सिद्धान्त को कह देते हैं, और दृष्टान्त देकर उसकी पुष्टि करते हैं। 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' में हम पहले अनेक दृष्टान्तों का संग्रह कर देते हैं, और उसके बाद व्याप्ति को, नियम को, सिद्धान्त को निरालेते हैं। प्राचीन शिक्षा-पद्धति में 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' अथवा 'निगमन' (Deductive Method) और 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' अथवा 'आगमन' (Inductive Method) दोनों का प्रयोग होता था। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण में 'व्याप्ति पूर्वक अनुमान' (Deduction) है, और उदाहरण, उपमेय, निगमन में 'दृष्टान्त पूर्वक अनुमान' (Induction) है। 'पंचावयव' की इसी पद्धति को आज़कल हर्बर्ट के 'पंच सोपान' (Five Steps of Herbart) कहा जाता है।

शिक्षा में 'ध्यान' की द्धितनी आवश्यकता है, इसे पूरी तरह समझा जाता था। शिक्षा के तीन आवश्यक अंग थे—'ध्यान', 'मनन' तथा 'निदिध्यासन'। 'ध्यान' गुरु में मुनने का नाम था, परन्तु मुनना वर्तमान में नहीं था। मुनने के बाद 'स्वाध्याय' की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती थी। 'स्वाध्याय' का अर्थ है, स्वयं अध्ययन करना। गुरु का ध्यान तो शिष्य में क्रियाशीलता उत्पन्न कर देना है। उसके बाद शिष्य की सम्पूर्ण प्रक्रिया शिष्य को स्वयं करनी होती थी। यही 'स्वाध्याय' की प्रक्रिया 'मनन' तथा 'निदिध्यासन' के रूप में होती थी। शिष्य पहले हुए पर 'मनन' करता था, पढ़ने के बाद

२२० 'शिक्षा-शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

गूढ़ता था, और गुढ़ने के बाद पढ़े हुए में एक रूप हो जाता था, इसी को 'निर्दिध्यासन' कहते थे।

पढ़ाते हुए गुरु कथा कथानको रू भरपूर प्रयोग करता था। अगर कहा जाय कि कथानकों द्वारा शिक्षा देना भारतीय प्रणाली थी तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। कथानकों के साथ अलंकारों का प्रयोग भी प्रचुरता से होता था। कठोपनिषत् में नचिकेता के कथानक द्वारा ब्रह्म-विद्या का अत्यन्त मनोहर उपदेश दिया गया है।

प्रायः प्रश्नोत्तर द्वारा गुरु शिष्य को पढ़ाता था। शिष्य प्रश्न करता था, गुरु उत्तर देता था। गीता तो सम्पूर्ण ही अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कही गई है। प्रश्नोपनिषत् में भी प्रश्न हैं, और उत्तर हैं। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में प्रश्न-कर्ता को 'प्रश्निन्' कहा गया है, बीच में ही प्रश्न करने वाले को 'अभि-प्रश्निन्' कहा गया है, उत्तर देने वाले को 'प्रश्न विचारू' कहा गया है। प्रश्नोत्तरी द्वारा किसी बात को समझने के तरीके को 'वाकोपाक्य' कहा जाता था। प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की सुरक्षा के नाम से जो पद्धति प्रसिद्ध है वही प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की पद्धति थी। कभी-कभी गुरु इशारा मात्र कर देते थे, और शिष्य से आशा रखते थे कि यह अपनी बुद्धि से तत्प तक पहुँच जाय। तैत्तिरीय उपनिषत् की भृगु-वल्ली में चरुण अपने पुत्र भृगु को प्रश्न का उपदेश देते हुए कहता है, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी—जिससे ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें पिरोन हो जाते हैं, वही 'प्रश्न' है। फिर धीरे-धीरे अपने प्रयत्न में यह जानता गया कि अन्न प्रश्न नहीं है, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि भी प्रश्न नहीं हैं। अ्यों अ्यों भृगु तप करता गया,

भिन्न-भिन्न बातों पर विचार करता गया, क्यों क्यों उसकी अपनी अर्थों गुलती गई ।

शिक्षा में परीक्षण-आत्मक पद्धति को विशेष स्थान था । छान्दोग्य में आचार्य अपने शिष्य श्वेतकेतु को कहते हैं कि वट वृक्ष का एक फल लाओ । इसे काट डालो, देखो, क्या देखते हो ? बीज ! बीजों को फोड़ डालो, फिर क्या देखते हो ? कुछ नहीं ! आचार्य ने कहा, इसी 'कुछ नहीं' में इतना विराल वट का वृक्ष छिपा हुआ है । तीन बार इसी प्रकार परीक्षण को दोहरा कर आचार्य ने शिष्य को मद्र की महान् सत्ता की शिक्षा दी है ।

छान्दोग्य (६) में श्वेतकेतु को उसके पिता ने यह बतलाना चाहा कि अन्न पर ही प्राण निर्भर है । श्वेतकेतु को १२ दिन तक निराहार रहने को कहा गया, सिरक पानी पीने की आज्ञा थी । १२ दिन के बाद उसे घेद-मन्त्र दोहराने को कहा गया । श्वेतकेतु ने कहा कि मुझे कुछ स्मरण नहीं आता । फिर आचार्य ने उसे कुछ खा लेने को कहा । कुछ देर के बाद उसे मद्य स्मरण होने लगा । इस प्रकार परीक्षण करके किसी तत्व तक पहुँचना उन आचार्यों की पद्धति थी ।

सबसे अधिक महत्त्व ही बात यह है कि शिक्षा को एक उपयोगी कौशल (Craft) के साथ जोड़ दिया गया था । उस समय की परिस्थिति में गौ को जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी माना गया था । शिष्य का विद्याभ्यास करने हुए गौ की सेवा करना मुख्य कार्य था । आजकल के निम्नमें खेलों से विद्यार्थी को यह लाभ नहीं हो सकता जो उस समय के विद्यार्थी को गौ सेवा से होता था । छान्दोग्य में सत्ययाम जापाल की कहानी आती है । उसमें लिखा है कि गुरु ने उसे ५०० गौँ देी, घोर जंगल में भेज दिया ।

जब वे १००० हो गईं तब वह लेटकर आया, और तब तक वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका था। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य के विषय में लिखा है कि जनक की सभा से वह १००० गीतों को अपने शिष्य द्वारा हँकना कर ले गया। इस प्रकार भारत के प्राचीन शिक्षा विज्ञान वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों की तरह किसी कौशल (Craft) को शिक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक समझते थे। गो-सेवा का तो इतना महत्त्व है कि यदि आज भी इसे शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाय तो विद्यार्थियों को हानि के स्थान में लाभ होने की ही संभावना है।

बौद्ध-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN BUDDHIST PERIOD)

बुद्ध भ्रमणों में से एक था—

ब्राह्मण-काल के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में बौद्ध-काल आता है। उपनिषदों में जगह जगह संसार की नश्वरता का वर्णन मिलता है। जगत् मिथ्या है, आत्मा ही मृत्यु है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में स्थान स्थान पर संसार को मिथ्या घोषित करने वाली टोलियाँ फिरने लगीं। बुद्ध से पहले के भारत-समाज में संसार को मिथ्या घोषित करने वाले धर्म प्रचारकों के मुख्य तौर पर दो भाग थे— 'ब्राह्मण' तथा 'धमण'। 'ब्राह्मण' गृहस्थी होते थे, 'धमण' पानप्रस्थी अथवा सन्यासी होते थे।

'ब्राह्मणों' में बुद्ध के समय ६ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध थे—पूरण कस्सप, मकरवली गोशाल, अजित केशकम्पाली, पकुद्ध कन्द्यायन, सजय पेलत्थियुत्त और नगत्य नागपुत्त। इनमें से प्रत्येक अपने दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। इनके सैद्धांतिक शिष्य थे। ये आचार्य अपनी शिक्षा-मंडली के साथ भारतीय सभ्यता के कई-कई केंद्रों के भ्रमण करते फिरते थे, और अपने विचार को जगह-जगह फैलाने की कोशिश करते थे। सिर पर जटा-जूट, शरीर पर चर्म धारण किये वे तथा इन के शिष्य भारत के कोने कोने में संसार के मिथ्य होने का संख्य पीटते जगह-जगह भ्रमण करते थे।

ब्राह्मणों के अतिरिक्त 'श्रमणों' के चार भेद थे—मगजिन (सत्य मार्ग को जीतने वाले), मगदेशी (सत्य-मार्ग का उपदेश देने वाले), मगजीवी (सत्य मार्ग के उपदेश से जीविका उपार्जन करने वाले) तथा मग दूषी (सत्य मार्ग को दूषित करने वाले)। इन श्रमणों का आपस में वाद विवाद होता था, उनके कई अयान्तर भेद बन गये थे, और बुद्ध के समय श्रमणों के ६३ भेद थे जिन्हें 'दृष्टि' (Point of view) का नाम दिया जाता था।

प्रतीत्य-समुत्पाद तथा अविद्या का नाश—

'ब्राह्मणों' तथा 'श्रमणों' एव इनके अयान्तर सम्प्रदायों में समय समय पर वाद विवाद होता था। मल्लिक नाम की रानी ने इनके विवाद के लिये अपने यहाँ एक विशाल भवन बनवाया था जिसमें घूमते फिरते 'ब्राह्मण' तथा 'श्रमण' आकर परस्पर शास्त्रार्थ करते थे। बुद्ध इन्हीं श्रमणों में से एक श्रमण था। उसने भी अन्य ब्राह्मणों तथा श्रमणों के समान शास्त्रार्थ किये थे और अन्त में जिस सिद्धान्त को स्थिर किया, उसका नाम 'प्रतीत्य-समुत्पाद' रखा। 'प्रतीत्य समुत्पाद' का अर्थ है समार में किस 'कारण' से कौन 'घट' उत्पन्न होता है, इसे पता लगाने लगाते अन्त में 'कार्य कारण' के पूरे चक्र का पता लगा लेना, और उसमें से निरलकर मुक्त हो जाना। बुद्ध का कथन था कि समार का प्रारम्भ 'अविद्या' से होता है। 'अविद्या' से 'जर्म', 'संस्कार', 'विज्ञान', 'नाम रूप', 'पढायतन' (छः शन्द्रिया), 'स्पर्श', 'वेदना', 'तृष्णा', 'उपादान', 'भव', 'जाति', 'जरा', 'मरण', 'शोक', 'परिपटना', 'दुःख' तथा 'दुर्मनसता'—य क्रमशः उत्पन्न होते हैं। दुःख का नाश करना हो तो पहले अविद्या का नाश करना आवश्यक है, अविद्या के नाश में क्रमशः दमती चीजों का नाश उत्तरोत्तर होता चला जायगा।

अगर अविद्या में ही सारा दुःख है, तो अविद्या का नाश

करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बुद्ध ने 'संघ' की स्थापना की। संघ का उद्देश्य ही अधिष्ठा या नारा कर व्यक्ति को 'निर्वाण' दिलाना था, इसलिए बौद्ध-काल का मंत्र या इतिहास ही उस समय की 'शिक्षा' का इतिहास है।

प्रश्न—

जैसे ब्राह्मण काल में 'उपनयन'-संस्कार होता था वैसे बौद्ध काल में 'उपनयन' के स्थान में 'प्रव्रज्या' संस्कार होता था। जो भी संघ में प्रविष्ट होना चाहे उसको 'प्रव्रज्या' आवश्यक थी। प्रव्रज्या के द्वारा किसी भी दूसरे संघ का 'ब्राह्मण' अथवा 'धर्मण' संघ में प्रविष्ट हो सकता था। प्रवेश के समय कम से कम आयु २ वर्ष की थी, अधिक कितनी भी हो सकती थी। बड़ी आयु के लोग भी संघ में प्रविष्ट हो सकते थे, छोटी आयु के ब्रह्मचारी के तौर पर प्रविष्ट होते थे। आध्यात्मिक विचार यह था कि जो 'प्रव्रज्या' ले रहा है वह घर को सदा के लिए छोड़ रहा है। ब्राह्मण काल में जो ब्रह्मचारी मगता था वह घर को ता छोड़ता था परन्तु शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर में लौट आता था, अतः जो व्यक्ति 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' होना चाहता था वही घर को सदा के लिए छोड़ता था। बौद्ध-काल में 'प्रव्रज्या' ग्रहण करना ही घर को सदा के लिए छोड़ देना था।

'प्रव्रज्या' का अधिकार सब को था। बुद्ध ने कहा है कि जैसे भिन्न भिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न नामों से बहती हैं, परन्तु समुद्र में आकर सभी एक हो जाती हैं, वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब शाक्य बुद्ध के सङ्घ में प्रविष्ट होते हैं, तो सब एक हो जाते हैं। बौद्ध सङ्घ में जाति-भेद का कोई भेद भाव नहीं था। उपाला नाई भी सङ्घ में बिना भेद-भाव के प्रविष्ट किया गया था।

प्रव्रज्या लेने के लिए जब कोई आता था तब उसे किसी भिक्षु से प्रव्रज्या लेनी होती थी। वह उसे पीने वाले घड़े पहना कर उससे

'बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, सर्वं शरणं गच्छामि'—यह बुलवाता था। तीन शरणों में आने का अभिप्राय यह था कि 'बुद्ध'-'धर्म' तथा 'सर्व' की शरण में आता हूँ। इस प्रकार शरण में आने के बाद उसे 'दश शिक्षा-पदानि'—दश शिक्षाएँ दी जाती थीं। यह प्रतिज्ञा करता था कि मैं किसी जीवधारी को नहीं मारूँगा, जो नहीं दिया जायगा उसे नहीं लूँगा, दुराचार नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूँगा, असमय भोजन नहीं करूँगा, नाचना गाना आदि नहीं करूँगा, गन्ध-माला आदि का सेवन नहीं करूँगा, ऊँची शय्या का सेवन नहीं करूँगा, सोना-चादी आदि नहीं लूँगा। प्राङ्गण काल में वेदशरम्भ सत्सर के समय शिष्य को आचार्य जो उपदेश देता था वह उपदेश लगभग उससे मिलता-जुलता है।

यद्यपि सङ्घ में प्रवेश की सत्रको खुली छुट्टी थी तो भी कुछ नियन्त्रण भी था। माता-पिता की आज्ञा के बिना सङ्घ में किसी को प्रविष्ट नहीं किया जाता था। बुद्ध ने इस नियम को स्तम्भ बढ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, नहीं तो सङ्घ तथा भारतीय समाज के परिवारों में सदा सर्प बना रहता। तपेदिक, दमा, कुष्ठ, खुजली वालों को भी सङ्घ में नहीं लिया जाता था, नहीं तो सभी में ये बीमारियाँ फैल जाती। समाज द्वारा अप्रपथी टहराने गये व्यक्तियों के लिए भी सङ्घ का द्वार बन्द था, नहीं तो सङ्घ तथा राज्य में सङ्घर्ष उठ सदा होता। सेना में काम करने वालों के लिए आवश्यक था कि राज्य की आज्ञा लेकर ही सङ्घ में प्रवेश पा सकें। श्रम से बचने वाले को सङ्घ में नहीं लिया जाता था। इस बात का हर तरह से निश्चय कर लिया जाता था कि सङ्घ द्वारा 'परिवार', 'समाज' तथा 'राज्य' की किसी व्यवस्था में रक्तपत्नी न मच जाय।

उप-सम्पदा—

'प्रव्रज्या' के बाद 'उपसम्पदा' की वारी थी। 'उपसम्पदा' प्रदण करने पर व्यक्ति पूरा 'भिक्षु' बन जाता था। 'प्रव्रज्या' तथा 'उपसम्पदा' में १२ वर्ष का अन्तर होता था। जैसे ब्राह्मण काल में १२ वर्ष तक गुरुकुल पास आवश्यक था वैसे बौद्ध-काल में १२ वर्ष तक 'प्रव्रज्या' में रहना आवश्यक था। हा, यह समय न्यून भी किया जा सकता था। जो व्यक्ति किसी अन्य संघ के सदस्य होते थे उन्हें ४ मास में ही 'प्रव्रज्या' से 'उपसम्पदा' में ले लिया जाता था। ब्राह्मणों में से जटिल नाम के वानप्रस्थी एकदम 'प्रव्रज्या' से 'उपसम्पदा' में ले लिए जाते थे।

'प्रव्रज्या' तो किसी भी 'भिक्षु' से ली जा सकती थी, परन्तु 'उपसम्पदा' के लिए 'संघ' के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक था। 'उपसम्पदा' के लिए 'संघ' की एक विशेष बैठक बुलाई जाती थी जिसमें कम से-कम १० भिक्षुओं का होना आवश्यक था। इस बैठक में संघ का पोट लिया जाता था कि अमुक व्यक्ति को 'उपसम्पदा' दी जाय, या नहीं। जब यह निश्चय हो जाता था कि उसे 'उपसम्पदा' दी जाय तब एक भिक्षु उसे अक्षय ले जाकर उससे भिन्न-भिन्न प्रश्न करता था। उसका नाम क्या है, उसका 'उपाध्याय' अर्थात् गुरु कौन है, कोई बीमारी तो नहीं, अण तो नहीं, सरसारी नौकरी छोड़ कर तो नहीं आया, माता-पिता को आज्ञा लो है या नहीं? ये सब निश्चय कर चुकने के बाद वह भिन्न उसे 'मग' के सम्मुख उपस्थित करता था। इसके बाद कोई दूसरा भिक्षु 'मग' के सम्मुख प्रस्ताव करता था कि उसे 'मग' में ले लिया जाय। तीन बार प्रस्ताव रोहगाय जाता था, और तीन दाय सब स्वीकृति पकड़ करने थे। फिर प्रवेशार्थी का पार 'निश्चय' तथा

चार 'अकरणीय' बातों का उपदेश दिया जाता था। चार 'निश्चर' ये थे—भिक्षा पात्र में एकत्रित करके भोजन करना; पेटे पुपुने माँगे हुए कपड़ों से बदन ढकना; वृक्ष के नीचे वास करना; गो मूत्र का औषध के रूप में प्रयोग करना। चार 'अकरणीय' ये थे—मैथुन; चोरी; प्राणि-वध; चमत्कार करने की शक्ति दिखाना। इन चारों बुरी वस्तुओं का त्याग चार 'अकरणीय' कहाते थे।

यद्यपि 'प्रव्रज्या' तथा 'उपसम्पदा' ग्रहण करने के बाद यही समझा जाता था कि अब गृहस्थाश्रम में लौटकर नहीं जाना, तो भी, अगर कोई इन संस्कारों में से गुजरने के बाद भी घर-गृहस्थी में लौट जाना चाहता था, तो उसे जबरदस्ती रोका नहीं जाता था। किसी व्यक्ति के सम्मुख उसका इतना पद देना भर काफी था कि वह अपने भीतर 'बुद्ध'-'धर्म' तथा 'सध' के पाँडे चलने की शक्ति नहीं देख रहा।

'उपसम्पदा' ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी को 'उपसम्पन्न' कहते थे। 'उपसम्पन्न' को 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' के आधीन, उनही देख-रेख में जीवन बिताना होता था। १० वर्ष तक जो तप में रह चुका हो वह 'उपाध्याय' कहाता था, ६ वर्ष तक तप में रह चुकने वाला 'आचार्य' कहाता था। 'उपाध्याय' का काम 'उपसम्पन्न' को धर्म पन्थों की शिक्षा देना था, 'आचार्य' का काम उसके आचार-व्यवहार को देखना था। अक्षय-काल में 'आचार्य' का स्थान 'उपाध्याय' से ऊँचा होता था, परन्तु बौद्ध-काल में 'उपाध्याय' का स्थान 'आचार्य' से ऊँचा था। १० वर्ष तक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' के आधीन शिक्षा ग्रहण करने के बाद 'उपसम्पन्न' स्वयं 'उपाध्याय' अथवा 'आचार्य' बन जाता था, और 'भिक्षु' बन कर अन्य भिक्षुओं को शिक्षा दे सकता था।

ब्राह्मण-काल की तरह बीड़ काल में भी शिष्य गुरु का काम गुरु की सेवा करना होता था। वह प्रातः काल उठता था, गुरु को अतुल देता था, मुख धोने के लिए गुरु के लिए पानी लाकर रखता था। फिर उसकी चौकी बिछा कर उसे स्नान करा देता था, सारे मकान में मगड़ लगाता था। गुरु बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलता था। गुरु जब भिखा लेने जाता हो तो उसके घर्तन को साक कर इसकी सारी तय्यारी कर देता था। स्वयं साथ जाय तो उसके आने से पहले ही लौट आता था। उसके बैठने आदि की पूरी तय्यारी करता था। गुरु के स्नान के लिए सब सामान जुटाता था, और गुरु सेवा के सभी काम करता था, गुरु के रोगी पड़ जाने पर जान लड़ाकर उसकी सेवा करता था।

जिस प्रकार शिष्य के लिए गुरु को पिता समझ कर उसकी सेवा करना आवश्यक था, इसी प्रकार गुरु के लिए शिष्य को पुत्र समझ कर उसकी सब प्रकार की सहायता करना आवश्यक था। शिष्य को पढ़ाना-लिखाना, उसे बपड़े तथा भोजन देना, और रोगी पड़ जाने पर उसकी जी जान से सेवा करना गुरु के लिए आवश्यक माना गया था। प्रत्येक 'उपाध्याय' अथवा 'आचार्य' के नीचे कम-से कम दो, और अधिक में अधिक इतने 'उपमत्स्य' रह सकते थे जितना ही वे बुद्धी तरह देर भान कर सकते थे।

विशाल—

'उपाध्यायों' तथा 'आचार्यों' के आधम विस्तृत विस्तरे हुए और असंख्य नहीं होते थे। एक स्थान पर अनेक आधमों के निर्माण से 'विशाल' बनते थे। एक-एक 'विशाल' में अनेक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' अपने-अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ब्राह्मण-काल तथा बीड़ काल की शिक्षा प्रणाली में यह नेद है कि ब्राह्मण काल में वे 'आचार्य' लोग अपने-अपने आधमों में रहते थे, शिष्यों

को पदा देते थे, व्यक्ति रूप में जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु बौद्ध-चाल में अनेक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' मिलकर एक जगह रहते थे, और उक्त स्थान का नाम 'विहार' होता था। 'विहार'-प्रान्त में 'विहार' बहुत थे इसलिये उसे 'विहार' कहते हैं। कनी-कनी तो एक ही स्थान पर इतने 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' रहते थे कि अपने निम्न-शिष्यों को मिला कर उनकी सख्य हजारों तक पहुँच जाती थी। कालान्तर में 'विहार' में १० हजार निम्न विनास करते थे। 'विहारों' में क्योंकि निम्न-निम्न 'उपाध्यायों' तथा 'आचार्यों' का विनास होता था अतः वहाँ अनेक प्रकार की निरन्तर सन्वन्धी सन्तत्य भी उठ खड़ी होती थी। कनी-कनी एक 'उपाध्याय' के शिष्यों को दूसरे 'उपाध्याय' 'विहार' से निम्न देते थे, इस पर बुद्ध ने नियम बनाया कि जिस 'उपाध्याय' का कोई शिष्य हो उसको विना अनुमति के उसे प्रथम नहीं किया जा सकता। कनी-कनी एक 'उपाध्याय' के शिष्य को दूसरे 'उपाध्याय' के शिष्य बहका कर अपनी मङ्गली में सम्मिलित कर लेते थे। इस पर बुद्ध ने नियम बनाया कि कोई 'उपाध्याय' दूसरे 'उपाध्यायों' के शिष्यों को अपने पास नहीं रखेगा। अगर कोई शिष्य प्राणी-बध, चोरी, व्यभिचार, मूठ, नश्व सेवन, 'बुद्ध'-'धर्म'-'संघ' की निन्दा तथा भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार करवा हुआ पाया जाता था, तो निम्न दूसरे 'उपाध्यायों' की सख्य के 'विहार' में निम्नलिखित दिख जाता था। मोक्ष, रत्न, तथा विनास के निम्न—

निम्न का जीवन अत्यन्त साध होता था। निम्न-पात्र, सूर्य-पात्र, केंपी, शीपय, चण्ड तथा जल धारण के कपड़े के सिवाय उसकी कोई सम्पत्ति नहीं होती थी। भोजन के लिए निम्न-वृत्ति का विधान था। निम्न के लिए पितृव निम्न पने हुए थे। निम्न के लिए ज्ञान सन्तत्य कपड़ा पहन कर जाना चाहिए। ईसन्त,

घोलना आदि नहीं चाहिए। किसी घर में जाते हुए बाहर आने का मार्ग पहले देख लेना चाहिए। घर से बहुत दूर, बहुत निरट या कहीं बहुत दूर तक भिक्षा के लिए नहीं रुके रहना चाहिए। कोई देवी भिक्षा दे रही हो, उसको तर्क आँस उठा कर नहीं देवना चाहिए। ब्राह्मण-काल में तो पुकार कर भिक्षा माँगी जाती थी, बौद्ध-काल में घुपके में भिक्षा लेने का विधान था। एक प्रकार में भिक्षा देना गृहस्थों का ऊँचा अधिकार समझा गया है। यह मागी नहीं जाती। जो गृहस्थ 'बुद्ध', 'धर्म' या 'मा' की निन्दा करें उनसे भिक्षा करने को मना किया गया है। लिङ्गयी स्थान के बद्ध व्यक्ति ने भल्ल के रूप पर बुद्ध अनुचित आरोप किये थे। परिणाम स्वरूप सभ ने लिङ्गरी के बद्ध का भिक्षा के लिए बहिष्कार कर दिया, और उसके अपरिचित करने पर बहिष्कार को उठाया। इसके लिए 'संत' का विशेष प्रभाव करना पड़ा। कई भिक्षुओं को इच्छा किसी के घर नहीं पहुँचना चाहिए, एक ही स्थान से तीन से अधिक भिक्षा भिक्षा नहीं ले सकते थे। दूसरे के पान्न की भिक्षा को क्षालक की दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। स्वाते हुए मने हुए हाथों से जल-पात्र को नहीं उठाना चाहिए। जब तक सब भिक्षा भोजन न कर लें तब तक मुख्य भिक्षा को हाथ धोने के लिए जल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई धनिक सदा के लिए भिक्षा का निमन्त्रण दे तब भी चार मास से अधिक एक ही 'उपसक' के यहाँ भिक्षा नहीं करने चाहिए।

बुद्ध के समय में निगन्ध, अचलक तथा आजीवरु नाम के सम्प्रदाय थे जो यज्ञ धारण नहीं करते थे। बुद्ध ने तो हर दिग्ग में 'नव्य मार्ग' का उद्देश्य दिया था, इसलिए यज्ञों के सम्बन्ध में भी उसका यही उद्देश्य था कि उचित तथा प्रयत्न यज्ञों को धारण करना चाहिए। एक भिक्षु नग्न होकर बुद्ध के पास आकर रहने

लगा कि वस्त्रों का धारण निषिद्ध कर दिया जाय। बुद्ध ने उमे कहा, मूर्ख ! तू वस्त्र धारण क्यों नहीं करता ? बुद्ध ने वस्त्र को तीन भागों में बाँटा था, अतः अङ्ग ढाँपने के वस्त्र को 'त्रिचीवर' कहते थे। 'त्रि-चीवर' के तीन भाग थे—'अन्तर्वासक', 'उत्तरा संग' तथा 'संघाती'। 'अन्तर्वासक' लगेटे की तरह का था, 'उत्तरा संग' शरीर ढाँपने का वस्त्र था, और 'संघाती' यादर से कमर को बाँधने का वस्त्र था।

निवास के सम्बन्ध में बौद्ध-ग्रन्थों में यह लिखा है कि पहले-पहल भिक्षु लोग कहीं नहीं रहते थे, स्थान-से-स्थान में भ्रमण करते थे। राजगृह के सेठ ने यह देखकर बुद्ध से कहा कि मैं भिक्षुओं के रहने के लिए निवास-स्थान बनाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे ५ प्रकार के निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। 'विहार'- 'अद्वययोग'-'प्रासाद'-'हर्म्य' तथा 'गुहा'। 'विहार' कई मन्डलों के मकान को कहते हैं। इसके चारों तरफ 'आयम' या एक मुन्दर बसीचा होता है। 'अद्वययोग' गरुड़ के आकार के मकान को कहते हैं। 'प्रासाद' और 'हर्म्य' महल जैसे मकानों को कहते हैं। 'गुहा' कन्दरा को कहते हैं। बुद्ध की आज्ञा पाकर राजगृह के श्रेष्ठी ने एक ही दिन में ६० निवास स्थानों का निर्माण कर दिया, और उन्हें सड़क को सौंप दिया। वर्षा ऋतु में इन निवास स्थानों में भिक्षु लोग 'वर्षावास' करने लगे। इन निवास-स्थानों में 'जैतवन विहार' अत्यन्त प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जैत नामक राजा का एक 'आयम' था, जमल था, जो 'विहार' के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान था। बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडिक के हृदय में इच्छा हुई कि वहाँ पर एक 'विहार' बना कर सड़क की भेंट कर दिया जाय। उसने जैत में उस स्थान का नाम पूछा। जैत ने कहा कि अगर इस स्थान में सुनर्ष की मोहरें बिछा दीं

जाँच तब भी इसका दाम नहीं चुकाया जा सकता। अनाथ पिंडिक सुवर्ण मोहरों को वहा बिछाकर उस स्थान को लेने के लिए तय्यार हो गया। जंत बहुत चढ़ाया, परन्तु उसने देने से फिर भी इन्कार किया। मामला अदालत में गया, और अनाथ पिंडिक की शर्त पर वह स्थान दिये जाने का फैसला हुआ। सेठ ने उस स्थान को अशक्तियों से विद्धा दिया। थोड़ा सा स्थान फिर भी बच रहा। जंत ने इस भक्ति को देखकर उस बचे हुए स्थान को अपनी तरफ में देने को कहा, और यहाँ 'जंतवन' नामक 'विहार' बना। 'जंतवन' की तरह अनेक विहार प्रसिद्ध थे। यष्टि वन, वेणु वन, शीत वन, राज गृह में थे, जंत वन और पूर्वोक्तम श्रावस्ती में थे, महा वन, वृद्धागार, आग्र वन वैशाली में थे, न्यवोधाराम कपिल वस्तु में था। ये सब 'विहार' भिक्षुओं के शिक्षा के केंद्र थे।

शिक्षा के विषय—

'विहारों' में बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का प्रबन्ध था, उन्हें बौद्ध धर्म के प्रन्थों का ज्ञान कराया जाता था। बौद्ध-धर्म प्रन्थ 'त्रिपिटक' कहलाते हैं। 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' विहारों में बैठकर 'त्रिपिटक' की शिक्षा देते थे। 'त्रिपिटक' के तीन हिस्से हैं: 'विनय पिटक', 'सुत्त पिटक' तथा 'अभिधम्म पिटक'। 'विनय पिटक' में भिक्षुओं के नियन्त्रण का वर्णन है। भिक्षु भिक्षुणियों को कैसे रहना चाहिए—इस सब का वर्णन 'विनय-पिटक' में किया गया है। 'विनय पिटक' के पाँच हिस्से हैं— भिक्षु विभाग, भिक्षुना विभाग, महासंग, पुत्रसभा तथा परिवार पाठ। 'सुत्त पिटक' में नगवान् बुद्ध के उपदेशों का समूह है। इनके भी पाँच भाग हैं— दीर्घ निदाय, मज्झिम निदाय, संयुक्त निदाय, अंगुत्तर निदाय,

२३४ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

सुद्धक निरूपण। 'अभिधम्मपिटक' में आध्यात्मिक बातों का उल्लेख है। इसके ७ भाग हैं—धम्म सगती, विभग, कथावत्थु, पुग्गल पञ्जति, धातु कथा, यमक, पत्थान। संस्कृत में पढ़ाने के स्थान में देशी भाषाओं में शिक्षा देना ही सर्वोत्तम समझा जाता था।

इस प्रकार 'त्रिपिटको' के ज्ञान के साथ-साथ व्याकरण आदि का ज्ञान भी भिक्षुओं को कराया जाता था।

तक्षशिला तथा नालन्दा विश्वविद्यालय (EDUCATION IN TAXILLA AND NALANDA UNIVERSITIES)

१ — तक्ष-शिला

(६ठी से ४थी शताब्दी ई० पू०)

जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते थे उनकी शिक्षा का काम तो बौद्ध-सभ के हाथ में चला जाता था, उन्हें धार्मिक-शिक्षा ही दी जाती थी, जो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते थे, उनकी शिक्षा भी प्राचीन ब्राह्मण-पद्धति का अनुकरण करते हुए भिन्न भिन्न शिक्षा-केन्द्रों द्वारा चलती थी। एक आचार्य के पास पाँच-पाँच सौ शिष्य रहते थे। इस प्रकार के आधुनिक भारत के कोने-कोने में बिखरे पड़े थे। उस समय ६ठी शताब्दी ई० पू० में उत्तर-भारत में गन्धार की राजधानी 'तक्ष-शिला' थी, जो शिक्षा का एक बड़ा भारी केन्द्र भी। वह वर्तमान राजपूताना के निकट थी। उस समय की शिक्षा को समन्वय के लिए 'तक्ष-शिला'-विश्वविद्यालय का वर्णन करना अप्रासंगिक न होगा।

जातक ग्रन्थ में एक कथा आती है कि मारी के राजा मज्जित का पुत्र जब १६ वर्ष का हो गया तो उस १ वर्ष, १ द्वावा तथा

एक हज्जार मुद्राएं देकर राजा ने कहा, बेटा ! जाओ, तक्ष-शिला में जाकर विद्याध्ययन करो। यद्यपि बनारस में अनेक पंडित थे, तो भी उन दिनों यह प्रथा थी कि बालक को विद्याध्ययन के लिये दूर देश में भेजा जाता था ताकि वह सत्कार का ऊंच-नीच भी समझ सके। बालक माता पिता को नमस्कार कर कुछ दिनों में तक्ष-शिला आ पहुँचा। वहाँ पर इस धके-मादे विद्यार्थी को देख कर गुरु ने पूछा, तम कौन हो, कहाँ से, और क्यों आये हो ? विद्यार्थी ने कहा, मैं काशी के राजा का पुत्र हूँ, विद्याध्ययन के लिए आया हूँ। गुरु ने पूछा, क्या गुरु-दक्षिणा भी साथ लाये हो, या गुरु-सेवा द्वारा ही दक्षिणा चुका देना चाहते हो ? विद्यार्थी ने एक हज्जार मुद्राएँ गुरु के चरणों में रख दीं और विद्याभ्यास करने लगा।

तक्ष-शिला उन दिनों विद्या का केन्द्र था। बनारस, राम-गृह, मिथिला, उज्जैनी, कोसल, मध्य-प्रदेश शिवि, कुरु, तथा उत्तर प्रदेश से विद्यार्थी वहाँ पढ़ने को आते थे। वहाँ के आचार्य जगत्-प्रसिद्ध थे। किसी एक ही प्रकार की शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती थी, बेटों के साथ साथ धनुर्विद्या, आयुर्वेद का ज्ञान, चित्रकारी, स्तूप निर्माण तथा अन्य विद्याएँ भी सिखाई जाती थीं। धनी-नानी लोग अपने पुत्रों को इसी जगह विद्याभ्यास के लिए भेजते थे। अगर उनका पुत्र विद्याभ्यास पूर्ण करके उनके जीवन-काल में ही लौट आता था तो वे अपने को धन्य मानते थे। तक्ष-शिला तक्ष-शिक्षा का केन्द्र था। छोटी आयु के बालक वहाँ नहीं लिए जाते थे। शिक्षा शुल्क एक हज्जार मुद्रा लिया जाता था। जो शुल्क नहीं दे सकते थे वे गुरु-सेवा द्वारा शुल्क चुका देते थे। दिन को वे काम करते थे, रात को पढ़ते थे। जो शुल्क भी नहीं दे सकते थे, और रात को भी नहीं पढ़ना चाहते थे, वे विद्या समाप्त करने के बाद शुल्क चुकाते थे, परन्तु शुल्क न दे सकने के कारण किसी को विद्या से वंचित नहीं

क्रिया जाता था। जनता के धनी-मानी लोग विद्यार्थियों को भोजन देते थे। तक्षशिला के १०० विद्यार्थियों को आस पास के गाँवों के लोगों द्वारा भोजन देने का वर्णन मिलता है। राज्य की तरफ से भी सहायता दी जाती थी। तक्षशिला में कई ब्राह्मणों को कई राजा लोग छात्र वृत्ति देकर पढ़ाते थे। जो शुल्क लिया जाता था वह गुरु के लिए नहीं होता था, वह विद्यार्थियों के भरण पोषण पर ही व्यय हो जाता था। यह आवश्यक नहीं था कि सब विद्यार्थी आश्रम में ही रहें। बनारस का एक राजकुमार शहर में अपने घर में रहना था, और तक्षशिला में पढ़ने आया करता था। कई विद्यार्थी विवाहित भी होते थे, वे घर पर रहते थे, और पढ़ने तक्षशिला जाया करते थे। सब विद्यार्थी एक समान रहते थे। काशी के राजा का पुत्र १ चप्पल लेकर ही आया था, और १ हजार मुद्राएँ जो लाया था उन्हें गुरु के अर्पण कर चुका था, उसके पास अन्य धन नहीं था। एक अन्य राजकुमार का वर्णन आता है कि रात को चलते हुए एक ब्राह्मण विद्यार्थी का भिक्षा पात्र उस की ठोकर से टूट गया। उसे दंड दिया गया कि एक समय भोजन कर के दाम चुकता करो। उसने कहा कि जब मैं घर लौट कर जाऊँगा, राज हाथ में लूँगा, तब सब चुकता कर दूँगा। इससे भी यही प्रतीत होता है कि विद्यार्थी लोग घरीघरी से जीवन व्यतीत करते थे। १०० विद्यार्थियों को एक गुरु के लिए पढ़ा सकना कठिन था, इसलिए वीप्र बुद्धि शिष्यों से गुरु लोग पढ़ाने में सहायता लेते थे। तक्षशिला का एक अध्यापक जब किसी काम में बन्दरग जाने लगा तब अपने शिष्य को अपने स्थान पर पढ़ाने के लिए नियुक्त कर गया, इसी को आजकल 'मार्नीटर'-प्रणाली कहा जाता है। दिन में कई घण्टे चलता था। रातों रात विद्यार्थियों के लिए जो दिन को काम करते थे रात को पाठ चलता था। तक्षशिला

में तीनों वेदों तथा १८ शिल्पों के अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते थे। तक्ष-शिला के भिन्न-भिन्न विद्यालयों में हस्ति-विद्या, जड़गरी, मुठों की जिलाना, शिकार, पशुओं की आवाजों को समझना, धनु-विद्या, भविष्यवाणी करना, आयुर्वेद आदि विद्यार्थे पढ़ायी जाती थीं और प्रत्येक विद्यालय इस विषय के धुरधर विद्वान् के आधीन शिक्षा देता था।

पढ़े हुए वा क्रियात्मक ज्ञान लेना तक्ष शिला के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था। मगध का राज-कुमार तक्ष-शिला में सत्र कलाओं वा अध्ययन करने के अनन्तर गाव-गाव, शहर-शहर में क्रियात्मक अनुभव लेने के लिए विचरण करता रहा। तक्ष-शिला के श्वेतकेतु नामक विद्यार्थी के दिपय में लिखा है कि सत्र कलाओं वा क्रियात्मक अध्ययन करने के लिए वह भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करता रहा। मगध के एक राज-कुमार का वर्णन करते हुए लिखा है कि तक्ष-शिला में शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर वह क्रियात्मक अनुभव लेने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए चल पड़ा। तक्ष-शिला ने बड़े-बड़े विद्वान् उत्पन्न किये। चाणक्य जो चंद्रगुप्त वा सलाहकार था, यहीं का पढ़ा हुआ था। भारत का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण वा विद्वान् पाणिनी भी तक्ष-शिला का ही विद्यार्थी था। चीर-घड़ के प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने यहीं विद्याभ्यास किया था। तक्ष-शिला से विद्याभ्यास कर चुकने पर यहाँ के विद्यार्थियों ने यनारस आदि में अनेक विद्या-केन्द्र खोले थे जहाँ तक्ष-शिला की तरह ही संस्कृत शिष्यों को लेकर गुरु लोग बालकों को पढ़ाते थे।

वाक्य—

तक्ष-शिला में शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर विद्यार्थी ही द्वितीय तक्ष योग्यता हो जाते थी, इसका दृष्टान्त जीवक ही जीवन्-कृत से मिलता है। वह राजगृह की नगर यपू-शास्त्रवती का लक्षण था

जिसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। अभय नामक राज कुमार ने उसे जीवित उठा लिया और उसे पाला पोसा। जीवक जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि राज-घरानों में रह कर बिना किसी हुनर के जीवन निर्वाह कठिन है, अतः तच्छशिला जाकर कुछ सीख आऊँ। उस ने तच्छशिला जाकर एक जगत् विख्यात् गुरु से चिरिस्ता-शास्त्र का अध्ययन किया। ७ वर्ष तक विद्याध्ययन करने के बाद उसने रूढ़ि पृच्छा कि मेरा विद्याध्ययन कब समाप्त होगा? गुरु ने जीवक को कहा कि तच्छशिला के चारों तरफ एक योजन तक जाकर देखो और जिस दूटी का तुम्हें ज्ञान न हो उसे उखाड़ कर ले आओ। जीवक ने चार दिन तक चारों तरफ घूम कर देखा, और गुरु से जाकर कहा कि मुझे फाई भी दूटी ऐसी नहीं मिली जिस पर औषध के रूप में मैं प्रयोग नहीं जानता। गुरु ने कहा, जीवक! तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो गया, अब तुम घर आ सकते हो, यह कह कर उसने जीवक को माग न्यय के लिए कुछ धन दिया। य धर इतना ही था कि जीवक साठों पैसे गणा। वहाँ जाकर उसे कुछ समाने की आवश्यकता अनुभव हुई। मातेत में एक सेंठ की पत्नी ७ साल से मिर की कीमती से पीड़ित थी। सब पीड़ों का इलाज हो चुका था, कुछ लाभ नहीं हुआ था। जीवक ने प्रभार किया कि उसे तभी कुछ दिया जाय अगर वह रोगिणी को ठीक कर दे। उसने रोगिणी को नाक से एक औषध से और वह एक ही मात्रा से ठीक हो गई। सेंठ ने जीवक को १६,००० मुद्राएँ दीं, गाड़ी घोड़े दिये। जीवक ने राजगृह लौट कर इन उपहारों को उस राजकुमार की भेंट पर दिया जिसने उसे पाला-पोसा था। इसके बाद जीवक ने महाराज चिम्बिसार का नामूर ठीक किया और राजा ने उसे राज पैत नियत पर दिया, स्वयं ही 'सुख' तथा 'सुख' की भी लक्ष्मी का वेद्य मिश्रण किया। उनपूह में एक सेंठ

सात साल से सिर की बीमारी से पीड़ित था। जीवक ने उसे चार-पाई से बांध दिया, सिर का आपरेशन किया, सिर के ब्रण में से जो कृमि निकले, और सिर को सी कर मरहम लगा दी। यह सेठ कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। बनारस में किसी सेठ के लड़के की आँतें उलझ गई थीं, वह खा पी नहीं सकता था। जीवक ने उसका पेट खोला, उलझी आँतें निकाली, उन्हें मुलभायक, फिर ठीक स्थान में रख कर सी दिया। कुछ ही दिनों में लड़का ठीक हो गया। सेठ ने जीवक को १६ हजार मुद्राएँ भेंट की।

२—नालन्दा

(७वीं शताब्दी ई० ५०)

बौद्ध सङ्घ की स्थापना के समय भारतीय शिक्षा का क्या रूप था, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। पाँचवीं शताब्दी में चीनी यात्री फा-हीयान (Fa-hien) भारत में आया। वह ३६६ से ४१४ ई० ५० तक १५ वर्ष भारतवर्ष में भ्रमण करता रहा। उसने उद्यान (स्यात) में ५०० सङ्घारण (बौद्ध-सङ्घ के मठ) पाये जिनमें अनेक बौद्ध भिक्षु हीनयान सम्प्रदाय के मानने वाले रहते थे। पञ्जाब में अनेक विहार थे, जिनमें हीनयान तथा मध्ययान सम्प्रदायों के मानने वाले भिक्षु रहते थे। यमुना के किनारे किनारे लगभग २० विहार थे जिनमें ३००० भिक्षु शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। फा-हीयान के वर्णन में तक्ष-शिला का उल्लेख नहीं है जिससे ज्ञात होता है कि उस समय तक यह विरय-विद्यालय क्षीण प्राय हो चुका था। पुष्पपुर (पेशावर) में एक विहार था जिसमें ७०० भिक्षु रहते थे। थायस्ती का जेतवन विहार फल फूल रहा था। कुशीनगर में जहाँ बुद्ध का देहान्त हुआ था अनेक विहार थे। पेशाली में बुद्ध के समय अभ्यपाली द्वारा निर्मित

विहार वैसे ही मौजूद था। पाटलीपुत्र, राजगृह, गया, बनारस, कौषाम्बी, ताम्रलित्ति आदि सभी स्थानों पर प्राचीन बौद्ध-परम्परा के अनुसार विहार चल रहे थे जिनमें भिद्यु शिष्या पाते थे।

साहियान के दो शताब्दी बाद हुएन्सांग (Huen Tsang) भारत आया, और ६२६ से ६४५ ई० ५० तक १६ वर्ष यहाँ रहा। यहाँ से जाते हुए वह ६२७ बौद्ध धर्म पुस्तकें और २० खण्डों पर बुद्ध के अन्य अवशेष लाकर ले गया। उसने भिन्न भिन्न स्थानों में फिर कर प्राचीन विहारों का निरीक्षण किया। कई ठीक तरह से चल रहे थे, कई खण्डर हो चुके थे। उस समय भी ५००० के लगभग विहार थे जिनमें २१२१३० भिद्यु प्राचीन बौद्ध प्रणाली के अनुसार विद्याभ्यास कर रहे थे। हुएन्सांग ने अनेक विहारों का पर्यटन किया है जिनमें नालन्दा का पर्यटन विशेष उल्लेखनीय है। हुएन्सांग ६४५ ईस्वी में भारत से वापस लौटा, इत्सिंग (I tsing) ६७२ ईस्वी में भारत आया और ६८७ ई० तक यहाँ रहा। इस बीच १० वर्ष उसने नालन्दा में व्यतीत किये। हम यहाँ हुएन्सांग तथा इत्सिंग का दिया हुआ नालन्दा का पर्यटन करेंगे जिससे ७वीं शताब्दी की भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर प्रकाश पड़े।

विहार प्रान्त के राजगीर स्थान में ७ मील दूरी पर 'वरगाव' नामक स्थान है। प्राचीन-काल में इसी का नाम 'नालन्दा' था। हुएन्सांग लिखता है कि 'नालन्दा' का अर्थ है, 'न + अर्न + दा'— जो देता ही बना जाय, देते देते जिसका जी न भरे। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ विद्या भरपेट दी जाती थी, विद्या शान में सिखी का जी न अर्थात् था। प्राचीन काल में ५०० व्यापारियों ने मुद्रा को १० कोटि मुद्रा मुद्रा से खरीद कर वृद्ध स्थान में

किया था और पीछे गुप्त-सम्राटों ने १०० गांवों की आमदनी दान देकर 'नालन्दा' की निःशुल्क शिक्षा को हरा भरा रखा था। यद्यपि गुप्त सम्राट् हिन्दू धर्म के अनुयायी थे ता भी उन्होंने बौद्ध सस्था को ढिल खोल कर सहायता दी थी,—इनसे उनके उदार विचारों का पता चलता है। विश्व विद्यालय के चारों तरफ एक दीवार थी जिसे गुप्त-राजा हर्ष ने बनवाया था। नालन्दा के भवन छ' मजिले थे, ऊपर की मजिले वादलों में सिर ढूँचा गिये खड़ी थी। आठवीं शताब्दी के राजा यशोवर्मन् का एक शिलालेख मिला है जिससे हुएन्त्सांग के कथन की पुष्टि होती है। शिलालेख में नालन्दा की 'विहारवाली' का वर्णन करते हुए उसकी 'शिखर श्रेणी' को 'अम्बुधरावलोही'—मेघों का चुम्बन करने वाली लिखा है। भूमि में चारों तरफ सरोवर बने हुए थे जिनमें भौति-भौति के कमल खिल रहे थे।

नालन्दा के चालू दर्च के लिए समय-समय पर भिन्न भिन्न राजा दान देते थे और भिक्षुओं के भोजन का भी प्रबन्ध करते थे। इस प्रकार जो भन-राशि आती थी उससे भिक्षुओं को रस्य, भोजन, विस्तर, औषध आदि सब कुछ मुफ्त दिया जाता था। हुएन्त्सांग के समय वहां १० हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चीनी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि किसी समय वहाँ १५१० अध्यापक तथा ८७०० विद्यार्थी थे। नालन्दा में ८ बड़े-बड़े हॉल थे, ३०० छोटे छोटे कमरे थे, इनमें भिन्न भिन्न विषयों पर १०० व्याख्यान प्रतिदिन होते थे। विध्यालयों में प्रवेश पाने के लिए जो विद्यार्थी आते थे उनकी प्रवेश द्वार पर ही 'द्वार पंडित' परीक्षा लेते थे। यह परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि १० में से २-३ विद्यार्थी ही नालन्दा में प्रवेश पा सकते थे, शेष लौट जाते थे क्योंकि नालन्दा उच्च शिक्षा का ही केन्द्र था।

नालन्दा की पढ़ाई की चर्चा करते हुए इतिहास ने लिखा है कि यहाँ 'पद्म विद्या' मुख्य तौर पर पढ़ाई जाती थी। वे थी—(१) 'शब्द विद्या' अर्थात् व्याकरण, (२) 'शिल्प स्थान विद्या' अर्थात् कला, (३) 'चिकित्सा विद्या', (४) 'हेतु विद्या' अर्थात् न्याय शास्त्र तथा (५) 'अन्या म विद्या'। इसमें यही प्रतीत होता है कि यद्यपि नालन्दा महायान सम्प्रदाय का केन्द्र था तो भी यहाँ सब प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं।

उन दिना नालन्दा की चारों तरफ धूम थी। तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, बर्मा, मुमात्रा, जाया, तुर्किस्तान से विद्यार्थी यहाँ आते थे। प्रातः से सायं तक यात्र विराट् हाते थे। प्रहोत्तर हाते थे, और जैसे गुरु शिष्यों को पढ़ाने में सहायता देते थे वैसे शिष्य लोग एक-दूसरे को पाठ के समझने में सहायता देते थे। नालन्दा का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि प्रतिष्ठा पाने के लिए यह कह देना पर्याप्त था कि मैंने नालन्दा में शिक्षा पाई है। कई भूठ भूठ अपने का नालन्दा का विद्यार्थी बहने लगे। क्योंकि नालन्दा में हरेक प्रवेश नहीं पा सकता था इसलिए नालन्दा के पढ़े हुए का विशेष सम्मान की दृष्टि में देखा जाता था।

नालन्दा में एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम 'धर्म गण' था। इस पुस्तकालय के तीन भवन थे—'रत्नमागर', 'रत्ना दधि' तथा 'रत्न रजक'। इनमें 'रत्नमागर' नी मजिल ऊँचा था, और इसमें 'प्रज्ञा सरमिता मूत्र' तथा अन्य अनेक दुष्प्राप्य ग्रन्था का संग्रह था।

भारत के अनेक अनेक कोनों में विद्वान्गण महत्त्वं करने नालन्दा आते थे, उनमें से नागार्जुन तथा उसके शिष्य आर्य देव के नाम विशेष उल्लेख के योग्य हैं। ये दोनों दक्षिण भारत के थे। नागार्जुन तथा आर्य देव चौथी शताब्दी में नालन्दा आए थे जिसने

प्रतीत होता है कि यह संस्था चौथी शताब्दी में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। इन दोनों ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। हुएन्त्सांग के समय नालन्दा का कुलपति शीलभद्र था। वह जन्म से ब्राह्मण था, सन्यास ले चुका था और न्याय-शास्त्र का महान् पंडित था। शीलभद्र से पूर्व नालन्दा का कुलपति धर्मपाल था जो हुएन्त्सांग के आने के समय अथर्वरा महण कर चुका था। वह अथर्वरा का पंडित था और दक्षिण-भारत का रहने वाला था। ये सब विद्वान् दूर-दूर से आकर नालन्दा में टिक गये थे, इससे ज्ञात होता है कि नालन्दा की रूपाति सब जगह फैल चुकी थी।

भारतवर्ष की शिक्षा के इस विद्यालय केन्द्र को पुस्तकालय समेत बख्तियार ने मुहम्मद गौरी के समय १२०० ईस्वी में जल कर दिया। इसी बख्तियार ने भारत के एक दूसरे विश्व-विद्यालय विक्रमशिला को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

मध्य-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN MEDIEVAL PERIOD)

१—'मुसलमान'-काल में शिक्षा

भारत का मध्य काल का इतिहास 'मुसलमान' तथा 'मुगल' बादशाहों का इतिहास है। 'मुसलमान' काल के छह भाग किये जाते हैं—'गोरी वंश', 'शुलाम वंश', 'दिल-जी-वंश', 'तुगलक-वंश', 'सैयद-वंश', 'लोदी वंश'। 'मुगल काल' का प्रारम्भ चाकर से होता है, और यह अफ़सो के भारत में आने पर समाप्त होता है। 'मुसलमान' काल ११७७ में १५२६ तक है। 'मुगल काल' १५२६ से १८५७ तक के प्रारम्भ—अफ़सो के यहाँ आने—तक है।

जिस प्रकार हम देख चुके हैं कि ब्राह्मण तथा बौद्ध काल में धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था इसी प्रकार मुसलमानों तथा मुगलों के काल में इस्लाम की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। यहाँ के लोगों में ताकत दूसरों के विचारों के लिए मद्दिष्टता तथा सहानुभूति थी भी, परन्तु मुसलमानों में मूर्तिपूजा के अन्तर्गत ही विरोध उत्पन्न हुआ। ये मूर्ति पूजा के कट्टर मन्दिरो को तोड़ते थे, मस्जिद बनाने में, अन्ध मतावलम्बियों को मुसलमान बनाने में, यहाँ के प्रचलित विषय-वस्तुओं की जगह अपने तथा अन्ध मताओं से मुसलमान

बने हुए बालकों को शिक्षा देने के लिए 'मकरान' तथा 'मदरसे' खोलने थे।

गौरी-वंश के मुहम्मद गौरी (११५५-१२०६) ने अजमेर में मन्दिर तुड़वाकर उनकी जगह मस्जिदें बनवायीं और कुछ शिक्षणालय भी खोले। उसका कोई पुत्र न था, परन्तु उसके पास अनेक गुलाम थे। इन गुलामों की शिक्षा का उसने प्रबन्ध किया था। इन्हीं गुलामों में से एक का नाम कुतुबुद्दीन था, जो मुहम्मद गौरी के पीछे दिल्ली का बादशाह बना, और उसके नाम से गुलाम वंश (१२०६-१२६०) चला। कुतुबुद्दीन ने भी मन्दिर तोड़ कर मस्जिद बनवायीं, इसी के एक अरकसर खैतिरान ने नालन्दा तथा विक्रम शिला विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया। इसने मस्जिदों के साथ 'मकरान' तथा 'मदरसे' खोले। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश (१२६०-१३२०) आया। इस वंश के अल्लाउद्दीन ने अपने पूर्वजों द्वारा मुस्लिमों को दी हुई जायतों पर जो और शिक्षा को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश (१३२०-१४१४) आया। इस वंश के मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली को उगाड़ कर दौलतपुरा में नई दिल्ली बसाना चाहा, जिससे सब बने-बनाये मदरसे उतड़ गये, दिल्ली जो विद्वानों का केंद्र थी उसमें कोई विद्वान रहने को न मिलता था। बाद को इस वंश के फिरोज तुगलक के समय अवस्था कुछ सुधर गई। उसके पास १२ हजार गुलाम थे। वह उनकी शिक्षा के विषय में विशेष चिन्तित था। कहते हैं उनके ५० मदरसों की स्थापना थी। जो शिक्षणालय गुलामों के लिए खोले गये व उन में उन्हें हाथ की चाँगी, स्थापन तथा दूसरे काम सिलवाये जाते थे। १३६२ में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया जिससे जय सब-बूझ, नष्ट नष्ट हो गए

तय स्वभायत शिक्षा की प्रगति भी रुक गई। तुगलक वंश के बाद सैयद-वंश (१४१४-१४५१) आया। सय्यदों ने बदायूँ को शिक्षा का केन्द्र बनाया। सय्यद लोग शक्तिहीन और निरुन्मे थे, ये कुछ न कर सके और दिल्ली राज्य का पतन होने लगा। इस समय भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासक स्वतन्त्र होने लगे परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा का भी उत्तम प्रबन्ध किया। जौनपुर में इनाहीम शर्ही ने अनेक मदरसे स्थापित किये, इन्हें जागीरें लगा दी गईं, सफल विद्यार्थियों को इनाम नमगे, जागीरें दी जाने लगीं। उस समय जौनपुर भारत की मुसलमानी शिक्षा का केन्द्र बन गया। योजापुर, गोलकडा आदि सभी स्थानों पर शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने लगा। योजापुर या पुस्तकालय एक विशाल रूप धारण कर गया। औरंगजेब जब योजापुर गया तो वहाँ से गाढ़ियों भर भर पुस्तकें लाया। सय्यद वंश के बाद लोदी वंश (१४५१-१५०६) आया। सिकन्दर लोदी ने आगरा को शिक्षा का केन्द्र बनाया। उसने अपनी सेना के सिपाहियों को शिक्षा देने के लिए अनेक मदरसे खोले। उसकी साहित्यिक गोष्ठी में १७ विद्वान् थे। यह स्वयं कवि तथा साहित्य प्रेमी था। उसी क समय 'तिन्व ए सिकन्दरी' का निर्माण हुआ, जो चिकित्सा का ग्रन्थ था। यहाँ मुसलमानों की धर्म-पुस्तक पुरान होने से धार्मिक भाषा 'अरबी' थी, तो भी एगपरातों में फारसी बोलनी जाती थी। सिकन्दर लोदी के समय हिन्दुओं ने फारसी पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सम्पर्क से एक नया भाषा का निर्माण हुआ जो शरमी जिवि म लितो जाती थी, जिसमें अरबी, शरमी के शब्द थे, परन्तु जो हिन्दुओं ही बोलचाल की भाषा के अङ्कुरण में प्रभाषित होकर नया रूप धारण कर गई। इस भाषा का नाम 'उर्दू' रखा गया। 'उर्दू' का अर्थ है—'कैम्प'। क्योंकि 'कैम्प' में सर्व-

साधारण जनता से दूटी-फूटी भाषा में बातचीत हो सकती थी अतः इस भाषा को 'कैम्प की भाषा'—'उर्दु'—यह नाम दिया गया।

२ - मुगल-काल में शिक्षा

लोदी वंश के साथ 'मुसलमान'-काल (११७४-१५२६) समाप्त हो गया, और बाबर ने 'मुगल'-काल (१५२६ से १६वीं शताब्दी तक) को प्रारम्भ किया। बाबर (१५२६-१५३०) अरबी, फारसी तथा तुर्की का विद्वान् था, परन्तु वह देर तक न जिया। उसके पुत्र हुमायूँ (१५३०-१५५६) ने दिल्ली में एक मदरसा खोलवाया। हुमायूँ ने शाही पुस्तकालय को खूब बढ़ाया, फारस भागते हुए उसे साथ ले गया, पुस्तकालय में ही मरा। हुमायूँ के मरने के बाद उसके मन्त्रियों के साथ एक मदरसा खोला गया। हुमायूँ के बाद शेरशाह (१५४०-१५४५) दिल्ली का बादशाह हुआ। शेरशाह के बाद अकबर (१५५६-१६०५) गद्दी पर बैठा। अकबर का अर्थ-सचिव टोडरमल था। उसने नियम बना दिया कि सब हिसाब फारसी में रचे जायँ। इससे हिन्दुओं को फारसी पढ़ने के लिए बाधित होना पड़ा। इस समय 'उर्दु' को और अधिक प्रोत्साहन मिला। अकबर को शिक्षा से विशेष प्रेम था। उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को प्रथम लिखा जाया। अकबर के बाद जहांगीर (१६०५-१६२७), शाहजहाँ (१६२७-१६५८) हुए। शाहजहाँ के बड़े लड़के दारा को हिन्दू विचारधारा से विशेष प्रेम था। उसने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया जिनमें उस नियमों का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाहजहाँ के बाद औरङ्गजेब (१६५८-१७०७) गद्दी पर बैठा। उसने भी मुसलमानों की उसी कट्टर नीति का अनुसरण किया। मन्दिर तोड़े, मस्जिदें बनवायीं। मस्जिदों के साथ मक़बर तथा मदरसे खोले। अकबर की तरह औरङ्गजेब के भी शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार

थे। उनका उल्लेख भी पृथक् किया जायगा। तैः 'मुसलमान'-काल को तैमूर ने धक्का पहुँचाया था, वैसे 'मुगल'-काल को नादिरशाह ने हमले करके धक्का पहुँचाया और उसके बाद यहाँ की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था के भी अक्षर पक्षर ढौंले पड़ गये।

३—अरबों के शिक्षा-सम्बन्धी विचार

अरबों अन्य राजाओं की भाँति न कट्टर थे, न धर्मान्ध थे। उसने कतहपुर सीकरी में इनादत खाना नाम का एक मॉल बनवाया था जिसमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपने विचारों को प्रकट करते थे। यह सब धर्मों के मेल में एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। हिन्दू मुसलमानों के पारस्परिक भेद को यह पसन्द नहीं करता था, इसलिए उसने प्रयत्न किया कि हिन्दू तथा मुगलमान एक ही मस्जिदों में पढ़ें। इन मस्जिदों में उसने संस्कृत का भी पाठ्य विषयों में रखा जिसमें हिन्दू संस्कृत के साथ अरबी और फारसी पढ़ें, और मुसलमान अरबी और फारसी के साथ संस्कृत पढ़ें। शिवालयों के कुल पुराने पढ़ाने के मस्जिदों के स्थान में उसने उनका क्षेत्र विस्तृत बनाया और नादिरशाह, गणित, दर्शन, दृष्टि, चिकित्सा, व्यायाम—सभी विषय पढ़ाये जाने लगे। सम्पूर्ण मध्य-काल के इतिहास में अरबों का युग ही चांगरा में शिक्षा का युग कहा जा सकता है, जब कि धर्मान्धता ने शिक्षा के क्षेत्र पर से कुछ देर के लिए अन्तर्धान करा दिया था।

अरबों के भिन्न तथा सचिव अनुभव कबल ने 'आइने-ए-अकबरी' में उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है—“सब देशों में बच्चों को मालों तक पाठशाला में पठना ही अनिवार्य करना पड़ता है। पालक जी जानूँ या महाभाग पुस्तकें पढ़ने में नष्ट हो जायें। फारस अरब का

हुम्न है कि प्रत्येक बालक को पढ़ने पढ़ाना ठे अक्षरों का लिखना सिखाना चाहिए। इस काम में दो दिन में अक्षरों नहीं लगाने चाहिये। इसके बाद अक्षरों को जोड़ कर लिखना सिखाना चाहिए। इसके लिए एक सप्ताह छोटी है। लिखना आ जाने के बाद कुछ गद्य तथा पद्य स्मरण कराना चाहिए, परमेश्वर की कुछ प्रार्थनाएँ तथा धार्मिक गान भी स्मरण कराने चाहिये। यह देवता आराध्यक है। एक बालक मर पड़े स्वयं सर्व, अक्षरों केवल महारथा देता रहे। इस प्रकार पढ़ाया जायगा तो बालक एक महीने में साठ दिन में ही अपना पढ़े जायगा लिखना आकर लक्ष्यों में यह नहीं पढ़े पाया। प्रत्येक बालक को नाति-शास्त्र, गणित, कृषि, उद्योग, ज्योतिष, राजनीति, विधि-शास्त्र, व्याज आदि मनु-बुद्ध पढ़ाना चाहिए। मन्त्र पढ़ने बालों को व्य-ररर, न्याय दर्शन, वेदान्त तथा पतंजलि का अध्ययन कराना चाहिए। स्वर्मान युग में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

हिन्दू तथा मुस्लिम पाठ्य प्रणाली में यह भेद था कि हिन्दू लिखना पढ़ने सिखाते थे, पढ़ना पीछे; मुस्लिमान पढ़ना पढ़ने सिखाते थे, लिखना पीछे। अक्षर ने देखा कि हिन्दू-प्रणाली के अनुसार बालक नली सीख जाता था, उमरिरे उमने इस प्रणाली को अपनाने की सिकारिशा को। साथ ही इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि यह अपने मन की प्रवृत्ति शिष्ट में मनुष्य नहीं था, उमने सुरुचित मननता था, उमने घर निपटों से सन्तुष्ट हो उसे विस्तृत करना चाहा था।

४—श्रीरंगजेव के शिक्षा-सम्बन्धी विचार

अक्षर के विरोध श्रीरंगजेव उठे था, उमने अनेक मन्दिर तोड़कर मरिन्दे बनवाई थी, कुरान पढ़ाने के लिए मन्त्रय बोले थे, परन्तु यह भी धरने समर की प्रवृत्ति शिष्ट से सन्तुष्ट नहीं-

था। श्रीरगजेय का शिक्षक मुज्जाशाह था। जब मुज्जा जी को पता चला कि श्रीरगजेय गद्दी पर अधिकार पाने में सफल हो गया है, तो वे उसे मिलने आये। तब नाम तक श्रीरगजेय उनसे नहीं मिला। जब मिला तब उसने कहा—'मुजा जी! आप ने मुझे क्या पढ़ाया? आप मुझे यही रहते रहे कि सारा युरूप एक छोटा सा टापू है, जिसका पहले पुर्तगाल, फिर हालैंड और फिर इन्लैंड के राजा शासन करते रहे। आपने भूगोल तथा इतिहास का भी मुझे अगुप्त ज्ञान दिया। क्या आप का कर्तव्य नहीं था कि आप पुरु राजकुमार को शिक्षा देने हुए उसे पृथिवी की भिन्न भिन्न जातियों से परिचित कराते, उनके बलाबल का परिचय देने, वे कैसे लड़ते हैं, उन का क्या धर्म है, कैसा शासन है—सब कुछ बताते? साम्राज्यों का उदय-अस्त कैसे होता है, किन किन घटनाओं से विश्व में क्रान्तियाँ होती हैं—इन सबका ज्ञान देते? आप ने तो मुझे अपने साम्राज्य के संस्थापकों तक से परिचित नहीं कराया। राजा के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, परन्तु आपने मुझे अरबी के सिवा कुछ न सिखाया। आप को कुछ नहीं मालूम था कि राजकुमार को क्या-कुछ पढ़ाना चाहिए, आप ने मेरा समय ब्याबरव और शब्दों के रटने में बर्बाद कर दिया। मुजा जी! आप मेरे सामने से चले जाओ, किसी को याद भी न रहे कि आप कौन हो, या आप का क्या हुआ?'

मध्य-काल में जो शिक्षा प्रचलित थी, उस पर श्रीरगजेय की यह टिप्पणी परांत प्रथम उल्लेख है।

५—'नक्षत्र' और 'मदरने'

इसने देखा कि मध्य युग में मुसलमानों की शिक्षा प्रणाली ने दो प्रकार की संस्थाएँ स्थापित कीं—'नक्षत्र' तथा 'मदरने'। 'नक्षत्र' अरबी के 'कुतुब' शब्द से मन्व है, जिस का अर्थ है, 'बढ़ स्थान

जहाँ कृतावत अर्थात् लिखना सिखाया जाय'। 'नदरसे' शब्द 'दस्' से बना है, जिसका अर्थ है, 'वह स्थान जहाँ दस् अर्थात् पाठ पढ़ाया जाय'। 'मऊतव' प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय थे जहाँ छोटे बच्चे पढ़ने के लिए बैठाये जाते थे; 'भदरसे' उच्च-शिक्षा के विद्यालय थे जहाँ भूगोल, गणित, व्याकरण आदि उच्च विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 'मऊतव' में कुरान चाद कराई जाती थी, पढ़ना, लिखना तथा प्राथमिक गणित सिखाई जाती थी; 'भदरसे' का काम 'मऊतव' के चाद गुरु होता था। 'मऊतव' तथा 'भदरसे' प्रायः मस्जिदों के साथ जुड़े होने थे, और मौलवी ही धर्म तथा शिक्षा की देख-रेख करता था। जिस प्रकार हिन्दू विद्याभवन से पूर्व 'उपतपन' मस्जिद करने थे इसी प्रकार मुसलमान 'विश्वमिज्ञा' करते थे। जब बालक ४ साल, ४ महीने और ४ दिन का हो जाता था तब घर के लोग इच्छा करते थे, उसे उत्तम पाठ्य-पुस्तकें दें, सब के सामने लाकर बैठाने दें, कुरान के कुछ स्थल उससे सुलवाने दें, और अगर वह कुछ करने को तय्यार न होता तो उसे 'विश्वमिज्ञा' चलाने को कहते थे। 'मऊतव' तथा 'भदरसे' का जागीरदार लोग सहायता देते थे, इनके राज्य से भी मदद मिलती थी, और जब सहायता घट्ट हो जाती थी, तो ये संस्थाएँ भी घट्ट हो जाती थीं।

६—'पाठशाला' तथा 'दोस'

इसने देखा कि मुसलमान तथा मुसल बाल में हिन्दुओं की संभूति का कोई नाम लेना नहीं था। राज्य से मंत्रालय न मिलने पर ऐसा होना ही था। जगह-जगह 'मऊतव' तथा 'भदरसे' बूल गये थे। हिन्दुओं की शिक्षा की किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं रहा था। ऐसे समय में भी हिन्दुओं ने धनही निष्ठा ही जोड़ित रखा। हाँ, क्योंकि उच्च समय उनको सहायता करने वाला कोई नहीं रहा था, इसलिए वह

शिक्षा अत्यन्त गिरी हुई अवस्था में पहुँच गई। जैसे 'मक़तब' मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देते थे, वैसे 'पाठशालाएँ' हिन्दुओं को प्राथमिक शिक्षा देती थीं, जैसे 'मदरसे' मुसलमानों को उच्च शिक्षा के केन्द्र थे, वैसे बंगाल में सम्स्कृत की उच्च शिक्षा देने के शिक्षणालय थे जिन्हें 'टोल' कहते थे। भिन्न-भिन्न तीर्थ स्थानों पर सम्स्कृत के आचार्य अरने घर पर विद्यार्थी रखते थे, और उन्हें दर्शन, व्याकरण आदि की उच्च शिक्षा देते थे। जैसे 'मक़तब' भरिजग में होते थे, वैसे 'पाठशालाएँ' वही वही मन्दिरों के अहातों में लगती थीं। इस प्रकार मुसलमानों के उत्तर-घर में 'मक़तब'-'मदरसे'-'पाठशालाएँ'-'टोल'-'मस्जिद'-'मन्दिर' शिक्षा की जोड़-छोड़ जगा रहे थे।

७—मध्य-युग में प्राथमिक-शिक्षा

१८१३ में जब कम्पनी-सरकार के भारत में शासन करने के चार्टर को पुनः स्वीकृति दी गई तब माथ ही यह भा निर्देशा १३-गया कि १ ल र रुग भारत की शिक्षा पर ब्यय किया जाय। इस सम्बन्ध में कम्पनी-सरकार ने पहले यह जानना चाहा कि शिक्षा के सम्बन्ध में पवमान स्थिति क्या है? इस सिलसिले में सर टामस मनरो ने मद्रास प्रान्त में, बम्बई के गवर्नर एलकिम्बटन ने बम्बई प्रान्त में, विलियम कडम्भ ने बंगाल में जाच-पड़ताल की जिसने अपने-अपने से पहले यहाँ की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न बात कही:—

(१) मद्रास प्रान्त में १८२० में सर टामस मनरो ने जाच-पड़ताल की। मद्रास प्रान्त के पलेस्टरो ने अपने अपने जिलों की १८२६ में रिपोर्ट में नी निम्नसे बात कही प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा के १२४१८ बूज है, उनमें १८२६१० बालक शिक्षा पा रहे हैं, प्रान्त की आबादी १८,२५०,१४१ है। इसका अभिप्राय यह था कि-

१००० व्यक्तियों की आगामी के लिए १ स्कूल खरवाया। जो बालक घर पर ही शिक्षा न रहे थे वे इन संस्था में शामिल नहीं थे। घर पर शिक्षा जाने वालों को नकल वगुन अधिक थी।

५ में १० वर्ष की अवस्था में बालक शिक्षा प्रारम्भ करता था। शिक्षा प्रारम्भ करते हुए वह गरीब-पूजा करता था। बालकों के देर पर इंगली से लिखता था। और उत्तम अध्ययन प्रारम्भ हो जाता था। जब पाठशाला लगती थीं तब विद्यार्थी इच्छे होकर सन्ध्या का लुत्त पठ करते थे, और बाद को छोटी-छोटी दुर्गियों में बत जाते थे। छोटे बालकों को बड़े बालक पढ़ाते थे, जो बड़े होते थे उन्हें अध्यापक पढ़ाते थे। इस प्रकार पठ ही अध्यापक अपने शिष्यों की सहायता में सब को पढ़ा लेता था। नूतन प्रान्त में इस 'बालिक-पद्धति' को सार्वलौकिक के डा० वेल्स ने 'मार्नीटर पद्धति' का नाम दिया, और इस परीक्षण को अपने देश में जारी दिया। इस पद्धति के अनुसार सब बच्चों की पढ़ाई ना होती रहती थी, और बड़े विद्यार्थी 'ट्यूट-टीचर' ना बनते जाते थे, एक प्रकार से यही 'बुल ट्रेनिंग-स्कूलों' का भी काम देते थे। अत्र-अन्त के लिए बच्चों पर रेखा-चिह्न दिया जाता था, उस पर उगलों में लिखा जाता था, बाद को बच्चों पर कलम से लिखना सिखाते थे, इस प्रकार मन्त्रों में यम चित्र जाता था। 'मार्नीटरी-पद्धति' में जिस प्रकार मान-पेरागों को चयन पर बल दिया जाता है, उसी प्रकार लिखने में हाथ को बचाने पर बल दिया जाता था। गिनती तथा पढ़ाई एक बोलना जाता था, और रेखा पर लिखता जाता था। बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते थे, और रेखा पर लिखते थे। पीने, चर्चने तथा गति के गुणों पर बल देव दिया जाता था। इन में बच्चों की बालकों की बगल में बगुन-सहायता मिलती थी। आजकल इस तरह बच्चों नहीं दिया जा रहा है जिससे बड़े-बड़े

यानू याजार ग सौदे का हिस्सा करने के लिए कलम शराब निहाल लेते हैं परन्तु दुमानगर सब जगहानी बता देता है।

(२) बम्बई प्रान्त में १८८६ में वहा के गवर्नर एलफिंसटन न जाय कराई जिसमें पता चला कि उस समय बम्बई प्रान्त में १७०२ स्कूल थे, ३२००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे, ४७ लाख की आयवादी थी। विद्यालय में भर्ती होकर विद्यार्थी गाजनी मट्टी में लकड़ा की तख्ता पर लिखना सीखते थे, या अध्यापक के लिए दुग शहरों पर सूची बनाने के कर पहले हाथ का साधते थे। मद्रास प्रान्त में जम प्रसार का 'शास्त्रिक पत्रिका' (माताटर माटम) थी जैसा बम्बई में भी थी—विद्यार्थी विद्यार्थियों को सहायता देते थे।

(३) बंगाल में १८३५ में विलियम एडम्स ने जाय की। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि वहा ४ कराइ की आयवादी में १ लाख स्कूल थे—प्रत्येक गाँव में १ स्कूल मौजूद था। तीन प्रकार के स्कूल थे—सरसी स्कूल, बंगाली स्कूल, महाजनी-स्कूल। सरसी स्कूल थे जिनका हम मतलब आर मद्रासा के रूप में वर्णन कर सकते हैं। इनमें सरसी पढ़ाई जाती थी, ये क गहरी के लिए नीकर तयार करने थे। बंगाली स्कूल थे जिनमें पैसाइरा आदि करण सिखाया जाता था, ये पटवारी तयार करते थे। महाजनी स्कूल थे जिनमें इतना सिखाया के बलघा की गणित, बही खाने आदि का काम सिखाया जाता था, ये मुनीम तयार करते थे।

हम जिस शिक्षा का उल्लेख किया है वह बिना किसी छात्र की सहायता में आरम आर चल रही थी।—शिक्षक लोग प्रायः प्रायः, और और अधिस्तर राग होत थे। उच्च प्रान्त महाजनी-काम सिखाने का होता था, राग्य लग इस स्तर में निम्न

होते थे। शिखर को कुछ विशेष न मिलता था। बालक परों ने सीना ला देते थे, उसी पर उनका गुजर होता था। लोहारों के समय कुछ भेंट आ जाती थी। यह आश्चर्य है कि जब हिन्दु से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी तब भारत में प्राथमिक शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों की संख्या अंग्रेजों के शिक्षा को अपने हाथ में लेने के समय से ऊँची थी !

ब्रिटिश-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN BRITISH PERIOD)

ब्रिटिश काल में शिक्षा को मुख्यतः चार कालों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं —

१७८० से १८१२ तक का प्रथम काल

१८१२ से १८५४ तक का द्वितीय-काल

१८५४ से १९०० तक का तृतीय काल

१९०० से १९४७ तक का चतुर्थ काल

प्रथम-काल (१७८०-१८१२) —

भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव 'ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी' ने डाली। १७८० में ग्लोबल गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया कि भारत में अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय कानून जारी किया जाय। भारतीय कानून केवल पंडित तथा मौलवी जानते थे, अतः यह आवश्यक हो गया कि पंडित तथा मौलवी तैयार किये जायें। इसी उद्देश्य से १७८१ में ग्लोबल गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए 'कलकत्ता मद्रास' और १७८१ में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन ब्रॉडवेल ने हिन्दुओं के लिए 'बनारस समूह कालेज' की स्थापना की। इन दो कालेजों के अतिरिक्त कम्पनी सरकार ने इस काल में भारत की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

द्वितीय काल (१८१३-१८५४)—

१८१३ में 'ईस्ट इंडिया-कम्पनी' का भारत में व्यापार करने का 'चार्टर' (आज्ञा-पत्र) पार्लियामेंट द्वारा बदला गया। सर चार्ल्स प्रान्ट के, जो कम्पनी के डायरेक्टरों में से थे, विरोध प्रयत्न से, आज्ञा-पत्र बदलते समय, यह धारा भी बढ़ा दी गई कि अन्य खर्चों के बाद बची हुई रकम में से १ लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा विद्वानों की उन्नति के लिए लगाया जायगा। दस वर्ष तक इस रुपये का कोई उपयोग नहीं किया गया। १८२३ में एक 'कमेटी' बना दी गई, जिसने 'संस्कृत' तथा 'अरबी' में पुस्तकें छपवाना शुरू किया, और 'संस्कृत' तथा 'अरबी' को प्रोत्साहन देने के लिए 'कलकत्ता-संस्कृत-कालेज', 'आगरा-कालेज' और 'दिल्ली-कालेज' की स्थापना की। इस 'कमेटी' में यह भगड़ा उठ खड़ा हुआ कि 'संस्कृत' तथा 'अरबी' की पुस्तकें छपवाना ठीक ही या नहीं, इसमें धन का दुरुसयोग तो नहीं हो रहा। साथ ही इस कमेटी में यह भी प्रश्न खड़ा हो गया कि 'प्राथमिक-शिक्षा' (Primary education) का काम किया जाय, या नहीं? 'प्राथमिक-शिक्षा' के विषय में तो 'कमेटी' ने निश्चय किया कि इस काम में अभी हाथ डालने की आवश्यकता नहीं। ज्यों-ज्यों उच्च शिक्षा का प्रचार होता जायगा, त्यों-त्यों उच्च शिक्षा प्राप्त करने हुए व्यक्ति अन्यों को शिक्षा देने का कार्य स्वयं करने रहेंगे, उनमें यह नीचे को माना छनती रहेगी। इसे 'शिक्षा के छनने का सिद्धान्त' (Filteration theory) कहा जाने लगा। अन्य देशों में तो 'प्राथमिक-शिक्षा' पहले दी जाती है, 'उच्च-शिक्षा' का प्रबन्ध बाद की होता है, भारत के विदेशी शासकों को कुछ खाते-पढ़ते लिखने व्यवस्थियों की आवश्यकता थी, जो उन्हें शासन में

मदद दे सकें, इसलिए यहाँ उल्टी गंगा बही। 'उच्च शिक्षा' का प्रबन्ध किया गया, 'प्राथमिक-शिक्षा' को हाथ ही नहीं लगाया गया। 'संस्कृत' तथा 'अरबी' के प्रबन्ध छपवाने के विषय में 'कमेटी' पुछ तय नहीं कर पायी। दो दल बने रहे, एक दल 'संस्कृत' तथा 'अरबी' का पक्षपाती था, दूसरा 'अंग्रेजी' शिक्षा देने का पक्षपाती था। यह झगड़ा चल ही रहा था कि १८३४ में लार्ड मैकाले गवर्नर-जनरल लार्ड वेंटिक की कार्य-कारिणी समिति के सदस्य बनकर आये, और २ फरवरी १८३५ को उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखकर इस झगड़े का निपटारा कर दिया। लार्ड मैकाले ने लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो शरीर से भारतीय हों, परन्तु उहनु-सहन, वेप भूपा, बोल चाल, विचार आदि में अंग्रेज हों, तभी हमारा राज्य चल सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारतीय साहित्य का संपूर्ण भंडार एक तरफ रख दिया जाय, उसका पारचात्य-ग्रन्थों की एक अलमारी में पड़ी पुस्तकों के समान भी मूल्य नहीं। इस प्रकार अंग्रेजी की नींव डाल दी गई, और आज शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति दिखाई देती है उसका सूत्रपात हुआ। १८३७ में अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया; १८४४ में लार्ड हाडिंजन यह तय कर दिया कि उच्च नौकरियाँ अंग्रेजी पढ़े लिखे को मिलेंगी। इन दोनों बातों का प्रभाव भी अंग्रेजी को बढ़ावा देने में सहायक हुआ। इस सारे समय में 'प्राथमिक शिक्षा'—'विश्व-विद्यालय शिक्षा'—'स्त्री शिक्षा' की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा द्वारा अंग्रेज बनाने पर ही शिक्षा की सारी मशीनरी जुटी रही।

तृतीय काल (१८५४-१९००) —

१८५३ में फिर 'इंग्लिश इंडिया कंपनी' का 'चार्टर' (आज्ञा पत्र)

पार्लियामेंट द्वारा बदला गया। इस समय कम्पनी के 'बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल' के मुखिया सर चार्ल्स वुड थे। उन्होंने १८५४ में 'वुड डिस्पैच' (Wood-Dispatch) लिखी जो भारतीय शिक्षा का 'अधिकार पत्र' (मैना चार्टर) कहलाता है। इस अधिकार पत्र के अनुसार, (१) प्रत्येक प्रान्त में 'डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' की स्थापना की गई, (२) कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 'यूनीवर्सिटीयों' की स्थापना का प्रबन्ध किया गया, और (३) प्राथमिक तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को सरकारी-सहायता (ग्रान्ट) देना स्विकार किया गया।

१८८२ में 'हन्टर कमीशन' (Hunter Commission) का नियुक्ति हुई। इस कमीशन ने सिफारिश की कि (१) प्राथमिक-शिक्षा की तरफ सरकार का पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए। अन तरफ प्राथमिक शिक्षा की तरफ सरकार का वाली ध्यान नहीं गया। (२) प्रत्येक यूनिवर्सिटी तथा जिला बोर्ड में 'स्कूल-बोर्डों' की स्थापना करनी चाहिए जो अपने इलाके के प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा का संचालन करें। (३) माध्यमिक-शिक्षा के संचालन का काम अधिकतर जनता के सहयोग पर, स्थानिक प्रबन्धक-कमेटीयों की सहायता पहुँचा कर करना चाहिये। इसका साथ योग्य सरकार से अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। (४) अब तक स्कूलों में सिर्फ किताबी शिक्षा ही जा रही है, व्यापक शिक्षा देने का भी प्रबन्ध होना चाहिये।

चतुर्थ-काल (१९००—१९१०) —

१९०० से १९वीं शताब्दी समाप्त होती है, और बीसवीं शताब्दी प्रारम्भ होती है। १९०० में १९४७ तक के समय को दो भागों में बाँटा जा सकता है। १९०१ से १९१६ तक का समय, तथा १९२० से १९४७ तक का समय। इस समय को दो भागों में बाँटने का

कारण यह है कि १६१६ में भारत को मीन्ट-कोर्ड सुधारों के अनुसार शासन में कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, १६४७ में तो भारत बिलकुल ही स्वतन्त्र हो गया।

१६०१ से १६१६ तक का समय—

१६०१ में लार्ड रॉलन ने शिमला में वायसराय की हैसियत में 'शिक्षा-परिषद्' की 'अभ्युत्थता की और १६०४ में 'भारतीय सरकार की शिक्षा संबंधी नीति के प्रस्ताव' (Resolution on Indian Educational Policy) घोषित किये। इस नीति के अनुसार, (१) यह निश्चय किया गया कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज की शिक्षा के निजी तौर पर विस्तार में जनता को सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया जाय, सरकार नमूने के तौर पर अपने कुछ सरकारी शिक्षणालय रखे, परन्तु शिक्षा का अधिक काम जनता के सहयोग से करायें, जनता द्वारा संचालित शिक्षणालयों पर अपना निरीक्षण रखे, (२) प्राथमिक शिक्षणालयों पर पहले ही अपेक्षा अधिक व्यय किया जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राथमिक शिक्षा पर जो व्यय करे वह प्रान्त की आमदनी में से सबसे पहले दिया जाय, (३) माध्यमिक शिक्षणालयों में जहां तक हो सके मातृ-भाषा ही माध्यम बनाया जाय, (४) स्त्री शिक्षा को मुख्य ध्येय बनाने के लिए लड़कियों के प्राथमिक स्कूल खोले जाय, उन्हें ट्रेंड किया जाय, और स्त्री-निरीक्षणार्थ नियंत्रण की जाय।

१६ मार्च १६१० में थीयुनु गोरमले ने शामिरा रुभा में प्राथमिक शिक्षा को 'निःशुल्क तथा अनिवार्य' बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जो १३ फरवरी तथा २८ विषय में होने के कारण गिर गया। इसके एक साल बाद जार्ज पंचम तथा फॉन मेरी भारत में आये और उन्होंने प्रति वर्ष शिक्षा पर ५० लाख सरकारी सहायता की घोषणा की।

गोखले का प्रस्ताव तो गिर गया परन्तु सरकार का प्यान शिक्षा के प्रश्न की तरफ गये बिना न रहा। इधर जार्ज पचन की ५० लाख की घोषणा से भी शिक्षा के प्रश्न ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप २१ फरवरी १९१३ को भारतीय सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अनुसार, (१) यह निश्चय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अपने स्कूल खोलने चाहिये, प्राइमेट स्कूलों पर भरोसा रख कर नहीं बैठ रहना चाहिए, (२) यह स्वीकार किया गया कि स्त्री शिक्षा का लगभग विलुप्त प्रचार नहीं हो रहा, लड़कियों के लिये लड़कों की-सी पाठविधि बना देना बेकार है, उनकी अलग पाठविधि होनी चाहिए, (३) यह भी स्वीकार किया गया कि अब तक माध्यमिक-शिक्षा का काम जनता के निज परिश्रम पर ही छोड़ दिया गया है, परन्तु यह ठीक नहीं है। जनता को माध्यमिक-शिक्षा के विस्तार में सहायता देने के साथ साथ सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, (४) यह भी कहा गया कि नुतिवमिंटियों की संख्या अब तक कुल पांच है, जो इतने बड़े देश के लिए बहुत थोड़ी है, इन्हें बढ़ाया जाय।

१९१३ के इस प्रस्ताव के होने के बाद १९१४ में प्रथम विधानसभा प्रारंभ हो गया। १९१५ में 'मैडलर कमीशन' की नियुक्ति हुई जिसने १९१६ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

१९२० से १९४० तक का समय—

१९१६ में विश्व व्यापी प्रथम-युद्ध समाप्त हुआ परन्तु पाता-यात एकदम विरुद्ध हो गया। १९१६ में मॉन्ट कीट्टे सुधार प्रकाशित किये गये, परन्तु जनता में उनमें एकदम असन्तोष उत्पन्न हो गया। अमदयोग आन्दोलन ने देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिला दिया, स्कूलों-कालेजों पर बहिष्कार शुरू हो गया।

१९२० में वायु मंडल बुद्ध शान्त हुआ, लड़के फिर से स्कूलों में जाने लगे। असहयोग आन्दोलन के फल स्वरूप मई १९२० में 'साइमन कमीशन' की नियुक्ति हुई, जिसने शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उप समिति का निर्माण किया। इसका नाम 'हार्टोग कमेटी' (Hartog Committee) था। 'हार्टोग कमेटी' ने १९२६ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने सिफारिश की कि, (१) हमें प्राथमिक-शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान देना चाहिए। अब तक उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है, प्राथमिक शिक्षा पर कम। परिणाम यह हुआ है कि देश की अधिकांश मजदूर अभी तक अशिक्षित हैं। 'कमेटी' ने लिखा कि १९२०-२३ में जो बालक प्रथम श्रेणी में भर्ती हुए उनमें से १९२४-२६ में केवल १६ प्रतिशत चौथी श्रेणी में शिक्षा पा रहे थे। जो बालक पाठशाला में एक-दो साल ही पढ़ते हैं उनका पढ़ना न-पढ़ना बग़ैर है क्योंकि वे बुद्धि देर बाद सत्र बुद्धि भूल कर फिर जैसे के जैसे कोरे हो जाते हैं। इस प्रकार बालकों के 'समय' तथा पाठशाला के 'धन' का अपव्यय होता है, इसलिए 'प्राथमिक-शिक्षा' का काल कम-से-कम ४ वर्ष अवश्य रहना चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा कि, (२) माध्यमिक शिक्षा का संचालन प्रायः इसलिए हो रहा है कि जो पढ़ते हैं सबको 'गुनीवर्सिटी' में भर्ती होना है। इस उद्देश्य को हटाने की आवश्यकता है। इसमें उचार्य रही है कि स्कूल में ही भिन्न भिन्न प्रकार की पाठसिधि हो। जो बालक व्यापार अथवा पत्र-विद्या की तरफ जाना चाहें वे गुनीवर्सिटी जाने से पहले ही अपने मार्ग को निश्चित कर सकें। शिक्षा को केन्द्रित करने के लिए कमेटी ने कहा कि, (३) भिन्न-भिन्न प्रान्तों की शिक्षा की गति-सिधि को एक मूल में बाँधने के लिए दिल्ली में एक कमेटी होनी चाहिए जो सबको एक दिशा में चला

सके। वद्यपि १९२१ में 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन' बन चुका था तो भी वह अब तक समाप्त भी कर दिया गया था। 'हारटोग कमेटी' की त्रिकारिशा के आधार पर १९३५ में इसे दिल्ली में फिर से जीवित किया गया। इस समय केन्द्रीय सरकार के आधीन यह बोर्ड काम कर रहा है।

'हारटोग कमेटी' के बाद १९३५ में 'एस्ट एण्ड बुड रिपोर्ट', १९३६ में 'जाकिर हुसैन-कमिटी रिपोर्ट' अथवा 'बर्वा-योगाना' १९३६ में यू० पी० में 'नरेन्द्र देव कमिटी रिपोर्ट' तथा १९४१ में 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन' की तरफ से 'सॉर्टेट रिपोर्ट' निकल चुकी हैं। इनमें भी प्राथमिक, माध्यमिक तथा युनिवर्सिटी की शिक्षा पर अपने-अपने विचार प्रकट किये गये हैं। शिक्षा पर विस्तृत दृष्टि रखने के लिए इन सपरा विद्यार्थी को स्वयं अध्ययन करना चाहिए। १९४७ में तो स्वराज्य ही मिल गया, अतः तबसे शिक्षा की दिशा का संचालन निर्देशनों की तरफ से न होकर शुद्ध भारतीय दृष्टि-कोण में होने लगा है। इस समय शिक्षा के साथ धन करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समझा जा रहा है क्योंकि हमारी शिक्षा बहुत बुद्ध नितानी-शिक्षा ही हो गई है, धन करने, अर्थात् अरना धन अपने प्राप्त करने में हमारे यत्नक उत्पत्ते हैं। इन सब परिवर्तनों के लिए अभी २० नवम्बर १९५२ को लखनऊ में निम्न निम्न चिर-विद्यालयों के उप कुल पतियों को राज्यपाल श्री कन्देय्यालाल मुन्शी के नेतृत्व में बैठक हुई है। ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, परन्तु अभी शतप्रतिशत प्राप्त किये हमें बहुत कम समय हुआ है, इसलिए अभी विलुप्त धामून, पूरा परिवर्तन करने का सामन-सूत्र के संचालकों को समय नहीं मिला। आशा है, नवीन युग में, नवीन दृष्टि-कोण से भारत के क्षेत्र में भी अपनी नवीन दिशा का निर्माण करेगा।

शिक्षा का वर्तमान संगठन

(PRESENT ORGANISATION OF EDUCATION)

वर्तमान शिक्षा पर विचार करने के लिए हम उसे निम्न भागों में बाँट सकते हैं —

- १—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)
- २—माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)
- ३—यूनिवर्सिटी की शिक्षा (University Education)
- ४—पीपुल्स शिक्षा अथवा सामाजिक शिक्षा (Adult Education or Social service Education)
- ५—स्त्री शिक्षा (Women's Education)
- ६—व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)
- ७—टैक्नीकल शिक्षा (Technical Education)

१—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

मैक्स मूलर के अनुसार अंग्रेजों के आने से पूर्व बंगाल में ही ८० हजार मक़तब, मदरसे और पाठशालाएँ थी, अर्थात् ४०० व्यक्तियों के पीछे एक स्कूल था। उस समय प्रायः प्रत्येक व्यक्ति पढ़-लिख सकता था। अंग्रेजों ने भारत आने पर शिक्षा की तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं दिया। पाठ्य-लेख शिक्षा देने लगे थे, परन्तु अंग्रेज राजनीतियों का कथन था कि जैसे शिक्षा देने से

अमरीकन उपनिवेश अमरीका के हाथ से निकल गये, वैसे भारत भी हमारे हाथ से निकल जायगा। १८१३ में भारत में शिक्षा पर व्यव करने के लिए एक लात की राशि निश्चित की गई, परन्तु 'प्राथमिक-शिक्षा' के सम्बन्ध में वही कहा गया कि उच्चशिक्षा प्राप्त करने पर अपने-आप वह ऊपर से नीचे को छूनेगी, इसे 'शिक्षा के छनने का सिद्धान्त' (Filtration Theory) कहा जाना लगा। मैकालो भी इसी विचार का पृष्ठ-पोषक था। १८५४ की 'वुड-रिपोर्ट' में पहले पहल यह स्वीकार किया गया कि प्राथमिक शिक्षा देना भी राज्य का काम है, और इसके लिए ग्रान्ट दी जानी चाहिए, परन्तु त्रियात्मक रूप में कुछ नहीं किया गया।

✓ १८८२ में 'इन्टर कमीशन' ने पहली बार स्पष्ट घोषणा की कि अब तक जिस गति से सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा का कार्य किया जा रहा है वह असन्तोष-जनक है, उसे अधिक वेग से करने की आवश्यकता है। म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आदेश दिया गया कि स्कूलों के लिए एक विशेष निधि को अलग से रखें जिसमें से एक निश्चित मात्रा 'प्राथमिक शिक्षा' पर सहायता के रूप में व्यय करें। साथ ही यह भी कहा गया कि सहायता उर्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दी जानी चाहिए। इस आदेश का भी 'प्राथमिक-शिक्षा' के विस्तार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब सम्पूर्ण मानव समाज 'प्राथमिक-शिक्षा' के विस्तार में जुटा हुआ था, तब भारत की गाड़ी कटुप की चाल से ही चल रही थी।

✓ १९०४ में लार्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा की नीति की घोषणा की जिसमें मुझे तौर से स्वीकार किया गया कि 'प्राथमिक शिक्षा' का सञ्चालन सरकार के मुख्य कर्तव्यों में से एक है। १९१० में भीमराव गोसले ने 'प्राथमिक शिक्षा' को 'निःशुल्क' तथा 'अनिवार्य'

बनाने के लिए शासिका सभा में प्रस्ताव रखा। १९११ में उन्होंने इसी आशय का एक बिल पेश किया जो १३ के विरुद्ध ३१ मत से गिर गया। सरकार 'प्राथमिक शिक्षा' का बोझ अपने ऊपर लेने के स्थान में जिला बोर्डों के कंधों पर ही यह बोझ डालती रही। इस बीच १९१४-१८ में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया, और १९१६ में मॉर्ट कोर्ड सुधार जारी किये गये। १९१८-२० में भिन्न भिन्न प्रान्तों की सरकारों ने 'प्राइमरी एज्यूकेशन एक्ट' पास किये जिनके दाय ६ से १० वर्ष की आयु तक 'निःशुल्क तथा अनिवार्य' बनाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देकर जनता के हाथ में दे दिया गया।

'प्राथमिक शिक्षा' के सम्यन्ध में अनेक प्रश्न हैं जिनका हल किया जाना आवश्यक है। सबसे मुख्य प्रश्न तो यह है कि इस समय जो लड़के पढ़ना शुरू करते हैं, एक दो साल में ही वे स्कूल छोड़ देते हैं, वे इतना थोड़ा पढ़ पाते हैं कि कुछ ही दिनों में वे वे पढ़ें-से हो जाते हैं। शिक्षा की मशीन का यह 'अपव्यय' कैसे रोका जाय ? इस 'अपव्यय' को नहीं रोका जाता तो नये विद्यालय खोलना न खोलना बराबर है। इसे रोकने के लिए 'प्राथमिक शिक्षा' या अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। हर बालक को ६ से १० वर्ष की अवस्था तक पढ़ाना ही होगा। १९२६ में 'दार्-टौग' कमेटो ने यही विचार प्रकट किये। १९३८ में महात्मा गांधी की प्रेरणा से 'जाकिर हुसैन कमेटो' ने ७ से १४ वर्ष तक की अवस्था के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य 'प्राथमिक शिक्षा' की योजना तयार की। 'जाकिर हुसैन-कमेटो' पर पुनः विचार करने के लिए सम्यक के तत्कालीन प्रधान मन्त्री भीगुम्वर की अध्यक्षता में एक कमेटो बनी जिसने ७ से १४ के स्थान में ६ से १४ वर्ष तक 'निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' देने के विचार का

समर्पण किया। १९४४ में 'सर्जेंट रिपोर्ट' प्रकाशित हुई जिसमें ३ से ६, ६ से ११, ११ से १४ वर्ष—इस प्रकार 'शिक्षा' को तीन भागों में बाँट कर 'प्राथमिक शिक्षा' का नवीन संगठन करने का प्रयत्न किया गया। अब तो शासन सूत्र अपने हाथ में है। 'प्राथमिक शिक्षा' में भारत की सम्पूर्ण जनता पर १०-१२ साल के बाद बड़ा भारी प्रभाव पड़ने वाला है। इस सूत्र को सोच कर शास्त्र से शीघ्र इसकी तरफ क्रियात्मक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या कि प्रस्ताव तो पहले भी बहुत होते रहे हैं, और हो चुके हैं।

२—माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

अमेरिका की भारत की शिक्षा के क्षेत्र में एक ही देन है, और वह है 'माध्यमिक शिक्षा'। मैं काले के अपनी रिपोर्ट लिखने के पहले से यहाँ ईसाई पादरियों ने हाई स्कूल खोले हुए थे। पाठ्य लोग जिस लगन से काम कर रहे थे, और उनके कार्य से भारतीयों में जो परिवर्तन आ रहा था, उससे प्रभावित होकर सर चार्ल्स प्रान्ट के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भारतीयों को शिक्षित करना आवश्यक है। यह पहले कम्पनी की नौकरी कर चुके थे, फिर पार्लियामेंट के सदस्य बने, और कम्पनी के डायरेक्टरों के बोर्ड के चेयरमैन बने। १८१३ में जब कम्पनी को दुबारा धारा पत्र दिया गया तब उन्होंने १ लाख रुपया प्रति-वर्ष शिक्षा पर व्यय करने की शर्त भी स्वीकृत कर ली। उसमें लिखा गया कि 'विद्या का पुनरुज्जीवन' (Revival of Learning) तथा 'विज्ञान की वृद्धि' (Promotion of Scientific Knowledge) के लिए १ लाख रुपये का व्यय किया जाय। पहले तो यही मन्त्रालय चलाया गया कि 'विद्या का पुनरुज्जीवन किया जाय—समृद्ध तथा अरबी का, अमेरिका का? बहुत देर तक कुछ समझ न हुआ। अनेक भारतीय नहीं चाहते थे कि अमेरिकी शिक्षा ही दी जाय।

राजा राममोहन राय ने तो इस आशय का गवर्नर-जनरल को एक आवेदन-पत्र भी दिया। १८१७ में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर नामक एक घड़ियों के व्यापारी के सहयोग से 'हिन्दू कालेज' की स्थापना की जिसमें अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। १८३५ में मैकाले ने अपनी रिपोर्ट लिख कर अंग्रेजी शिक्षा की जड़ें पाताल तक पहुँचा दीं। मैकाले से पहले भी अंग्रेजी ढंग के स्कूलों की ही माग थी, मैकाले ने उम्मी बात पर मोहर लगा दी। अंग्रेजी पढ़ कर ही जय नौसरी मिलती थी, तब ही गुच्छ कोई क्यों पढ़ता। आज जैसे नौसरी के लिए हमारे मालक टाइप करना सीखते हैं, वैसे उस समय आजीविका के प्रश्न को हल करने के लिए स्कूल में भर्ती होते थे, अंग्रेजी सीखते थे। १८३७ में न्यायतया की भाषा भी अंग्रेजी ही कर दी गई, १८४४ में लार्ड हाडिज ने घोषणा कर दी कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े लड़कों को नौसरियों में प्रधानता दी जाये। इस सारी नीति का परिणाम यह हुआ कि 'माध्यमिक-स्कूल' धड़ाधड़ खुलने लगे। शिक्षा के लिए जितना रुपा स्वीकृत होता था उसमें 'प्राथमिक-शिक्षा' पर कुछ व्यय नहीं होता था, 'माध्यमिक' पर ही सब व्यय हो जाना था।

हंटर कमिशन (१८८२) ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने सिफारिश की कि सरकार को अपनी शक्ति 'माध्यमिक शिक्षा' से हटा लेनी चाहिए, यह काम प्राइवेट संस्थाओं के सुपुर्द कर देना चाहिए, उन्हें सहायता-मात्र दे देना चाहिए। इनका परिणाम तो यह होना चाहिए था कि 'माध्यमिक-शिक्षा' से पचे रुपये को सरकार 'प्राथमिक शिक्षा' पर खर्च करनी। वंछा कुछ तो सरकार ने किया नहीं, इधर मेट्रिक की तय्यारी पर उभराने स्कूलों की भरमार हो गई, स्कूल चलाना भी एक व्यवसाय हो गया। मेट्रिक पास की, पा० ए० किया, और कोई न चाह नो हंटा

हाथ लगी, फिर क्यों न स्कूलों की संख्या बढ़ती। जब स्कूल-
 चरहरत से ज्यादा बढ़ गये, तब इतने मैट्रिक पास व्यक्तियों को
 नौकरियों की भी तंगी होने लगी। इसके अतिरिक्त मैट्रिक पास
 से बी० ए० का महत्व अधिक था, इसलिये कालेजों में बाढ़-सी
 आ गई। लड़का पढ़ सकता है या नहीं, इसकी परवाह नहीं थी,
 किसी तरह से इम्तिहान पास करके नौकरी का विचार बालकों
 को आगे-ही-आगे ले जाता था। युनिवर्सिटियों में ऐसे लड़कों
 की भरमार हो रही थी जो घोट-घाटकर मैट्रिक तो पास कर आते
 थे, परन्तु प्रोफेसर का व्याख्यान नहीं समझ सकते थे। १९०४
 और १९१३ में 'भारतीय शिक्षा की नीति' का घोषणा की गई
 जिसमें स्वीकार किया गया कि स्कूल की पढ़ाई निरुद्देश्य चल
 रही है, लड़कों के सन्मुख मैट्रिक पास करके युनिवर्सिटी में भर्ती
 होने के सिवाय कोई उद्देश्य नहीं होता। इनके परिणाम स्वरूप
 एम० ए० बी० की परीक्षा ररती गई जिसका उद्देश्य यह था कि
 बालक मैट्रिक का इम्तिहान दिये बगैर अगर किसी धन्धे में
 जाना चाहता है तो इस परीक्षा को देकर जा सके। १९२६ में
 'हायटीग कमेटी' और १९३७ में 'एक्ट तथा बुड' रिपोर्ट प्रकाशित
 हुईं जिनमें कहा गया कि स्कूल में ही विषयों का ऐसा विभाग
 हो जाना चाहिए-जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार ऐसे
 विषयों को चुन सके जो उसे जीवन में सहायक हों। प्रत्येक
 बालक 'युनिवर्सिटी' की शिक्षा के योग्य नहीं होता। अब तक
 तो पढ़ाई का ऐसा रूप था कि स्कूल में विद्यार्थी अपने को युनि-
 वर्सिटी में भर्ती होने के लिए तय्यार करता था। मैट्रिक पास हो
 गया तब तो वह 'युनिवर्सिटी' में भर्ती हो गया, उसका भविष्य
 उज्वल हो गया, नहीं तो सारी पढ़ाई पर पानी फिर गया।
 १९४६ में 'मैट्रिक एग्जामिनेटरी बोर्ड' ने 'त्रेन्डरेव कमेटी' तथा

'सार्जेंट रिपोर्ट' पर पुन विचारकर यह निश्चय किया कि स्कूल की 'माध्यमिक' शिक्षा अरने में पूर्ण होनी चाहिए, उसमें पढ़े हुए विद्यार्थी 'युनिवर्सिटी' में तो जाने ही चाहिए, परन्तु पाठ-विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बीच में छोड़ना चाहे तो छोड़कर किसी उद्योग धन्धे में भी लग सक। इस विचार को सम्मुख रखकर १९४८ में युक्तप्रान्त में मरी श्रेणी के बाद ६वीं से १२वीं श्रेणी तक माहिविद्य, रचनात्मक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक पाठविधियों का चलन किया गया है। परन्तु अब भी हमारी पाठ्य प्रणाली बहुत कुछ कृतापी ही चली आ रही है, इसमें किताबी-पन, पठे-ज्ञा, रटना आदि को कम करके क्रियात्मकता, रुचि अनुकूलता आदि लाने की आवश्यकता है।

३.- विश्व विद्यालय (University)

१८३५ में मैकाले ने लिखा था कि इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो शासकों तथा शासिना में दुभापिये का काम कर सकें। ऐसे ही व्यक्ति पैदा करने में शिक्षा का सपूर्ण संगठन लगा हुआ था। १८५७ में पहले स्कूल और कानेज यह काम कर रहे थे, १८५७ में 'युनीवर्सिटी एक्ट' पास किया गया जिसके अनुसार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के विश्व विद्यालयों की स्थापना की गई और उन्होंने मैकाले का कार्य शुरू कर दिया। पंजाब विश्व विद्यालय १८८२ में, अलाहाबाद १८८७ में, बनारस तथा मैसूर १९१६ में, पटना १९१७ में, उस्मानिया १९१८ में, अलीगढ़ तथा लखनऊ १९२० में, दाम १९२१ में, दिल्ली १९२२ में, नागपुर १९२३ में, आन्ध्र १९२६ में, आगरा १९२७ में, अना-मला १९२६ में, ट्रावनकोर १९३७ में, और उत्कल १९४३ में स्थापित हुए। राजपूताना, महाराष्ट्र, आन्ध्र में विश्व विद्यालय स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे हैं जिनमें राजपूताना अब पन चुक है।

प्रारम्भ में विरय विद्यालयों का नाम परीक्षा लेना तथा भिन्न भिन्न कालों को अपने साथ सम्बन्धित करना था। धीरे धीरे इस बात को अनुभव किया जाने लगा कि केवल परीक्षा लेने वाली मस्य्या पढ़ाने-लिखाने के क्रियात्मक क्षेत्र में सर्वत्र उन्नी रहती है, अतः वास्तविकता से दूर रहती है। इस तथा अन्य दोषों का दूर करने के लिए १९०४ में 'डाक्टर पुनीवसिटी एक्ट' पास किया गया जिसमें यह निश्चय किया गया कि विरय विद्यालयों का काम केवल परीक्षा लेना ही न होगा, वे पढ़ाने लिखाने का भी काम करेंगे, अपने लेक्चरर, प्रोफेसर रखेंगे, अपने पुस्तकालय तथा परीक्षण शालाएँ बनायेंगे। अब तक सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित न थी, वे जन्म-भर सदस्य रह सकते थे, सब सरकारी आदमी होते थे। इस एक्ट के अनुसार संख्या निश्चित कर दी गई, और सदस्यता का समय ५ वर्ष कर दिया गया। सिन्डीकेट के सदस्यों को अब तक कोई वैधानिक अधिकार न था, उन्हें भी वैधानिक अधिकार दे दिया गया। अब तक विरय विद्यालय अपने आर्थिक कालेजों का निरीक्षण भी नहीं कर सकते थे, इस एक्ट के अनुसार उन्हें निरीक्षण का अधिकार भी दिया गया।

✓ १९१७ में भारत सरकार ने 'कलकत्ता पुनीवसिटी कमीशन' नियुक्त किया, इसका नाम 'मैडलर कमीशन' भी था। 'मैडलर कमीशन' ने अनेक सिफारिशों की जिनमें से मुख्य यह थी कि इस समय पुनीवसिटी के ११-१२ पॉ के छात्रों की योग्यता स्तर के विद्यार्थियों की-सी होती है, अतः वे कक्षाएँ पढ़ने को पुनीवसिटी की कक्षाएँ हैं, परन्तु यानत्र में स्कूल की ही हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने सिफारिश की कि इन दोषों को अलग करके 'इन्टर-मीडियेट' कालेजों की पुनीवसिटी से अलग स्थापना का जाय। 'पुनीवसिटी' पर जो अन्वयपरक बान्ध रहता है वह भी इन्होंने

कम हो जायगा, और वे अपना काम करने में स्वतन्त्र हो जायगी। मैट्रिक तथा इन्टरमीडियेट की पाठविधि बनाने तथा परीक्षा लेने का कार्य 'यूनीवर्सिटी' को न करके 'बोर्ड ऑफ मेकैन्डरी एण्ड इन्टरमीडियेट एज्यूकेशन' को करना चाहिए। 'सेटलर कमीशन' की इन सिफारिशों का अनेक प्रांतों ने मानकर उसके अनुसार पृथक्-पृथक् कांठों का निर्माण कर 'यूनीवर्सिटी' का बोझ हल्का कर दिया।

'यूनीवर्सिटी' दो प्रकार की हैं। एक तो ऐसी जो एक ही जगह के विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयत्न करती है, इन्हें 'यूनीटरी' (Unitary) कहा जाता है, दूसरी वे जिनमें पढ़ाने का प्रयत्न तो होता ही है परन्तु दूसरे कॉलेजों का भी उनके साथ सम्बन्ध होता है, इन्हें 'अफिलियेटिंग' (Affiliating) कहते हैं। अलीगढ़, अलाहाबाद, बनारस, दारा, लखनऊ, दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, ट्रायनकोर के विश्व विद्यालय 'यूनीटरी' हैं, आग्रा, आन्ध्र, बम्बई, बलरुत्ता, मद्रास, नागपुर, पटना, पंजाब, उत्कल तथा राजपूताना के विश्व विद्यालय 'अफिलियेटिंग' हैं।

भारत के स्वतन्त्र होाने के बाद से भारतीय सरकार 'विश्व विद्यालयों' की समस्याओं का नया दृष्टिकोण में हल करने में लगी हुई है, और इसलिए १९५२ में सर एधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 'यूनीवर्सिटी कमीशन' बनाया गया। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है परन्तु इसके अनुसार अभी अधिक कार्य नहीं हो पाया।

४— प्रौढ़-शिक्षा (Adult Education)

छोटे बच्चों को शिक्षा देना प्रारम्भ करके उन्हें 'माध्यमिक' तथा 'उच्च शिक्षा' देने के अतिरिक्त कई देशों ने निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने के परीक्षण भी शुरू किये हैं। १९३१ सन्तरी के अन्त में प्रिटेन में, १९५१ सन्तरी के प्रारम्भ में अमरीका में 'प्रौढ़ शिक्षा' के प्रयत्न शुरू हुए। उनमाक तथा

स्विटजरलैंड ने भी इन परीक्षणों को किया। हस में तो यह परीक्षण बड़े उत्साह से दिया गया। चीन, ईपान तथा टर्की ने भी प्रौढ़ व्यक्तियों को पढ़ना-लिखना सिखाने के सराहनीय प्रयत्न किये। [भारत में जब चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में राज-सत्ता चली गई तब, अनेक प्रान्तों ने 'प्रौढ़ शिक्षा' का आन्दोलन खड़ा किया। १९३७ में मोगा में 'प्रौढ़ शिक्षा-सम्मेलन' बुलाया गया जिसमें अमरीका के डा० लावेरने अपने मिलिपाइन के परीक्षण के आधार पर यहाँ भी आन्दोलन खड़ा करने का प्रतिनिधियों को उत्साह दिया। इन आन्दोलनों के परिणाम-स्वरूप 'इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन' की स्थापना हुई जिसने १९३६ में 'इंडियन जनरल आरू एडल्ट एजुकेशन'-नामक द्विमासिक पत्र दिल्ली से प्रकाशित करना आरम्भ किया। निम्न भिन्न प्रान्तों में 'पढ़ो और पढ़ाओ' (Each one teach one) का आन्दोलन जोर जोर से जारी किया गया। इस आन्दोलन का फल यह हुआ कि पढ़े-लिखों की संख्या जो ८ प्रतिशत थी, बढ़कर १२ प्रतिशत हो गई। १९१८-२६ में सब प्रान्तों में मिलाकर ४७३३ 'प्रौढ़-स्कूल' खोल गये जिनमें १,४४,६८३ प्रौढ़ शिक्षा पा रहे थे। भारत जैसे देश में जहाँ निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है 'प्रौढ़-शिक्षा' के आन्दोलन से ही शीघ्र-से शीघ्र निरक्षरता को माचाना में परिणत किया जा सकता है। इस कार्य में जहाँ निःस्वार्थ सेवा करने वाले सभ्यो सरसर ना हाथ बट्या सकती हैं वहाँ 'विश्व विद्यालयों' के द्वारा अपने-दीर्घावकाश में गाव-गांव में साक्षरता का प्रचार कर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस आन्दोलन से प्रान्त अनुभव के आधार पर अब 'प्रौढ़ शिक्षा' के आन्दोलन को 'सामाजिक शिक्षा' (Social Education) का रूप दिया जा रहा है क्योंकि प्रौढ़-व्यक्तियों का केवल अक्षर सिखा देना काफी नहीं है,

अक्षराभ्यास के साथ साथ उन्हें नागरिकता की अन्य बातें भी सिखाई जा सकती हैं, जिनमें प्रत्येक निरक्षर प्रौढ़ व्यक्ति अक्षर सीखने के साथ ही समाज का एक उत्तम अंग भी बन सके।

५—स्त्री-शिक्षा (Women's Education)

लार्ड कर्जन ने १६०४ में 'भारतीय शिक्षा नीति' का प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें कहा गया कि भारत में स्त्री शिक्षा की प्रगति सन्तोष जनक नहीं। यह भी कहा गया कि सरकार कई आदर्श कन्या पाठशालाएँ खोलेगी, कन्याओं की शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान करेगी, अध्यापिकाएँ ट्रेन करेगी, और स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए निरीक्षिकाओं की संख्या बढ़ा देगी। १६१३ में भारत सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ और प्रस्ताव स्वीकृत किये जिनमें फिर कहा गया कि स्त्री शिक्षा की गति बहुत धीमी है। यह भी कहा गया कि कन्याओं की पाठविधि बालिका मठों तक उनका आवश्यकता को देखकर बनाई जानी चाहिए, यह बालिकाओं की पाठविधि का नमूना ही नहीं होनी चाहिए, न परीक्षा पर ही इतना अधिक ध्यान देना चाहिये। १६२६ में 'हार्लिंग कमेटी' ने लिखा कि यद्यपि इन बीच में स्त्री शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है, तो भी लड़कों तथा लड़कियों में अभी तक प्रतिभा की दृष्टि में शिक्षा में बहुत अन्तर है। इस कमेटी ने यह भी सिखाया कि धीरे-धीरे स्त्री शिक्षा को 'अनिवार्य' बना देना ठीक होगा।

ऐसे तो अत्यन्त प्राचीन काल में भारत में स्त्री-पुरुष की शिक्षा में कोई भेद न था, तो भी देर में यहाँ स्त्रियों की शिक्षा की तरफ विलुप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सरकार की तरफ से जो धोखा बहुत प्रचलन हो रहा था उसमें माता-पिता का सहयोग नहीं था। डॉ. महात्मा गांधी ने जब से भारत की राजनीति को अपने

हाथ में लिया तब से न्यौ-शिक्षा के प्रति जनता का दृष्टि-कोण बदल गया। महाला ने भारत की न्यौ-जाति को चुनौती दी, और देश की स्वतन्त्रता में हाथ बढ़ाने को ललचाया। परिणाम यह हुआ कि भ्रियों पड़ा फेंक कर नैशन में आ गई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक भ्रियों न जागृति हो-जागृति दिवाई देने लगी। इस जागृति का न्यौ शिक्षा पर प्रभाव पड़ना अपरिहार्य था। जहाँ १९१५ में ६०४ लड़कियों ने मैट्रिक पास किया, १६ प्रेजुप्ट बनी, वहाँ १९२५ में १०५३ ने मैट्रिक पास की, और ६०२ प्रेजुप्ट बनी। फिर भी पिछली जन-गणना के अनुसार २-६१ प्रतिशत न्यौरा ही शिक्षित थी— इसका पहला कारण तो यह है कि न्यौ-शिक्षा पर अभी उतना व्यय नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए। १९१४ में शिक्षा पर हम जितना व्यय कर रहे थे उसका कुल १९२५ प्रतिशत मन्दाओं की शिक्षा पर व्यय हो रहा था। दूसरा कारण यह है कि लड़कों तथा लड़कियों को एक ही ढङ्ग की शिक्षा चल रही है। यह आवश्यक है कि लड़कियों को लड़कों की शिक्षा की नकल ही न हो, अनिवार्य लड़कियों की विशेष आवश्यकता को देखते हुए उनके लिए नवीन पाठ्यविधि का निर्माण किया जाय।

६—व्यावसायिक-शिक्षा (Professional Education)

१९०१ तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रायः अभाव था। अमेरिका को अपना काम चलाने के लिए जो थोड़े-बहुत व्यक्ति चाहिए थे उन्हीं को व्यावसायिक-शिक्षा का प्रयत्न था। लॉर्ड कार्टन द्वारा प्रस्तावित १९०४ की 'भारत की शिक्षा-नीति' में यह कहा गया था कि शिक्षा में निरंतरक विषयों का समावेश करने की आवश्यकता है। परिणाम यह हुआ कि अनून, चिकित्सा, व्यवसाय, कृषि आदि व्यवसायों की शिक्षा देने के पालेन चलने

लगा। प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय में मानव की शिक्षा ही जाने लगी, वहीलाही संख्या बढ़ने लगी। कट कालेजों में इनको कालेज की पाठ्यपद्धति चलती थी, सायसना कानून की श्रेणियों लगती थीं, विद्यार्थी बी० ए० की पढ़ाई करते करते एल० एल० बी० की पढ़ाई भी कर लते थे। चिन्ता के भी नये नये कालेज खुले। शिक्षा ने भांडारटरी पढ़ाई शुरू की उनके लिए शिक्षा में लैडो दृष्टिपूर्व कालेज खोला गया। विश्वविद्यालयों ने व्यापार पढ़ाई के विभाग भी खोले द्वितीय माध्यमिक शिक्षा में व्यापार को भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रख लिया गया। पुना कानपुर, शिवपुर, कलकत्ता नागपुर तथा मैसूर में कृषि की शिक्षा का प्रबन्ध १९वीं शताब्दी में किया गया था। घोसवा शताब्दी के प्रारम्भ में प्रयाग (विहार) में रिसर्व इंस्टीट्यूट खोला गया जो विहार के नूतन कालेजों में आ गया।

अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि 'व्यावसायिक-शिक्षा' (Professional Education) की अपेक्षा भी 'शैक्षणिक शिक्षा' (Technical Education) की अधिक आवश्यकता है। शिक्षा की उन्नति के लिए मानव संसाधन ही हैं उनको चलाने की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों का उत्पन्न करने में ही काम चलना, अतः शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान अब 'शैक्षणिक शिक्षा' (Technical or Industrial Education) की तरफ जानें लगा है।

७ — शैक्षणिक शिक्षा (Technical Education)

अब तक हमारी शिक्षा बिल्कुल द्वितीयक है, द्वितीयक में ही हमें पढ़ने लिखने तक ही सीमित रही है। उद्योग की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। सरकारी कामों के लिए जनतंत्र की नींव रखी है आवश्यकता रही उद्योगों का ही शिक्षा न जाता

२७८ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

रही। १८५६ १८५८ के बीच में रुड़की, पूना, मद्रास तथा कलकत्ता में चार इंजीनीयरिंग कालेज खुले। बहुत पीछे जाकर बनास, लाहौर, कराची, पटना, बेंगलूर, देहरादून तथा त्रिपुरा में एंजीनीयरिंग कालेज खोले गये। १९११ में बंगलौर में जे० एन० टाटा के दान से 'इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स' खोला। अनेक विश्व विद्यालयों में 'आर्गोमिक रसायन शाला' (Industrial Chemistry) की शिक्षा दी जाने लगी। रंग, साबुन, तेल, भिन्न भिन्न खाद्य-पदार्थ तथा औषध निर्माण की शिक्षा के लिए भी अनेक विश्व विद्यालयों ने प्रयत्न किये। कानपुर में 'हाटेरोट वटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट' तथा 'इन्पौरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी' खोले गये जिनमें तेल तथा शकर-पट अन्वेषण का प्रयत्न किया गया।

'उद्योग' (Industry) के सम्बन्ध में हमें तीन प्रकार के व्यक्तिओं की आवश्यकता है। (१) उद्योग को चलाने वाले प्रबन्धक, मैनेजर आदि (२) निरीक्षक—फोरमैन आदि तथा (३) चतुर, कारीगर—लेबरर आदि। इस समय जो कालेज आदि खुले हुए हैं वे 'प्रबन्धकों' को तो पर्याप्त संख्या में उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न कर रहे हैं जिन्हें 'उद्योग' के सम्बन्ध में बहुत उची शिक्षा मिल रही है, परन्तु इतनी उची शिक्षा सब जगहों तक नहीं है जब उद्योगों को चलानेवाले 'निरीक्षक' तथा 'चतुर-कारिगर' भी बनाने पड़े। अतः बहुत उची से कुछ नीची शिक्षा देनेवाली, फोरमैन आदि उत्पन्न करनेवाली संस्थाओं की आवश्यकता है। ऐसी संस्थाएँ भी देश में कई उत्पन्न हो गई हैं। बम्बई का 'विक्टोरिया ज्यूनियर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट', दकोई का 'कला भवन', कानपुर का 'गवर्नमेंट मैट्रिकल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट एंड लेबर पॉलिटेक्निक', बरेली का 'सटल बुक पॉलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट', बंगलौर का

'टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट'—इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। १९३७ में 'एक्ट-बुड रिपोर्ट' में जिस प्रकार की समस्या खोलने का निर्देश किया गया है उन आदर्शों का लेकर दिल्ली में 'पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट' खोला गया है जिसमें अनेक उद्योगों को एक-साथ शिक्षा दी जाती है। देश का सबसे अधिक आवश्यकता चतुर-धर्मियों की है। 'प्रबन्धक और निरीक्षक' भी बेजार रहेंगे, अगर उन्हें उद्योगों को चलाने वाले 'चतुर-कारीगर' नहीं मिलेंगे। 'एक्ट-बुड रिपोर्ट' का मत है कि प्रायः समझा जाता है कि कारीगर अशिक्षित ही होने चाहिये, परन्तु यह बात गलत है। अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित कारीगर अधिक अच्छा काम करता है। शिक्षित, चतुर कारीगरों को तय्यार करने के लिए 'जूनियर योके-शनल स्कूल' तथा 'सोनियर योकेशनल स्कूल' खोले जाने चाहिये। जो बालक मिडिल पास कर आये, वे 'जूनियर योकेशनल स्कूल' में, और जो हाई स्कूल पास कर आये, वे 'सोनियर योकेशनल स्कूल' में भर्ती किये जायें। ये स्कूल उद्योग के केंद्रों में स्थापित होने चाहिये। इन स्कूलों का काम 'निरीक्षक' (कोरमैन आदि) तथा चतुर धर्मी, कुशल कारीगर तय्यार करना होना चाहिये।

अप तक हमारा किताबी शिक्षा की तरफ जितना ध्यान रहा है उतना ही अब औद्योगिक-शिक्षा की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं कि औद्योगिक शिक्षा बड़े पैमाने पर उद्योग चलाने की ही शिक्षा दे, अगर भारतवर्ष की परिस्थिति को देख कर महात्मा गांधी के राष्ट्र-कोण से छोटे पैमाने पर ही औद्योगिक-शिक्षा देने की आवश्यकता हो तो वही दे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा शास्त्रियों का बल और किताबी शिक्षा में हट कर क्रियात्मक शिक्षा की तरफ जा रहा है।